राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक २] चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का ७२ वां दिवस [संख्या ३४

शुक्रवार, दिनांक २६ मार्च, १९६८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[मुख्य मन्त्री कार्यालय, शिक्षा, कृषि, विद्युत, पशुपालन, यातायात, पर्यटक, नियुक्ति, नागरिक रसद तथा खादी विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणियां (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

छात्रवृत्ति की राशि

६३४. **श्रीमती गोरी पूनिया** (डेगांना) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९६५ से १९६६ के सत्र में समाज कल्याण विभाग से जिला नागौर, जोधपुर, पाली व जालौर को कुल कितनी धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त हुई ?

(२) इसी वर्ष में अजमेर, उदयपुर, जयपुर व चित्तौड़ जिलों को इसी विभाग से कितनी-कितनी धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में मिली है ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) यह सूचना भी प्रश्न १ में सदन की मेज पर रखी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्रीमती गोरी पूनिया : १९६८ में जोधपुर में २६,५००, पाली में २०,५००, उदयपुर में ६८,५००, अजमेर में ७२,००० इसका आधार क्या है ?

श्री शिवचरण माथुर : जितनी दरख्वास्तें आती हैं उनका स्टेटमेन्ट बनाकर इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स भेजते हैं उसके आधार पर दी जाती हैं। मैं समझता हूँ जो जानकारी मुझे मिली है, जितनी इस प्रकार की एप्लीकेशन्स आई थीं सब को भेज दी है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : आधार नम्बर ऑफ स्टूडेन्ट्स होना चाहिये।

श्री शिवचरण माथुर : दरख्वास्त आने पर ही विचार किया जाता है।

प्रश्न संख्या ६३५

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालसिंह ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

पाली शहर के बिजली उपभोक्ताओं को दी जानेवाली बिजली की दर

६३६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली शहर में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली किस दर पर उपलब्ध की जाती है ?

(२) क्या यह सत्य है कि सोजत और जोधपुर में उपभोक्ताओं को बिजली कम रेट पर उपलब्ध की जाती है ? यदि हां, तो यह असमानता क्यों है ?

(३) पाली शहर में जो बिजली उद्योगों के लिये उपलब्ध की जाती है उसके एक यूनिट के चार्जेज क्या है? और क्या इसी दर से जोधपुर और सोजत में बिजली दी जाती है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(४) क्या सरकार पाली शहर में बिजली की दरें जोधपुर व सोजत के बराबर करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :

(१) इस समय डीजल स्टेशन से मिलने वाली रेट पर। अप्रेल १९६८ से स्टीम एवं हाइडल रेट चार्ज करने की आज्ञा दे दी गई है।

(२) अप्रेल १९६८ से असमानता समाप्त हो जायेगी ।

(३) पाली में लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को बिजली २६ पैसे प्रति यूनिट की दर से दी जाती है। १ अप्रेल ६८ से पाली में भी जोधपुर एवं सोजत की ही दर लागू होगी ।

(४) जी हां। आज्ञा जारी कर दी गई है ।

श्री मूलचन्द डागा : धन्यवाद ।

प्रश्न संख्या ६३७

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

झीलों से आय

६३८. **श्री मेघराज पंवार** (चूरू) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर डिवीजन में कितनी झीलें [लेक्स] हैं, और उनसे राज्य सरकार को कितनी-कितनी आमदनी सालाना होती है ?

(२) क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि "पिछोला" लेक से दस हजार रुपये कीमत की मछलियें रोजाना निकाल कर बेची जाती हैं और सरकार को उससे एक पैसा भी रेवेन्यू का नहीं मिलता है ?

उप मंत्री, पशुपालन विभाग (**श्री हरिसिंह**) : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

Page No. 3

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या ६३६

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्जनसिह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

मकराने में बिजली की व्यवस्था

६४०. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सम्पूर्ण मकराने का विद्युतीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है ? सम्पूर्ण खानों व कारखानों को बिजली कब तक दे दी जायगी ?

(२) क्या यह सही है कि मकराने के लिए ३३ कि. वा. की लाइन जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो यह लाइन क्यों नहीं लगाई गई ?

(३) क्या यह सही है कि मकराना में ट्रांसफोर्मर केवल १०० कि. वा. का ही है जबकि वहां लोड अत्यधिक है ? बड़ा ट्रांसफोर्मर भेजने की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

(४) क्या यह सही है कि मकराने में बिजली के बिलों आदि को जमा कराने के लिए सांभर से कैशियर केवल दो ही दिन के लिए प्रतिमाह आता है ? यदि हां, तो मकराने में पूरे महीने तक बिलों के पैसे आदि जमा कराने के लिए कब तक व्यवस्था कर दी जायगी ?

(५) क्या यह सही है कि मकराने की जनता को बिजली के पैसे जमा कराने की सुव्यवस्था न मिलने के कारण अधिकतर लोगों को हर महीने कनेक्शन कटवाने पड़ते हैं ?

(६) इस प्रकार प्रति माह कनेक्शन कट जाने की कठिनाई को कब तक रोका जायगा ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :

(१) मांग न होने, तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से अनुकूल न होने के कारण उक्त कठिनाइयों के निराकरण होने पर।

( ) जी हां। ३३ के. वी. लाइन पहले से ही विद्यमान है उसे उपयुक्त जमीन न मिलने के कारण सब स्टेशन के अभाव में ११ के. वी. पर चार्ज कर रखी है। सब स्टेशन बनते ही ३३ के. वी. पर चार्ज हो जायगी।

(३) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(४) जी हां, बिल की रकम मनीऑर्डर द्वारा सांभर भेजी जा सकती है।

(५) बिल का भुगतान न होने की अवस्था में कनेक्शन काट जाते हैं।

(६) आवश्यकतानुसार कैशियर के वहां जाने के समय को २ दिन से अधिक बढ़ाने पर विचार किया जावेगा।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि बिजली का दफ्तर वहां खोलने की आज्ञा पहले मिल चुकी थी ?

श्री हरिदेव जोशी : नहीं। असिस्टन्ट इंजीनियर जहां होता है वहां पर दफ्तर रहता है।

Page No. 4

श्री विजयसिंह : वहां पर क्योंकि कन्ज्यूमर्स काफी है और उनको पैसा जमा कराने के लिये दो दिन ही दिये जाते हैं, दो दिन बहुत थोड़े होते हैं उसमें कोई आदमी जमा नहीं करा सकता इसलिये मेरा निवेदन है कि महीने में, १५-२० दिन में या पोस्ट ओफिस में जमा कराने की सहूलियत दे दें तो अच्छा हो।

श्री हरिदेव जोशी : दो दिन का समय मुझे भी कम मालूम होता है, इस पर विचार किया जायगा।

श्री विजयसिंह : भगवान् आपको तरक्की दे।

अकलेरा हाई स्कूल में हुई हड़ताल की जांच

९४१. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : (अकलेरा) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अकलेरा हाई स्कूल में २४ लगायत २६ फरवरी, १९६८ तक क्या कोई हड़ताल या हुडदंग हुआ था ?

(२) क्या यह हुल्लड़ स्थानीय शाला के अध्यापकों के उकसाने एवं उभारने पर हुआ था ?

(३) क्या यह सही है कि इस हुल्लड़बाजी में स्कूल की छात्राओं के साथ धक्का-मुक्की की गई, उन्हें नीचे गिराया गया और डराया धमकाया गया ?

(४) क्या इस हुल्लड़बागी में स्कूल का फर्नीचर नष्ट भ्रष्ट किया गया ?

(५) इस शाला में अकलेरा के निवासी कितने अध्यापक कार्य कर रहे हैं और क्या उनकी निरन्तर यह शिकायतें हैं कि वे वातावरण को गंदा बनाते जा रहे हैं ? यदि हां, तो विभाग ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

(६) क्या यहां छात्रों को जबरदस्ती उर्दू दी गई ?

(७) क्या यहां के प्रधानाध्यापक एक मुस्लिम लीगी विचारधारा के हैं और वे बालकों के साथ हिन्दू मुस्लिम भेद-भाव बरतते रहते हैं ?

(८) क्या शिक्षा निरीक्षक ने इस काण्ड की जांच की है और यदि हां, तो अपराधी अध्यापकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी आना बाकी है इसलिए इसको स्थगित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री विठ्ठल प्रसाद शर्मा : मैंने प्रश्न किया था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उसके बाद अल्प सूचना में लगाया गया। अफसोस यह है कि हाई स्कूल अकलेरा की लड़कियों के साथ छेड़खानी की गई, उसके बाद भी उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)— मैं निवेदन करना चाहूंगा, सरकार के पास सूचना नहीं आई यह कहा गया, ऐसी बात

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

नहीं है कि सरकार के पास सूचना नहीं हो, क्योंकि उसके बाद में पार्शियल एक्शन लिया है, जिस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया गया वह यहां घूमता फिरा और ट्रान्सफर कैंसिल करके चला गया। सूचना तो सरकार के पास है।

श्री उपाध्यक्ष : अगले टर्न पर उत्तर दिया जायगा।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : अब तो छः महीने बाद होगी असेम्बली !

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय के अगले टर्न पर।

श्री विजयसिंह (मकराना) : जिस वक्त हुल्लड़बाजी की गई, उसके कारण से उस व्यक्ति का ट्रान्सफर किया गया, और बाद में उसका ट्रान्सफर कर दिया तो इससे खराबी होती है। इस प्रश्न की सूचना और जवाब तो इनके पास है, इसका उत्तर यह है (१, २, ३, ४, ५, ६ व ७) जी हां और (८) जांच करके उसका तबादला कर दिया गया लेकिन बाद में राजनैतिक कारणों से तबादला ट्रान्सफर कर दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित कर दिया गया, मंत्री महोदय की अगली टर्न आये तब उत्तर देंगे।

श्री विजयसिंह : वह हमारी फालतू रोटियां खाता है जब कि उसका ट्रान्सफर कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। चुन्नीलाल इंदलिया।

बीकानेर-जयपुर मार्ग पर रोडवेज की बसें

९४२. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा सु.) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जयपुर व बीकानेर के बीच रोड़वेज बसें चलाई जायेंगी ? यदि हां तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२) क्या यह सही है कि एक बार जयपुर-बीकानेर मार्ग पर रोडवेज की बसें चालू की गई थीं ? यदि हां, तो किस तारीख से चालू करके कब बन्द कर दी गई और क्या कारण था ?

(३) क्या यह सही है कि प्राइवेट बसें चलाने वालों ने हाई कोर्ट में रोडवेज बसों के खिलाफ स्टे लिया था ? यदि हां, तो कब तक के लिए ?

(४) क्या यह सही है कि उस स्थगन आदेश की मियाद अब समाप्त हो गई है ? यदि हां, तो कब तक रोड़वेज की बसें चालू की जायेंगी ?

(५) बीकानेर-जयपुर बस मार्ग पर इस समय कितनी गाड़ियां चल रही हैं ? जिन मालिकों के नाम गाड़ियां हैं, उनके नाम बताने का कष्ट करें ?

उपमंत्री, यातायात (श्री शिवचरणसिंह) : (१) जी नहीं। जयपुर-बीकानेर मार्ग पर बसें चलाने का नियम का फिलहाल अर्थाभाव के कारण कोई विचार नहीं है।

(२) जी हां, माह सितम्बर, १९६० में रोडवेज की बसें करीब ढाई माह के लिए जयपुर-बीकानेर मार्ग पर चार माह के अस्थाई परमिट के आधार पर चली थ

(श्री शिवचरणसिंह)

पर राजस्थान हाई कोर्ट से स्टे आ जाने के कारण बन्द करनी पड़ी।

(३) जी हां। हाई कोर्ट से कोई अवधि निर्धारित नहीं की जाती।

(४) जी हां। जैसा उत्तर बताया गया वर्तमान में इस मार्ग पर बसें चलाने का निगम का कोई विचार नहीं है।

(५) इस मार्ग पर ३० परमिट मिले हुए हैं रोजाना ५ गाड़िया बीकानेर को जाती है और ५ ही आती है। जिनको परमिट मिले हुए हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री रावतराम (छापर सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जयपुर-बीकानेर बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है और इस मार्ग का नेशनलाइजेशन नहीं होना उचित नहीं है। मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इसके सम्बन्ध में बतावें कि इस मार्ग को क्यों वंचित किया गया ? इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण मार्ग है, इस पर आवागमन बहुत ज्यादा है और लोगों को आवागमन की सुविधा देने के लिए रोड़वेज को इस पर विचार करना चाहिये।

श्री शिवचरणसिंह : माननीय सदस्य। इस रूट पर १९६० में आर टी. ए. से अस्थाई परमिट निगम ने प्राप्त किया था लेकिन हाई कोर्ट से स्टे आने के कारण बस को चलाना बन्द करना पड़ा। अब जब कभी राष्ट्रीयकरण योजना के अन्तर्गत राजकीय निगम की बस चलाने की बात होगी तो इस पर विचार किया जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : स्टे खत्म हो गया क्या ?

श्री शिवचरणसिंह : स्टे वेकेट हो गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : फिर क्या बात है ?

श्री रावतराम : हाई कोर्ट ने स्टे दिया था उसमें पीरियेड था कि इतने समय तक दिया है। अब तो स्टे वेकेट हो गया बताते हैं तो फिर क्या बात है।

श्री शिवचरणसिंह : माननीय सदस्य, ऐसी स्थिति है कि जिस टाइम टेम्पेररी परमिट दिया गया, उस वक्त आर. टी. ए. बाडी थी उसको इल्लीगल घोषित किया तो परमिट कैंसिल हो गया। परमिट कैंसिल होने के बाद जो स्पेअर बसेज इसीलिए ली गई थीं वह स्पेअर बसेज दूसरे रूट्स पर लगा दी गई। अब राष्ट्रीयकरण योजना के अन्तर्गत नये मार्गों पर बस चलाने की बात आयेगी तब विचार किया जायेगा। यह बात अब नई हो गई है।

श्री रावतराम : इससे कम महत्वपूर्ण और छोटे रूट हैं, उन पर बस चलाने का राज्य सरकार ने फैसला किया है जब कि यह लम्बा रूट है और महत्वपूर्ण है। क्या यह रूट लाभदायक नहीं हैं ? क्या गवर्नमेंट ने विचार किया है जिसके द्वारा यह रूट रोड़वेज को लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ।

यातायात मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : रोड़वेज में जितने रूट्स नेशनलाइज्ड हैं उन पर बसेज चल रही है। आर॰ टी. ए. की जब मीटिंग होती है तो रोडवेज एक बस आनर की हैसियत से परमिट मांगता है और फिर उस पर कार्यवाही होती है। आर टी. ए. सारी पोजीशन को देख

Page No. 7

(श्री अमृतलाल यादव)

कर, कैसा मार्ग है, क्या रिजल्ट निकलेगा, परमिट देता है। उसके लिए जो प्रोग्राम रखते हैं, वह प्रोग्राम रखा था, लेकिन उस वक्त स्टे की वजह से नहीं चल सकी। अब आगे जो प्रोग्राम रखेंगे उसमें इस पर विचार किया जायगा।

श्री रावतराम : जिन जिन रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया जाता हैं, वह जिन आधारों पर किया जाता है और जिन आधारों पर किया गया है राष्ट्रीयकरण, क्या उन आधारों में यह रूट बीकानेर से जयपुर का नहीं आता है ?

श्री अमृतलाल यादव : वह तो रखा ही था, और आगे के लिए भी इन्कार नहीं है। उसकी कार्यवाही चल रही है। जब अन्य मार्गों का राष्ट्रीयकरण होगा तो अन्य मार्गों के साथ साथ इस पर भी विचार होगा।

श्री रावतराम : क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि चालू साल में इस रूट का राष्ट्रीयकरण हो जायगा ? अगले साल में, जो अभी मामले विचार में चल रहे हैं, उनका राष्ट्रीयकरण होगा तो क्या इसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : एक प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न पूछ लिया गया है। माननीय मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : बार-बार आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचते हैं कि इस जिले के साथ उपेक्षा का व्यवहार रखा है। हमारे जिले की हर बात के लिए इस तरह का रवैय्या अपनायें यह अच्छा नहीं है। इस जिले के साथ पक्षपात किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है पक्षपात वाले को।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जिला सीमा का जिला है। आप नाराज मत होइये, यादव साहब, लेकिन हर मामले में इसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, चाहे रोडवेज का हो, सीमा सड़कों का काम हो....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन को देखकर प्रश्न करें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इसका फैसला कब तक हो जायगा ? मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इसका फैसला कब तक हो जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! उत्तर नहीं दिया जायगा।

स्पोर्ट्स कौन्सिल को अनुदान

६४३. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशन पोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) स्पोर्ट्स कौंसिल राजस्थान को सन् ६२ से लेकर अब तक राज्य सरकार द्वारा किस-किस वर्ष में किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना अनुदान दिया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(२) स्पोर्ट्स कौंसिल का आडिट कब कब हुआ ? कृपया आडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। आडिट के आब्जेक्शन की पूर्ति किस प्रकार हुई है ? इसका पूरा विवरण प्रस्तुत करें।

(३) स्पोर्ट्स कौंसिल के नियम, उपनियम क्या-क्या हैं ? उनकी एक एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) स्पोर्ट्स कौंसिल के पिछले दो वर्षों में एन्टरटेनमेन्ट तथा यात्रा व्यय कितना कितना हुआ है ? कृपया नाम यात्री तथा प्रत्येक यात्रा के खर्च के विवरण सहित तालिका सदन की मेज पर रखें ? इस ही प्रकार एन्टरटेनमेन्ट में किस किस आइटम पर कितना-कितना खर्च हुआ ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) उपाध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है। अतः इसको स्थगित किया जाय।

पर्यटकों से विदेशी मुद्रा की आय

९४४. **श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) एवं श्री जुझारसिंह (राम गंज मंडी)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) राजस्थान में गत पांच वर्षों में विदेशों से कितने पर्यटक आये ? और इनके द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई ?

(२) उदयपुर के लेक पैलेस होटल में कितने पर्यटक इन्हीं वर्षों में ठहरे और उनके द्वारा होटल को कितनी आय हुई ?

(३) क्या पर्यटन विभाग द्वारा कोई अधिकारी यहां पर पर्यटकों की सुविधा के लिये नियुक्त कर रखा है ?

(४) क्या यह सत्य है कि हर जिले में पर्यटन का कार्यालय नहीं है ?

राज्य मंत्री पर्यटन (श्री हीरालाल देवपुरा)

(१) वर्ष विदेशी पर्यटकों की संख्या आय

वर्ष	विदेशी पर्यटकों की संख्या	आय
१९६२	२१,०००	४२ लाख रु०
१९६३	२५,०००	५० लाख रु०
१९६४	२८,०००	५७ लाख रु०
१९६५	२५,०००	५०,४ लाख रु०
१९६६	२८,०००	५६ लाख रु०
योग	१,२७,७००	

(२) लेक पैलेस होटल १९६३ में स्थापित हुआ था। वांछित सूचना इस प्रकार है :

१९६३	७१६ पर्यटक
१९६४	१८२६ पर्यटक
१९६५	२२१५ पर्यटक
१९६६	२४३७ पर्यटक

जहां तक इसकी आय का प्रश्न है, यह होटल व्यक्तिगत है इसलिए इसके आंकड़े सरकार उपलब्ध नहीं कर सकती।

(३) जी हां।

(४) जी हां। केवल निम्न जिलों में ही पर्यटन कार्यालय है :

१. जयपुर
२. अजमेर
३. भरतपुर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

४. चित्तौड़गढ़

५. जोधपुर

६. माउन्ट आबू

७. उदयपुर

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इससे सम्बन्धित मेरा क्वेश्चन आगे भी है, उसको भी पूछ लिया जाय तो प्रश्न करने में सहूलियत होगी।

श्री उपाध्यक्ष : कौन सा प्रश्न ?

श्री जुझारसिंह : प्रश्न संख्या ६५६। वह भी इस पर ही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ! श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

पर्यटकों को सुविधायें

६५६. **श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) एवं श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में पर्यटन सुविधायें बढ़ाने हेतु क्या क्या कदम उठाए गए हैं और पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु किन किन स्थानों को चुना गया है ?

(२) पर्यटकों की दृष्टि से उपयुक्त समझे गए इन स्थानों पर सरकार द्वारा क्या क्या व्यवस्था की जावेगी व उस पर कुल कितना धन खर्च होगा ?

(३) चुने गए स्थानों को किन आधारों पर बहुत से दूसरे स्थानों के मुकाबले में अधिक आकर्षक माना गया है ?

(४) क्या यह सही है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दार्शनिक स्थान, आवागमन की सुविधा व दूसरी बातें उपलब्ध होते हुए भी कोई स्थान नहीं चुना गया है ? यदि हां तो क्यों नहीं ?

(५) राजस्थान के पर्यटन विभाग ने क्या देशी व विदेशी पर्यटकों की रुचि, आवश्यकता व मनोवृत्ति को जानने की कोशिश की है ? यदि हां, तो मोटे तौर पर उनकी जानकारी से अवगत कराने की कृपा करें। कृपया यह भी बतलावें कि राजस्थान पर्यटन विभाग ने इस दृष्टि से पर्यटकों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु क्या क्या सामग्री जुटाई है ? क्या पैम्फलेट्स या बुकलेट्स तैयार किए हैं और उनकी पब्लिसिटी करवाई है ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) राजस्थान में पर्यटन सुविधायें बढ़ाने हेतु जो कदम उठाये गये हैं उसकी सूची संलग्न है। पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु जो स्थान चुने गए हैं उसकी सूची संलग्न है।

(२) पर्यटकों की दृष्टि से उपयुक्त समझे गये स्थानों पर सरकार द्वारा की गई व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रश्न संख्या १ में दिये गये विवरण में आ चुकी हैं। अगले वर्ष में जिन जिन योजनाओं को कार्यान्वित करना हैं, उन पर जो खर्चा होगा उसकी विस्तृत जानकारी सूची (ख) पर उपलब्ध है।

(३) स्थानों को अधिक आकर्षक मानने के आधार ऐतिहासिक, धार्मिक, यातायात साधन, प्राकृतिक सौन्दर्य, कला केन्द्र के साधन, रमणीक स्थान इत्यादि हैं।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(४) जी नहीं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पर्यटकों के भ्रमण करने की कोई विशेष रुचि दिखाई नहीं देती हैं।

(५) जी हां। कोई भी देशी व विदेशी पर्यटक अपनी रुचि के अनुसार ही राजस्थान के विभिन्न भागों में भ्रमण करता है। कोई धार्मिक दृष्टि से तो कोई प्राकृतिक दृष्टि से भ्रमण करता है। राजस्थान के पर्यटन विभाग ने उपरोक्त दृष्टि से पर्यटकों को विभिन्न दर्शनीय स्थानों की जानकारी कराने हेतु प्रचार साहित्य छपवा रखा है। यह प्रचार साहित्य प्रधान कार्यालय एवं राजस्थान के विभिन्न भागों में स्थिति पर्यटन सूचना केन्द्रों से पर्यटकों को निःशुल्क दिया जाता हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

श्री जुभारसिंह : आपने जिन सात जिलों को पर्यटन के लिए सिलेक्ट किया है राजस्थान में उनमें अलग अलग जगह कितने पर्यटक आये—इसके फिगर्स दे सकते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अलग अलग केन्द्रों की सूची नहीं मांगी गई थी, वह जानकारी उपलब्ध नहीं हैं। इसके लिए अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है।

श्री जुभारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न ४ में पूछा है कि साउथ ईस्ट राजस्थान को जिसमें कोटा और बूंदी का इलाका आता है, इसको टूरिस्ट सैंटर के रूप में सेलेक्ट नहीं किये जाने का क्या कारण हैं ? टूरिस्ट्स को आकर्षित करने की दृष्टि से कोटा और बूंदी क्षेत्र में बहुत आकर्षण है, वहां बड़े बड़े टेम्पल हैं, ऐतिहासिक और प्राकृतिक दर्शनीय स्थान हैं, वहां चम्बल की सैर है। तो ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को टूरिस्ट्स सैंटर के लिए न छांट कर दूसरे ७ स्थानों को छांटा है तो, उनमें कितने पर्यटक गये हैं, इसकी सूची मुझे मिल जाय तो प्रश्न पूछने में सुविधा होगी।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर पर्यटकों के आने की रुचि नहीं दिखाई दी। १९६२ में बूंदी में पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापित किया गया था और उसके आंकड़ों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया पर्यटन की दृष्टि से पर्यटक वहां नहीं पहुँचते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं। पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आवें पर्यटन विभाग का भी लक्ष्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक राजस्थान में आये, उन पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने के लिए पर्यटन केन्द्र स्थापित किये गये हैं ताकि उनको सुधार कर, टीक करके ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाया जाय, जिससे कि आकर्षित होकर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक राजस्थान में आयें। यह दृष्टिकोण पर्यटन विभाग का इन केन्द्रों को छांटने में नहीं है कि किसी क्षेत्र को छोड़ा जाय और किसी को लिया जाय। जिन ७ केन्द्रों को लिया है, वहां अब तक पर्यटक आते रहे हैं। अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने लिए, विभाग द्वारा खर्चा किया जाता है ताकि वर्तमान केन्द्रों को अधिक आकर्षक बनाया जाय, जिससे कि थोड़े धन में ही अधिक लाभ हो सके।

श्री जुभारसिंह : क्या इस विभाग की ओर से कोटा या साउथ ईस्ट राजस्थान के बारे में पब्लिसिटी की गई है कि यहां यह ऐतिहासिक, प्राकृतिक और दर्शनीय स्थान है, टूरिस्ट्स की सुविधा के लिये यह

(श्री जुझारसिंह)

यह साधन उपलब्ध हैं। क्या इस तरह का कोई प्रोपेगेन्डा या एडवरटाइजमेंट किया है क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि बूंदी में पर्यटन केन्द्र, स्थापित किया गया था और उसके आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकला कि पर्यटक वहां नहीं पहुंचते हैं। राजस्थान में पर्यटक आयें इसके लिये वेरियस ट्रेवल एजेंट्स हैं, वे एजेंट्स राजस्थान में जो टूरिस्ट्स आते हैं उनको राजस्थान के सारे हिस्से बताते हैं वे ही बुक करते हैं कि टूरिस्ट्स कहां कहां जायेंगे। वे एजेंट इन सारी बातों को टूरिस्टस को बताते हैं, उन्होंने यह नहीं बताया कि कोटा और बूंदी भी इसके लिये आकर्षण केन्द्र बन सकते हैं।

श्री जुझारसिंह : कोटा तो अपने आप में आकर्षण का केन्द्र है। क्या आपने अपनी ओर से टूरिस्ट्स को किसी तरह से सजेस्ट करवाया है कि वहां जाकर देखो। जहां तक मेरी जानकारी है वे लोग इस क्षेत्र की तरफ एट्रेक्टेड हैं, क्योंकि वहां गेम सेन्चुरी है, वहां वे बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग में टूरिस्ट इन्ट्रेस्टेड होते हैं, साइट सीइंग में वे लोग इन्ट्रेस्टेड होते हैं, कोटा और बूंदी क्षेत्र में ये सब साधन हैं। आप कहते हैं कि ६२ में आपने किया, आज ६८ है, ६ वर्ष हो गये हैं। बूंदी में टूरिस्ट का आकर्षण नहीं हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोटा में भी टूरिस्टस के लिए आकर्षण नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो टूरिस्ट सेन्टर्स खोले गये हैं उसमें लिस्ट में आपको कोटा को भी लेना चाहिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने यह निवेदन किया कि इसमें यह दृष्टिकोण कतई नहीं है कि किस क्षेत्र को लिया जाय और किस क्षेत्र को नहीं लिया जाय। जहां टूरिस्टस ज्यादा आकर्षित हैं, उन केन्द्रों को ज्यादा आकर्षित बनाया जाय जिससे कि ज्यादा टूरिस्टस वहां आयें यही दृष्टिकोण है। आप हमें आंकड़े उपलब्ध कराइये वहां कितने टूरिस्ट्स आते हैं। किन्तु केवल एक जगह इम्पोर्टेन्ट है तो वह दूसरी दृष्टि से इम्पोर्टेन्ट हो सकती है, टुरिस्ट्स की दृष्टि से इम्पोर्टेन्ट नहीं हो सकती।

महारावल श्रीलक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): क्या समस्त राजस्थान के लिए टूरिस्ट् को एक्ट्रेट करने के लिए आपने कोई एडवर-टाइजमेंट किया है, पेंम्फलैट छापने का प्रयास किया है ? क्या समस्त राजस्थान के लिए पेंम्फलैट छापने का प्रयास करेंगे जिससे कि राजस्थान में टूरिस्टस आकर्षित हों ? बूंदी कोटा क्षेत्रों में टूरिस्टस के लिए एट्रेक्शन है, अलवर में भी एट्रेक्शन है। क्या समस्त राजस्थान के लिए इस प्रकार का कोई पेंम्फलैट निकालने का आप प्रयास करेंगे ? आप तो समस्त राजस्थान की सरकार है। राजस्थान में अधिक से अधिक टूरिस्ट्स आयें इसके लिए क्या इस प्रकार का पेम्फलैट छापने का प्रयास आप नहीं करेंगे जिससे कि टूरिस्ट्स यहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवें और राजस्थान को लाभ हो ?

श्री हीरालाल देवपुरा : विरोधी दल के नेता महोदय का सुझाव अच्छा है। मैं इसमें सहमत हूं। मैंने निवेदन किया और प्रश्न के उत्तर में भी बताया कि

Page No. 12

(श्री हीरालाल देवपुरा)
टूरिस्ट्स केन्द्रों में देखने लायक जगह है उनके लिए सामग्री उपलब्ध करा रक्खी है भविष्य में जो सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी, उसमें दूसरे स्थानों के लिए भी जो सामग्री होगी वह उपलब्ध कराई जायेगी

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या उचित नहीं समझते कि राजस्थान सरकार द्वारा सरक्यूलर निकाला जाय और खास करके भूतपूर्व राजाओं को इत्तला दी जाय कि उनके वहां जो ऐसी एक्ट्रेक्टिव जगह है उनकी लिस्ट दें। उनमें से छांटकर आप निकाल सकते हैं। ऐसा पैम्पलैट निकलेंगे तो टूरिस्ट को एक्ट्रेक्ट करने के लिए आपके पास सामग्री उपलब्ध होने का एक साधन बनता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री मूलचन्द डांगा (पाली) : पाली जिले में राणाकपुर का देवालय है, उसको आपने क्यों नहीं चुना ?

श्री हीरालाल देवपुरा : रांणकपुर पर्यटन केन्द्र तो नहीं है पर उदयपुर केन्द्र के साथ है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री मूलचन्द डांगा : रांणकपुर का देवालय एक ऐतिहासिक स्थान है और बहुत पुराना है ....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सरकार की जानकारी में है कि महाराज कुमार गिरिराज सिंह जो एम. पी हैं, उन्होंने व्यक्तिगत क्लब बना रक्खा है, जहां सैंकड़ों विदेशी प्रतिवर्ष आते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह जानकारी की है इस सम्बन्ध में ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या यह सही है कि शाहाबाद में विलासी एक ऐसा स्थान है जहां अमेरिका और इंगलैंड के पांच सात व्यक्ति प्रति वर्ष आते हैं !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : शाहाबाद में पांच सौ, सात सौ कहां से आते हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने पांच, सात का कहा है कि इंगलैण्ड और अमेरिका से ५ – ७ टूरिस्ट्स प्रतिवर्ष आते हैं

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इन केन्द्रों के बारे में जैसा कि उत्तर दिया गया ट्रेवल एजेंटस् होते हैं, फोरेन कन्ट्रीज के भी होते हैं। जो टूरिस्ट्स आते हैं, उनको उनके द्वारा प्रमुख स्थानों को बता दिया जाता है, जहां वे जाना चाहते हैं, वे बुकिंग करते हैं। प्रमुख स्थान कोटा बूंदी और दूसरी जगह भी हो सकते हैं पर टूरिज्म पर भी डिपेन्ड करता है कि टूरिस्टस एक रूट पर कितने ज्यादा से ज्यादा स्थान देख सकते है, यह महत्वपूर्ण है। हम प्रयत्नशील हैं कि कोटा को किसी तरह एअर सर्विस से लिंक कर दिया जाय कुछ टूरिस्टस सर्टन डेज के लिए अपने कन्ट्री में रहते हैं, इन दिनों में कितना देख सकते हैं कितना नहीं देख सकते हैं, किसको वे प्रायोरिटि दें यह उनकी सुविधा और सोचने की बात है।

Page No. 13

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कानपुर एक एक बड़ा इन्डस्ट्रियल टाउन है पर टूरिस्ट्स वहां एक्ट्रेट नहीं होते। कोटा का महत्व है पर टूरिज्म के ख्याल से कितने जायेंगे, बल्कि मैं निवेदन करूंगा कि कोटा से ज्यादा वे बूंदी की तरफ आकर्षित होते हैं। राजस्थान में जो दर्शनीय स्थान हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी हों, यह मैं मानता हूँ पर दफ्तर ज्यादा खोल दें और टूरिस्ट्स आयें नहीं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : राजस्थान में टूरिस्ट्स को आने के लिए प्रेरित करने के लिए क्या दिल्ली में राजस्थान सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था है कि जिससे टूरिस्ट्स आकर्षित होकर राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा आयें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दिल्ली में गवर्नमेंट आफ इण्डिया का टूरिस्टस ब्यूरो है, वहां, हेंडी क्राफ्ट का एम्पोरियम है, उसमें हमने इस प्रकार का इन्तजाम किया है कि टूरिस्ट्स को राजस्थान की ओर आकर्षित करने के लिए आवश्यक सामग्री मिल सके।

श्री विजयसिंह (मकराना) : बाहर के लोग आते हैं, मकराना में संगमरमर की बहुत सुन्दर चीजें बनती हैं, मकराना के लोगों को बाहर नहीं भेजा जाता है इसका क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या ६४५

श्री देवीलाल !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री आईदानसिंह !

जिला जालौर व सिरोही में सिंचाई के लिए बिजली

६४६ **श्री आईदानसिंह** (भीनमाल): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गुजरात सरकार ने जिला जालौर व सिरोही को पालनपुर से सिंचाई के लिये बिजली देना तय किया है ?

(२) अगर हां, तो कितनी बिजली दी जावेगी और इस पर काम कब तक शुरू हो जायगा ?

राज्य मंत्री, विद्युत (श्री जयकिशन)

(१) जी हां।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : पिछले साल ऐसी योजना थी, जो बजट में रखा था, उसको नहीं लिया, इसका क्या कारण हैं ?

श्री जयकिशन : ऐसा है कि गुजरात सरकार से दो मेगावाट बिजली लेने का सवाल था। परन्तु वह बिजली रात को मिलती थी, वह कितने समय क लिए हो, यह तय नहीं हो पाया था और अधिक अलाभप्रद स्कीम थी इसलिए उस स्कीम को ड्राप कर दिया गया।

Page No. 14

श्री आईदानसिंह : क्या भारत सरकार से राज्य सरकार द्वारा यह कहा गया कि वे गुजरात सरकार से नेगोशिएट करके और जो बिजली सिंचाई के लिए दी जाने वाली है, उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को वापस दें ?

श्री जयकिशन : ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री आईदानसिंह : "Mr. D. N. Patodia M. P. had been informed by Dr. K. L. Rao Union Minister for Irrigation & Power that Gujrat Electaicity Board had agreed to supply 5 mgwt. power during the peak hours from Palanpur and other adjoining areas. Rajasthan Electricity Board has been requested to negotiate the tarrif rates and finalise the scheme. Further action will be taken by the Govt. of India after the scheme report is received from the Rajasthan authorities."

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : यह तो माननीय सदस्य को अभी उत्तर में कहा गया। इस स्कीम को देखा गया, वह इकोनोमिकल नहीं थी, इसलिए ड्राप कर दी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसका मतलब विद्युत् मंडल ने उस सम्बन्ध में गुजरात वालों से बातचीत की थी और उसके बाद स्कीम अनइकोनोमिकल पाई गई।

श्री हरिदेव जोशी : जी हां

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बातचीत कब हुई ?

श्री हरिदेव जोशी : दो साल पहले और उन्होंने यह कहा कि पीक अवर्स में बिजली नहीं देंगे और केवल दो मेगावाट देंगे। उसके लिए ७६ लाख रुपये खर्च करने पड़ते थे। वह अन्इकोनोमिक थी इसलिए ड्राप की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह उत्तर अभी का है मेरे पास भी कापी है।

श्री आईदानसिंह : दो साल पहले जब स्कीम ड्राप की गई तो....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पाटोदियाजी संसद के सदस्य नहीं थे, कापी मेरे पास आई थी।

श्री हरिदेव जोशी : उत्तर की कापी मेरे पास भी आई है। जवाब मैंने श्री के० एल० राव को दिया था।

श्री रघुनाथ विशनोई : हजारों पम्पिग सेट्स लगे हुए हैं, सब स्कीम बना कर पहले बताई गई थी अन्इकोमोनीकल कैसे हुई ?

श्री हरिदेव जोशी : वे केवल रात को देना चाहते थे। पीक अवर्स को छोड़ कर देना चाहते थे और कितने वर्षों तक देंगे, यह आश्वासन भी देना नहीं चाहते थे। इसलिए छोड़ देनी पड़ी क्या

(श्री हरिदेव जोशी)
आज हम ७६ लाख रुपये खर्च करें लेकिन वह दो साल देंगे, ५ साल देंगे या १० साल देगें, यह बात कमिट नहीं करना चाहते थे और जिस समय हमें जरूरत है पीक अवर्स में, उस समय नहीं देना चाहते थे इसलिए यह स्कीम ड्राप करनी पड़ी।

श्री आईदानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय मैं चेयर का प्रोटेक्शन चाहता हूँ। पहले ट्यूबवेल्स के बारे में भी राज्य सरकार ने मुझे गलत जवाब दिया। आज भी मैं राज्य सरकार के सामने एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर रखना चाहता हूं जिसमें उन्होंने गलत जानकारी दी है। इसमें १९६७ में कहा गया है कि स्कीम विचाराधीन है और मंत्री महोदय आज कहते हैं कि दो साल पहले ड्राप हो गई थी।

श्री हरिदेव जोशी : जो हमने भारत सरकार को रिपोर्ट दी उसके आधार पर कह सकता हूँ कि उस स्कीम को ड्राप कर दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न इस बात का है कि माननीय सदस्य के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में १९६७ में बताया गया कि स्कीम विचाराधीन है और आज आप कहते हैं कि दो साल पहले ड्राप हुई। उधर श्री के० एल० राव ने पाटोदियाजी को लिखा है भारत सरकार राजस्थान विद्युत् मंडल और राजस्थान सरकार की रिपोर्ट की इन्तजार में है। दोनों कान्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं।

श्री हरिदेव जोशी : यह सवाल लगभग १० दिन पहले का है। श्री पाटोदिया ने जैसे आप लोगों को लिखा, वैसे मुझे भी लिखा था, मैंने सारी जांच की। आज से दो तीन साल पहले नेगोसिएशन्स चले। गुजरात विद्युत् मंडल इस बात को कमिट करने को तैयार नहीं है कि वह अमुक वर्षों में निरन्तर पावर देता रहेगा और पीक अवर्स में भी देगा और दिन में भी देगा। इसलिए जब इतना इन्वेस्टमेंट भी करें और उसका रिजल्ट भी एक साल अथवा दो साल देंगे कितने साल देंगे कुछ भी कमिट करने को तैयार...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आफ-पीक अवर्स में लेने में क्या एतराज है?

श्री हरिदेव जोशी : केवल रात को देना चाहते थे, यह इकोनोमीकल नहीं होता था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सवाल का जो जवाब दिया १९६७ में कि यह प्रश्न अभी भी विचाराधीन है। और आज आप सदन में कहते हैं कि दो साल पहले ड्राप कर दिया। कौन सा उत्तर सही है?

श्री हरिदेव जोशी : १९६७ गया, अब १९६८ चल रहा है।

श्री आईदानसिंह : जैसे ही जालौर में राज्य सरकार काम करना नहीं चाहती। प्रश्नों के उत्तर गलत दिये जाते हैं, जो काम करवाना चाहती है वह भी निग्लेक्टेड, तो फिर जिले का मालिक भगवान है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया।

ट्रान्सपोर्ट एपीलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन

९४७. **श्री देवीदत्त गाड़िया (बांरा)**

Page No. 16

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ट्रान्सपोर्ट एपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन ने पिछले २-३ माह से सारे कैसेज अनिश्चित काल तक के लिए पोस्टपोन कर दिए हैं? यदि हां, तो क्यों?

(२) क्या यह भी सही है कि इससे अपील करने वाले बस मालिकों को परेशानी होती है तथा हाईकोर्ट में जब तक अपील का फैसला ट्रिब्यूनल से नहीं होता, रिट को एन्टरटेन नहीं किया जाता है? यदि हां तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाने का इरादा रखती है जिससे बस मालिकों को परेशानी नहीं उठानी पड़े?

(३) क्या यह भी सही है कि इस समय जो चेयरमैन है उन्होंने कार्य की अधिकता की वजह से २ माह पूर्व राज्य सरकार को भी इस संबंध में सूचित कर दिया है कि वे इस कार्य को करने में असमर्थ हैं? यदि हां तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

(५) क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कदम उठाकर बस मालिकों को राहत पहुँचाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

उपमंत्री यातायात (श्री शिवचरण सिंह) : (१) जी यह सही नहीं है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) यह सही है। मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(४) राज्य सरकार विचार कर रही हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने पहले प्रश्न के उत्तर में बताया है कि सही नहीं है। टी० ए० टी० कि मीटिंग्स तीन महीने में कितनी हुई और कितने फैसले किये गये?

श्री शिवचरणसिंह : जो आर० टी० ए० की मीटिंग हुई उनमें जो इमरजेन्ट मामले थे उनको डिस्पोजल कर दिया गया और जो गैरजरूरी थे, जहां बस परमिट्स के बारे में जल्दी फैसला होना जरूरी नहीं था, वे पोस्टपोन कर दिए गए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसकी मीटिंग हुई?

श्री शिवचरणसिंह : आर० टी० ए०

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल टी० ए० टी० का है।

श्री शिवचरणसिंह : दोनों हैं।

यातायात मंत्री : (श्री अमृतलाल यादव) : टी० ए० टी० का जो अध्यक्ष है, ज्यादा काम होने की वजह से, बेशक मैं स्वीकार करता हूं, ज्यादा केसेज का डिस्पोजल नहीं हुआ। लेकिन यह सही नहीं है कि बिल्कुल ही डिस्पोजल नहीं हुआ। जो अर्जेन्ट कैसेज थे उन्होंने निकाले। माननीय सदस्य की सूचना के लिए निवेदन करूं कि दूसरे चेयरमेन की नियुक्ति की जा चुकी है और अब केसेज में विलम्ब नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मीटिंग कितनी हुई और कितने फैसले हुए?

प्रश्न संख्या ६४८

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विशनोई ।

कच्चे रास्तों पर बस परमिट देने का आधार

६४६ **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) कच्चे रास्तों पर यात्री मोटर गाड़ियों के परमिट देने के सरकार के क्या क्या आधार हैं ? क्या इन आधारों की पालना परमिट देते समय की जाती है ?

(२) कच्चे फेयर वेदर रास्तों पर यात्री गाड़ियों के माईलेज फिक्सेशन के बारे में सरकार की क्या योजना हैं ? यह योजना कब तक कार्य रूप में परिणत कर दी जावेगी ?

(३) इन माइलेज के नियमों के अनुसार भीनमाल-सांचोर एवं झाव भीनमाल बस रास्तों पर कितने परमिट होने चाहिए और मौजूदा कितने कितने परमिट दिये हुए हैं ? अगर नियमों से अधिक परमिट दिये हुए हैं तो क्यों ?

(४) भविष्य में सांचोर-भीनमाल व भीनमाल-झाव रास्तों पर कम्पीटिशन के आधार पर और अधिक परमिट देने से रोकने के लिए सरकार क्या सोच रही हैं ? इन रास्तों पर बसेज का माइलेज फिक्सेशन कब हुआ ? अगर नहीं हुआ तो अब कब तक कर दिया जावेगा ?

उपमंत्री यातायात (श्री शिवचरण सिंह) :

(१) मोटर यात्री वाहन के अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने के आधार व कार्य प्रणाली धारा ४६ मोटर गाड़ी अधिनियम में निर्दिष्ट हैं, जिनके अनुसार ही अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं ।

(२) कच्चे एवं पक्के मार्गों पर प्रति बस को ८० मील प्रतिदिन मिलने के आदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट आथोरिटी के हैं । प्राधिकार द्वारा इन आदेशों पर स्कोप के अनुसार अनुज्ञा पत्र स्वीकार करते समय विचार किया जाता है ।

(३) स्कोप तय होने पर ही कहा जा सकता है कि इन मार्गों पर कितने परमिट होने चाहिए और स्कोप तय करने का मामला, प्राधिकारी जोधपुर के विचाराधीन हैं । इस समय निम्नलिखित अनुज्ञापत्र दिए हुए हैं ।

१—भीनमाल-सांचोर पर ५ ।

२—भीनमाल-झाव-मोरखीन पर ४ ।

(४) स्कोप निर्धारित होने के बाद ही और कार्यवाही होगी । स्कोप प्राधिकार, जोधपुर, की अगली बैठक में तय कर दिया जावेगा और पहले स्कोप में तय नहीं हुआ था ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ये जो कच्चे रूट्स हैं, उस बारे में कई वर्षों से मामले आपके विचाराधीन हैं । आप उचित नहीं समझते कि झगड़ों की वजह से बसें नहीं चलती हैं, और यात्री तंग होते हैं ?

यातायात मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : ज्यादा बसें चलने से यात्रियों को कष्ट होने का प्रश्न नहीं उठता है लेकिन जो स्कोप निर्धारण होता है उसमें बस-ओनर्स भी होते हैं, आर० टी० ओ० होता है, बैठकर तय करने के बाद एप्लाई करते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सही है कि जब तीन-तीन परमिट्स थे तब साल साल में ८ महिने बसें चलती थीं अब कितनी चलती हैं ?

श्री शिवचरणसिंह : अलग प्रश्न है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जानकारी करने का इसमें प्रश्न नहीं है। ये रेतीले रूट्स हैं, आपस में बस आपरेटर्स के झगड़े होने की वजह से ज्यादा परमिट्स ले लेते हैं, बाद में जमा करते हैं, बसेज नहीं चलाते हैं। आप इन्कवायरी करें कि क्या मामला है ? क्यों नहीं बसिज चलाते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्षजी, जो कच्चे रूट्स हैं उनमें हमारे यहां कोई मॉडल नहीं है। किसी की बस चला सकते हैं। किसी नये मॉडल में उनको दिक्कत हो सकती है। इसलिये मॉडल की कोई कन्डीशन नहीं है। स्कोप के आधार पर परमिट देते हैं। जिन लोगों को परमिट दिये गये हैं और वे बस नहीं चला रहे तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इन रूट्स पर २४ घंटे में एक बार बस चलती है। आप स्वयं वहां जाकर देख लीजिये।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न इसी तरह का है। छीपा बड़ौद में एक बस नहीं चलती और बसें सही टाइम पर ही नहीं चलती हैं। इसके लिये भी कुछ व्यवस्था की जाय।

श्री अमृतलाल यादव : क्या, सही टाइम पर नहीं चलती हैं ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : चलती ही नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव : कौनसा रूट है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : हरनावदा वाया बंजारी है। वहां नहीं चलती है। परमिट, उनको मिला हुआ है।

श्री अमृतलाल यादव : हम जांच करवावेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। प्रश्न सं० ९५०। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

सेवा काल में वृद्धि

९५०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राज्य सेवा में ५५ वर्ष की आयु के निर्धारित आधार को भारतीय प्रशा-

Page No. 19

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सनिक सेवाओं पर लागू कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

(ख) उपरोक्त आयु सीमा निर्धारित करने के पश्चात किन-किन राजपत्रांकित अधिकारियों के सेवा काल में कितने-कितने समय के लिये वृद्धि की गई और क्यों ?

(ग) किन-किन अधिकारियों की पुनः नियुक्ति की गई, कितने-कितने समय के लिये और किस-किस पद पर ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : (१) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को लिखा गया था किन्तु केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया ।

(२) सिवाय मेडिकल आफिसर्स एवं साइन्स के अध्यापकों के जिनके बारे में आम तौर से सेवा काल बढ़ाने का निर्णय लिया है अन्य किसी के सेवा काल में वृद्धि नहीं की गई ।

(३) मेडिकल आफिसर्स जिनके लिये आम तौर पर यह निर्णय लिया है कि उन्हें ५८ वर्ष के बाद दो वर्ष तक पुनः नियुक्त किया जा सकेगा, के अतिरिक्त जिन अधिकारियों की पुनः नियुक्ति की गई है, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की आयु ५८ से ५५ वर्ष करने के लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कब लिखा और केन्द्रीय सरकार ने कब अस्वीकार करने की सूचना आपको दी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : केन्द्रीय सरकार को लिखा है, १ जून, १९६७ को ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये मेडीकल आफिसर्स और साइन्स के अध्यापकों के सम्बन्ध में सेवा काल में वृद्धि के सम्बन्ध में क्या राज्य सरकार ने आम तौर पर राजस्थान में निर्णय ले लिया या इंच इन्डीज्युअल केसे में एक्सटेन्सन देने के लिये है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह जनरल सब पर लागू होता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक्सेप्शन नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके सम्बन्ध में रूल्स में कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रूल्स में यह व्यवस्था कर दी गई है कि उनका पीरियड़ ५८-६० वर्ष कर दिया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ५८ या ६० ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : डाक्टर्स के लिये ५८ के बाद ६० वर्ष और साइन्स वालों की ५८ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनके लिये दो साल का एक्सटेन्शन नहीं है ?

Page No. 20

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नहीं।

प्रो० केदारनाथ (श्री गंगानगर) : आपने जो चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस हुई, उसमें इस मसले को रखा था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में चर्चा का मौका नहीं मिला।

प्रो० केदारनाथ : क्या हिन्दुस्थान के दूसरे राज्यों ने ५८ से ५५ वर्ष करने के कोई प्रयत्न किये हैं, या कोई दबाव दिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक मेरी जानकारी है केवल हमारी सरकार ने इस प्रश्न को मूव किया था।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री कृष्णकुमार गोयल । प्रश्न सं० ६५१ ।

लॉ कॉलेज कोटा ते लेक्चरार्स की नियुक्तियां

६५१. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा नगर में स्थित लॉ कॉलेज कब से प्रारम्भ किया गया ?

(२) उक्त लॉ कॉलेज में कब-कब किन-किन पार्ट-टाईम लॉ लेक्चरार्स की नियुक्तियां की गईं ?

(३) क्या यह सही है कि सन् ६७ में कुछ लेक्चरार्स ने इस्तीफा दिया था ? अगर हां, तो किन-किन ने कब ? व इसकी क्या यवस्था की गई ?

(४) क्या यह सही है कि अभी तक उक्त लेक्चरार्स के स्थानों के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर नहीं किया गया ? अगर हाँ, तो क्यों ?

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री):

(१) जुलाई, १९४७ में।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सन् १९६७ में श्री रामेश्वर दयाल सक्सेना व श्री रिखवचन्द धारीवाल ने स्तीफा दिया था। इनके स्थान पर श्री अनूपचन्द जैन व श्री चन्द्रभान श्री वास्तव दिनांक १०-१-६७ से नियुक्त किये गये हैं।

(४) जी हां। मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि लॉ कॉलेज, कोटा के अन्दर जितने भी लेक्चरार्स है, अधिकांश सारे के सारे टेम्परेरी हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : जी हां। टेम्परेरी हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितने टेम्परेरी हैं और कितने स्थाई हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे तो एज्यूकेशन में आ जाते है--

श्री शिवचरण माथुर : सभी पार्ट टाइम लेक्चरार्स टम्परेरी हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लॉ कॉलेज कोटा के अन्दर दो व्यक्ति स्थायी हैं, बाकी सब टेम्परेरी हैं । श्री प्रेम बिहारी लाल और श्री राजेन्द्र बिहारी लाल स्थायी हैं और बाकी सब टेम्परेरी हैं । यह मैं आपकी सूचना के लिये बता रहा हूं ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं इसकी जानकारी कर लूंगा, मेरे पास सूचना है, उसमें यह लिखा हुआ नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपने तो सब टेम्परेरी बता दिये । क्या यह सही है कि ५६ से लेकर आज तक कभी भी इन वेकेन्सीज को पी० एस० सी० को रेफर नहीं किया गया ? अगर हां, तो कब ?

श्री शिवचरण माथुर : यह सरकार के विचाराधीन है । यह मामला लेक्चरार्स का पार्ट-टाइम जोब होता है । इन पर पेंशनरी बेनीफिट लागू नहीं होता है । इस लिये इसको आर० पी० एस० सी० की परव्यू में रखा जावे या नहीं, इस पर निर्णय होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जायगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि लॉ कॉलेज, कोटा में अपाइन्टमेंट किये गये हैं वह लेटेस्ट सितम्बर में किये गये हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : आपने जो जानकारी चाही है उसमें १०-१-६७ को दो टेम्परेरी लेक्चरार को अपाइन्ट किया गया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आज के दिन जो टेम्परेरी अपाइंटमेंट एक्सेप्ट टू परसन्द-श्री प्रेम बिहारी लाल और श्री राजेन्द्र बिहारी लाल इनके अलावा और व्यक्तियों की नियुक्ति कब की गई है ?

(विराम)

क्या इसकी नियुक्ति सितम्बर ६७ में की गई है ?

श्री शिवचरण माथुर : अभी मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जुलाई-सितम्बर तक सारे स्थान रिक्त पड़े हुये थे ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बहुत खराब बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लिया है, अब समाप्त करें ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा यह खास प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय । जो टेम्परेरी अपाइन्ट किये गये हैं उनमें एक साहब हैं वे सरकार की पालिसी के खिलाफ नियुक्त किये गये हैं--रिटायर सिविल जज का अपाइन्टमेंट कर दिया टेम्परेरी । एक साहब एल० एल० एम० हैं जिनको दो साल का एक्सपीरियन्स है, उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है और दूसरे लोगों को नियम विरुद्ध अपाइन्ट किया गया है । उनकी एप्लीकेशन लास्ट डेड तक नहीं आई थी । जो व्यक्ति चुनाव में हार गये और उनकी एप्लीकेशन लास्ट डेट तक नहीं आई, उनको अपाईन्ट कर लिया गया और जो एल० एल० एम० जो इनके मतीजे हैं, उनको अपाइन्ट नहीं किया गया ।

श्री शिवचरण माथुर : जो सूचना आप दे रहे हैं, उसका लिखित में उत्तर दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार ने लॉ कॉलेज में लेक्चरार्स अपाइन्ट करने के लिये कोई नियम बना रखे हैं ? यदि हां, तो कब ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं यह निवेदन कर रहा हूं न तो इनके लिये राजस्थान एज्यूकेशन सर्विस रूल्स हैं और न राजस्थान सर्विस रूल्स हैं क्योंकि ये पार्ट–टाइम बेसिस पर अपाइन्ट होते हैं और इनको पेन्शनरी बेनीफिट प्राप्त नहीं होता है। इस पर सरकार जल्दी ही निर्णय लेकर कार्यवाही करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री ओमदत्त भाटी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : चुनाव में हारने वाले व्यक्तियों को, चाहे वह ६२ का चुनाव हो और चाहे ६७ का चुनाव हो, दो महीने पहले इस्तीफा दे दें और फिर हार जायं तो उनको अपाइन्ट मेंट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमदत्त भाटी।

प्रश्न सं० ६५२।

भूत मिल्स, जोधपुर को पावर कनेक्शन

६५२. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्र में भूत आयल मिल्स, जोधपुर को औद्योगिक क्षेत्र में सर्व प्रथम पावर कनेक्शन दिया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त मिल को प्रारम्भ में २४ घंटे का उपयोग करने की अनुमति थी ?

(३) क्या यह सही है कि बाद में इस मिल को सांय ६ बजे से रात के दस बजे तक पावर का उपयोग निषिद्ध कर दिया गया और अब तक भी इस मिल को इस समय में पावर का उपयोग नहीं करने दिया जाता ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त मिल की स्थापना के काफी लम्बे समय बाद स्थापित जोधपुर मिल को २४ घंटे पावर के उपयोग की अनुमति दे दी गई है ?

(५) क्या यह सही है कि भूत आयल मिल्स नियमानुसार विद्युत् मण्डल से आवश्यक एग्रीमेंट करने के लिये तैयार है ? यदि हां, तो विद्युत् मण्डल यह एग्रीमेंट क्यों नहीं करता है ?

श्री जयकिशन (उपमंत्री विद्युत्) :

(१) जी नहीं।

(२) उपलब्ध रेकार्ड से ऐसा पता नहीं चलता।

(३) पहले से ही निषिद्ध है।

(४) जी हां।

(५) जी हां।

(श्री जयकिशन)

(६) इस प्रकार के लघु उद्योग वालों से कोई विशेष एग्रीमेंट करने का प्रावधान नहीं है।

श्री ओमदत्त भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो जो आपने जवाब दिया कि उपलब्ध रेकार्ड से पता नहीं चलता। यह रेकार्ड ही आपका ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है कि यह सबसे पुरानी मिल है। पहले इसको २४ घंटे बिजली मिलती थी। तीसरी बात क्या आप सब से पुरानी मिल को २४ घंटे बिजली देने का आश्वासन देंगे ? बड़े सेठों को तो बिजली २४ घंटे दें और छोटों को नहीं, यह आपका समान व्यवहार क्यों नहीं है ?

श्री जयकिशन : छोटे उद्योगों को २४ घंटे बिजली नहीं दी जा सकती है।

श्री ओमदत्त भाटी : मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, जब लघु उद्योगों पर विचार करें तो उनको भी २४ घंटे जरूर दें। यह पुरानी मिल है।

श्री जयकिशन : उससे पहले मेटल मिल और चौपसनी आयल मिल है जो सबसे पुरानी हैं। यह मिल सबसे पुरानी नहीं है। दूसरे बिजली प्रचुर मात्रा में नहीं है इसलिये लघु उद्योगों को २४ घंटे बिजली देना मुश्किल है। कुलन मिल को देने का सवाल बड़े, उद्योगों में आता है।

अब उसके यन्त्रों को चौवीस घंटे बिजली नहीं दी जावे तो खराब होने का अन्देशा रहता है। इसलिये २४ घंटे बिजली उनको दी जाती है।

श्री ओमदत्त भाटी : आपका पानी बिजली का रिकार्ड जैसा रहता है सब जानते हैं। पहले सवाल पूछा तो मार्च से बिजली की सुविधा ठीक होने की बात कही थी।

श्री जयकिशन : यदि प्रचुर मात्रा में बिजली होगी तो देने का अवश्य विचार किया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न सं० ६

आस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग प्राप्त अधिकारी

श्री हरजीराम बरड़क (लाडनू) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा सन् १९६४-६५ में भेड़ एवं ऊन विभाग के श्री ए. सी. दुबे तत्कालीन सहायक संचालक व श्री के. एल. चड्ढा, तत्कालीन आचार्य, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण विद्यालय, जोधपुर को प्रशिक्षण हेतु आस्ट्रेलिया भेजा गया ? यदि हां, तो कब किस प्रशिक्षण के लिए तथा कितने समय के लिए और इस प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक अधिकारी पर राज्य सरकार का कितना रुपया खर्च हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त दोनों अधिकारियों ने आस्ट्रेलिया जाकर जिस कोर्स की ट्रेनिंग लेनी थी वो न लेकर अपनी मर्जी से दूसरा कोर्स कर लिया ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार से इसके लिए पूर्व

(श्री हजारीराम बुरड़क)

अनुमति ली गई ? अगर नहीं ली गई तो राज्य सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

(३) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इन अधिकारियों के खिलाफ आदेश की अवहेलना करने के कारण दिसम्बर, १९६५ में यह आदेश दिया कि इन अधिकारियों से ट्रेनिंग के खर्चे को वसूल कर लिया जावे परन्तु विभाग ने कोई वसूली नहीं की ? यदि हां, तो सरकार ने अपने निर्णय की तामील के लिए आज तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया ?

(४) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इन अधिकारियों की प्रार्थना पर इस विषय में पुनर्विचार किया और भारत सरकार से परामर्श करने के बाद यह निर्णय दिया कि इन अधिकारियों से प्रत्येक से १२,४९९) रु. वसूल करने तथा ट्रेनिंग पीरियड को स्टेडी लीव एक्स्ट्रा आर्डनरी लीव आदि में परिवर्तन कर दिया जाय और साथ ही साथ इस वसूली के लिए महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को भी लिखा गया ? यदि हां, तो इस निर्णय की तामील अभी तक क्यों नहीं हुई ?

(५) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार वसूली के आदेश दिये जाने पर महालेखाकार राजस्थान ने वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की तब संचालक, भेड़ व ऊन विभाग ने उनको वसूली करने दूसरा आदेश न मिलने तक रोक दिया ? यदि हां, तो राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ संचालक महोदय ने स्थगन आदेश कैसे दे दिया और क्या सरकार इसको जायज मानती है ।

(६) उपरोक्त अधिकारियों के खिलाफ इसके अलावा और भी कोई चार्जेज विभाग द्वारा लगाये गये हैं ? यदि हां, तो किन किन के खिलाफ कौन-कौन से चार्जेज कब कब लगाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(७) क्या यह सही है कि उपरोक्त अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी को राज्य सरकार ने जून, १९६७ के प्रथम सप्ताह में निलम्बित करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो किन को और किस आरोप में तथा उक्त आदेश पर तामील क्यों नहीं हुई ?

राव श्री हरिसिंह (उप कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है । स्थगित किया जाय ।

श्री हजारीराम : १९।२१ तारीख को फरमाया था कि सात दिन में इसका जवाब दिया जावेगा । तो या तो यह कहना उनका गलत था । अगर सूचना नहीं है तो कहां से देंगे अरसे से यह प्रश्न चला आ रहा है, जान बूझकर इसको टालना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री सतीशचन्द्र ।

राजकीय कृषि फार्मों पर व्यय

९५४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) राज्य में कुल कितने राजकीय कृषि फार्म हैं ?

(२) इनमें से कितने फार्म घाटे में चल रहे हैं ?

(३) इन फार्मों पर प्रति वर्ष कितना खर्चा होता है और कितनी इनसे आमदनी होती है ?

(४) इन फार्मों के आधीन कुल कितनी एकड़ जमीन है और उसमें से कितनी एकड़ भूमि पर अभी तक खेती नहीं की गई ।

श्री हरजीलाल बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर दिलाया जाय। इस तरह से बार-बार स्थगित करना और टालमटूल करना अच्छा तरीका नहीं है ।

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) : आज शाम तक उत्तर मिल जावेगा ।

उप मन्त्री, कृषि (राव श्री हरिसिंह):

(१) कुल ४५ राजकीय कृषि फार्म हैं ।

(२) सन् ६६–६७ के हिसाब के अनुसार २० फार्म घाटे पर हैं ।

(३) विवरण सहित सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) कुल फार्म की भूमि ७५४० एकड़ है जिसमें से २७२५ एकड़ भूमि में खेती नहीं हो रही है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध की कोई जांच करवाई है कि ५५ राजकीय कृषि फार्मों में से २० फार्म घाटे में क्यों चल रहे हैं ? और इसके रोकने के लिये सरकार क्या विचार कर रही है।

राव श्री हरिसिंह : वैसे सूचि इसमें संलग्न है। कारण संक्षेप में बता सकता हूँ आप इजाजत दें, उपाध्यक्ष महोदय तो, मैं निवेदन कर दूं ।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में ।

राव श्री हरिसिंह : बहुत से तो ऐसे हैं जहां केवल बीज का गुणन नहीं होता बल्कि रिसर्च का काम रहता है । तो जहां रिसर्च है वहां मुख्य उद्देश्य प्रोफिट का नहीं रहता बल्कि कुछ ऐसी उपलब्धियां प्राप्त करने का रहता है जो एकेडेमिक नेचर की हों इसलिये इसमें कार्मशियल वेसिस लागू करना सम्भव नहीं है ।

दूसरी बात जो प्योरली सीड मल्टीप्लिकेशन के लिये है वहां प्रोफिट का प्रश्न है पर वे भी चूंकि इस समय कुछ तो डेवलपिंग फेज में हैं और कुछ मार्जिनल कल्टीवेटिंग लैंड हैं जहां वेरियस डवलपमेंट प्रोग्राम चालू हैं जैसे लेवलिंग है, ले आउट करना है, ट्यूब वेल्स बनाने हैं । कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेकूना की वजह से हो सकता है, मशीनरी की गलती की वजह से हो सकता है, तो इन कारणों से प्रोफिट नहीं हो पाया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जैतसर फार्म के लिये कितनी भूमि अवाप्त की गई थी ?

राव श्री हरिसिंह : वह इसमें नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : इसी में है, वह भी सरकारी फार्म है और गंगानगर जिले में है राजस्थान केनाल एरिया में है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : लाखों रुपयों की मशीनरी वहां ले जाकर डाल दी गई है । वह वहां ग्राइडल पड़ी है। वहां पर नाक के बराबर जमीन केवल काश्त हुई है। तो आप बतावें कि कौन से साल में कितनी जमीन इसके लिये अवाप्त की गई है और उसके अगेन्स्ट में किस-किस साल में कितनी-कितनी जमीन पर कृषि की गई ?

राव श्री हरिसिंह : यह स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मैं इसकी जानकारी अभी नहीं दे सकता । आप अलग से प्रश्न पूछ लीजियेगा ।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, फार्मों में घाटा होने का कारण है रिसर्च वर्क जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने फार्मों में रिसर्च होता है और किन-किन में हो रहा है और बीज गुणन के फार्म कौन-कौन से और कितने हैं ? क्या यह सही नहीं है कि बीज गुणन के फार्म घाटे में चल रहे हैं, यहां तक कि सन् ५७ में स्थापित आपके केनाल के फार्म भी घाटे में चल रहे हैं ?

राव श्री हरिसिंह : पहले तो जैतसर के लिये पूछा। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी डिटेल में वे अलग से पूछ लें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : वहां पर राजस्थान नहर पहुँच चुकी है और लाखों की मशीनरी वहां पड़ी है लेकिन आज तक भी सारी जमीन बेकार पड़ी है। फसल कुछ नहीं हो रही है।

राव श्री हरिसिंह : यह स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप अलग से पूछ लीजिये ।

श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) **:** आपने बताया कि दो हजार एकड़ जमीन बगैर काश्त के पड़ी है। तो यह कब से खाली पड़ी हुई है ?

(४)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या यह सरकार के लिए उचित है कि वह खराब जमीन को लेकर उसे चार पांच साल डवलप करने में लगाए और घाटा भुगते ? इसका क्या असर लोगों पर पड़ेगा क्या सरकार यह नहीं सोचती ?

श्री दौलतराम सारण : सब से बढ़िया जमीन ये लोग लेते हैं। आप खराब की बात करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी-बाजार, जयपुर) क्या यह सही है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस सूची के अनुसार लगभग पचास प्रतिशत फार्म घाटे में हैं और १३ जिलों में जितने फार्म चल रहे हैं सब में घाटा है और उस घाटे का एक्सप्लेनेशन दिया कि इनमें बीज गुणन के फार्म कम हैं और रिसर्च वर्क ज्यादा है इसलिये घाटे में हैं।

राव श्री हरिसिंह : वन आफ दी रीजन्स ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जिले के जिले देख लीजिये । झुंझनूं जिला बीज गुणन फार्म का है, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बाड़मेर, जैसलमेर, बूंदी, भीलवाड़ा, चितौड़, उदयपुर, जालौर सब मल्टीप्लीकेशन सीड के फार्म हैं। सब में करीब करीब घाटा है और सब घाटा लगभग दो लाख का है।

Page No. 27

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बीज फार्म भी घाटे में हैं। आप अनुमान लगाएं इस बात से। सरकार को यह कहते शर्म नहीं आती ७५४० एकड़ कुल भूमि और उसमें से २७२५ एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। उसमें खेती नहीं कर पाने का क्या कारण है ?

राव श्री हरिसिंह : इसमें ऐसी भूमि भी है जो रोड्स में, इरिगेशन केनाल में या दूसरे ऐसे कामों में रुकी है, जहां पर कृषि नहीं हो सकती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह इसमें नहीं हो सकती। आपसे पूछा गया कि इन फार्मों के अधीन कुल कितनी एकड़ जमीन है और उसमें से कितनी एकड़ भूमि पर अभी तक खेती नहीं की गई ? प्रश्न साफ है और आपने जवाब दिया है २७२५ एकड़ भूमि पर काश्त नहीं होती। अब इसमें सड़क कहां से घुस गई ?

(१२ मध्यान्ह)

राव श्री हरीसिंह : मैंने कहा कि १० परसेन्ट हैं फार्म !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर आपका जवाब गलत है। मैंने स्पष्ट पूछा है कि खेती कितनी जमीन पर नहीं की ?

राव श्री हरीसिंह : २७३५ एकड़ जमीन है उसमें १० परसेन्ट अलाउन्स दिया जा सकता है। हर फार्म में नार्म्स होते हैं और १० परसेन्ट एडीशनल एरिया होता है। रोड्स और इर्रीगेशन चेनल में दिया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर भी २५०० एकड़ जमीन रह गई। इसका मतलब यह है कि ८००० बीघा जमीन बेकार पड़ी है ?

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य पहले इस प्रश्न का उत्तर आने दीजिए।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने एक एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई थी जिसने राज्य सरकार को रिपोर्ट दी थी नुकसान को पूरा करने के लिए उसके मुताबिक राज्य सरकार ने काम नहीं किया ?

राव श्री हरीसिंह : १९६६–६७ के अन्दर गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने भी इन फार्म्स को सुधारने के लिए २५–२५ एकड़ जमीन की इकाइयों की स्थापना करने के लिए और प्रोडक्शन करने के लिए सरकार के आदेश दिये गये। उसमें राज्य सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाया और मास्टर प्लान को सब फार्म्स पर लागू करने के लिए इस वर्ष इसको फालो–अप किया जायेगा। जो आप कह रहे हैं वह तो ११ पान्इट मास्टर प्लान है जिसमें प्रॉडक्शन फैक्टर है उसको कैसे बढ़ाया जाये और किस प्रकार प्रति एकड़ ज्यादा उपज हो सके उस दिशा में भी रचनात्मक सुझाव रखे गये हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इन कृषि फार्मों में अधिकांश दुर्व्यवस्था है। वैसे भी सरकार के पास पैसा नहीं है। बहुत सारी पड़त भूमि है। यहां पर जो भी खर्च किया जा रहा है वह गरीब टैक्सपेयर के धन का

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

दुरुपयोग हो रहा है। मितव्ययता को मद्दे-नजर रखते हुए क्या सरकार इन फार्म्स के संबंध में, जिद्द पर जो तुली हुई है सरकार लेकिन इन फार्म्स के सम्बन्ध में, नई कमेटी एपाइन्ट करके शीघ्रताशीघ्र छानबीन करके इन फार्म्स की तादाद आधी घटाकर जो पड़त जमीन पड़ी हुई है वह गरीब किसानों के अन्दर और जिन लोगों के पास जमीन नहीं उन भूमिहीनों को यह भूमि वितरित करने के लिए कोई व्यवस्था करने के लिए सरकार विचार करेगी? मित-व्ययता को ध्यान में रखते हुए गरीब भूमि-हीनों की स्थिति पर सहानुभूति प्रगट करते हुए क्या सरकार इस संबंध में कोई कमेटी अपाइन्ट करके ६ महीने में निर्णय लेने के बारे में विचार करेगी?

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न है। जो फार्म्स घाटे में जा रहे हैं उनकी भूमि सरकार भूमिहीन हरिजनों को और आदिवासियों को देने की व्यवस्था करेगी?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : जो प्रश्न पूछे गये हैं उनका उत्तर आने दीजिए पहले वर्ना वह भूल जायेंगे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : .... मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसे फार्म्स जो घाटे पर चल रहे हैं उन फार्म्स में से मैंने कई देखे हैं। वहां पर प्रदर्शन किये जाते हैं, लोगों को दिखाया जाता है, खेती के लिए समझाया जाता है, उससे किसानों को बहुत फायदा होता है। घाटे की बात करके अगर उनको बन्द कर दिया गया तो मैं समझता हूं कि जो गांवों में किसानों को फायदा हो रहा है उससे और नुकसान होगा।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय एक बात और बता दें। क्या यह सही है ..

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कोई फार्म घाटे में नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि बीज गुणन फार्म्स में प्रति एकड़ यील्ड सबसे कम है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जो पहले पूरक प्रश्न पूछे गये हैं उनका पहले उत्तर प्राप्त हो जाय उसके बाद में दूसरे पूरक प्रश्न पूछें। मैं देख रहा हूं कि केवल पूरक प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं और उत्तर एक भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) : उपा-ध्यक्ष जी, जो प्रश्न रखा गया है बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ फार्म्स के बारे में कहा कि घाटा हुआ है और कुछ फार्म्स के बारे में लाभ भी हुआ और कुल मिलाकर लाभ हुआ। लेकिन इससे संतोष नहीं है। क्या बुनियादी नीति हम अख्तियार करना चाहते हैं वह मैं आपको बता दूं। पहली बात तो यह है कि कुछ ऐसी जमीन जो पड़त रह गई इसमें कुछ जमीन तो काबिलेकाश्त है और कुछ ऐसी है जो काबिले काश्त नहीं है। उसके लिए हम आंकड़े तैयार करेंगे।

श्री दौलतराम सारण : किसी भी फार्म में ऐसी जमीन नहीं है जो काबिले काश्त नहीं है, बिलकुल गलत जवाब है यह।

श्री शोभाराम : सुन तो लीजिए। जो हमारे पास सूचना है उसके आधार पर बता रहा हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : आप सूचना के आधार पर नहीं कहें खुद जाकर देखें और निरीक्षण करें जिससे आपको मालुम होगा कि आपके महकमे में कितने घपले हैं। आप जैसे मिनिस्टर और ईमानदार मिनिस्टर ऐसा जवाब दें यह शोभा की बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : शोभा की क्या बात नहीं खुद शोभाराम हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शोभा की बात नहीं है लेकिन शोभा है राम की।

श्री शोभाराम : दूसरे मैं इसको मानकर चलता हूँ कि जहां सीड मल्टीप्ली-केशन का काम चलता है उनमें घाटे का प्रश्न उपस्थित नहीं होना चाहिए। हम तीन तरीके से इन एग्रीकल्चरल फार्म्स के बारे में जल्दी से जल्दी नीति घोषित करना चाहते हैं। एक तो आमदनी के कुछ नार्म्स कि कितनी जमीन गेहूँ के लिए, कितनी जमीन बाजरे के लिए, कितनी जमीन सीरि-यल क्रॉप्स के लिए हो उनमें एक एकड़ में कितने पैदावार के नार्म्स हो रेकर्ड यील्ड नहीं बल्कि जो साधारणतया होता है उतनी ही जमीन पर पैदा होना चाहिए। यह तो आमदनी की साइड है कि जो हम गवर्नमेंट की तरफ से नार्म्स मुकर्रर करना चाहते हैं। दूसरे खर्च की तरफ डिफरेन्ट मौके पर चाहे वीडिंग का सवाल हो, चाहे हारवेस्टिंग का हो, चाहे सीज़नल लेबर का हो, चाहे खाद का हो यह सब के सब नार्म्स जो कि साधा-रणतया उस इलाके में जो लेबर की प्राब्लम है, दीगर किसानों के जितना खर्च आता है वह नार्म्स खर्चे के मुकर्रर करना चाहते हैं। यह दोनों बातें करने के बाद मैं समझता हूं अगर नार्म्स के मुताबिक काम नहीं होता है और उससे ज्यादा खर्च होता है या कम आम-दनी होती है तो ऐसे नियम बना रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले सकें और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक नार्म्स नहीं होंगे यह सही बात है कि कहीं पर जहां हमारे लिए ४० मन के हिसाब से हाई यील्डिंग प्रोग्राम का मैक्सीगन गेहूं या 'टू टू सेवन' है जहां ४०—३० मन होना चाहिए वहां नार्म्स के मुताबिक प्राडक्शन नहीं हुआ तो हम एक्शन ले सकते हैं इसलिए हम नार्म्स तय करके चलना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो जमीन पड़ी हुई है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाये इसके लिए प्रत्येक फार्म की व्यव-स्था को देख कर कितनी जमीन इस फैसले के साथ जोड़ी जा सकती है इस बात पर भी सरकार विचार कर रही है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : इसमें एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी है। इसमें २ लाख का घाटा बताया लेकिन यही जमीन जो खेती करने वाले भूमिहीन किसान हैं यदि उनके पास जाती तो कितने लाखों का फायदा होता?

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कितने लाखों का फायदा होता और कितने लाख रुपये की बचत होती?

श्री गोरधन सोनी (मे[illegible]) : उपा-ध्यक्ष महोदय, मैं यह....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बांसवाड़ा जिले में जो एग्रीकल्चर फार्म है वहां न हानि दिखाई है न लाभ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज.. श्री गौरधन सोनी..

श्री गोरधन सोनी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि रीयां पंचायत समिति के अण्डर में एक फार्म है वहां स्थिति ऐसी है कि यह फार्म सरकारी है इसमें लाखों रुपयों की हानि हुई है उसका कारण यह है कि जो पंचायत समिति के प्रधानजी हैं वह उसमें से हर साल माल निकाल कर के बेच देते हैं। एक बार माल को पकड़ा भी दिया और केस भी बना लेकिन उस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई.....

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है। पंचायत समितियों के फार्म के बारे में नहीं पूछा गया है।

आर्डर प्लीज।

माननीय सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री गोरधन सोनी : सरकारी फार्म पर नुकसान होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले में यह बोरावट का गवर्नमेंट एग्रीकल्चर फार्म है क्या इस पर कोई खर्चा नहीं हुआ और कोई आमदनी नहीं हुई, तो क्या यह फार्म काम नहीं कर रहा है?

राव श्री हरिसिंह : फीगर्स उपलब्ध नहीं हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जैसलमेर में जेठा का जो फार्म है उसके बारे में भी यही पोजीशन है क्या? उसमें भी डाट, डाट दिये हुए हैं।

राव श्री हरिसिंह : जहां पर फीगर्स नहीं दिये हुए है वहां की यही पोजीशन है। वह मैंने बतला दी है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

सफेद चद्दर के कोटे का वितरण

६५५. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर नगर के लिए सन् १९६७ तथा १९६८में सफेद चद्दर का कितना कोटा आया और उसके वितरण के लिए क्या व्यवस्था की गई?

(२) क्या यह सच है कि जो कोटा जयपुर नगर के लिए आया था वह पंचायतों को और तहसीलों को दे दिया गया?

उपमंत्री नागरिक रसद (श्री भीमसेन) : (१) जयपुर नगर के लिए कोई अलग कोटा निर्धारित नहीं है। जयपुर जिले के लिए १९६७ तथा १९६८ में सफेद चद्दर का निम्न कोटा प्राप्त हुआ:—

नोन एग्रीकल्चर कोटा — ७ वेगन

इन्डस्ट्रियल कोटा — १ वेगन

नोन एग्रीकल्चर कोटा में से साढ़े चार वेगन जिलाधीश, जयपुर को वितरण हेतु दिये गये और बाकी चद्दरों का वितरण इस विभाग के परमिटों द्वारा उद्योगों को किया गया।

(श्री भीमसेन)

(२) इस विभाग द्वारा कोई कोटा पंचायतों व तहसीलों को नहीं दिया गया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जो कोई भी कोटा जयपुर जिले के लिए प्राप्त होता है। वह व्यापारियों को वितरण की व्यवस्था के लिए अलग हो और दैनिक आवश्यकताओं के लिए दिया जाय, इसकी व्यवस्था अलग हो क्या ऐसी व्यवस्था अलग हो, क्या ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार ने की है?

श्री भीमसेन : सुनाई नहीं दिया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या कोई व्यवस्था नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न सुनाई नहीं दिया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जो कोई भी कोटा जयपुर जिले के लिए प्राप्त होता है उसमें से व्यापारियों का निश्चित रहता है वह उनको दे दिया जाय और दैनिक आवश्यकता वाले उपभोक्ता हैं उनके लिए निश्चित किया जाय?

श्री भीमसेन : उनके लिए साढ़े चार वेगन दिये गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुल राशि व्यापारी ले जाते हैं और लोगों को टीन नहीं मिलते हैं, वह रह जाते हैं। कोटा जितना भी आता है वह कहां जाता है और उसको कहां दे देते हैं यह मंत्री महोदय ही जानते हैं। मेरे पूछने का मतलब यह है कि जितने चद्दर आपको मिलते हैं तो ऐसी व्यवस्था क्या राज्य सरकार नहीं करती है कि अमुक कोटा व्यापारियों को दिया जाय और अमुक कोटा इतना रहा वह दैनिक आवश्यकताओं वाले उपभोक्ताओं को निश्चित रूप से दिया जाय। गरीबों के यहां आग लग जाती है या और कोई आवश्यक बात होती है या कोई आदमी पट्टी नहीं खरीद सकता है और मकान नहीं बना सकता है तो उन लोगों को मिले।

श्री भीमसेन : यही सूचना मैंने माननीय सदस्य को दी है कि साढ़े चार वेगन उपभोक्ताओं के लिए दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये साढ़े चार वेगन कहां बिके हैं जो अभी आये हैं। आप इसके लिए कलक्टर साहिब से पूछ लें। इसकी शिकायत भी हुई है। गवर्नमेंट को यह भी नहीं मालूम है कि वेगन आते हैं और वाला-वाला ही बिक जाते हैं। आप चाहें तो वेगन का नम्बर मेरे से लेलें। किन को बिका है और किस तारीख को बिका है यह मेरे पास सूचना है। आप मेरे पास ही क्वार्टर में रहते हैं। मैं आपको दे दूंगा। लोग मारे मारे फिरते हैं। गरीबों के घरों में आग लग जाती है और चद्दरों के लिए रोज हम दरख्वास्तों पर तस्दीक करते हैं, लेकिन उनको कोई चद्दर नहीं मिलती है। उनकी झोपड़ियों पर टीन के चद्दर डालने को नहीं है और टीन ब्लैक में वे बेच रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी (रसद मंत्री) : यह पिछले वर्ष की सूचना मंत्री महोदय ने दी है। अब आयरन एण्ड स्टील का कोई कन्ट्रोल नहीं है, डिकन्ट्रोल हो चुका है। अब इस प्रकार का कोई कोटा नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह ठीक है कि डिकन्ट्रोल हो गया है, लेकिन यह जो कोटा लिया है वह तब का है जब कि कन्ट्रोल था, उस समय का कोटा एलाट हुआ था, उसके अगेन्स्ट में माल इश्यू कर रहे हैं, उस पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : जो चीज कन्ट्रोल की होती है उसके ऊपर जो कानून लागू होता है वही व्यवस्था लागू रहेगी ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जो माल आ रहा है वह कन्ट्रोल के समय का एलॉट किया हुआ आ रहा है । उस पर नियन्त्रण करके गवर्नमेंट उसको वितरत करवाये ।

श्री हरिदेव जोशी : उस पर आज कन्ट्रोल नहीं है । जब कानून ही लागू नहीं है तो कन्ट्रोल कैसे कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए, स्थगित प्रश्न ।

श्री गंगासहाय : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न हमेशा रह जाते हैं । ६५६ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : ६५६, श्री गंगासहाय ।

खादी बोर्ड तथा विभिन्न खादी संस्थाओं के कर्मचारियों पर व्यय

६५६. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या खादी तथा ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान खादी बोर्ड तथा विभिन्न खादी संस्थाओं में कुल कितने कर्मचारी है ? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) उपरोक्त कर्मचारियों में परिगणित जाति व परिगणित जन-जाति के कर्मचारी कितने हैं तथा किन-किन पदों पर हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) इन कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा आवास पर कितना खर्च होता है ? और उसमें से परिगणित जातियों के कर्मचारियों पर कितना खर्च आता है ?

श्री अमृतलाल यादव (खादी मंत्री): राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में स्वीकृत पदों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है..

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : जोर से बोलिये, सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : जोर से पढ़िये ।

श्री अमृतलाल यादव : (१) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के स्वीकृत पदों की संख्या की सूची सदन की मेज रख दी गई है । अन्य खादी संस्थाओं की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(२) परिगणित जातियों के कार्यकर्ता जो कितने हैं और किस-किस पद पर कार्य कर रहे हैं उसकी भी सूची अंकित है ।

(३) परिगणित जातियों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और आवास पर १८,३०६ रु० वार्षिक व्यय किया जाता है और अन्य पर लगभग चार लाख रुपये का ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री गंगा सहाय : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस विभाग में साढ़े बारह पर्सेन्ट का कोटा शिडूल्ड ट्राइब्स के लोगों का पूरा क्यों नही किया गया ?

श्री अमृत लाल यादव : माननीय उपाध्यक्षजी, यह सही है कि खादी बोर्ड में साढ़े बारह प्रतिशत का कोटा पूरा नही हुआ है, लेकिन यह कोई विभाग तो है नहीं सरकार का, एक आटोनामस बोर्ड है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी-बाजार, जयपुर) : उसके अध्यक्ष तो आप है। जिस संस्था के आप अध्यक्ष हो और शिडूल्ड कास्ट्स और शिडूल्ड ट्राइब्स का मामला हो। उस संस्था के अध्यक्ष होने के बाद भी साढ़े बारह पर्सेन्ट का कोटा पूरा नहीं कर सके, और फिर आड़ लेते है इस बात की इससे में समझता हूं कि कितनी हमदर्दी इन जातियों के लोगों के साथ में आपकी है। संस्था के अध्यक्ष होने के बाद भी साढ़े बारह पर्सेन्ट का कोटा आप इस संस्था में पूरा नही करा सके।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्षजी, में माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि जब से मैंने खादी बोर्ड को हाथ में लिया है तो जितनी भी इसमें इनकी नियुक्तियां हुई हैं वह उसके बाद में हुई हैं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसमें साढ़े बारह प्रतिशत का कोटा पूरा कर दिया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह है कि जो अध्यक्ष आप से पहले वहां पर हुए हैं; उन्होंने शिडूल्ड कास्ट्स और शिडूल्ड ट्राइब्स के लोगों का एपाइन्ट-मेंट नहीं किया ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्षजी, मेरा प्रश्न इसके दूसरे नम्बर का ही है उसको ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है।

श्री दौलतराम सारण : मैं रोज ही रह जाता हूं। या तो दो नम्बर पीछे रह जाता हूं या एक नम्बर पीछे रह जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ६५७।

बाड़मेर के स्कूल एवं कालेज तथा छात्रों की संख्या

६५७. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बाड़मेर में कितनी सैकेन्ड्री या हायर सैकेन्ड्री अथवा हाई स्कूल हैं ? उसकी छात्र-संख्या कितनी है ?

(२) भवन में कुल कितने कमरे हैं और किस-किस साइज के ?

(३) इस स्कूल की कक्षा में कितनी पारी में (शिफ्ट) लगती हैं व कब-कब से कब तक ? छात्र-संख्या को देखते हुए क्या यह भवन अपर्याप्त है ? यदि हां, तो भवन की कमी कब तक दूर कर दी जायेगी ?

(४) क्या यह सही है कि राजकीय कालेज भी इसी भवन में लगता है ? यदि हां, तो किस समय से किस समय तक ?

(श्री दौलतराम सारण)

(५) बाड़मेर कालेज में छात्र-संख्या कितनी है ? यह कालेज कब खुला था ? अब तक भवन न बनने के क्या कारण हैं ? कालेज भवन कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ?

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री): (१) बाड़मेर जिले में लड़कों के ३ उच्चतर माध्यमिक एवं ६ उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में १ सितम्बर, १९६७ को ३३०९ विद्यार्थी पढ़ते थे। इसके अतिरिक्त इस जिले में एक कन्या उच्च-माध्यमिक विद्यालय है। जिसमें १–९–६७ को १८९ छात्राएं पढ़ती थीं इस प्रकार इस जिले में १० उच्च-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें कुल मिलाकर ३४९८ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे।

(२) राजकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बाड़मेर में कुल ३२ कमरे हैं जिनका साइज निम्न प्रकार से है– साइज बोलूं क्या ?

(श्री दौलतराम सारण द्वारा नकारात्मक सिर हिलाया गया)

(३) चूंकि इस भवन में महाविद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दोनों एक साथ चलते हैं अतः भवन अपर्याप्त प्रतीत होता है। जैसे ही महाविद्यालय का भवन बनकर तैयार होजाता है यह भवन इस विद्यालय के लिए पर्याप्त होगा।

(४) जी हां, सुबह की पारी में लगता है।

(५) कालेज में छात्रों की संख्या २१२ है। कालेज जुलाई १९६५ में खुला। भवन निर्माण कार्य १–६–६७ से चालू हो गया है तथा शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है।

श्री दौलतराम सारण : कब तक ?

श्री शिवचरण माथुर : जल्दी ही।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

प्रश्न सं० ६९०।

श्री भैरोंसिह !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री श्रवणलाल !

राजस्थान स्पोर्ट्स कौन्सिल पर व्यय

५९४. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल कब से कार्य कर रही है।

(२) राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल पर किस–किस मद में सरकार का कितना–कितना रुपया १९६७ तक व्यय हुआ है ?

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल के जनरल मैनेजर ने हवाई जहाज से दौरे किये हैं ? यदि हां, तो कब–कब और कहां–कहां के ? प्रत्येक हवाई जहाज के दौरे पर कितना–कितना खर्चा हुआ है ?

(४) क्या यह सही है कि स्पोर्ट्स कौंसिल में विदेशी शराब म[illegible] का प्रावधान भी है, यदि हां, तो किस–किस वर्ष में कितनी–कितनी शराब मंगाई गई है ?

(श्री श्रवणलाल)

(५) शराब का उपयोग किस लिए किया जाता है ?

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्धों में जो पूरी जानकारी चाहिए थी वह अभी तक नहीं मिल पाई है। इसलिए मैं ४ तारीख को इसका जवाब दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका जब आप ४ तारीख को जवाब दें तो इसके प्रश्न संख्या (३) में यह लिखा हुआ है कि जनरल मैनेजर ने हवाई जहाज से कहां-कहां के दौरे किये हैं तो इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लें। जनरल मैनेजर कोई नहीं यह जवाब न देकर जिस किसी भी अधिकारी ने दौरे किये हैं उसके बारे में जवाब दे दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, ६४८ को पुछवा लें। मैं इस पर सप्लिमेंट्री नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त होगये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ६४८ जनरल इन्ट्रेस्ट का है। मैं सप्लिमेंट्री नहीं करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सप्लिमेंट्री नहीं करोगे तो लिखित में जवाब ले लेना।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट ७ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति एवं विकास समिति झोटवाड़ा का मांग पत्र

६३३. श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या दिनांक २८ जुलाई, १९६६ को मुख्य मन्त्री महोदय औद्योगिक बस्ती झोटवाड़ा में कृषि वर्कशाप का उद्घाटन करने गये थे उस समय पंचायत समिति एवं विकास समिति झोटवाड़ा द्वारा मुख्य मन्त्री महोदय को सात सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो मांग पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त मांग पत्र में से कौन-कौन सी मांगे स्वीकार की जा चुकी हैं और कौन-कौन से कार्य पूरे किये जा चुके हैं ?

(सरकार द्वारा स्थगित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई)

जैसलमेर में लैण्ड मोरगेज बैंक

६३५. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान के हर जिले में लैण्ड मोरगेज बैंक है अलावा जिला जैसलमेर ? अगर हां, तो क्या कारण है ?

(२) क्या राज्य सरकार जैसलमेर में लैण्ड मोरगेज बैंक खोलने का विचार रखती हैं ? अगर हां, तो कब तक बैंक खोल दी जावेगी ?

(श्री बालसिंह)

(३) आज जिला जैसलमेर में कृषि कर्ज की क्या व्यवस्था है व किस के द्वारा कर्ज वितरण किया जाता है ?

उत्तर

१. जी हां ? यह ठीक है कि जैसलमेर के अतिरिक्त सभी जिलों में प्राईमरी लेण्ड मोर्टगेज बैंक हैं जैसलमेर जिले से इस प्रकार के गठन की आवश्यकता की सूचना विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही वहां पर गठन का स्कोप भी नहीं होने के कारण गठन नहीं हो सका था।

२. जैसलमेर जिले में बैंक खोलने के लिये सम्बान्धित सहायक रजिस्ट्रार, से सर्वे कराया जा रहा है। साथ ही उनके सुझाव चाहे जारहे है।

३. जैसलमेर जिले में राजस्थान स्टेट कोग्रापरेटिव बैंक लि. जयपुर, की शाखा है जो कि अल्प कालीन एवं मध्य कालीन ऋण कृषि के कर्जों के रूप में देती है। पूर्व में राजस्थान राज्य सरकारी भूमि विकास बैंक लि०, जयपुर के उप नियमानुसार व्यक्तिगत सदस्यता ग्रहण की जाकर इस बैंक से ऋण प्राप्त किया जा सकता था जैसलमेर जिले के काश्तकार भी इसके व्यक्तिगत सदस्य बनकर ऋण प्राप्त कर सकते थे, परन्तु इस जिले के किसी भी काश्तकार ने सदस्यता ग्रहण कर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त नहीं किया।

डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सवाई माधोपुर का भवन

१५७. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सवाई माधोपुर का भवन राजकीय सम्पत्ति है और बहुत पुरानी सम्पत्ति है ?

(२) क्या यह सही है कि इस भवन की राजस्थान सरकार द्वारा न तो कभी मरम्मत कराई गई और न कभी पुताई ?

(३) क्या यह सही है कि इस भवन की मरम्मत तथा पुताई इसीलिए नहीं कराई जा सकी है कि यह भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग की सूची में शामिल नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) राज्य सरकार इस भवन को सार्वजनिक निर्माण विभाग की राजकीय सम्पत्ति की सूची में सम्मिलित किए जाने के विषय में क्या विचार रखती है ?

(५) यह भवन कब तक सूची में सम्मिलित कर लिया जावेगा ?

उत्तर

१. डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सवाई माधोपुर का भवन राजकीय सम्पत्ति है और यह भवन जिलाधीश सवाई माधोपुर द्वारा माह अप्रेल ५६ में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सवाई माधोपुर हेतु दिया गया था।

२. जी, हां।

३. यह भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग, भवन एवं मार्ग, राजस्थान की सूची में नहीं होने के कारण मरम्मत व सफेदी की व्यवस्था नही हो सकी है। भवन सूची

(शिक्षा मंत्री)

पर आ जावे इसके लिये लिखा पढ़ी गत वर्ष से चल रही है।

४. इस भवन को सार्वजनिक निर्माण विभाग की सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु लिखा पढ़ी जारी है।

५. इस भवन को सार्वजनिक निर्माण विभाग की सूची में सम्मिलित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों से पत्र व्यवहार जारी है।

रानीवाड़ा–रेवदर मार्ग के आपरेटर के विरुद्ध शिकायत

९३९. श्री दुर्जनसिंह (रानीवाड़ा): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही कि रानीवाड़ा क्षेत्र की जनता ने बस मालिक रूट रानीवाड़ा से रेवदर वाया मालवाड़ा जसवन्तपुरा की कई बार शिकायतें की हैं? अगर हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? अगर नहीं की गई तो इसका क्या कारण है?

(२) क्या यह भी सच है कि इस रूट पर जो बसें चलती हैं वे आज से ३० वर्ष पहले के माडल वाली हैं और महीने में २० दिन खराब होती हैं? अगर हां, तो सरकार इनके परमिट कैंसिल क्यों नहीं करती?

उत्तर

१. जी–यह सत्य है। जांच कराई गई, जांच द्वारा गाड़ियां इस रूट पर चलती हुई पाई गईं।

२. जी–यह सत्य नहीं है।

अजमेर–बनास बिजली लाइन पर गबन के मामले

९४५. देवीलाल बुरासिया : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि अजमेर बनास बिजली लाइन पर सीमेन्ट, लोहे की गर्डरें, वायर इत्यादि सामान गायब हुआ था? यदि हां, तो उस सामान की मय कीमत के सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस गबन के मामले में अब तक किन–किन को गिरफ्तार किया गया?

(३) गबन किया गया सामान कहां पर बेचा गया और किन–किन आदमियों को बेचा गया?

(४) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को सामान बेचा गया था उनको केकड़ी के थानेदार ने छोड़ दिया? यदि हां, तो क्यों?

(५) क्या यह सही है कि गबन किया हुआ सामान अन्तर्राज्य क्षेत्र में बेचा गया?

(६) क्या यह सही है कि बिजली विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा बार–बार शिकायत करने पर भी विभागीय अफसरों ने इस पर ध्यान नहीं दिया?

(७) क्या इस काण्ड में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर व असिस्टेंट इंजीनियर का भी हाथ था? यदि हां, तो क्या उनको गिरफ्तार किया?

(८) क्या सरकार ऐसे गबन के मामलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का विचार रखती है?

(विद्युत् मंत्री)

उत्तर

१) जी हां, कम हुए सामान की सूची मय कीमत के संलग्न है ।

(२ से ६) यह प्रश्न पुलिस विभाग से संबंधित है । जी नहीं ।

७) जांच जारी है, जिसके पूर्ण होने पर ही इस बारे में कहा जा सकता है ।

८) जी हां ।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी भाषा

९४८. श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में विश्व विद्यालयों के छात्रों ने अंग्रेजी भाषा की पाठ्यक्रमों में अनिवार्यता समाप्त करने के लिए मांग की थी ?

(२) क्या यह सही है कि जोधपुर विश्वविद्यालय इस मांग को मंजूर किये जाने के पक्ष में था ?

(३) क्या यह सही है कि छात्रों की इस मांग को सिद्धान्ततः स्वीकार नहीं किया गया और किसी न किसी रूप में अंग्रेजी पढ़ना विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में अनिवार्य रखा गया है ?

(४) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में विश्वविद्यालयों को अपनी कोई राय दी थी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में क्या राय है ?

(५) क्या राज्य सरकार प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता समाप्त करने के पक्ष में है ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में कब कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(सरकार द्वारा स्थगित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई)

स्थगित प्रश्न

(२०-३-६८)

नमक क्रय करने हेतु आमंत्रित किये गये टेन्डर

९९० श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ४ वर्ष पूर्व पचपद्रा में लगभग ३० लाख मन नमक का स्टाक हो गया था, जिसको क्रय करने हेतु टेन्डर आमंत्रित किये गये ?

(२) क्या यह सही है कि एक फर्म हरीराम रामस्वरूप का २)५१ पैसे प्रति क्विंटल का टेन्डर सबसे अधिक था ?

(३) क्या यह सही है कि टेन्डर आमंत्रित करने के पश्चात् नमक का बाजार भाव गिर गया जिसके कारण हरीराम रामस्वरूप कुछ सरकारी अधिकारियों से मिलकर अपने टेन्डर के अनुसार नमक के क्रय से मुक्त हो गया ?

Page No. 39

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(४) क्या यह सही है कि यह नमक फिर १)६० पैसे प्रति क्विन्टल की दर से बिका और इस तरह राज्य सरकार को ७ लाख रुपये के अनुमान का घाटा हुआ ?

(५) क्या यह सही है कि इस मामले की राज्य सतर्कता आयोग द्वारा जांच की गई जिसके अनुसार भी उपरोक्त घाटे का अनुमान लगाया गया ?

(६) यदि हां, तो, इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(सरकार द्वारा स्थगित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार का चुनाव

५१२. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार की साधारण सभा का चुनाव दिनांक २१-१-६८ को हुआ ? यदि हां, तो उसमें अध्यक्ष पद के लिये कितने उम्मीदवार थे ? कितने सदस्यों ने आम सभा में भाग लिया ? अध्यक्ष किनको चुना गया ?

(२) क्या नव निर्वाचित अध्यक्ष ने कार्य आरम्भ कर दिया है ? क्या पुराने अध्यक्ष ने नये अध्यक्ष को चार्ज दे दिया है ?

(३) क्या यह सही है कि सहकारी समितियां अधिनियम की धारा ७५ की तहत इस चुनाव को खारिज कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो पुराने सदस्यों से गैर कानूनी तरह से कार्य क्यों लिया जा रहा है ? सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

१ यह सही है कि जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लि० जोधपुर की साधारण सभा दिनांक २१-१-६८ को हुई थी। इस सभा की विषय सूची में अध्यक्ष अथवा संचालक मण्डल के चुनाव का कोई आइटम शामिल नहीं था। किन्तु कुछ सदस्यों ने साजिश करके नियम विरुद्ध बगैर कोई चुनाव के आइटम होने के चुनाव की कार्यवाही करके अध्यक्ष पद के लिए केवल एक उम्मीदवार श्री रामदेव चौधरी को निर्विरोध निर्वाचित किया।

२. नव निर्वाचित अध्यक्ष ने अपना कार्य प्रारम्भ नहीं किया है क्योंकि दिनांक २१-१-६८ की साधारण सभा वैध नहीं है। कारण कि साधारण सभा में विचारार्थ रखे जाने वाले विषयों की सूची में चुनाव सम्बन्धी विषय नहीं रखा गया था और ना ही इसकी सूचना भण्डार के अन्य सदस्यों को ही दी गई थी। इस अवैधानिक चुनाव की कार्यवाही के बारे में धारा ७५ राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम १९६५ के तहत उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर के समक्ष कार्यवाही पैन्डिंग है। इसी कारण पुराने अध्यक्ष का नये अध्यक्ष को चार्ज देने का प्रश्न नहीं उठता।

३. चूंकि कोई नियमानुसार चुनाव की कार्यवाही नहीं हुई, अतः चार्ज दिलाने

(श्री ओमदत्त माटी)

का प्रश्न नहीं उठता। धारा ७५ राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम १९६५ के तहत उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर के कार्यालय में कार्यवाही चालू है। इसके निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

भेड़-पालन व ऊन-कतरन केन्द्र

५१३. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान के भेड़पालन व ऊन कतरन केन्द्र कितने हैं व कहां-कहां पर हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इन केन्द्रों पर वहुत खर्चा हो रहा है और लाभ कुछ नहीं है ?

(३) भेड़ व ऊन विभाग में कितने राजपत्रित अधिकारी हैं व कितने कर्मचारी हैं ?

(४) प्रत्येक केन्द्र से अब तक कितना लाभ अथवा हानि हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) भेड़ पालन व ऊन कतरन विभाग में कुल कितनी जीपें है ? केन्द्र वार तादाद बताने की कृपा करें।

(६) इन जीपों का औसतन माहवारी व्यय कितना है ? प्रत्येक केन्द्र की जीपों का अलग-अलग बताने की कृपा करें।

उत्तर

१. राज्य में इस समय १२४ भेड़ व ऊन प्रसार एवं कतरन केन्द्र है जिनकी सूची प्रपत्र 'क' में सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

२. जी नहीं। प्रत्येक केन्द्र पर बजट के अनुसार लगभग १९,००० रु० वार्षिक व्यय होता है। इन प्रसार केन्द्रों पर प्रसार कार्य पर काफी जोर दिया जाता है तथा उस कार्य से प्राप्त लाभ को आर्थिक लाभ के रूप में आंका जाना उपयुक्त नहीं है। जहां तक विपणन (Marketing) कार्य का सम्बन्ध है इन केन्द्रों से हुई लाभ हानि का अंदाजा विभाग के प्रोफार्मा अकाउन्ट्स बनने पर ही लग सकता है।

३. विभाग में १२६ राजपत्रित अधिकारी तथा १०६४ अराजपत्रित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

४. विभाग में प्रोफार्मा अकाउन्ट्स बनाये जा रहे हैं। उसके उपरान्त ही केन्द्रों से हुई लाभ अथवा हानि का विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

५. भेड़ व ऊन विभाग में कुल १७ जीपें हैं। ये जीपें जिन कार्यालयों में नियुक्त हैं उनका विवरण प्रपत्र 'ख' में सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

६. इन जीपों का औसतन व्यय लगभग ३०० रु० है। केन्द्र वार औसतन माहवारी खर्च का विवरण प्रपत्र 'ख' में सम्मिलित है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान मनी लेन्डर्स एक्ट

५१४. श्री दौलतराम सारण : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान मनीलेन्डर्स एक्ट कब लागू हुआ ?

(२) इस कानुन के अन्तर्गत अब तक कितने मामले आए और कितने तय किये गये हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) इस कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियम कब बनाये गये और कब लागू किए गये ? नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

१. राजस्थान मनिलैण्डर्स एक्ट, एक अक्टूबर १९६५ से लागू हुआ।

२. इस बारे में जिलेवार सूची परि-शिष्ट 'क' संलग्न है।

३. यह नियम सन् १९६५ में बनाये गये हैं और एक अक्टूबर १९६५ से लागू हुए। नियमों की प्रति संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु व्यय

५१५. श्रीमती कान्ता कथूरिया : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:— ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के निमित्त निम्न विषयों पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई:-

(१) प्रचार पर ?

(२) दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थानों के सुप्रबन्ध पर ?

(३) उक्त दोनों मुद्दों पर क्रमशः बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर एवं कोटा के स्थानों पर कितना-कितना व्यय किया गया ?

उत्तर

१. वर्तमान वित्तीय वर्ष में पर्यटन क्षेत्र के अन्तर्गत आयोजना के मद में प्रचार पर २०,०००) रु० का प्रावधान समूचे राज-स्थान के लिये रखा गया है। इस धन राशि का ३१-३-६८ तक पूर्ण रूप से व्यय हो जाने की संभावना है।

२. दर्शनीय एवं एतिहासिक स्थानों के सुप्रबन्ध पर इस निदेशालय के आधीन पर्य-टन को बढ़ावा देने के लिये निम्न सात स्थानों पर पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापित हैं तथा अन्य ५ प्रमुखों स्थानों, अजमेर, पुष्कर, जयपुर, उदयपुर एवं आबू पर्वत पर पर्यटक विश्राम गृह भी खुले हुए हैं:—अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, आब, एवं उदयपुर।

३. ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में उक्त ५ पर्यटक विश्राम गृहों तथा ७ पर्यटक कार्यालयों के सुप्रबन्ध पर स्टाफ तथा अन्य विविध व्यय भार इस प्रकार वहन करना पड़ेगा।

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

१–पर्यटक सूचना केन्द्र, अजमेर ६०४६)
भरतपुर ८५६४)
चित्तोड़गढ़ ७५२३)
जयपुर १९१०१)
जोधपुर ५९३३)
आबू ९७४७)
उदयपुर ११२५१)

६८२६५)

पर्यटक विश्राम गृह अजमेर २००७५)
पुष्कर ५६५३)
जयपुर २६५६१)
उदयपुर १८४८५)
आबू ३१७२६)

१,०२,५००

उक्त कथित कार्यालयों की देख रेख के लिये जयपुर में पर्यटन निदेशालय है, जिस पर १,१६,२३५) सम्भावित व्यय होगा:–

इसके अतिरिक्त निम्न योजनाऐं आयोजना शीर्षक के अन्तर्गत राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कार्यान्वित की जा रही है जिन पर ३१–३–६८ तक निम्न संभावित व्यय किया जावेगा:–

क्र०सं०	योजना का नाम	संभावित व्यय
१.	पर्यटक विश्रामगृह आबू पर्वत के चालू निर्माण कार्य को पूरा किया जाना।	५,०००
२.	पर्यटक विश्रामगृह सिरिस्का के निर्माण कार्य पर।	८४,०००
३.	वर्तमान पर्यटक विश्रामगृह सिरिस्का के चालू निर्माण कार्य को पूरा किया जाना।	१९,०००
४.	जयपुर में स्थित पर्यटक विश्रामगृह के विस्तार एवं परिवर्तन परिवर्द्धन	२,०००
५.	चित्तौड़गढ़ में स्थित जलपान गृह के निर्माण कार्य को पूरा किया जाना।	५,०००
६.	जोधपुर में स्थित मंडोर उद्यान के विकास कार्य को पूरा किया जाना।	२४,१००
७.	पर्यटक विश्राम गृह आबू पर्वत के विस्तार खण्ड को सुसज्जित करना (फर्निशिंग)।	३०,०००

Page No. 43

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

क्र०स०	योजना का नाम	संभावित व्यय
८.	भोपाल भवन चित्तौड़गढ़ में परिवर्तन, परिवर्धन एवं मरम्मत के कार्य के लिये ।	२०,०००)
९.	चित्तौड़गढ़ में स्थित जलपान गृह में पानी का पम्प लगाना ।	५,५००)
१०.	फतेहसागर झील, उदयपुर का सौन्दर्यकरण ।	२,८६,४००)
११.	मुख्य सड़क से मिलाती हुई सहस्त्र बहू मन्दिर, उदयपुर तक पहुंचे मार्ग के निर्माण कार्य पर ।	६,०००)
१२.	पर्यटक बसों का भुगतान ।	१८,०००)
१३.	परिचायत भ्रमण एवं प्रचार ।	२०,०००)
१४.	जयपुर, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ में पर्यटक बस चालकों के वेतन इत्यादि पर ।	१५,०००)
१५.	आबू पर्वत पर पतझड़ त्यौहार मनाये जाने के लिये । (यह धन राशि उदयपुर में स्थित फतेह-सागर झील (नेहरू उद्यान के विधियुक्त समारोह पर व्यय की गई हैं)	१०,०००)
१६.	पर्यटक विश्रामगृह आबू पर्वत में पुनः तार कसी ।	१,७००)
१७.	प्रबन्धक अनुभाग ।	१०,०००)
		५,६१,७००)

३. दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थानों के सुप्रबन्ध होने वाले व्यय का ब्यौरा प्रश्न नम्बर २ के प्रत्युतर केसामने दर्शाया जाचुका है । प्रचार सामग्री के लिये स्वीकृति २०,०००) रु० की राशि भी राजस्थान के विविध जिलों के लिये निवेश छपवाने तथा शहर के नक्शे बनवाने एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु व्यय किये जायेंगे जिनमें बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, एवं कोटा के निवेश व शहर के नक्शे भी सम्मिलित है । यह पद आयोजना शीर्ष का है ।

राजकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों की होम डिस्ट्रिक्टस में नियुक्ति

५१६. श्रीमती कान्ता कथूरिया : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) कितनी तनख्वाह पाने वाले राजकीय कर्मचारियों को उनके स्थाई निवास स्थान या स्थाई निवास जिस जिले में पड़ता है नियुक्त किया जाता है ?

(२) कितना वेतन पाने वाले राजकीय कर्मचारी एवं अधिकारियों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त अथवा स्थानान्तरित न करने के आदेश हैं ?

(३) क्या विशेष कारणों वश ऐसे कर्मचारियों एवं अधिकारियों को जिनका वेतन निश्चित सीमा से अधिक हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त अथवा स्थानान्तरित किया जाता है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से विशेष कारण हो सकते हैं ?

उत्तर

१. वेतन के आधार पर राजकीय कर्मचारियों को उनके स्थाई निवास स्थान पर नियुक्त करने के सरकार की ओर से कोई आदेश प्रचलित नहीं किये गये हैं ।

२. अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन के आधार पर उनके गृह जिले में पद-स्थापित न करने के कोई आदेश प्रचलित नहीं किये गये है किन्तु राजपत्रित अधिकारियों में से कुछ वर्गों के अधिकारियों को उनके गृह जिलों में पद-स्थापित न करने के आदेश अवश्य है जिनकी प्रतिलिपियां संलग्न है । स्थानान्तरण के संबंध में २५०) रु० से कम वेतन पाने वालों को उनके गृह जिले के बाहर स्थानान्तर नहीं किया जाता है और ऐसा करना आवश्यक हो तो जहां तक संभव हो क्षेत्र (Division) के बाहर स्थानान्तरण नहीं किया जाय ।

३. वेतन के आधार पर गृह जिले में नियुक्त करना या स्थानान्तरण करने के कोई आदेश नहीं है । अतः कोई विशेष कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीमावर्ती छात्रावास, बीकानेर

५१७. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सीमावर्ती छात्रावास बीकानेर में अभी तक पढ़ने वाले छात्रों का दाखिला सही ढंग से नहीं किया गया है ? यदि नहीं किया गया है तो इसकी वजह क्या है ?

(२) इस वक्त कुल कितने विद्यार्थी सीमावर्ती छात्रावास बीकानेर में प्रवेश पा चुके हैं ?

(३) क्या यह सही है कि बीकानेर सीमावर्ती छात्रावास में पिछड़ी जाति के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर पिछड़ी जाति के छात्रों को प्रवेश दिया गया है, तो कुल कितने छात्रों को ?

उत्तर

१. यह सही नही है । दाखिला नियमानुसार किया गया है ।

Page No. 45

२. इस समय सीमावर्ती छात्रावास बीकानेर में ७० छात्र प्रवेश पा चुके है।

३. यह सही नही है। इस छात्रावास में इस समय पिछड़ी जाति के १३ छात्र है।

विभागीय सर्क्यूलर से प्रभावित कर्मचारी

५१८. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) निदेशक, कालेज शिक्षा विभाग के सर्क्यूलर नं एफ. २४ (३४) एकाउन्ट्स डी सी. ई. ६६१९६७ दिनांक २-१२-६६ में जो तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का हवाला ग्रान्ट-इन-एड रूल्स ३ (१६) के आधार पर जारी किया है इस का क्या आधार है ?

(२) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो इस अनधिकृत आज्ञा से प्रभावित हुए हैं ? उन की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(३) इस प्रकार के अनधिकृत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अंश के निरस्त करने में सरकार को क्या आपत्ति है और सताये हुये कर्मचारियों का घाटा कैसे पूरा हो सकेगा ?

उत्तर

१. राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों में समानता लाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

२. सहायता प्राप्त संस्थाओं के इस आदेश से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों का विवरण सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

३. यह आदेश राजकीय एवं अराज-कीय महा विद्यालयों के कर्मचारियों में समानता रखने हेतु जारी किया है।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का छात्रावास, धौलतुर

५१९. श्री बनवारीलाल (धौलपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

क्या धौलपुर स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रावास को सर-कारी छात्रावास के रूप में सरकार लेने का इरादा रखती हैं या नहीं ?

उत्तर

१. राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धौलपुर के साथ एक छात्रावास है। धनाभाव के कारण छात्रावास को लेना सम्भव नही है।

सुजानगढ़ में पोलीटेनिक कालेज

५२०. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सुजानगढ़ लाडनूं में बनने वाली पोली-टेक्निक कॉलेज, के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

Page No. 46

उत्तर

आज की स्थिति में पोलीटेकनिक हो या न हो। इस पर पुनः विचार करना आवश्यक है। राज्य सरकार का अन्तिम निर्णय होने पर ही इसकी प्रगति के बारे में कुछ कहा जा सकेगा।

संस्कृत शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर का कार्यकाल

५२१. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) संस्कृत शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर कौन हैं वे इस पद पर कब से हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इनका कार्यकाल बढ़ाया गया ? यदि हां, तो कब–कब व कितना–कितना ?

उत्तर

१. संस्कृत शिक्षा विभाग के निदेशक श्री के० एम० के० शर्मा हैं तथा दिनांक २२–३–१९५८ से वे निदेशक के पद पर हैं।

२. हां यह सही है। वे दिनांक १–७–६७ से ५५ वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात् रिटायर हो चुके थे किन्तु उनकी पुनर्नियुक्ति ६ माह के लिये दिनांक १–७–६७ से ३१–१२–६७ तक की गई थी तत्पश्चात् एक वर्ष के लिये दिनांक १–१–६८ तक का कार्यकाल बढ़ाया गया है।

रतनगढ़ मिडिल स्कूल भवन की मरम्मत

५२२. श्री लाभचन्द वेद (सुजानगढ़) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या रतनगढ़ मिडिल स्कूल की इमारत जर्जरित अवस्था में है ?

(२) क्या बरसात की मौसम में स्कूल की इमारत में पानी चूता था ?

(३) क्या इस स्कूल की मूल इमारत अपनी अवधि समाप्त कर चुकी है ?

(४) इसकी मरम्मत किस वर्ष में हुई थी ?

उत्तर

१. यह सही नही है।

२. जी हां।

३. जी हां।

४. इस भवन की मरम्मत पिछली सर्दी १९६७ में हुई है।

ग्राम सदारा में हायर सेकन्डरी स्कूल की स्थापना

५२३. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही कि पंचायत समिति केकड़ी (अजमेर) के ग्राम सदारा के निवासी हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने हेतु सरकार को भवन बना कर दे रहे हैं ?

(श्री देवीलाल)

(२) क्या यह सही है कि जनता की ओर से स्कूल के लिए भवन बन कर तैयार हो गया है ?

(३) क्या सरकार द्वारा वहां पर अगले सत्र में हायर सेकन्डरी स्कूल खोल दी जायगी ?

उत्तर

१. पंचायत समिति केकड़ी (अजमेर) ग्राम सादरा के निवासी हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने हेतु सरकार को भवन बनाकर देने का आश्वासन देते है ।

२. शाला भवन जो जनता के सहयोग से बना है वह माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रयाप्त है । लेकिन हायर सेकेन्डरी स्कूल की कक्षाओं के लिए बोर्ड के नियमानुसार २५ । २० । के कमरों की आवश्यकता है ।

३. आगामी सत्र १९६८—६९ में माध्यमिक शालाओं के उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने हेतु बजट में प्रावधान होने पर अन्य शालाओं के साथ गुणा व गुण के आधार पर इस शाला पर भी विचार किया जा सकेगा ।

ग्राम सडू छोटी में प्राइमरी स्कल का मिडिल स्कूल में परिवर्तन

५२४. श्री रावतराम (छापर सु.) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम सडू छोटी, तहसील सुजानगढ़ (जिला चूरू) में ग्राम निवासियों ने प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग को मिडिल स्कूल बिल्डिंग में परिवर्तित किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार चालू साल में गांव में मिडिल स्कूल खोलने का निश्चय करेगी ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त गांव के आस पास कोई मिडिल स्कूल नहीं है और यहां ग्राम निवासियों ने हजारों रुपये चन्दे के करके स्कूल भवन बनाया है और छात्र भी पर्याप्त संख्या में हैं, तथा यह डेजर्ट एरिया है ? यदि हां, तो इन समस्त हालात को ध्यान में रखकर क्या सरकार मिडिल स्कूल खोलने के लिए इस गांव को प्राथमिकता देगी ?

उत्तर

(१) यह सही है कि ग्राम सेंडू छोटी, तहसील सुजानगढ़, जिला चुरू में ग्रामवासियों ने प्राइमरी स्कूल के भवन में चार नए कमरे रूपया १५,००० की अनुमानित लागत से बनवाए है ।

(२) उक्त गांव के पास जो माध्यमिक शालाऐं है वे दूरी पर है तथा निकटतम माध्यमिक शाला की दूरी ६ मील तथा १२ मील है । स्कूल में कुल ८० छात्र है तथा गांव की आबादी ४१७ व्यक्ति है । चूंकि वहां की स्वयं की आबादी बहुत कम है अतः वहां पर माध्यमिक शाला खोलना उचित प्रतीत नहीं होता । फिर भी इस वर्ष नई शालाओं की क्रमोन्नति के समय पर इस शाला के बारे में भी गुणा व गुण के आधार पर किया जावेगा ।

Page No. 48

बीकानेर के भूतपूर्व पब्लिक प्रोसीक्यूटर को सरकार द्वारा भुगतान

५२५. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या बीकानेर के किसी भूतपूर्व पी. पी. (Public Prosecutor) द्वारा सरकार की ओर से पैरवी किये गये दावों पेटे कानूनी महनताना पाना बाकी है ? यदि हां, तो उसका क्या नाम है और कितना रुपया अदा करना बाकी है ?

(२) क्या उक्त भुगतान कई वर्षों से बाकी है ? यदि हां, तो किस वर्ष से ?

(३) भुगतान नहीं करने के क्या कारण है ?

उत्तर

१ श्री ललिता प्रसाद भूतपूर्व पी. पी. के महनताने के ७२४.७५ पै. के बिल विचाराधीन है।

२. इस विभाग में जो बिल विचाराधीन हैं वे सन् १९६७ के हैं।

१. अब बजट में रकम न होने के कारण बिलों का चुकारा नहीं हो सका।

मैसर्स बीकानेर जिप्सम लि० बीकानेर से रायल्टी की वसूली

५२६. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या उद्योग एवं खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) मैसर्स बीकानेर जिप्सल लि० बीकानेर से खानों की रायल्टी के पेटे कितना रूपया खनिज विभाग को लेना बाकी हैं ?

(ख) सरकार इस वसूली के लिए क्या उचित कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(क) माह जनवरी १९६८ तक रूपये ५,३०,३४९.५३ (पांच लाख तीस हजार तीन सौ गुन पचास एवं तिरेपन पैसे) ।

(ख) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम १९६६ के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

गारनेट की खानें

५२७. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) देवली तहसील, जिला टोंक के गांवड़ी ग्राम में गारनेट (तामड़ा) की कितनी खानें है ? किस–किस के नाम पर कब–कब से कितने वर्षों के लिये लीज पर दी हुई है तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना–कितना है ?

(२) रायल्टी एसेसमेन्ट के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वहां पर कब से क्या व्यवस्था की गई है ?

(३) किस–किस पार्टी ने पिछले ५ वर्षो में कितने जैम एवं अब्रेसिव पर कितनी कितनी रायल्टी चुकाई है ?

उत्तर

१. ४ पट्टे चालू है अन्य जानकारी संलग्न पृष्ठ में दी गई है।

Page No. 49

(खनिज मंत्री)

१. (१) खनि०नि० (माइन्स फोरमैन (चेकिंग करते है । (२) परमेट सुपरवाईजर भी गांवड़ी ग्राम में चैंकिंग हेतु तैनात है। वह पोस्ट ता० १-७-६४ से कायम की गई थी।

२. यह जानकारी संलग्न में पृष्ठ दी गई है।

(कृपया परिशिष्ठ ६ देखिये)

जुरहड़ा तक चलने वाली बसें

५२८. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि हरियाना रोडवेज बस जरहड़ा तक चलती है? यदि हां, तो कब से और उसका आगमन तथा प्रस्थान का क्या समय है? और वह कहां पर ठहरती है?

(२) क्या राजस्थान सरकार भी भरतपुर से डीग, कामां जुरहड़ा मार्ग से देहली तक रोडवेज बस चलाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

१. जी हां यह सही है । दिनांक १-१२-६७ से चलती है। इसका जुरहड़ा आगमन का समय सांयकाल ७ बजे एवम् वहां से प्रस्तान का समय प्रातः ७ बजे का है। यह जुरहड़ा ठहरती है।

२. राजस्थान व हरियाना सरकारों के बीच हाल में ही हुये Reciprocal-arreugmeut : के अनुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम व हरियाना रोड़वेज भरतपुर से केवल गुडगांव तक एक-एक बस चलायेगी। इसके लिये निगम ने अस्थाई परमिट प्राप्त कर लिये हैं व परमिट हरियाना आर० टी० ए० के पास काउन्टर सिगनेचरस (Countrsignatures) के लिये भेजे जो होकर आ गये हैं। यह सर्विस दिनांक २५-३-६८ से चालू करदी गई है।

राजस्थान स्पोर्टस् कोन्सिल द्वारा अनुदान

५२६ श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान स्पोर्टस् कोन्सिल द्वारा सन् ६२ से लेकर अब तक किस संस्था अथवा व्यक्ति को कितना-कितना अनुदान किन नियमों के अन्तर्गत दिया गया? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त अवधि में किस किस वर्ष में स्पोर्टस् कौन्सिल द्वारा कितना-कितना रुपया एनटरटेनमेन्ट का नाम पर किस-किस द्वारा खर्च किया गया?

(३) स्पोर्टस् कौन्सिल के एकाउन्ट्स का आडिट किससे कराया जाता है? कृपया पिछले पांच वर्षों का आडिट की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें?

(४) इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा किस-किस वर्ष में कौन्सिल को कितनी-कितनी सहायता दी गई?

स्थगित प्रश्न

(२०–३–६८)

नोखा मन्डी में कृषि महाविद्यालय की योजना

३१६. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार बीकानेर जिले की नोखा मन्डी में कृषि के लिए महाविद्यालय खोलने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

(२) क्या यह सही है कि पिछले आम चुनाव के वक्त सरकार की ओर से मुख्य मंत्रीजी ने आम सभा में यह आश्वासन दिया था कि नोखा मन्डी में एक एग्रीकल्चरल कॉलेज खोला जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

१. जी नहीं।

२. यह गलत है।

स्थगित प्रश्न

(२२–३–६८)

किसानों को अल्पकालीन ऋण

३४९. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कृषि उत्पादन हेतु किसानों को राज्य सरकार ने अल्पकालीन कर्जे दिये है ? यदि हां, तो पिछले ५ वर्षों में ये कर्जे प्रत्येक जिले में कितनी–कितनी धनराशि, बीज व खाद के रूप में दिये गये ? प्रत्येक जिले का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि अल्पकालीन ऋण फसल के बाद वापस वसूल कर लिया जाता है ? यदि हां, तो अब तक ५ वर्षों में दिये गये अल्पकालीन ऋणों की वसूली क्यों नहीं हुई ? प्रत्येक जिले के कारण बतावें।

(३) क्या यह सही है कि अल्पकालीन ऋण पर बाड़ी या ब्याज लगाया जाता है ? और समय पर भुगतान न करने पर पैनल इन्ट्रस्ट भी लगाया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

१. जी हां। पिछले पांच वर्षों में दिये गये ऋणों की सूची सलंग्न है।

२. अल्पकालीन ऋण की वसूली वितरण की तिथि से १८ माह में होती थी सन् १९६७ से अल्पकालीन ऋण साधारणतया उस फसल के कटाई के समय वसूल योग्य है। पांच वर्षों में जो वसूली अल्पकालिन ऋण के अन्तर्गत हुई है निम्न प्रकार है:—

वर्ष	रकम
१९६२–६३	५५,७०,००४
१९६३–६४	४३,६२,८२३
१९६४–६५	३४,३६,६४२
१९६५–६६	१,१३,१२,१८६
१९६६–६७	१,३७,९९,७००

(श्री विजयसिंह रावत)

पूर्ण वसूली नही होने के कारण निम्न है:—

१–राज्य के अधिकांश जिलों में लगातार अकाल पड़ रहा है ।

२–सन् ६४–६५ से पूर्व कृषि विभाग द्वारा जो खाद्य व बीज किस्म में दिया गया था उसका समायोजन बाद में हुआ है ।

३–अल्पकालीन ऋण पर ब्याज लगाया जाता है और समय पर भुगतान न होने पर पेनल ब्याज लगाया जाता हैं यह सब तकावी रूल्स के अन्तर्गत किया जाता है ।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

स्थगित प्रश्न

(२२-३-६८)

शिक्षण संस्थाओं में स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्तियां

३६३. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि शिक्षण संस्थाओं में कोई पार्ट टाइम स्वास्थ्य या चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किये जाते है ? यदि हां, तो लाडनूं क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में किन–किन को कब–कब चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया और उनको कितना–कितना पारिश्रमिक कब–कब दिया गया तथा उनकी योग्यता क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या उक्त अधिकारी सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों में से नियुक्त किये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

१. बोर्ड की शर्तों के अनुसार सभी उच्चतर विद्यालयों में पार्ट–टाइम चिकित्सा अधिकारी होने चाहिये । जिन स्कूलों के बजट में इस मद में आवश्यक धनराशि का प्रावधान है वहां पार्ट–टाइम चिकित्सक निदेशक, स्वास्थ्यविभाग की अनुमति से ३०) रु० माहवार पर नियुक्त किये जाते हैं । जो सप्ताह में दो बार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का निरीक्षण करते हैं । प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में ये पार्ट–टाइम चिकित्सक नियुक्त नही किये जाते । लाडनूं क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों की सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

२. जी हां । यदि सरकारी अस्पताल के डाक्टर उपलब्ध न हो या इनकार कर दें तो प्राइवेट डाक्टर को भी नियुक्त किया जा सकता है ।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये)

स्थगित प्रश्न

(२२–३–६८)

सीमेण्ट चीनी आदि की उत्पादक क्षमता का उपयोग

३८०. श्री रामकिशन (बैर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रामकिशन)

(१) सन् १६६१ में निम्नलिखित वस्तुओं की उत्पादन क्षमता राजस्थान में क्या थी:—

(१) सीमेन्ट

(२) चीनी

(३) सूती कपड़ा

(४) सूती धागा

(५) बाल बियरिंग

(६) बिजली के मीटर

(७) शीशा और

(८) नमक

(२) क्या यह उत्पादन क्षमता पूरे तौर से उपयोग में आई ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) १६६५–६६ की क्या स्थिति रही है ?

उत्तर

उत्पादन क्षमता निम्न प्रकार थी:—

१. १) ११,७०,००० टन प्र० व० (लगमग)

२) १२००० टन गन्ना प्र० दिन

३) ४,८१३ लूम

४) २,४६,४४४ तकुवें

५) ५४,००,००० नग प्र०व०

६) २ लाख नग प्र०व०

७) ——

८) तृतीय पंच वर्षीय योजना में २०,३२,००० टन

२. १) जी हां ।

२) नहीं गन्ने की कमी के कारण ।

३) पार्टियों ने लूम नहीं लगाये थे व नई मिलें लग रही थी ।

४) — „

५) जरूरी मशीनों के विलायत से आने में देरी ।

६) जी हां ।

७) —

८) लगभग पूरी हो गई थी ।

३. १) १३,६२,००० टन. प्र. व.

२) २,००० टन प्र. दि.

३) ३२०५ लूम ।

४) २,६८,८२० तकुए

५) ५२,४५,२११ नगप्र० व०

६) २ लाख नग प्र० व०

७) —

८) ५६, ६४००

(१२.२० म. प.)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव कल और आज प्रस्तुत हुए हैं उनके सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है, जानकारी प्राप्त होने पर उनके बारे में व्यवस्था दी जायगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मेरा स्थगन प्रस्ताव था जिसका उत्तर कल शिक्षा मंत्री द्वारा दिया जाना था लेकिन कल गुलेटिन लगने की वजह से स्थगन प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया गया। वह राष्ट्रीय रक्षा कोष से सम्बन्धित मामला था एक डिप्टी इन्स्पेक्टरस के खिलाफ चार्ज था कि इन्होंने रक्षा कोष के पैसे का गबन किया।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह-मंत्री) : I had given that statement during thedebate on my grant.

श्री रामानन्द अग्रवाल : जहां तक इस मामले में गृह विभाग का तालुक था उस ओर गृह मंत्री ने संकेत कर दिया था लेकिन इस मामले का ज्यादा ताल्लुक शिक्षा विभाग से है...

श्री उपाध्यक्ष : आज के लिये ऐसा कोई प्रस्ताव रखा हुआ नहीं था। स्थगन प्रस्ताव पर आज वक्तव्य होंगे ऐसा कार्यक्रम में नहीं रखा हुआ था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिये तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले एज्युकेशन विभाग की ओर से शायद कल कह दिया था कि केस रजिस्टर होगया है और कार्यवाही हो रही है।

श्री शिवचरण माथुर : कल गुलेटिन लग गया था मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाया था।

मैं इस बारे में निवेदन कर दूं भरतपुर की डिप्टी इन्स्पेक्ट्रेस गर्ल्स स्कूल के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया था उसमें यह बताया गया था कि १९६५ के अन्दर राष्ट्रीय रक्षा कोष में जो धन एकत्रित हुआ स्कूलों से उसमें कुछ रसीदें दीं जो कच्ची रसीदें थीं और इसके हिसाब में गोलमाल किया गया यानी उसका कोई हिसाब ही नहीं दिया गया।

मैंने इस बारे में पता किया, मुझे मालुम हुआ कि यह मामला २४-२-६८ को ही पुलिस को दे दिया गया जैसा कि होम मिनिस्टर साहब ने कहा। उसके बाद की जानकारी में सदन को देना चाहता हूं। रामानन्दजी अग्रवाल ने दो स्कूलों के बारे में कहा था और भी कई स्कूलें हैं जहां पर कि इस प्रकार की शिकायते हैं। मैंने नदबई के स्कूल के सम्बन्ध में जिनका जिक्र उन्होंने किया था अकाउन्ट्स आफिसर को जानकारी करने के लिये आदेश दे दिये हैं। और नदबई के रेकार्ड को कब्जे में ले लिया गया है हमारा शिक्षा विभाग out of the purview of the Police Deprtment सतर्क है।

नदबई के लिये अपना आदमी भेजकर वहां का रिकार्ड सीज करवा लिया है। जहां तक दूसरी कम्पलेन्ट्स का सवाल है पुलिस विभाग जांच कर रहा है। और भी आप बतायेंगे तो हम इस बारे में कोई भी कदम उठाने से नहीं हिचकिचायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डिप्टी इन्स्पेक्ट्रेस के खिलाफ चार्ज था उनमें कच्ची रसीदें पकड़ी गई आपने उनके खिलाफ कार्यवाही करने को कहा। लेकिन वह अभी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उसी सरकल में भरतपुर में तैनात है। जिस शाखा ने सूचना दी इस प्रकार की और भी कच्ची रसीदें हो सकती हैं जिनका इन्दराज रोकड़ में नहीं था जिनका डिसपोजल नहीं किया गया, इसके अलावा भी और कच्ची रसीदें हो सकती हैं अगर उनको मौका मिले तो कुछ रसीदें उनके हाथ लग जाय और फाड़ दें। इसलिये यह आवश्यक है कि इन डिप्टी इन्स्पेक्टर्स को वहां से रिमूव किया जाय। प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी से साबित हुआ हो तो उनको ससपेन्ड किया जाना चाहिये नहीं तो उनको फौरन रिमूव किया जाना चाहिये।

जो ऑडिट पार्टी है जिन्होंने अकाउन्ट देखा है उनको साथ में लेकर और भी स्कूल्स जिनके पास कच्ची रसीदे हों वे रसीदें कब्जे में करनी चाहिये। नदवई के अलावा भी सात आठ स्कूल ऐसे हैं जिनमें इसी तरह से हुआ है उनको यहां डिसक्लोज मैं करना नहीं चाहता। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने रेकार्ड को पकड़ा है और भी हो सकते है। मेरा निवेदन है कि ऑडिट पार्टी का सहयोग लेकर इसको पकड़ा जाय तो दस हजार रुपये का गबन मिल सकता है।

श्री शिवचरण माथुर : जैसा कि मैंने निवेदन किया दो स्कूल्स के बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर दी गई है। नदवई की जानकारी दी। ए. ओ. भेज कर उसका रेकार्ड सीज कर लिया गया। और भी आप जानकारी देंगे उस पर कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं। डिप्टी इन्स्पेक्टर्स का जहां तक रेकार्ड को डेस्ट्रोय करने का सवाल है, वे अभी होस्पीटल में हैं इसलिये उनके द्वारा कोई ऐसी कार्यवाही की आशंका नजर नहीं आती। कोई एक भी रसीद प्रूव होजाती हैं तो उसी पर कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं। आपके पास और जानकारी हो तो वह भी दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। पुरःस्थापित होने वाले विधेयक।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कच्ची बस्तियों के संबन्ध में मैंने तीन दिन पहले स्थगन प्रस्ताव दिया था....

श्री उपाध्यक्ष : उस पर वक्तव्य दे दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल निश्चित तौर से ?

श्री उपाध्यक्ष : जी हां कल दे दिया जायगा।

'राजस्थान दिवस' के सम्बन्ध में चर्चा

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उस पर कल वक्तव्य देने से उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। ३० मार्च को 'राजस्थान दिवस' है इस अवसर पर राजस्थान सरकार की ओर से बजाय राजस्थान की राजधानी में 'राजस्थान दिवस' मनाये यहां न मनाकर 'राजस्थान दिवस' के मनाने का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि दिल्लीमें मनाने से उनको क्या फायदा है, इसकी क्या भूमिका है। किस प्रकार की प्रेरणा दिल्ली को दी जाने की है वहां 'राजस्थान दिवस' मनाकर केवल जन–सम्पर्क मंत्री महोदय राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंच-

(श्री सतीशचन्द्र)

वाने के और क्या पब्लिसिटी हासिल कर सकते हैं । 'राजस्थान दिवस' यदि मनाना हैं तो जयपुर में मनाना चाहिये, सम्पूर्ण राजस्थान में मनाना चाहिये । रियासतों का जो एकीकरण हुआ, उसके कारण यह राजस्थान बना, इसका महत्व यहां मनाने में ज्यादा है ।

मैं इतना और निवेदन कर दूं । दस हजार रुपये की ग्रान्ट इस 'राजस्थान दिवस' के लिये दी गई है । क्या इस रकम से किसी पत्र को एडवरटाइजमेन्ट देकर किसी को फेवर करना चाहते हैं । 'लोक कला मंडल' को ठेका दिया गया है । सांस्कृतिक कार्य-क्रम के लिये छः हजार रुपया तो उसी को चला जायगा । कुछ लोगों को पनपाने का माध्यम इस राजस्थान दिवस को बनाया गया है । आप इस तरह से करके इस दिन को कलंकित कर रहे हैं । मैं दिल्ली में 'राजस्थान दिवस' के आयोजन के निर्णय को कन्डेम करता हूँ और गवर्नमेन्ट से निवेदन करना चाहता हूँ कि 'राजस्थान दिवस' का आयोजन राजधानी में, जयपुर में किया जाय । राजस्थान एक है इस बारे में लोगों को प्रेरणा देने के लिये इस दिवस का आयोजन राजस्थान की राजधानी में होना बहुत आवश्यक है ।

श्री हरिदेव जोशी (जनसम्पर्क मंत्री) जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिल्ली में 'राजस्थान दिवस' मनाये जाने के बारे में शंकायें प्रगट की हैं उनकी शंका का समाधान करते हुए मैं सदन के सामने कुछ निवेदन करना चाहता हूँ । वह यह है कि इस आयोजन का मकसद राजस्थान की हैन्डी क्राफट्स, राजस्थान का कलचर, कलचर, राजस्थान के उद्योग धन्धे आदि के लिये उपयोग करने का था । दिल्ली में इन दिनों दो तीन बड़े-बड़े आयोजन हो रहे हैं कुछ राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय कई प्रकार के संगठन के जल्से दिल्ली में हो रहे हैं जिसका उपयोग हम करना चाहते हैं । इस दृष्टि से कि राजस्थान के उद्योग धन्धे कहां-कहां स्थापित हो सकते हैं, क्या पोटेन्शियलिटी है यह देश भर के उद्योगों में लगे हुए लोगों के सामने रखने का दृष्टिकोण था । साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सीज से आये हुए प्रति-निधियों, गवर्नमेन्ट के प्रतिनिधियों को भी इससे अवगत कराने का उद्देश्य था । यह हमारे लिये बहुत प्रसन्नता की बात थी कि, हमारे राष्ट्रपति ने भी हमारे इस आमन्त्रण को स्वीकार किया । और इस दृष्टि से ३० तारीख को यह तो एक सिबोलिक डे है, जिस दिन राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था इसको इस दृष्टि से हमने इस दिन को रखा है । ३० तारीख से १ तारीख तक वहां पर आयोजन लगातार हो रहे हैं । पब्लिकेशन करवा रहे हैं और राजस्थान की हस्तकला, इन्डस्ट्रीज, आर्ट आदि के नमूने उनके सामने रखने का मकसद था । राष्ट्रपति महोदय ने निमंत्रण स्वीकार किया है उनके अतिरिक्त और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के महानुभाव वहां पर आयेंगे इस उद्देश्य से इसको दिल्ली में रखा गया है ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : राज-स्थान के मंत्री जो यहां पर अपनी कारों की सुरक्षा नहीं कर सकते वे कम से कम दिल्ली में तो कार लेकर न जावें ।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : इसका रिएक्शन यह है कि 'राजस्थान

(श्री केदारनाथ)

दिवस' के पीछे राजस्थान के जिन लोगों ने कुरबानियां की हैं, एजीटेशन किया है, स्ट्राइक्स की है उनका हिस्टोरिकल बैक ग्राउन्ड है, उसके पीछे कुरबानी की भावना निहित है। मैं नहीं समझता कि इस मकसद से इस दिवस को यहां नहीं मनाया जाय और दूसरी जगह मनाया जाय। हमको हमारी पुरानी ग्लोरी और कुरबानियों को याद रखने के लिये यह दिवस राजस्थान में मनाया जाना चाहिये।

श्री हरदेव जोशी : यह सही है, मैं मानता हूँ, राजस्थान में 'राजस्थान दिवस' नहीं मनाया जाय यह तो सवाल है ही नहीं। दिल्ली में क्यों रखा इसका एक मात्र कारण यह था कि दो तीन राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन दिल्ली में हो रहे हैं उनका उपयोग करना चाहते हैं। वे सारे लोग जयपुर में या राजस्थान के और किसी हिस्से में आ नहीं सकते इस दृष्टि से दिल्ली में यह आयोजन किया गया है। राजस्थान के अतिरिक्त दूसरे राज्यों ने भी इस प्रकार के आयोजन वहां पर रखें हैं। उन्होंने अपने राज्यके इन्टिग्रेशन दिवस का नाम नहीं रखा क्योंकि यह नहीं रख सकते थे इसलिये उन्होंने दूसरे प्रकार से रखा है लेकिन उन्होंने भी उपयोग इस मौके का किया है। हमने भी सोचा कि राजस्थान के डेवलपमेन्ट की दृष्टि से इस अवसर का उपयोग करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल ([illegible]): उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ मंत्रीजी ने वही बातें दोहराई हैं जो पहले कही थीं। ३० मार्च को राजस्थान दिवस, एतिहासिक दिवस के तौर पर मनाया जाना चाहिये था। इस दिन सामन्तवाद को समाप्त करके एकीकरण किया गया इसलिये एतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व है राजस्थान में एकीकरण की भावना जो इस दिवस से आई थी उसको कम करके आंका जा रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता उसमें कमी आ रही है। शुरू के एक दो वर्षों में इसको अहमियत दी गई थी और आहिस्ता-आहिस्ता औपचारिक ढंग से मनाने की प्रथा कर दी। अब की बार मंत्रीजी ने जिस तरीके से निर्णय लिया है, राजस्थान में बिल्कुल ही यह दिवस नहीं मनाया जा रहा है और दूसरी जगह मनाने की बात करते है। राजस्थान की इन्डस्ट्रीज की अहमियत, राजस्थान की हस्तकला की अहमियत और सांस्कृतिक चीजों की अहमियत सब कुछ है, एतिहासिक दृष्टि से इसकी अहमियत है लेकिन इसको यहां न मनाकर दिल्ली में जाकर....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी ने यह नही कहा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : विकल्प है इसका। दिल्ली में इसको कल नहीं करके ५ दिन बाद में भी किया जा सकता था, ५ अप्रेल को भी एडवरटाइजमेन्ट, पब्लिसिटी वगैरा दिल्ली में दे सकते थे। जहां तक दिल्ली का ताल्लुक है, पब्लिसिटी देना चाहते हैं और यह पब्लिसिटी बाद में भी की जा सकती है या साइमलटेनियसली दोनों जगह की जा सकती है। लेकिन राजस्थान में नहीं करके 'राजस्थान दिवस' की अहमियत को खत्म करना है। राजस्थान में सामन्तवाद को ख़त्म करके उस दिन रियासतों का एकीकरण करके एक वृहत् राजस्थान निर्माण

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की भावना पैदा हुई थी उसको ठंडा करना चाहते हैं मेरा यह कहना है कि राजस्थान सरकार को निर्णय लेना चाहिये कि राजस्थान में अवश्य आयोजन हो, यहां पर यह दिवस मनाया जाय। यदि वहां पर आयोजन किया है प्रोग्राम रखा है तो यहां पर भी करें लेकिन यहां की परम्परा को खत्म नहीं करें। अगले साल और जोश खरोश के साथ किया जाय। सभी पार्टी मिल कर नेशनल डे के रूप में 'राजस्थान डे' को यहां पर मनावें।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय. मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजस्थान निर्माण का दिवस यहां पर नहीं मनाकर दिल्ली में मनाना चाहते हैं। इसके लिये प्रावधान किया है, मंत्रीजी बतायेंगे कि कितना किया है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ विशेष पत्रों को विशेष एडवरटाइजमेन्ट दिये गये हैं लेकिन राजस्थान में इस दिवस को मनाने का आयोजन नहीं किया गया है। राजस्थान के लिये यह सौभाग्य का दिवस होता जब कि सारे राजस्थान के जन प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहते और राजस्थान का यह दिवस अच्छी तरह से मनाया जाता (हीयर-हीयर) सारे जन प्रतिनिधियोंके इस सुप्रीम सदन की उपेक्षा करके 'राजस्थान दिवस' के उद्देश्य को उन लोगों को दिखाने जा रहे है जिनके लिये 'राजस्थान दिवस' का उपयोग नहीं है। 'राजस्थान दिवस' का उपयोग राजस्थान की जनता के सामने है जिन्होंने बलिदान किया है, त्याग किया है। लेकिन इनके लिये राजस्थान की जनता कोई अहमियत नहीं रखती है। इनके लिये राजस्थान के बाहर के विदेशी और पब्लिसिटी अहमियत रखती है। राजस्थान के त्याग और बलिदान का महत्व और उसका उपयोग बाहर के लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि 'राजस्थान दिवस' का आयोजन दिल्ली में न रख कर यहां रखना चाहिये था। वहां के और बाहर के लोगों को राजस्थान की कला, उद्योग, साहित्य और दूसरी प्रवृतियों की जानकारी देनी थी और प्रचार का आयोजन करना था तो दूसरे रूप में किया जा सकता था, लेकिन 'राजस्थान दिवस' का दिल्ली में आयोजन करना राजस्थान का अपमान है और लोगों के त्याग और बलिदान के साथ विश्वासघात हैं। मैं चाहता हूं कि 'राजस्थान दिवस' ३० मार्च को राजस्थान में मनाया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय ..

श्री उपाध्यक्ष : एक दल के एक ही नेता बोलें तो ठीक रहे।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने राजस्थान के हैंडिक्राफ्ट को लेकर जैसा तर्क दिया है उससे ऐसा आभास होता है कि आज तक राजस्थान का हेन्डिक्राफ्ट हिन्दुस्तान में और विश्व में प्रसिद्ध नहीं हुआ है जैसा कि मंत्री जी ने आज से कुछ दिन पहले बताया था कि हेन्डक्राफ्ट के द्वारा राजस्थान को विदेशी मुद्रा की आय हुई है इससे सिद्ध हुआ कि यह बाहर बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन 'राजस्थान दिवस' के प्रश्न को लेकर जन सपर्क मंत्रीजी ने जिस तरह से धन का दुरुपयोग किया है उसको सभी जानते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस बात से यह सिद्ध होता है कि राजस्थान के नागरिक 'राजस्थान दिवस' यहां पर नहीं मनाना

Page No. 58

(श्री देवीदत्त)

चाहते हैं और दूसरा यह हुआ कि राजस्थान सरकार यहां की ढाई करोड़ जनता की अवहेलना करके सिद्ध करना चाहती है कि जनता में राष्ट्रीय दिवस मनाने की उत्सुकता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे आप हिन्दुस्तान के किसी कौने में जायं, चाहे आप बाहर के पत्रों में एडवरटाइजमेन्ट दें, चाहे राजस्थान के समाचार पत्रों की अवहेलना करें लेकिन जबकि यह राजस्थान..

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपने बहुत कुछ कह दिया, अपनी नाराजगी प्रकट कर दी अब विराज जायं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि यदि ३० मार्च को 'राजस्थान दिवस' राष्ट्रीय दिवस के रूप में राजस्थान में नहीं मनाया गया तो यह हमारे लिये कलंक की बात होगी, जनता के लिये कलंक की बात होगी और विधान सभा के सदस्यों के लिये कलंक की बात होगी इसलिये मेरी मांग है..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें....

श्री देवीदत्त गाड़िया : सदन की भावना के विरूद्ध, ढाई करोड़ जनता की भावना के विरूद्ध चीज होगी..

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आपका भाषण समाप्त हुआ।...

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप तानाशाही पनपाना चाहते है इसलिये मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो जनता का त्यौहार होना चाहिये (हीयर हीयर) और सुनिये। अलग-अलग दलों ने अपना कार्यक्रम बनाया होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १५ अगस्त हिन्दुस्तान में मनाने लग जायं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : २६ जनवरी रूस में मनावें।

श्रीजयनारायण सालोदिया (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 'राजस्थान दिवस' राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है, यह एक ऐतिहासिक दिवस है, आजादी के संघर्ष के बाद में देश आजाद हुआ और उसके परिणाम स्वरूप राजस्थान का निर्माण हुआ। राजस्थान के निर्माण में कई इस तरह की बातें जुड़ी हुई हैं जिनके कारण यह 'राजस्थान दिवस' बहुत महत्वपूर्ण दिवस हमारे लिए है। कई देशी राज्यों का विलय करके इस राजस्थान का निर्माण हुआ है, और इस दिन को लाने में जनता ने, राजाओं ने और नेताओं ने बलिदान किया, जो उन्होंने त्याग किया उसके कारण ही 'राजस्थान दिवस' महत्वपूर्ण हमारे लिए है। अब यह 'राजस्थान दिवस' मनाने जा रहे हैं, इस 'राजस्थान दिवस' के पीछे जो बैकग्राउन्ड है, जिन लोगों ने इस दिन को लाने के लिए..

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कहना गलत है कि जागीरदारों और राजाओं ने बलिदान किया। राजाओं और जागीरदारों ने कोई बलिदान या त्याग नहीं किया है। लेकिन आपने उनको भी इन्क्लूड कर लिया है, आप महसूस करते हैं, जिस वर्ग को आप रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने लड़ाई लड़ी थी राजाशाही और सामन्तशाही के विरूद्ध ?

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय सदस्य ने सुना नहीं। मैंने सबसे पहले यह बात कही है कि इस दिवस को लाने के लिए जनता ने बलिदान किया है और उन लोगों ने सहयोग दिया है। हम उनके सहयोग को भी भूल नहीं सकते, उसको हम नजर अन्दाज नहीं कर सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जनता की बात के आगे उन्होंने हथियार डाल दिये।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कह कर आसन ग्रहण करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : राजस्थान को बनाने के लिए जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने त्याग और बलिदान किया है—उसको भी हम नहीं भूल सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि 'राजस्थान दिवस' जब नाम है तो यह राजस्थान के लिए है, इसको आप दिल्ली में मना रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री जयनारायण सालोदिया : दिल्ली में दिवस मना रहे हैं इसका मतलब है कि आप इसको अखिल भारतीय दिवस बनाना चाहते हैं। आपको हेंडीक्राफ्ट को दिखाना है तो हैंडी क्राफ्ट दिखाने के लिए वहां जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि 'राजस्थान दिवस' यहीं मनाया जाना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह 'राजस्थान दिवस' के बारे में जो माननीय सदस्यों ने कहा..

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप क्या व्यवस्था पर बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : वह कहते हैं, मैं कह दूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक माननीय सदस्यों की भावना का सवाल है, कि 'राजस्थान दिवस' का आयोजन राजस्थान में होना चाहिए, इसमें मुझे कोई विरोध हो—ऐसी बात नहीं है ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्यों नहीं किया ?

श्री हरिदेव जोशी : इसके राजस्थान में आयोजन का सवाल है, उसके लिए मैं सरकार के सामने माननीय सदस्यों की भावना रख दूंगा। यह मैंने निवेदन किया ...

एक माननीय सदस्य : आप सरकार के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक दिल्ली में आयोजन का प्रश्न है वह केवल एक सीमित दृष्टिकोण यह है कि वहां पर एक अवसर हमको मिला है, अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय

श्री जयनारायण सालोदिया : वह तो कह दिया।

श्री हरिदेव जोशी : उद्योगों में लगे हुए जो व्यक्ति हैं उनके सामने हमें राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट को रखना चाहिए। और उसके लिए इस दिवस का उपयोग करना चाहते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : दिल्ली के आप कृपा पात्र हैं इसलिए आप वहां पर मना रहे हैं। यह दिवस राजस्थान का है, आपको राजस्थान की जनता का ख्याल नहीं है। यह ख्याल नहीं है कि राजस्थान की जनता में एकता रहे। इसलिए आप वहां पर मना रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री हरिदेव जोशी : अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की लन्दन से तुलना करें और यह समझें कि दिल्ली और लन्दन एक जैसा है तो मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं तो केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अवसर हमें विदेशी और देश के उद्योगों में लगे हुए व्यक्तियों के सामने राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट का रखने का मिला है हम उसका उपयोग करना चाहते हैं। और वह उपयोग हम वाजिब मानते हैं। उसका उपयोग हम जयपुर में बैठ कर नहीं कर सकते। इस अपार्चुनिटी को अवेल करना जरूरी था, इस दृष्टिकोण से हम वहां करना चाहते हैं।

श्री दौलसराम सारण : राजस्थान हस्तकला प्रदर्शन के नाम पर वहां कर सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक।

मा. कृषि मंत्री !

पुरःस्थापित किये जामे वाले विधेयक

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पशु मेला (संशोधन) विधेयक, १९६८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शोभाराम : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री गोरधन सोनी।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मेड़ता क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा और डामर की सड़कों के अभाव की बाबत माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे दुःख है, उपाध्यक्ष महोदय हमारे नागौर जिले और नागौर जिले में भी मेड़ता क्षेत्र की हर मामले में विकास की दृष्टि से उपेक्षा की जाती रही है। मैं आज सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेड़ता क्षेत्र के अन्दर एक भी डामर रोड़ नहीं है। जो भी सड़कें बनी हुई हैं वह तमाम दुर्दशाग्रस्त हैं, टूटी फूटी हैं और यात्रियों को बड़ी तकलीफ होती है और ट्रकों के आने जाने में तकलीफ होती है। मैं आपको अर्ज करूंगा

(श्री गोरधन सोनी)

कि मेड़ता नागौर का ऐसा क्षेत्र है, जिसका अपना महत्व है, वह मीरा का नगर है और उसमें जैन मंदिर हैं। मीरा नगर और जैन मंदिर होने के कारण मेड़ता नगर का महत्व है और वह एक तीर्थ के समान है। इसके साथ में यह कहना चाहता हूं कि मेड़ता में पशु मेला भी भरता है। इसके साथ में, उपाध्यक्ष महोदय, मेड़ता एक प्रमुख मंडी है, जहां इस वक्त करीब चार हजार बोरी नाज का व्यापार होता है। इस तरह वहां लोगों को आने जाने में असुविधा होती है और ट्रकों को आने जाने में असुविधा होती है। इसमें इस तरफ कई बार ध्यान दिलाने के लिए माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से मिला हूं लेकिन उन्होंने हमेशा यह बताया कि भई, पैसे का अभाव है। पैसे का अभाव हमेशा हर विभाग में रहा है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस तो इस बात का है कि जिस पैसे का बजट में प्रावधान था, वह भी नहीं लगा । गया है। कहीं पर जो पैसा था, बजट में जितना पैसा लगाना था उससे अधिक लगाया है और कहीं पर जो बजट प्रावधान था वह भी नहीं लगाया गया है। इस तरह से पक्षपात हो रहा है। यह एक ऐसे बड़े क्षेत्र के साथ अन्याय है और उसकी उपेक्षा है। मैं मेड़ता क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि मेड़ता क्षेत्र में हमेशा ३७ बसें, उपाध्यक्ष महोदय, आती जाती हैं। इन सेंतीस बसों में से मेड़ता से पुष्कर, मेड़ता से नागौर, मेड़ता से जैतारण, मेड़ता से मूंडवा. मेड़ता से कुचेरा, मेड़ता से पीपाड़, मेड़ता से बिलाड़ा, मेड़ता से डेगाना और मेड़ता से टोटन आदि जगह पर बस आती जाती हैं। चार हजार बोरी अनाज आता है इस मंडी में, वह ट्रकों के द्वारा आता है, ट्रक रोज वहां आते हैं और वहां से जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आज बीस वर्षों के स्वराज्य के बाद में भी वहां पर डामर की सड़कों का नहीं होना यह साबित करता है कि इससे अधिक उपेक्षा और हो नहीं सकती। मेरे कहने का मतलब यह था कि जब भी इस ओर ध्यान दिलाया तो इस बात की उपेक्षा की और इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ मेड़ता क्षेत्र में गये वर्ष में बजट के हिसाब से पैसा करीब एक लाख लगना चाहिए था सड़कोंपर, वहां पांच हजार रुपया लगा। मुझे अफसोस होता है, उपाध्यक्ष महोदय, इस उपेक्षा को देख कर। क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री अपना यह कर्त्तव्य नहीं समझते हैं कि रुपया तो कम से कम बजट के प्रावधान के हिसाब से लगाना चाहिए। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आंकड़े प्रस्तुत करके यह बताऊंगा कि अपेक्षा के साथ में जो बजट में प्रावधान रखा गया, उसको खर्च न करके किस तरह से उपेक्षा की नीति अपनाई गई है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा, उस सड़क की जो दुर्दशा है, उसके बारे में अभी जो आम चुनाव हुए थे, उसके एक महीने, डेढ़ महीने पहले माननीय डे साहब उम्मीदवार के रूप में उधर से निकले तो उन्होंने एक सार्वजनिक मीटिंग में बोलते हुए कहा था कि नागौर और मेड़ता के आसपास की सड़कें इतनी खराब हैं कि जब मैं आता हूं तो मुझे मालिश करानी पड़ेगी। यह केन्द्र के मंत्री का उन सड़कों के बारे में हवाला रहा। इस विषय में मैं आपको कहूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह बिल्कुल सही बात है, इधर-उधर की जनता की ऐसी स्थिति है कि जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं, जिनके

(श्री गोरधन सोनी)

बच्चा होने वाला होता है, यह उन सड़कों पर से निकलती हैं तो वह औरतें उन सड़कों पर निकलने से डरती हैं....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : ऐसी औरतों को आप उन सड़कों पर होकर निकालो मत ।

श्री गोरधन सोनी : आप थोड़े जोश में कह देते हैं कि उनको निकालो मत। आपकी जिम्मेदारी नहीं है इसलिए आप कह देते हैं। लेकिन यह गम्भीर मामला है, इसलिए इस क्षेत्र को उपेक्षा से नहीं देखा जाय।

ऐसा क्षेत्र है यह जहां सेंतीस बसें आती हैं, दस बीस ट्रक उधर से निकलते हैं, आप उनसे यात्री कर, रोड टैक्स अनाप-शनाप वसूल करते हैं और उसमें से आधा पैसा भी वहां नहीं लगाना चाहते हैं। यह भारी उपेक्षा उस क्षेत्र के साथ रही है। मैं कहूंगा, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, आपको इस बारे

(१२.४६ म.प.)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

में सोचना चाहिए, इस ढंग से किसी क्षेत्र की उपेक्षा करके आप अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां से इतनी बड़ी आमदनी होती है आपको, वहां उसका पचास प्रतिशत, इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, उसमें से दस प्रतिशत भी इन्वेस्ट नहीं किया जाय तो इससे बड़े अफसोस की बात क्या होगी ?

सड़के साथ, में सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अकाल राहत विभाग के तहत में कुछ सड़कें बनती हैं। उनमें किन सड़कों का निर्माण होता है। डीडवाना-तलाना के बीच में एक सड़क बनी। उस पर ७० हजार रु० अकाल राहत के तहत लगा। मैंने प्रश्न किया और कहा कि सड़कों की उपेक्षा की गई है। जिस सड़क पर ७० हजार रु० लगा है वह सड़क बरबाद हो रही है, उसकी मरम्मत की जाय, तो उसका जवाब मिला कि वह तो अकाल राहत में बनी है। क्या अकाल राहत में पैसा नहीं लगा ? अकाल राहत विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग में सामंजस्य नहीं रखना चाहते, तारतम्य नहीं रखना चाहते ? वह समझते हैं कि अकाल राहत में जो पैसा लगता है, वह फालतू जाये। मैं सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग का आपस में तारतम्य और सामंजस्य होना चाहिए। ताकि अकाल राहत के तहत सड़कों पर जो पैसा लगे वह फालतू नहीं जाये और उसका उपयोग हो जो सारे मामलों में पैसे का अभाव महसूस करते हैं और विकास नहीं होता है। लगा हुआ पैसा इस तरह से बरबाद हो जाये ७० हजार रु० इस ढंग से बरबाद हो जाये। और वह सड़क महत्वहीन समझी जाये। मेड़ता-सिटी से मेड़तारोड सड़क का निर्माण हुआ था कच्ची सड़क उसका लाखों रुपया लगाकर दुबारा उसका निर्माण हुआ था। इस तरह की लापरवाही से लाखों रुपये बेकार हुए। और सड़क भी खराब हो गई। मैंने निर्माण मन्त्रीजीसे कहा कि यह ९ मील का टुकड़ा है। तो निर्माण मन्त्रीजी वह बात भी नहीं करवा सके।

इसके सिवाय सभापति महोदय, सड़कों

(श्री गोरधन सोनी)

में जिस ढंग से बजट रखा जाता है और जिस ढंग से लगाया जाता है, इस बारे में चर्चा करना चाहूंगा। सभापति महोदय, सन् ६३ में सड़कों के बारे में नागौर जिले में योजनाएं स्वीकृत की गईं। जिसमें नागौर-डीडवाना जो सड़क है जिसकी लम्बाई मेरे ख्याल में ६४ मील है। उसके लिए डामर की सड़क बनवाने के लिए २० लाख रु० का प्रावधान रखा गया है। और २० लाख का प्रावधान रख कर गतसाल १ लाख रु० लगाने का बजट रखा गया था। मैं उससे नाराज नहीं हूं। मैं पक्षपात की बात करता हूं। सिफारिशों के आधार पर काम होता है। वह बात करता हूं। उस सड़क पर ३ लाख ५५ हजार रु० खर्च किया गया। जिस सड़क का एरिया ६४ मील था। सभापति महोदय, उस पर २० लाख का बजट रखा गया है। और उसके मुताबिक नागौर से पुष्कर जो बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। नागौर हैडक्वार्टर है। मेड़ता जोधपुर डिवीजन की सबसे बड़ी मंडी है। पुष्कर तीर्थ है। उस डामर रोड की स्वीकृति आज से पहले सन् ६३ में हो चुकी थी। इसके लिए बजट प्रावधान ८ लाख रु० का रखा गया है। सभापति महोदय, में सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से पूछना चाहूंगा कि ६४ मील लम्बी सड़क के लिए इतने लाख का प्रावधान और नागौर से पुष्कर तक जो ६५ मील पडती है ८ लाख का प्रावधान किया। यह किस तरह रखा गया? ६४ मील की डामर की सडक के २० लाख। और ६५ मील की सडक के लिए ८ लाख। इसके साथ–साथ गतसाल नागौर से डीडवाना सडक पर लगने चाहिए थे १ लाख वहां २० हजार लगा। और नागौर से पुष्कर के लिए ५० हजार का प्रावधान था। उस पर एक पैसा भी नहीं लगा। मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से कई बार मिला और कहा कि सडक महत्वपूर्ण है। लोगों को परेशानी है। अगर पैसा नहीं है तो प्रावधान क्यों रखा है। जितना प्रावधान रखा है, उतना पैसा आपको लगाना चाहिए। एक जगह ३ लाख ५५ हजार लगा देते हैं। एक जगह एक लाख का प्रावधान होते हुए भी ३.५५ लाख लगा दिया जाता है। और दूसरी जगह प्रावधान होते हुए भी कुछ नहीं इसी तरह से, सभापति महोदय, खेजडला से पीपाड़ होती हुई और मेड़ता तक की सड़क के लिए ७।८ लाख का प्रावधान ६३ में रखा गया था। गतसाल उसी मार्ग पर १५ हजार और लगाने का प्रावधान रखा गया था लेकिन वहां ५ हजार रु० ही लगाया है। इसके साथ उस सड़क पर ५० हजार नहीं लगाये जाते। यह सबसे बडी उपेक्षा करने की बात है। आज तक १ लाख ६३ हजार रु० लगाया गया है। तो इस तरह से सभापति महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि नागौर से डीडवाना की सड़कों में २०लाख रु० का प्रावधान था वहां १८ लाख रु० लगा दिये हैं। इस तरह से जो स्वीकृत योजना थी उसका ६० परसेंट वहां लगा दिया गया है। नागौर से पुष्कर रोड थी उसमें ८ लाख का प्रावधान रखा गया था। अब तक ५ लाख ३० हजार रु० लगाये हैं। यह स्वीकृत योजना का ६७ परसेंट लगा दिया गया। खेजडला मेड़ता सड़क ७ लाख ८ हजार का प्रावधान था। उसमें १६३५२३ रु० लगाये हैं। जो कि प्रावधान का २५ प्र०श० होता है। इस तहह से आगे की सड़क है पीपाड से खेजड़ला होती हुई मेड़ता। इसमें ७८३० रु० लगा दिये गये

(श्री गोरधन सोनी)

हैं। जो कि २८ से ३० प्र० श० लगाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे खुशी है कि नागौर डीडवाना सड़क पर ज्यादा लगाया गया है। किन्तु मुझे एतराज है, सभापति महोदय, सरकार के भारी पक्षपात पर एवं सड़कों की उपेक्षा करते हुए। जो सबसे ज्यादा महत्व था। नागौर जिला हैडक्वार्टर है। पुष्कर तीर्थ है। और, मेड़ता सबसे बड़ी मंडी है। वह आवागमन का केन्द्र है। वहां बस पन्द्रह ट्रकें चलती हैं। ३७ बसें चलती हैं। उसकी इस प्रकार से उपेक्षा की गई है। सभापति महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें न्याय के आधार पर, इंसाफ के आधार पर सभी क्षेत्रों को देखना चाहिए। जैसा उन्होंने वादा किया था कि मैं स्वयं दौरा करूंगा। और सारी परिस्थिति को देखूंगा। तो न तो उन्होंने दौरा किया न परिस्थिति को देखा न हम लोगों से सही बातें कहीं थीं। वाजिब बातें कहीं थीं। न उनको माना न समझने की कोशिश की। मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से निवेदन करूंगा कि भविष्य में वे इस ओर ध्यान दें। और नागौर से पुष्कर रोड है जो बहुत महत्वपूर्ण रोड है जिस पर मेड़ता की ६ बसें चलती हैं। और दूसरी रीयां और ब्यावर। और भी बसें चलती हैं। उस रोड पर कुल २५।३० बसें आती जाती हैं। इसलिए उस रोड को डामर रोड जल्दी से जल्दी बनाया जाये। मेड़ता से जैतारण, मेड़ता से डीडवाना, और भी महत्वपूर्ण रोड है। जिनका मैंने जिक्र किया है। सार्वजनिक निर्माणमन्त्री वहां पर तुरन्त डामर रोड बनवाने की कृपा करेंगे। क्योंकि दुर्दशाग्रस्त सड़कों से यात्रियों को तकलीफ होती है। जिन पर चलने के लिए यात्री बसें और बसें और मालिकों की ट्रक ये घाटे में चलते हैं मुनाफे वाले नहीं। यात्री बसें भी घाटे में चलती हैं। इसलिए मैं आशा करूंगा कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं, वह भू०पू० नवाब भी हैं। उनको जनता के हितों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय आप राजस्थान सरकार के निर्माण मन्त्री हैं इसलिए मैं आशा करूंगा कि भविष्य में हमारे उस क्षेत्र के प्रति उपेक्षा वृत्ति नहीं करेंगे। जहां कम से कम विकास हुआ है। जहां लोगों की बीस वर्षों में सड़कों की सुविधा नहीं दी गई है। सड़कों की सुविधा नहीं। उन क्षेत्रों की जनता की उपेक्षा के कारण जो पुरानी बकाया है, उस हिसाब से देखते हुए भविष्य में सुविधायें देने का प्रयत्न करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि डीडवाना–नागौर में साढ़े ३ लाख रुपया लगाकर उस सड़क को पूरा किया। उसी तरह से नागौर से पुष्कर वाली सड़क पर ज्यादा पैसा लगा कर पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे क्षेत्र की जनता आभारी होगी। और जनता को राहत मिलेगी। उसके लिए उनको बहुत–बहुत धन्यवाद देगी। इतना कहते हुए जो आपने मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुना उसके लिए धन्यवाद।

(१ म.प.)

श्री अमीनुद्दीन (सार्वजनिक निर्माण मत्री) : माननीय सभापति महोदय, अभी मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य मेड़ता क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा और डामर की सड़कों की कमी का बयान कर रहे थे। मैं यह बेशक सही मानता हूं कि मेड़ता के क्षेत्र में जैसी सड़कें होनी चाहिये,

Page No. 65

(श्री अमीनुद्दीन)

वह नहीं हैं। पर चन्द बातें बयान कीं कि पक्षपात के कारण यह चीज तरक्की नहीं कर सकी, यह मैं मानने को कतई तैयार नहीं हूं, हो सकता कि पक्षपात एक साल से चलता है, इससे पहले नहीं था।

श्री गोरधन सोनी : फिर यह बजट में हेर फेर कैसे किया गया है ?

श्री अमीनुद्दीन : जो बजट का हेरफेर होता है वह किन आधारों पर होता है, वह दूसरी बात है।

श्री गोरधन सोनी : अगर पक्षपात नहीं है तो जहां १ लाख का बजट है वहां साढ़े तीन लाख कैसे लगाते हैं ?

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, इस प्रकार बजट में हेरफेर करना बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री सभापति : पहले जवाब सुन लीजिये।

श्री अमीनुद्दीन : पक्षपात का नतीजा जब मालूम होगा जब अगले साल बजट में, इस प्रकार का प्रावधान होगा कि आपको कम दिया गया, दूसरों को ज्यादा दिया गया।

यह मैं कतई मानने को तैयार हूं कि इस क्षेत्र में बहुत छोटी सड़कें डामर की हैं, बाकी सड़कों की हालत ठीक नहीं है। पर मैं पहले कह चुका हूं कि अर्थाभाव के कारण हमारी दिक्कतें आपको मालूम हैं। जो मेन्टेनेन्स की रकम होगी, आपको भी वही मिलेगी जो औरों को मिलती है, रुपये का प्रोविजन भी आपके लिये वही होगा जैसा दूसरे क्षेत्रों में होगा सिवाय उसके कि जो कमिटेड हैं, चालू हैं, उसमें भी खयाल रखा जायगा कि एक हिस्से से दूसरे को अलग नहीं रखा जाय, बराबर बंटवारा सब क्षेत्रों को मिले, यह मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात कहूं, आपकी मेरी जुबानी बात हुई वह लिखकर देते तो बराबर जवाब मिलता कि इसकी वजूहात क्या हैं।

श्री गोरधन सोनी : मैंने कम से कम २० चिट्ठियां लिखी हैं।

श्री अमीनुद्दीन : सबका जवाब दिया है, आपकी कोई ऐसी चिट्ठी नहीं है, जिसका जवाब नहीं दिया हो।

श्री गोरधन सोनी : मैं मानता हूं जवाब दिया पर काम कुछ हुआ नहीं, सब गोलमाल जवाब दिया।

श्री अमीनुद्दीन : फिर मैं क्या जवाब दूं ?

श्री गोरधन सोनी : काम करें, जवाब भले ही नहीं दें।

श्री अमीनुद्दीन : आपको बराबर का हिस्सा मिलेगा, मरम्मत का बराबर का हिस्सा मिलेगा, नये कामों के लिये बराबर का हिस्सा मिलेगा। इससे ज्यादा और नहीं कर सकता।

श्री गोरधन सोनी : यह निवेदन है कि आपने इसका जवाब नहीं दिया कि ६४ मील नागौर टू डीडवाना है, उसका ६४ लाख का रखा और मेड़ता टू पुष्कर का ८ लाख ही रखा, यह डिफरेंस क्यों है ?

श्री अमीनुद्दीन : इसकी वजह मालूम कर के बताऊंगा कि क्यों डिफरेंस रहा।

सबसे जरुरी सड़क है मेड़ता से पुष्कर, वह जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिये, उसकी तरफ मेरा ध्यान है।

श्री सभापति : संपदा शुल्क पर विचार।

संपदा शुल्क पर विचार

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (राज्यमंत्री): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं.......

श्री सतीशचन्द्र अगवाल : आपने जिस समय इसे रखा था तो मैंने एतराज किया था तो आपने कहा था कि आंकड़े आप बाद में बतायेंगे....

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आंकड़े दे रहा हूँ। ५ मार्च को यह संकल्प प्रस्तुत किया था तो कुछ जानकारी चाही गई थी, उस वक्त सरकार के पास उपलब्ध नहीं थी। अब वह जानकारी मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिये निवेदन कर रहा हूँ।

६१–६२ के वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा एस्ट्रीमेट्स के आधार पर १० हजार रुपये की धन राशि राज्य सरकार को अलॉट की गई किन्तु वास्तव में राज्य सरकार को उस कर सम्बन्धी आय हुई इससे ६३२६ रु०, उसमें से १४० रुपये कलेक्शन चार्जेज के काट लेने पर शुद्ध आय हुई ६१८६ रुपया।

६२–६३ में एस्ट्रीमेट्स के आधार पर २० हजार रुपया अलॉट किया गया था पर कुल आय हुई ४३०६ उसमें से कलेक्शन चार्जेज के १०६ रुपये कट गये और शुद्ध आय हुई ४१६५ रु०।

६३–६४ में एस्टीमेट्स के आधार पर हमें अलॉट किया गया २० हजार रु०, कुल आय हुई १६४७४ रुपये की, उसमें से कलेक्शन चार्जेज के ४४४ काटे जाने पर शुद्ध आय हुई १६०३०।

६४–६५ में एस्टीमेट्स के आधार पर ३० हजार रुपया अलॉट किया गया लेकिन उस वर्ष में आय हुई ६७१ रुपया जिस पर कलेक्शन चार्जेज के १५ रुपये काट लेने पर शुद्ध आय हुई ६५६ रुपया।

६५–६६ में एस्टीमेट्स के आधार पर अलॉट किया गया आय हुई ११६७ उसमें से कलेक्शन चार्जेज का ३० रुपया निकाल लेने पर शुद्ध आय हुई ११३७ रुपया।

६६–६७ में एस्टीमेट्स के आधार पर २६ हजार रुपया हमें दिया गया वास्तविक आय हुई १००० रुपया। इसके कलेक्शन चार्जेज के सम्बन्ध में चुंके कन्ट्रोलर एण्ड ऑडीटर जनरल आफ इंडिया से केल्कुलेशन्स नहीं आये हैं, पर करीब २५ रुपया कलेक्शन चार्जेज के होंगे और इस तरह से ६७६ रु० की शुद्ध आय ६६–६७ की रहेगी।

यह फीगर्स एस्टेट ड्यूटी इन रेस्पेट आफ एग्रीकल्चरल लैंड की है। इन रेस्पेक्ट आफ नान एग्रीकल्चरल प्रापर्टी के इसमें शामिल नहीं है। वह फीगर्स आप चाहेंगे तो दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस दिन तो आप लाखों में बता रहे थे, १७ लाख और कुछ ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : वह शायद टोटल की बताई थी। एग्रीकल्चर का आपने मांगा था। डिडक्शन कितना होता है, प्रिन्सिपल अगर आप जानना चाहें तो मैं बता सकता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ९७५ रुपये की आपको इससे ६६–६७ में आमदनी होती है, उसको वसूल करने का अधिकार आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं .

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आगे जाकर अधिक हो सकती है। पर इतनी साधारण बात के लिये राज्य सरकार अलग कानून बनाये तो वह लाभप्रद नहीं हो सकेगा न उचित ही होगा। एक ही एजेंसी से एस्टेट ड्यूटी वसूल हो जाय तो यह कर दाताओं के लिये भी सुविधाजनक है..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। राजस्थान विधान सभा को कानून बनाने का अधिकार है, वह अधिकार आप संसद को देना चाहते हैं, इस प्रस्ताव के जरिये तो इस कानून को हम पास नहीं करेंगे तो राजस्थान की सरकार को ९७५ रुपये का नुकसान होगा।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह एक वर्ष का है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं लेटेस्ट इन्कम के आधार पर अपनी बात रख रहा हूँ। ९७५ रुपये की रकम के लिये घंटा भर उस दिन सदन का खराब कर दिया और एक घंटा आज खराब करे और आमदनी हो ९७५ रुपया, इस संकल्प पर विचार करेंगे तो ९७५ रुपया तो भत्ते में ही व्यय हो जायगा।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह कहना सही नहीं है। यह आय फ्लेक्चुएटिंग है। कभी २० हजार की कभी ७ हजार की हो सकती है। जैसे–जैसे कृषि की पैदावार बढ़ेगी, उन्नत तरीकों के बीज, खाद देने से नये तरीकों से खेती करने से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा तो आय भी प्रतिवर्ष बढ़ती रहेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एस्टेट ड्यूटी बढ़ जायगी क्या ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ५० हजार से ज्यादा इन्कम देने वाली एस्टेट होगी तो उस पर यह टैक्स भी बढ़ेगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि कलेक्शन चार्जेज होते हैं, उसका क्या प्रिन्सिपल है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले तो यह प्रिन्सिपल था कि जो भी टोटल कलेक्शन चार्जेज सैल्स टैक्स की वसूली के होते थे २.०३८ परसेंट एडहोक बेसिस पर एस्टेट ड्यूटी के कलेक्शन के मान लेते थे। तो उस पर कर दिया जाता था लेकिन अब नया सिद्धांत जो उन्होंने अपनाया है उस विषय में वह यह कि दर असल एसटेट ड्यूटी की वसूली के लिए अलग स्टाफ नहीं है। इन्कम टैक्स का जो स्टाफ है वह एस्टेट ड्यूटी वसूल करता है एग्रीकल्चरल प्रापर्टी और नान एग्रीकल्चर प्रापर्टी पर। लिहाजा जो ग्रोस आमदनी होती है, सारे साल की मान लीजिए एक करोड़ खर्चा हुआ उसके अनुपात में एस्टेट ड्यूटी की आमदनी ५ लाख होती है तो ५ प्रतिशत टोटल एक्सपेन्डीचर है उस एस्टेट ड्यूटी पर होने वाले कलेक्शन चार्जेज मान लिए जायेंगे। जो टोटल कलेक्शन हुआ है उस परटीक्यूलर

(श्री विशम्भर नाथ जोशी)

साल का उसी के रेश्यों से खर्चा कल्क्यूलेट किया जाता है जो वाजिब तरीका है। इसलिए इस बारे में दो राय की गुंजाइश नहीं है, सदन के दोनों ओर के माननीय सदस्य इस बात की मांग करते हैं कि टैक्सेज की तादाद ज्यादा नहीं होनी चाहिए और टैक्सेसन की वसूली कराई जाय तो जो कलेक्शन होगा उससे ज्यादा खर्चा हो जायगा। आज यदि आमदनी कम है तो कल बढ़ भी सकती है। इसलिए भारतीय संसद को यह विशेषाधिकार जो हमें संविधान की धारा २५२ (२) के तहत मिला है, यह विधान सभा प्रदान करने में सक्षम हैं, उनको प्रदान किया जाय। आपत्तिकालीन स्थिति की घोषणा समाप्त हो चुकी है और धारा २५० के तहत वे सारे कानून जो इस प्रकार के कानून पास किए हैंसंसद ने वे विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए घोषणा की समाप्ति के ६ महीने की अवधि तक प्रभावशाली रह सकते हैं, ६ महीने की अवधि समाप्त हो रही है। इसलिए एस्टेट ड्यूटी के सारे कानून जो एग्रीकल्चरल लैंड पर लागू होते हैं, वे प्रभाव शून्य हो जायेंगे। इसलिए उनको प्रभावशून्य होने से बचाने के लिए यह अधिकार संसद को संविधान के अनुच्छेद २५२ के तहत लेजिस्लेशन बाई कन्सेंट को संसद को दे रहे हैं, यह विवादा-प्रश्न नहीं है, इसलिए माननीय सदस्यों से वेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह विवादास्पद प्रश्न बिल्कुल नहीं है, लेकिन पिछली बार जब संकल्प प्रस्तुत किया गया था, तो यह धारणा बनती थी कि शायद लाखों रुपए की आमदनी होती है इसलिए केन्द्रीय सरकार को ये अधिकार दिये जाने चाहिए, जो अधिकार कानून बनाने का इस विधान सभा को है वह हम केन्द्रीय सरकार को दें कि एस्टेट ड्यूटी के संबंध में वह कानून बनाए राजस्थान के लिए, लेकिन एग्रीकल्चरल टेनेन्सीज पर लगने वाली एस्टेट ड्यूटी के संबंध में जो पिछली बार आपने आंकड़े दिए उससे ऐसी धारणा बनती थी कि इसमें १२, १४ व १७ लाख रुपए की आमदनी है। हमने अनुमान लगाया कि राजस्थान को १७ लाख का नुकसान हो जायगा। उस दिन आपके पास पूरे आंकड़े नहीं थे। आपने जो आज आंकड़े बताए हैं उनसे मालूम पड़ गया कि अगर सदन ने इस अधिकार को केन्द्रीय सरकार को नहीं दिया तो १९६६-६७ के अधार पर राजस्थान सरकार को ९७५ रु० का नुकसान होने वाला है और टैक्सेशन का नुकसान हो जायगा। इसलिए टैक्स सिम्पलीफिकेशन की बात आपने कह दी। मुझे राजस्थान सरकार की बुद्धि पर तरस आता है। हम सदस्यों को ४०० रु० वेतन मिले और २१ रु० रोज, ३६ रु० प्रति दिन एक एक सदस्य पर खर्चा हो तो १८२ सदस्यों पर रोजाना खर्चा लगभग ७,०००), पांच घन्टे सदन की कार्यवाही चले और उसमें से डेढ़ घन्टा या दो घन्टे खर्च करें तो इसका मतलब ३,०००) खर्चा होगा इस संकल्प को पास करने पर, पेनी वाइज पाऊंड फुलिश। राज्य सरकार की अकल का दिवाला निकल गया है। ९७५) रु० के लिए इस सदन का बहूमूल्य २ घन्टे के समय का नुकसान हो, तीन हजार का खर्चा और ९७५ रु० की प्राप्ति यह तो इनके अकल के दिवालियापन का द्योतक है। वित्त-मंत्री समझदार हैं उन्होंने आपको आगे कर दिया है, आप नए नए आए हैं तो आपको ही भिड़ा दिया है, तीन हजार का खर्चा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और ६७५ रु० की आमदनी। राजस्थान का बजट २ अरब ६४ करोड़ का याने लगभग ३ अरब का एप्रोप्रिएशन बिल है उसमें ६७५ रु० वसूल कैसे लिए जांय इसके तरीके ढूंढने की राज्य सरकार कोशिश कर रही है। इमर्जेन्सी समाप्त हो गई। अगर कानून नहीं बना तो राजस्थान टेनेन्सीज पर आप कहते हैं एस्टेट ड्यूटी नहीं लगेगी। आप कहते हैं कि प्रस्ताव आना चाहिए और इस सदन का बहुमूल्य अधिकार केन्द्रीय सरकार को देना चाहिए। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को घोषणा कर देनी चाहिए कि हम एग्रीकल्चरल टेनेन्सीज के बारे में कोई एस्टेट ड्यूटी नहीं चाहते, क्या फर्क पड़ने वाला है? ६७५ रु० नहीं मिलेगें। इसमें कोई बड़े भारी काम्पलीकेशन्स हिंदुस्तान में होगें, ऐसा मैं नहीं समझता।

इन्हीं शब्दों के साथ और जो राज्य सरकार ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, सरकारी संकल्प पर बोलना और उसका विरोध करना और कुछ कहना अपने आपको शर्मिंदा मानना है, यह सरकार के खुद सोचने की बात है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मुझे आश्चर्य हुआ कि माननीय सदस्य ने इस बात के लिए चिंता व्यक्त की। सदन का समय इतना कीमती है इसमें दो राय की गुंजाइश नहीं, कि सदन का एक एक मिनट जो खर्च होता है, उसके सैकड़ों रुपए होते हैं दुसरी तरफ केवल अनावश्यक हम बोलें किसी चीज को समझने की कोशिश नहीं करें, यह एस्टेट ड्यूटी है, माननीय सदस्य वकील हैं। यह आमदनी ऐसी नहीं है जो हरसाल एक जैसी हो, अगले साल ज्यादा भी हो सकती है। यह ड्यूटी इस पर डिपेंड करती है कि पिछले साल असेसेबल प्रापर्टी रखने वालों में से कितने लोगों का इंतकाल हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो आपने यह उम्मीद कर रखी है कि राजस्थान के लोग ज्यादा मरें। लोगों के इंतकाल की आमदनी पर राज्य सरकार जिंदा रहना चाहती है?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : यह तो सब दुर्भाग्य है कि बोलना मर्ज हो गया है। टैक्सशन में फलक्चूएशन आता है। किसी साल में ज्यादा आमदनी होती है। खुशकिस्मती से असेसेबल प्रापर्टी रखने वाले लोग बहुत कम भगवान की दया से इस दुनिया से उठें इसलिए टैक्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। माननीय सदस्य अफसोस कर रहे हैं कि ज्यादा आमदनी नहीं हुई। आप चाहते हैं कि राजस्थान से ज्यादा लोग कम होने चाहिए थे। यह फलक्चूएटिंग इन्कम है। नेसेसरली नंबर आफ डेथ्स आफ असेसीज पर डिपेंड करेगी। इसके लिए अंदाज नहीं लगाया जा सकता। किसी साल में २० हजार, किसी साल में कम भी रह सकती है। It will depend on deaths. इसे विवादास्पद विषय नहीं कहा जा सकता कि एक क्लास आफ एसेसीज से टैक्स वसूल करने के लिए दो एजेन्सीज लगाएं राजस्थान सरकार और भारत सरकार अलग अलग तो खर्चा भी ज्यादा आएगा और हमारा प्रॉफिट जो सरकार को होने वाला है वह भी नहीं होगा, और आदमी को डबल बही खाते रखने पड़ेगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पास कर दिया जाय। सरकार की अगर ऐसी जिद् है, हमारी असहमति जरूर है लेकिन आप ६७५

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रु० चाहते हैं, हम ज्यादा समय नहीं खर्च करना चाहते, भगवान के नाम पर यह दुआ मत करो कि राजस्थान के ज्यादा लोग मरें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह तो आप कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं ऐसी आमदनी नहीं चाहता कि लोग मरें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सम्पदा शुल्क संबंधी जो शासकीय संकल्प ५ मार्च, १९६०, को राज्य मंत्री, वित्त विभाग, द्वारा रखा गया, उसे पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : देख लो अपनी संख्या। मैं चैलेंज नहीं करता। उधर १४ बैठे हैं और इधर २४, बाकी तो बाड़े में होंगे। हां करने वाले तो १४ हैं।

श्री सभापति : संकल्प पारित हुआ।

श्री सभापति : राजस्थान विनियोग विधेयक।

राजस्थान विनियोग (संख्या३) विधेयक, १९६८ पर विचार

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्वतन्त्र पार्टी के महारावल साहब चले गए, उन्होंने समझा कि इस पर काफी बहस होगी, उनको सूचित किया जाय। He is going to open the debate.

श्री मथुरादास माथुर (वित्तमंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६८, को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : प्रस्तुत हुआ।

श्री गिरधारीलाल व्यास ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : पारित कर्ता भाई - - बोलें।

श्री गिरधारी लाल : सभापति महोदय

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय - - -

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरा नाम ले लिया है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, यह तो विचित्र परम्परा हो जायगी, इसलिये आप विराजिये।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अच्छा तो आप बोलिये।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने सन् ६८-६९ वर्ष के लिये जो विनियोग विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में, सभापति महोदय, मैं सदन के समक्ष कुछ बातें रखना चाहूंगा। सभापति जी, हमने राज्य के आगामी वित्तीय वर्ष के लिये अलग अलग विभागों से सम्बन्धित मांगे पारित की हैं। अलग अलग मांगे पारित करने के बाद जब तक यह विनियोग विधेयक सदन द्वारा पारित नहीं होता तब तक राज्य के खजाने से यह राजस्थान की सरकार खर्च नहीं कर सकती है और इसी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दृष्टि से यह विनियोग विधेयक सदन के सामने आया है । सभापति महोदय, इस समय अलग अलग विभागों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्तावों के प्रश्न नहीं है, लेकिन इस समय कुछ विचार इस तरह से रखना चाहूंगा और जो आज की स्थिति, आज का दिन कुछ इस तरह से है जैसे घर में शादी होने के बाद जब लड़की विदा होती है और उसको सीख दी जाती है कि तुम सुसराल में जाओ तो कैसा व्यवहार रखना । हम भी आज इस राजस्थान की सरकार को कुछ यह सीख देना चाहते हैं कि आने वाले साल में इस राजस्थान के घर में आपका आचरण कैसा हो, कहीं ऐसा न हो कि मान गुमान में आप शासकीय इज्जत न गंवा बठें । कहने का मतलब यह है की आगे आने वाले वित्तीय वर्ष मे राजस्थान की सरकार वह हरकत न करे जो पिछले सालों में हरकत की है । सभापति महोदय, आज राजस्थान की सरकार के मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी इस सदन में भाषण देते हैं तो राजस्थान की एक तस्वीर दुनियां के सामने रखने की कोशिश करते हैं और वास्तविकता के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं और कहते हैं कि राजस्थान २० वर्षों में विकास करता चला गया है । मुझे याद है पिछले आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में भयंकर झूठा प्रचार किया कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत नहीं बनी और अगर विरोधी पार्टी की हुकूमत बनी तो राजस्थान का विकास अवरुद्ध हो जायगा । यह है आपकी लोकतन्त्रीय विचार धारा, इसे ही कहते हैं लोक तन्त्र ! आज हिन्दुस्थान में विरोधी पार्टी की सरकारें बन रहो हैं, पलट रही हैं । मुझे याद है पिछले समय जब मैं भाषण दे रहा था उस समय बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बिहार की गैर कांग्रेसी सरकार चली गई । उस दिन बिहार की सरकार का पतन हो रहा था लेकिन आज फिर बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बन गई है ।

(विरोधी पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गई।

ये सरकारें जायेंगी और आयेंगी, यह बात दूसरी है । बिहार में इतनी हिम्मत वाले कांग्रेसी, विरोध प्रकट करने वाले अपनी आत्मा को देखें । उनके खिलाफ बगावत का झंडा खड़ा करने वाले कांग्रेस पार्टी का तख्ता पलट गया । बिहार में कांग्रेस पार्टी के लोग ही नहीं हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों में आज ऐसा ही हो रहा है । जो जनता के साथ नहीं चलते हैं, जनता की आवाज से मिलकर नहीं चलते हैं, समय के अनुसार जो जनता की भावना है, वह प्रकट हुई है । जनता की आवाज थी कि हमें तब्दीली चाहिये, शासन में परिवर्तन चाहिये, जनता की भावना थी कि शासन बदले, सत्ता बदले, कांग्रेस का शासन बदले, यह नारा था । उसके अनुरूप देश के अन्दर राज्यों में सरकारें बदल रही हैं । आज राजस्थान के अन्दर यह बात मैं मानकर चलता हूं कि कांग्रेस में वह तबका नहीं जो सन् १९४७ के पहले था । राजस्थान में दूसरे राज्यों के मुकाबले विचित्र स्थिति है । आज यहां आत्मा की आवाज का सवाल खड़ा नहीं होता । आज राजस्थान में कांग्रेस का संगठन बना हुआ है । केन्द्रीय सरकार की रुपरेखा और कांग्रेस की भ्रष्टाचारी से ही आज हमारे यहां एक कांग्रेस का शासन है । कांग्रेस की सरकार केवल एक मात्र सुखाड़िया साहब की मर्जी पर है, उनके

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्लेजर और डिसप्लेजर पर है। कांग्रेस की जीत सुखाड़िया जी की मर्जी पर है चाहे वे विधान सभा के अध्यक्ष श्री राम निवास जी मिर्धा हों और चाहे नाथूराम जी मिर्धा हों, कांग्रेस पार्टी के कितने ही प्रभावशाली व्यक्ति हों। आज श्री राम निवास मिर्धा को हराकर श्री हरजी राम बुरड़क आये हैं। इनको आप देख लीजिये, इनको देखकर कोई भरोसा भी नहीं कर सकता है तो उनके हराने में किनका हाथ है, यह हम सब जानते हैं। आज कांग्रेस की हालत उस तरह की हो रही है कि—

श्री विश्वम्भरनाथ ज़ोशी : आन ए पॉइन्ट ऑफ आॅर्डर, सर। ये सारी बातें इस विधेयक से सम्बन्ध नहीं रखती है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : आज इन हालतों के अन्दर....

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : सभापति महोदय, में निवेदन करूंगा कि एप्रोप्रियशन बिल से, उसके सिद्धांत से कोई इसकी रेलेवेन्सी नहीं है।

श्री सभापति : कोई पॉईन्ट ऑफ आर्डर नहीं है। राजनैतिक गतिविधियों पर माननीय सदस्य का अधिकार हैं, बोलने दें। आर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, में संक्षेप में कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर, इसलिये कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले सालों में आज राजस्थान के अन्दर यह सरकार अपने चाल-चलन को ठीक प्रकार नहीं रखेगी, क्योंकि पिछली ऐसी भूमिका रही है। जिस प्रकार विवाह से पहले बहू के पुराने संस्कार उसका सारा रहन-सहन, उसका चाल-चलन आदि देखते हैं। जिस प्रकार आज ये देखते हैं कि बहू की चाल अच्छी हो, काम को नहीं देखते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि बहू का चाल-चलन अच्छा होना चाहिये इसलिये आज जरूरत है कि राजस्थान की सरकार का चाल-चलन अच्छा हो, योजना कैसी हो यह देखने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर कांग्रेस में राजस्थान की कांग्रेस में और राजस्थान की सरकार में चार तरह के लोग हैं। सभापति महोदय, हमारे शास्त्रों में चार प्रकार के पुत्रों का वर्णन हैं—कौन कौन से ? - एक है, औरस पुत्र, जो अपने खुद का पुत्र होता है-एक होता है दत्तक पुत्र जो गोद लिया जाता है, एक होता है नियोग पुत्र, जो दूसरे से होता है और एक होता है दासी पुत्र, जो खरीदी हुई दासी होती है, उससे होता है। आज इस राजस्थान की सरकार में औरस पुत्र दिखाई ही नहीं देता है। कुछ थोड़े से जो ४७ के बाद में कांग्रेस में आये हुवे हैं वे हैं दत्तक पुत्र, जो जागीरदारों या अन्य लोगों के नियोग-पुत्रो संख्या ज्यादा हैं।

श्री मूलचन्द डागा : दत्तक पुत्र के तो वे ही अधिकार होते हैं जो औरस के होते हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कसवाड़ा साहब कौन से पुत्रों में से हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तीसरी केटेगरी है नियोग की—

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : तो ये नियोग पुत्र हैं क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तरह भी आप मानिये; मैं भैंसवाड़ा साहब के लिये कैसे नाम लूं। सभापति महोदय, अब रहे दासी पुत्र, जो ६७ के चुनावों के बाद कांग्रेस में आये, लाख लाख रुपये लेकर आये, कांग्रेस में ये हो गये आपके दासी पुत्र। आज राजस्थान में न औरस पुत्र हैं, न दत्तक पुत्र है – आज राजस्थान में नियोग और दासी पुत्रों का भण्डार है। तो इसलिये संकट का सामना करना पड़ेगा राजस्थान को। राजस्थान की जनता इसलिये चिन्तित है, भयभीत है। आखिर यह राजस्थान की सरकार आगे आने वाले समय में विकास की बात कहती है वह राजस्थान का विकास होगा कैसे ?

सीमाओं की रक्षा का सवाल हो खाद्यान्नों के उत्पादन का सवाल हो पीने के पानी का सवाल हो सड़क, बिजली और पानी का सवाल हो सारी और सुविधाओं का सवाल हो, बेकारी और बेरोजगारी का, सवाल हो, मुझे ऐसा लगता है राजस्थान की सरकार ने बहुत बढ़िया तस्वीर राजस्थान की जनता के सामने रखी है, वह गन्दी है। सही तस्वीर नहीं है।

आज राजस्थान की स्थिति यह है, राजस्थान की सरकार जनता के सामने व इस सदन में सही तस्वीर नहीं रखना चाहती जिसके आधार पर कहा जा सके कि २॥ करोड़ जनता आज जिसके विकास की बात यह सरकार करती है, आपने सोचा हैं, जनता पर लगभग ५०० करोड़ का कर्जा है। हर व्यक्ति राजस्थान का, चाहे वह गोद का बच्चा हो, पेट का हो, स्कूल में पढ़ने वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई हो, शहर में रहने वाला हो, या गांव में रहने वाला हो, हर व्यक्ति पर २०० रु. का कर्जा है। राजस्थान के हर व्यक्ति पर दो सौ रु० का कर्जा २॥ करोड़ जनता, सरकार ने १५ सालों में राजस्थान के हर व्यक्ति पर कर्जे का बोझ लादा है अब उसको चुकाने की बात सोचे तो हर व्यक्ति को दो सौ रुपये दान में देने पड़ेंगे। अदा करने पड़ेंगे। अब गांव में रहने वाला, राजस्थान में रहने वाला हर व्यक्ति जिसकी चार आना रोज की आमदनी है, ७॥ रु० महीने की एवरेज आमदनी है ६० रुपया साल का होता है उसको दो सौ रुपया कर्जे में चुकाना पड़ेगा। इतना भयकर कर्जा आज राजस्थान के हर व्यक्ति पर इस सरकार ने लादा है।

मैंने पिछले कुछ दिनों में अपने विचार सदन में रखे थे तो यह प्रकट किया था। मुख्य मन्त्री ने इस पर कहा कि यह बात तो वित्त मन्त्री बतावेंगे। इसका जवाब वे ही देंगे। फाइनेन्शियल स्टेटिस्टिक्स के बारे में मुख्य मन्त्री कुछ नहीं समझते। वित्तीय आंकड़ों के बारे में वे कुछ नहीं कह सकते। अतः संक्षेप में इतना ही कहना पड़ेगा कि कर्जे की भी सीमा होती है। हम कर्जा लेते हैं। जितनी धनराशि लेते हैं वह विकास के काम में नहीं लगाते हालांकि लेते हैं विकास के नाम पर।

आज कर्जा अगर घर में खाना खाने के लिये लें तो विचित्र स्थिति हो जावेगी। पर अगर विकास के लिये लें तो समझ में आ सकता है, उद्योग के विकास के लिये, अन्य विकास के लिये। विकास के नाम के लिये कर्जा लेना समझ में आ सकता है। पर विकास के नाम से लेकर रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर में खर्चा करें तो समझ में नहीं आता।

Page No. 74

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

पिछली बार भी आंकड़े पेश किये और तब मुख्य मन्त्री ने यही कहा कि वित्तमन्त्री जी जवाब देंगे । एप्रोप्रियेशन बिल के वक्त विचार होगा । पर मैं कहना चाहता हूं कि पिछले छः सालों में ३६५.३८ करोड़ का कर्जा लिया २७७.७२ करोड़ का एक्सपेन्डीचर किया जिसमें एडवान्सेज और लोन्स के अगेन्स्ट में ८७.६५ करोड़ प्लान एक्सपेन्डीचर नहीं किया । इसलिये पुराने कर्ज का दुरुपयोग कर रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर में पिछले छः सालों में ८७.६५ करोड़ खर्च किया है । यह स्थिति आर्थिक दृष्टि से अच्छी नहीं मानी जा सकती ।

इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार को इस पर गहराई से विचार करना चाहिये । मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि हमें इन्ट्रेस्ट पे करना पड़ता है और टैक्सेशन के द्वारा ६५-६६ तक ३१ करोड़ रुपया वसूल किया । पर ३६ करोड़ एडीशनल इन्ट्रस्ट दे दिया । सारे टैक्सों की आमदनी ब्याज में चली गई । यह वित्तीय स्थिति की दृष्टि से सबसे बड़ा चिन्तनीय मामला है । ६१-६२ में हमारे पर कर्जा १५ करोड़ के लगभग था जो ६५-६६ में ४६ करोड़ तक पहुंच गया । केन्द्रीय सरकार ने ६१-६२ में ११३ करोड़ का कर्जा दिया । ६५-६६ में २६० करोड़ का यह हो गया । पर इस अनुपात से हमारी आमदनी नही बढ़ी । न विकास कार्यों में हमने पूरे का पूरा इसको खर्च किया । आने वाले वर्षों में १०-८० करोड़ रुपया ब्याज का देना पड़ेगा । मूलधन १०,२२ करोड़ देना पडेगा । और ब्याज का १०.८० देना पड़ेगा । नतीजा यह होता है राजस्थान को तीन लाख रुपया रोजाना ब्याज का देना पड़ता है ।

ऐसी हालत में, सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार इस पर भी विचार न करें कि हमें किस प्रकार से अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना है । इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती ।

मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था । हमारे जो इस सम्बन्ध में आंकड़े हैं आज हालत यह है कि राजस्थान की एक तरफ तो यह वित्तीय स्थिति है दूसरी और खर्चा किस तरह से बढ़ा रहे हैं । सीमा की सड़कों के लिये सवाल सदन में खड़ा होता है तो कह देते हैं पैसा नहीं । सीमा-सुरक्षा के लिये सरकार पैसा खर्च नहीं कर सकती, लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था में पैसा नहीं खर्च कर सकती । मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों को जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं राहत नहीं दे सकती । पर केपिटा इनकम कम होती जा रही है । कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दुस्तान के मुकाबले में राजस्थान सबसे पिछड़ा प्रदेश है । अरबों रुपया कर्ज लेने के बाद भी इकोनॉमिक दृष्टि से हिन्दुस्थान के और प्रदेशों के मुकाबले हम कहीं नहीं ठहरते । मेरे पास सारे आंकड़े मौजूद हैं । समयाभाव के कारण उनको यहां नहीं रख सकूंगा । माननीय मन्त्री चाहेंगे तो दे दूंगा ।

दूसरी तरफ हमारी सरकार पैसे का किस तरह से दुरुपयोग कर रही है यह कहने की आवश्यकता नहीं है । पी. एस. सी. की रिपोर्ट कहती है करोड़ों के गबन और घोटाले की कहानी, पच्चीस पच्चीस करोड़ के यूटीलाइजेशन सरटीफ़िकेट नहीं । पैसे का

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

उपयोग नहीं। ग्रॉडिट के ग्रॉब्जेक्शन हैं। ये साबित करते हैं कि राजस्थान की सरकार पैसे का दुरुपयोग करने में, अपव्यय करने में, गबन और घोटाला करने में कितनी भयंकर रूप से आगे बढ़ती जा रही है। इसके लिये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। माननीय सदस्य जानते हैं। पी. एस. सी. की रिपोर्ट इस बारे में स्पष्ट है।

सरकार में करोड़ों की खरीद-फरोख्त होती है। सरकार इनमें सावधानी बरते। दो तीन मामले आपके सामने रखना चाहूंगा। आपको याद होगा कुछ सालों पहले राज कर्मचारियों को दवाई देने के लिये दुकानें खोली गई। जयपुर में चार दुकानें खुलीं। पांच लाख की दवाईयां इन दुकानों के लिये खरीदी गई। बाद में वे सेन्टर बन्द कर दिये गये। इसमें, सभापति महोदय, सरकार अपने अस्पतालों के लिये जैसे मैनुफक्चरर्स से सीधी दवाइयां खरीदती थीं, वैसे इन दुकानों के लिये खरीदती तो पचास पर्सेन्ट डिसकाउन्ट मिलता। इन पांच लाख की दवाइयों में २॥ लाख का कमीशन मिलता। ये ढाई लाख में उपलब्ध हो जाती' लेकिन राजस्थान की सरकार ने उन सारे मेन्युफक्चरार्स से और कम्पनी से दवाइयां नहीं खरीदीं और दवाइयां खरीदीं बाजार से और जब बाजार से दवाइयां खरीदीं उसके कारण से सरकार ने दवाइयों की वह कीमत दी जो कि उस समय बाजार में प्रचलित थी। नतीजा यह हुआ कि सारे मामले में,सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार को २॥ लाख रुपये का घाटा हुआ केवल एक आइटम के ऊपर मेडिकल स्टोर्स के लिए दवाइयां खरीदने में। सारे सिलसिले में राजस्थान सरकार ने जानबूझकर २॥ लाख रुपये का घाटा केवल एक आइटम में खाया। सभापति महोदय, मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि जो होलसेल के दुकानदार हैं उनसे भी यदि दवाइयां खरीदी जातीं तो भी १५ पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पर सरकार को मिल जातीं, लेकिन वह नहीं खरीदीं और डिस्काउन्ट आपको मिला नहीं, और डिस्काउन्ट मिला भी है तो बीच में ही कोई उस डिस्काउन्ट को खा गया होगा। दवाइयां उन स्टोर्स में बाजार की कीमत पर मिल रही थीं। इस लिए सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे मामलों में केवल घोषणा के लिए, केवल नारों के लिए कोई नीति निर्धारण न करे और नीति निर्धारण करके फाइनेन्शल आस्पेक्ट को भी सरकार देखे।

इसी तरह से सभापति महोदय, उदयपुर मेडिकल कालेज में हमने २ लाख रुपये की कीमत के इक्विपमेन्ट्स खरीदे। उसके लिए हमने टेन्डर्स इनवाइट नहीं किये और पिछले दो साल से सारा मेटिरियल जो कि उदयपुर मेडिकल कालेज के लिए खरीदा वह २ लाख रुपये का डिस्कार्डेड मेटिरियल होकर पड़ा है। इस तरह से, सभापति महोदय, जो ताजा उदाहरण हैं वह मैंने आपके सामने रखे हैं। यह ५ लाख और २ लाख रुपये की घाटे की बात मैंने सदन के सामने रखी है।

लेकिन, सभापति महोदय, इस बारे में एक बात सदन के सामने रखना चाहूंगा। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उनको शायद सारी पता है कि वहां पर पचभद्रा नाम का एक स्थान है। वहां नमक निकलता है। सभापति महोदय, वह नमक इकट्ठा हो गया और वह नमक इकट्ठा हो जाने के बाद उसके टेन्डर्स इन्वाइट किये।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

टेन्डर्स इन्वाइट करने के बाद डाइरेक्टर ने यह सिफारिश की कि वह टेन्डर जो हाईएस्ट टेन्डर है उसको मन्जूर कर लिया जाये। मन्जूर करने की सिफारिश कर दी। राज्य सरकार के पास सिफारिश चली गई। इस बीच में क्या हुआ कि नमक की कीमत थी वह बाजार में गिर गई और जब कीमत गिर गई तो जिस आदमी ने टेन्डर दिया उसने सोचा कि घाटा होगा और अगर मैंने नमक खरीदा तो घाटा हो जायगा। इसलिए ऐसा हिसाब बैठाना चाहिए जिससे घाटे से बचत हो जाये। सभापति महोदय, नतीजा यह हुआ कि उसके कारण उस व्यक्ति ने अपनी सांठगांठ बैठाई और उस समय के जो हमारे उपमन्त्री थे श्री चन्दनमल जी बैद, उस समय क्या हुआ कि उन्होने डाइरेक्टर को बुलाया और कहा कि सारे मामले में आपका टेन्डर मन्जूर कर लिया गया है। पार्टी को इतला दे दी कि आपका टेन्डर मन्जूर कर लिया गया है इसलिए नमक उठाना शुरू कर देना चाहिए। पार्टी को इत्तला चली गई कि आपका टेन्डर मन्जूर हो गया है आपको नमक उठाना चाहिए, लेकिन, सभापति महोदय, यह सारी इतला जाने के बाद हुआ क्या कि उसके बाद में डाइरेक्टर ने टेलीग्राफीकली आदेश भेजा आर्डर्स केप्ट इन एबयान्स यह तार दिया, लेकिन तार देने के बाद आर्डर्स रुक जाते इसमें भी कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन पार्टी को फिर चिट्ठी भेजी जाये कन्फर्मेशन के लिए उसमें लिख दिया, 'आर्डर्स विथड्रान' यह और साथ में लिख दिया। इसका मतलब यह है कि जो ऑर्डर प्लेस किया वह हमने विथड्रा कर लिया है और जो तार से एबेयेन्स में लिखा था वह चिट्ठी से विथड्रा कर लिया पार्टी ने कह दिया कि आपने आर्डर से विथड्रा कर लिया इसलिए मैं नमक नहीं उठाऊंगा। बाजार में नमक की कीमत गिर गई और सारे मसले में टेन्डर इनवाइट करने के कारण, आर्डर्स के विथड्रा करने के कारण ८ लाख का घाटा हुआ। आज इस संबंध में एक सवाल आया है श्री भैरोंसिंह जी का वह भी स्थगित हो गया है। लेकिन, सभापति महोदय, ८ लाख का घाटा हुआ। सभापति महोदय, मैं राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूं कि २० लाख का नमक कहां गया? पानी में गल गया या पानी में वह गया? आज ऐसी हालत है जो राजस्थान की सरकार ने की है। सभापति महोदय, इस तरह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज खरीद और फरोख में राजस्थान की सरकार को घाटा इस तरह से बढ़ता चला जाये, आज कई मामलों में राजस्थान की सरकार इस तरह से घाटा खाती रहे, यह गम्भीर चिन्ता का विषय है।

सभापति महोदय, मैं कुछ प्रशासन के मामले इस सदन में रखना चाहूंगा। पिछली बार, सभापति जी, मैंने जिस समय गृह विभाग की मांग आई थी मैंने गृह मंत्री जी से भी पूछा था। वह सदन में मौजूद नहीं हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज यह प्रशासन जिन अधिकारियों के माध्यम से आप चलाते हैं, आज राजस्थान की सरकार की नीति क्या है? आज राजस्थान की सरकार की नीति यह है कि जो भी सरकारी अधिकारी हैं मैं यह मानकर नहीं चलता कि राजस्थान के प्रशासन में सारे ही अधिकारी भ्रष्ट हैं। मैं मानता हूं कि कुछ अधिकारी ईमानदार हैं और यह बात भी सही है कि कुछ अधिकारी भ्रष्ट भी हैं जैसी मंत्रिमण्डल की भी हालत है। ऐसी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हालत में, सभापति महोदय, जो ईमानदार अधिकारी हैं उनका तो एप्रीसियेशन नहीं है, लेकिन जो बेईमानी करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो मन्त्रियों की खुशामद करते हैं, जो जनता पर लाठी और गोलियां चलाते हैं उन सारे अधिकारियों को राजस्थान सरकार प्रमोशन देती है। नतीजा क्या होता है कि सर्विसेज में डिस्कन्टेन्टमेंट है, आज सेवाओं में असंतोष है और इसके कारण जो काम उनको करने चाहिये वह काम नहीं हो पाते हैं और इस तरह से आज सरकारी सेवाओं में कांग्रेस सरकार ने राजनीति इतनी घुसा दी है कि, सभापति महोदय, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि पिछली बार आम चुनावों के बाद इस सरकार के बनने का काम क्या कलेक्टर और क्या एस० पी० सब के सब सरकार के बनाने और बिगाड़ने में किस तरह से लगे हुए थे यह बड़ी निन्दा का सवाल है। लेकिन, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो सरकार का दृष्टिकोण है चाहे पब्लिक प्रोसीक्यूट के एपॉइन्टमेंट की बात हो, चाहे गवर्नमेंट एडवोकेट का मसला हो आज राजस्थान की सरकार सब नियुक्तियों में कितना पक्षपात करती है और कितना राजनैतिक दृष्टिकोण रखती है और किस तरह से अपने मर्जीदां लोगों को इन पदों पर देखना चाहती है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में कई बार मसले आये हैं प्रश्नोत्तर काल में मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कि आज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके चेयरमैन को आपने राजनैतिक आधार पर जो पहले उनके प्रतिद्वन्द्वी थे गंगानगर जिले के उनको हटाकर आपने पब्लिक सर्विस कमिशन में मेम्बर बना दिया और आज वह चेयरमैन हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे कोई गिला नहीं है लेकिन मैं नीति की आलोचना करना चाहता हूं कि किस तरह आप सार्वजनिक जीवन को भ्रष्ट कर रहे हैं। लोगों को निकाल-निकाल कर प्रलोभन दे कर उनको आपने पब्लिक सर्विस कमिशन का मेम्बर बनाया। इसी तरह से, सभापति महोदय, आपने यहां पर राजस्थान के अन्दर जो जिला पंचायत का पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका चेयरमैन पोलिटिकल आदमी को बनाया है। मैं उनकी इन्टीग्रिटी पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करता। जिस आदमी को चुनाव में टिकट नहीं मिला उसको आप ने पंचायत समिति के सर्विस सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बना दिया। राजनीति से हटा कर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया। जो चुनावों में हार जायें उनको आप लॉ कालेज में लेक्चरार एपॉइन्ट कर देंगे। आपके धारीवाल साहब हार जायें तो उनको आप पब्लिक प्रोसीक्यूटर या गवर्नमेंट एडवोकेट बना दें। यह जो हालत है, कोटा से हार गए आपने ४०० रु० रोज पर बेरी कमीशन में लगा दिया, आज ११०० रु० रोज में, मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार को इनको सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति आज हिन्दुस्तान के अन्दर गांधी मर्डर ट्रायल हुआ जो हिन्दुस्तान के प्रतिष्ठित वकील थे श्री दफ्तरी और सीतलवाड उस समय भी उनको १००० रु० रोज मिलते थे और यहां केवल इनवेस्टीगेशन हो रहा है, जांच केवल हो रही है उसमें ११०० रु० रोज दिये जाते हैं और इसलिए दिये जायें कि जनता में आम चर्चा है कि मुकट बिहारी लाल भार्गव को ११०० रोज इसलिए दिए जाते हैं कि सुखाड़िया जी को पिटीशन में मुफ्त में पैरवी कर रहे हैं

Page No. 78

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दामोदर जी की कर रहे हैं। आप मुफ्त में पैरवी करवाइये और बेरी कमिशन में, गोली काण्ड में सरकारी खजाने से ११०० रु० रोज दें यह आलोचना की एक बात हो सकती है। ऐसे कुछ हालात में मैं राजस्थान की सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरह से राजस्थान को आर्थिक संकट से उभारोगे ? मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का उदाहरण रखा, मैंने गवर्नमेंट एडवोकेट के एपॉइन्टमेंट के मामले रखे। आप हाईकोर्ट में एपॉइन्टमेंट करते हैं। आपने ऐसे ऐसों को एपॉइन्ट किया जो कि राव घोरसिंह की पैरवी कर रहे हैं उनके लड़के का एपॉइन्टमेंट कर दिया है। वहां पर ऐसे-ऐसे लोगों को एपॉइन्ट किया है जिनकी सालभर भी वकालत करते हुए नहीं हुआ है। ऐसे ही मिस्टर माथुर को असिस्टेन्ट गवर्नमेंट एडवोकेट बनाया है राजस्थान की हाईकोर्ट की सिफारिश के बिना।

आज राजस्थान की लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव प्रेस और जुडीशियल यह चार जो लोकतंत्र के खम्बे हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन ४ खम्बों को राजस्थान की सरकार, कांग्रेस नेता, राज्य के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ने किस तरीके से भ्रष्ट करने का प्रयास किया है यह नंगा चित्र आज राजस्थान के सामने है। मैं एक उदाहरण इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं। आपने लेजिस्लेचर को नहीं छोड़ा, आपने प्रेस और जुडिशियरी को नहीं छोड़ा। सभापति महोदय, आज राजस्थान की जनता में, आम जनता में किस तरह की भावना है उसका एक उदाहरण सदन के अन्दर रखना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार आज जुडिशियरी को भी नहीं बख्शती है, जुडिशियरी से किस तरह से दखलन्दाजी करती है, किस तरीके से काम करती है, सभापति महोदय, यह सदन सुनकर दंग रह जायगा ! आज जुडिशियरी, राजस्थान हाईकोर्ट जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, एक इन्स्टान्स सदन के सामने रखना चाहूंगा जिससे राजस्थान की जनता और हिन्दुस्तान की जनता देखेगी कि राजस्थान की कांग्रेस हुकुमत ने किस तरीके से राजस्थान की हाईकोर्ट में पोलिटिकल एपॉइन्टमेंट्स किये हैं। ऐसे लोगों को एपॉइन्ट किया है जिनके एपॉइन्टमेंट्स हो नहीं सकते थे। मैं, सभापति महोदय, सूक्ष्म में निवेदन करना चाहता हूं।

सन् ५६-५७ की बात है जिस समय राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश श्री वांचू साहब थे, उस समय एक शख्स, मैं उनको इस सारे विवाद में बाबू साहब कहूंगा, नाम नहीं लूंगा, उन बाबू साहब के एपॉइंटमेंट का सवाल खड़ा हुआ ! उसमें पोलिटिक्स की वजह से उस समय के मुख्य न्यायाधिश वांचू साहब ने 'बाबू साहब' का नाम रिकमण्ड किया। वह स्टेट गवर्नमेंट के पास आया और स्टेट गवर्नमेंट के पास से गवर्नर के पास गया। वहां से मन्जूरी नहीं मिली। उस समय तो उनका एपॉइंटमेंट नहीं हुआ। यह बात मैं ५६-५७ की बता रहा हूं। उन "बाबू साहब' का एपाइंटमेंट नहीं हुआ। उसके बाद में दूसरे मुख्य न्यायाधीश आये। वह १-३-५६ को मुख्य न्यायाधिश हुए। उसके बाद कुछ जगह खाली हुई। जगह खाली हुई तो तीन जगह खाली हुई। उन तीनों के सिलसिले में "बाबू साहब' का नाम गया। उन तीनों जगहों में से एक पर भी उनका एपॉइंटमेंट नहीं हुआ और एपाइंटमेंट दूसरे तीन जजेज को हो गया। उसके बाद, सभापति महोदय, उन "बाबू साहब' ने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दिल्ली को एप्रोच किया और एप्रोच करने के बाद उस समय के केन्द्रीय गृहमंत्री भूतपूर्व श्री गोविंद वल्लभ पन्त थे, उनके वहां एप्रोच किया तो उन्होंने गवर्नर साहब को एक एपाटमेंट लेटर लिखा जिसको कहते हैं वारंट आफ एपाटमेंट। वह राजस्थान के गवर्नर के पास भेजा गया कि इन 'बाबू साहब' को राजस्थान में एक और जज मुकर्रर किया जाता है। यह सन् ६० की बात है। यह एपॉइंटमेंट किया गया। गवर्नर साहब ने मुख्य न्यायाधीश को बुलाकर कहा कि यूनियन होम मिनिस्ट्री से यह एपॉइंमेंट आया है कि इन 'बाबू साहब' को राजस्थान हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया है। आप इस पर अपनी सहमति दे दीजिये। उन्होंने, उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने गवर्नर साहब को कह दिया कि इस पर मैं अपनी कोई सहमति नहीं दे सकता। मुझ से पहले पूछे बिना ही और मेरी रिकमन्डेशन के बग़ैर ही यह एपॉटमेंट किया गया है। भारतीय संविधान में यह है कि चीफ जस्टिस की कन्सलटेशन से हाई कोर्ट के जज का एपाइंमेंट होगा। मेरे से कन्सल्ट किया गया। इसलिये मैं इस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता। वह चले गये। उसके बाद राज्यपाल महोदय ने पत्र लिखा कि आप इस पर अपनी सहमति दीजिये और अपने कमेंट्स दीजिये। उसके बाद उन्होंने लिख दिया। राज्यपाल महोदय को आखिर अपनी सहमति नहीं दी, और यह भी कहा कि इन 'बाबू साहब' को यदि जोधपुर भेजा जाय तो शपथ नहीं दिलाऊंगा, ओथ नहीं एडमिनिस्टर कराऊंगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने यह भी लिख दिया कि उन्होंने यह भी लिख, लिख दिया कि ये व्यक्ति पौलिटिक्स में इन्डल्ज करते हैं और जज बनने के काबिल नहीं हैं। अब यह लिख दिया कि ओथ नहीं दिलाऊंगा, पोलिटिक्स में इन्डल्ज करते हैं और जजशिप के काबिल नहीं है। यह लिख कर भेज दिया। उसके बाद सभापति महोदय ने.... ...

एक माननीय सदस्य : कौन साब हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'बाबू साहब' हैं। नाम नहीं बताऊंगा।

उसके बाद राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने इन सज्जन का नाम और उन सज्जन को चिट्ठी और सारा काम केन्द्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया और गृह मंत्रालय ने 'बाबू साहब' की नियुक्ति को कैन्सिल कर दिया इस आधार पर इनका मामला सन् ५६-५७ से चल रहा था। वह कैन्सिल हो गया।

उसके बाद ६१ में राजस्थान हाई कोर्ट के जज पद पर दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति हो गई। लेकिन, सभापति महोदय, उसके बाद क्या हुआ ? उसके बाद यह हुआ कि तीसरे चीफ जस्टिस आये। वांचू साहब चले गये, सरजूप्रसादजी चले गये और राणावत साहब चीफ जस्टिस आये। वांचू साहब चले आये, उस समय राजस्थान हाई कोर्ट में फिर एक जगह खाली हुई। तो फिर एक जगह खाली हुई तो 'बाबू साहब' को फिर रिकमण्ड किया गया। राणावत ने फिर डिसएप्रूव कर दिया। इस बार भी नाम डिसएप्रूव कर दिया, नामन्जूर कर दिया और एक दूसरे व्यक्ति राजस्थान हाई कोर्ट के जज मुकर्रर कर दिये गये।

उसके बाद दवे साहब राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। उसके बाद फिर 'बाबू साहब' का नाम भेजा गया और जब वापस नाम दिल्ली गया तो, सभापति

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
महोदय, उस समय वहां पर गजेन्द्र गडकर चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। उनके सामने सारी फाइल पुट अप हुई, और जब सारी फाइल पुट अप हुई तो तीन आदमियों के नाम गये-एक श्री कानसिंहजी, एक श्री लहरसिंह जी का नाम था और तीसरा उन 'बाबू साहब' का नाम था। मामला सामने गया। उन्होंने कहा कि पहले दो चीफ जस्टिस ने नाम डिस्एप्रूव किया है, इनका नाम रिजेक्ट हुआ है, एपाइन्टमेन्ट कैन्सिल हुआ है तो तिबारा एपाइंटमेन्ट कैसे हो सकता है इसलिए लिख दिया है उसके अनुसार जो कुछ जानकारी मिली है उनका नाम डिसएप्रूव कर दिया गया।

It appears that the Cbief Justice. उस समय के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है hadill-advised the state Government thus the Cophief Justice of India rejected these names. उनके नाम को नामन्जूर कर दिया। उनका नाम नामन्जूर कर दिया और दूसरे व्यक्ति, श्री कानसिंह जी को हाई कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया। यहां भी नाम नामन्जूर हो गया। दो चीफ जस्टिस ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कर दिया।

सभापति महोदय, दुबारा क्या हुआ? फिर एक नाम की सिफारिश हुई। उसके बाद जिस नाम को पहले स्वीकार किया गया, 'बाबू साहब' का नहीं, उस लिस्ट में से उनको जब एपाइंट कर दिया। इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन में निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री लहरसिंह जी को जब मुकर्रर कर दिया जिनका नाम पहले रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद गजेन्द्र गढ़कर रिटायर्ड हो गये। उसके बाद वान्चू साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जिन्होंने उनका नाम पहले रिकमण्ड नहीं किया और एज चीफ जस्टिस रिजेक्ट कर दिया, सेन्ट्रल का होम मिनिस्ट्री से बाद में रिजेक्ट होगया, और बाद में राणावत साहब ने जिसका नाम रिजेक्ट किया। उसके बाद दुबारा नाम भेजा गया फिर जिनका नाम रिजेक्ट किया गया. और तीसरें चीफ जस्टिस दुवे साहब रिकमण्ड किया तो रिजेक्ट कर दिया। दुबारा नाम भेजा गया दवे साहब ने जब कि गजेन्द्र गढ़कर रिटायर्ड हो गये और वान्चू साहब चीफ जस्टिस हो गये तो दो इलेक्शन जजेज की पोस्ट्स क्रियेट हुई और दो पोस्टें क्रियेट करने के बाद ५६-५७ से जो 'बाबू साहब' कोशिश कर रहे थे उनकी वहां पर एपाइंटमेंट किया गया.......

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री): 'बाबू साहब' है या 'भाबू साहब'?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आपके यहां जोधपुर में 'बाबू साहब' का मतलब और है। वहां पर ओसवालों को आम तौर पर 'बाबू साहब' कहा करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा: आप नाम बता दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: नाम नहीं बताना है मुझे। परसरामजी समझ गये हैं। वे जानते हैं कि चांदमलजी लोढ़ा हैं। मेरे कहने की जरूरत नहीं है। (हंसी)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार इनका नाम क्यों रिकमण्ड किया। दो चीफ जस्टिसों ने

Page No. 81

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आपत्ति की है जिनके नाम पर, जिसके लिए होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया, दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मना कर दिया....

श्री परसराम मदेरणा : पहले भी जो रिकमन्ड किया था वह चीफ जस्टिस ने ही रिकमन्ड किया था उस पर भी कन्सल्ट नहीं किया गया। इसके बाद भी जिन माननीय जज लेने होते हैं उनके लिये चीफ जस्टिस ही रिकमन्ड करते है इसमें राज्य सरकार के रिजेक्ट करने का प्रश्न ही कहां आता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भारत के संविधान में लिखा हुआ है किसी भी हाई कोर्ट के जज को अपोइन्ट करते हैं। आप ही नाम भेजते हैं और आप ही ने भेजे हैं। अब टाट खुजाने से क्या? हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं जोश में आकर खड़े हो गये।

सभापति महोदय, परसरामजी की बहुत इज्जत करता हूँ वे मुख्य मंत्री बनने लायक हैं लेकिन जब तक सुखाड़ियाजी बैठे हैं, राजनीति वे जातीयता के आधार पर ही चलायेंगे। इधर कुम्भारामजी और नाथूरामजी को भिड़ा दिया। जाट जाट भिड़ा देंगे तब तक सपने देखिये मुख्य मंत्री बनने के।

इस सदन के सामने मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सरकार ने हाई कोर्ट को भी नहीं बक्सा। इसमें तीन चौथाई जजेज वे हैं जो कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं। आज कांग्रेसपार्टी के सक्रिय सदस्य रहने वालों को पोलिटिक्स के आधार पर हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है। मैं इसी बैंक ग्राउन्ड में कह रहा था, जिस व्यक्ति का नाम रिजेक्ट कर दिया जाय दो तीन बार जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज रिजेक्ट कर दें इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है जब कि जजेज की नियुक्ति में स्टेट गवर्नमेन्ट की एडवाइज होती है।

श्री परसराम मदेरणा : आप तो काफी ए वन एडवोकेट हैं आप यह मानते होंगे कि कांग्रेस के जो सदस्य रहे बाद में उनको हाई कोर्ट का जज बना दिया वे कितने काबिल और कोम्पीटेन्ट साबित हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं राजस्थान हाई कोर्ट के जजेज के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। माननीय मंत्री महोदय स्वयं जानते है कि उनकी रेपुटेशन क्या है? आज सारा राजस्थान जानता है। इस बारे में मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि सदन में जब कभी किसी जांच का मामला आया सदन के सदस्यों ने हमेशा एक ही नाम दिया कि जांच करवाई जाय तो श्री जगतनारायण जी से करवाई जाय। वह आपको कभी मन्जूर होता नहीं। इसी से आप अन्दाज लगा सकते हैं। आज राजस्थान हाईकोर्ट से कोई मुकदमा ट्रांसफर करवाना हो डिस्ट्रिक्ट जज से किसी मुन्सिफ जज के यहां तो ३०० रुपया खर्च होगा लेकिन हाईकोर्ट में एक जज से दूसरे जज के पास मुकदमा बदलवाना हो तो १०० रुपये में ही हो जाता है। क्योंकि वहां सब उनके रिश्तेदार और लड़के प्रैक्टिस करते हैं नतीजा यह होता है कि एक जज के यहां से मुकदमा १०० रुपये में ही दूसरे जज के पास चला जाता है। इस तरह से आप

(श्री मतीशचन्द्र अग्रवाल)

देखेंगे एक मुकदमें को छः छः जजेज तक भेज देते हैं। मंत्री महोदय कहते हैं कि हम उनके लड़कों को किस तरह से मना कर सकते हैं, उनके रिश्तेदारों को प्रैक्टिस करने से रोक नहीं सकते। लॉ कमीशन की यह सिफारिश कि दो तिहाई जजेज दूसरे प्रान्त के हों उनको आप क्यों कर मानने लगे। क्योंकि बाहर के जो जजेज आयेंगे वे आपको डिनर में बुलायेंगे नहीं और न वे आपके ही डिनर में आयेंगे तो फिर आपका और उनका मिलन नहीं हो सकता। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप महरबानी करके इस जुडिशियरी को तो करप्ट करने से बचावें। करप्ट करने के लिए तो आपके पास सारा एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्जीक्युटिव है। भगवान के नाम पर जुडिशियरी पर हाथ मत डालें। अगर हाथ लगाया तो जैसे कलमुही होती है जिस तरफ देख लेती है उसी प्रकार का मुंह हो जाता है इस तरह से जुडिशियरी की हालत हो जायगी।

हम सब यह जानते हैं कि इस लोकतन्त्र में जो जुडिशियरी की प्रतिष्ठा है इसकी जो मान्यता है उसको आप कलुषित करने का प्रयास मत कीजिये।

आज इस लोकतन्त्र में भी राजस्थान में प्रेस और पत्रकारों की क्या हालत है परसरामजी आपने कभी देखा? आपके यहां वेज बोर्ड की रिकमन्डेशन लागू नहीं होती इस कारण वर्किंग जनरलिस्ट और जर्नलिस्ट परेशान हैं। राजस्थान सरकार जो समाजवाद का नारा लगाती है वहां सरकार पत्र मालिकों को मन्जूर नहीं कर सकती है कि वे वेज बोर्ड की रिकमन्डेशन्स लागू करें।

राजस्थान सरकार की एडवरटाइजमेंट की पोलिसी को लेकर इस सदन में काफी चर्चा हुई उस पर घोषणा की गई कि पब्लिक रिलेन्स एडवाइजरी बोर्ड बनाया जायगा, वह बनाया गया। लेकिन वह कहां गया? क्या राज्य सरकार ने उस बोर्ड की एक भी मिटिंग बुलाई? सदन में कोई मामला उठाया जाय तो उसके लिये कह दिया जाता है इसके लिये हम एक कमेटी बनाते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, वह कहां है कमेटी। फूड एडवाइजरी कमेटी बनती है उसके लिये कहा जाता है इसमें अमुक-अमुक सदस्य होंगे। परसराम जी! यह आपके समय की बात नहीं कह रहा हूँ आपके बाद में बनी है। एक कमेटी नेहरू मेमोरियल फण्ड लालबहादुर शास्त्री मेमोरियल कमेटी, फूड एडवाइजरी कमेटी डिस्ट्रिक्ट फूड एडवाइजरी कमिटी इस तरह से नाना कमिटियों की घोषणा होती है लेकिन किसी की मिटिंग नहीं बुलाते हैं। सलाह मशविरा नहीं होता, सदस्यों का कोनफीडेन्स में नहीं लिया जाता। एक पब्लिक रिलेशन एडवाइजरी बोर्ड का आपने गठन किया लेकिन एक भी मिटिंग नहीं बुलाई अफसोस इस बात का है। चुनाव के मौके पर पहले जो डाइरेक्टर थे जो इनकी बात नहीं मानते थे, इनके कहने से घोटाले नहीं करते थे क्योंकि वे फौज में रहे हुए थे उनका टाइम से पहले वाक आउट कर दिया गया। और उनकी जगह जो पुराने डाइरेक्टर थे जिनके बारे में विधान सभा में सब से ज्यादा यदि किसी सरकारी अफसर की आलोचना हुई है तो वे हैं श्री राजेन्द्र शंकर भट्ट, जिनके खिलाफ इतने आरोप हैं जिनकी गत १५ सालों से जांच हो रही है, पांच अफसर बदल गये,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

होम सेक्रेटरी ने इनके लिए कह दिया इन अधिकारी की जांच नहीं कर सकता, वे डी० पी० आर० की जांच नहीं कर सकते। आई० ए० एस० अधिकारी जिनकी जांच नहीं कर पाये । पब्लिक अकाउन्ट्स कमिटी में जिस व्यक्ति ने झूठ बोला है। चुनाव के मौके पर भट्ट जी से कहा गया भट्ट साहब कांग्रेस की सरकार बनानी हैं अगर विरोधी दल की बन जायगी तो गजब होजायगा। विरोधी आजायेंगे तो सड़कें नहीं बनेंगी, बिजली नहीं लगेगी, क्या क्या होजायगा यह भले ही न हो लेकिन एक कमिशन तो विरोधी दल वाले जरूर बिठा देंगे जिसमें छोटी सादड़ी का सोना काण्ड, जिसमें ५१ सोने की ईंटे खा गये उनके खिलाफ कमीशन बैठ जायगा। यह आप निश्चिन्त रहिये आज नहीं तो पांच साल बाद पन्द्रह साल बाद जरूर इस के लिये कमीशन बैठेगा। चाहे विरोधी सरकार जो आज आप दो मील सड़क बना पाये उसमें आगे भले ही न बना पायें लेकिन एक बात आप सही समझिये जब कभी विरोधी पार्टी की सरकार आयगी १५ साल के कार्यकाल में इस कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किये उसके जांच के लिये कमीशन जरूर बिठायेगी। यह कोई ऐसा दावा नहीं जो पन्द्रह साल बाद या बीस साल बाद खारिज हो जाता हो उसके बाद भी इसके लिये कमीशन बैठा सकते हैं इसमें कोई राय दो नहीं कि नहीं बैठेगा अवश्य बैठेगा । उत्तर प्रदेश में विरोधी सरकार आयी कानून बना दिया। बिहार में कमीशन बैठ गया वहां ५ साल में एक साल का घोटाला, और यहां १५ साल में ३ करोड़ का भ्रष्टाचार तो मामूली बात है।

आपने श्री भट्ट को बुलाकर डाइरेक्टर बना दिया। मैं आपकी इजाजत से, सभापति महोदय, एक उदाहरण उनका सदन के सामने रखना चाहता हूँ । पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट में एडवाइजरी बोर्ड है उसकी केटोगेराइजेशन कमेटी बनाई पत्रों को विज्ञापन देने के लिये। जो विज्ञापन आप पत्रों को देते हैं सभापति महोदय, सार्वजनिक संपर्क मंत्री यहां पर मौजूद नहीं हैं । वहां क्या हुआ कि उस कमेटी की मीटिंग हुई। उसने एक पत्र को बी ग्रेड में रख दिया । वह मामला सरकार के पास गया, वह उनका मर्जीदान अखबार था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। सरकार ने उसको 'बी' ग्रेड से 'ए' ग्रेड में कर दिया और मेम्बर्स के पास डाइरेक्टर ने एक सक्यूंलर भेज दिया और लिस्ट भेज दी । वह लिस्ट मैं यहां पर लेकर आया हूँ। वह लिस्ट आई है राजस्थान के सार्वजनिक संपर्क विभाग के डाइरेक्टर के यहां से । उसमें लिखा था कि समिति की सिफारिशों के आधार पर पत्रों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है और इस लिस्ट में उस अखबार को 'ए' ग्रेड में दिखा दिया। यह चार सौ बीसी है। और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कमेटी ने उस अखबार को 'ए' ग्रेड में नहीं रखा था 'बी' ग्रेड में रखा था तो फिर आपके विभाग ने सक्यूंलर कैसे भेज दिया कि इसको 'ए' में रखा है कमेटी की सिफारिश पर । यह चार सौ बीसी करके आप उस समिति पर कलक लगाना चाहते हैं। कमेटी ने 'ए' ग्रेड नहीं दिया, सरकार ने दिया । उसको रिकमन्डेशन नहीं मान कर आप कीजिये, आपको अधिकार है लेकिन दुनियां में यह क्यों बताना चाहते हैं कि कमेटी ने किया।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस प्रकार की चार सौ बीसी सरकार करे, विभाग का डाइरेक्टर करे और नाम ले कमेटी का कि उसने 'ए' ग्रेड के लिये रिकमन्ड किया आज सभापति महोदय, राजस्थान के छोटे छोटे अखबार मर रहे हैं, रो रहे हैं, बन्द हो रहे हैं, जब तक वे हरिदेवजी की खुशामद नहीं करें तब तक उनको विज्ञापन नहीं मिल सकते। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उदयपुर के ४ अखबार हैं जिनका सर्क्यूलेशन इतना कम है कि वे एप्रूव नहीं हो सकते विज्ञापन की तो बात ही अलग रही। पुलिस में उनकी शिकायत हुई। होम डिपार्टमेन्ट ने जांच करवाई। पुलिस ने रिपोर्ट दी कि उस अखबार का सर्क्यूलेशन ५०० से कम है और जिसका सर्क्यूलेशन ५०० से कम हो उसको एप्रूव नहीं किया जा सकता, केटेगराइजेशन की तो बात ही नहीं है। उन चारों पत्रों के खिलाफ पुलिस की रिपोर्ट होने के बाद भी राजस्थान की इस निकम्मी सरकार ने उनका एप्रूव कर दिया और उनको एडवरटाइजमेन्ट मिल रहे हैं। पुराने जमाने में राजा लोग किसी पर खुश हो जाते तो बखशीश दी जाती थी। आज के रोज मुख्य मंत्री जी खुश हो जाय, जो करेप्ट मेथड से चुनाव जीतने के लिए उनका चुनाव एजेन्ट हो जाय तो उसको बखशीश दे दें। उदयपुर के उस अखबार ने एक सोवेनियर निकाला उदयपुर के ऊपर स्वतंत्रता से पहले और बाद में, एक अखबार सोवेनियर निकाले उसको ढाई हजार रुपयों का एडवरटाइजमेन्ट दे दिया। जिस केटेगरी में उसको रिकमन्ड किया है उसके अनुसार उसको २५००) का एडवरटाइजमेन्ट नहीं दिया जा सकता लेकिन दे दिया। क्यों दे दिया ? इस लिये दे दिया कि अखबार के मालिक श्री गिरधारीलाल सुखाड़ियाजी के चुनाव एजेन्ट थे....

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरा नाम लेते हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो गिरधारीलाल व्यास हैं। आपका भी मुंह बंद किया है। चीफ विप बनाकर। इस सदन में ज्वालाप्रसादजी सुखाड़ियजी के खिलाफ बोलते थे वे चुनाव में हार गये, आप भी उनके खिलाफ बोलते हो लेकिन आप चुनाव जीत गये तो आपको तो ४००) और ज्वालाप्रसादजी को १०००), कोई बोलने वाला चाहिये। जो सुखाडियाजी के खिलाफ बोलेगा उसको १०००), गाड़ी, बंगला। आपको क्या ? नाम चीफ विप और तनख्वाह धेला भी नहीं। सभापति महोदय, अब मैं बहुत से दूसरे विभागों के बारे में कहना चाहता हूँ ...

श्री सभापति महोदय : समय काफी हो गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बहुत कुछ बातें कही जा सकती हैं लेकिन मैं ज्यादा नहीं कह सकता। मेटीरियल काफी हैं लेकिन समय का अभाव है, मेरा ध्यान घड़ी की तरफ है। आपका भी हाथ घंटी की तरफ जाता है, इसलिए मैं समय से अधिक नहीं लेना चाहता और माननीय सदस्य भी बोलेंगे।

आप पिछले कई सालों से बजट बनाने की प्रक्रिया बदलिये। आपके बजट एस्टिमेटस गलत होते हैं इसलिये दुबारा सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट लेनी पड़ती है। कभी आप सप्लीमेन्टरी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ग्रान्ट लाते हैं ८०. करोड़ की, कभी ६० करोड़ की और कभी ४० करोड़ की । यह कोई बजट बनाने का तरीका होता है ? कहीं दो चार करोड़ का फर्क हो जाय तो समझ में आ सकता है लेकिन आप तो ५० से भी अधिक सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट लेते हो, यही नहीं, आपतो चार साल बाद भी एडीशनल ग्रान्ट के लिये एक्सेस डिमान्ड लाते हो कि खर्चा हो गया । कब हो गया ? ४ साल पहले हो गया उसके लिये एक्सेस और सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट लेनी पड़ती है । यह आपको नही लेनी पड़े इसके लिये बजट बनाने का तरीका तबदील होना चाहिये । इस तरह से बनाना चाहिये कि जनता को मालूम हो सके कि हमारी सरकार का इन्वेस्टमेन्ट कितना है, उसमें कितना घाटा है या कितना नफा है । पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज का महकमा, गवर्नमेन्ट का महकमा अलग मंत्रालय के अंडर में होना चाहिये । स्टेट रोडवेज ट्रान्सपोर्ट विभाग के अंडर में नहीं होना चाहिये, वह पब्लिक अंडर टेकिंग्ज में होना चाहिये जिस तरह से सेन्टर में रेल्वे मंत्रालय का बजट पेश होता है । उस पर अलग डिबेट होती है, खर्चा अलग होता है । उसी तरह से कमर्शियल अंडरटेकिंग्स का अलग महकमा बनाकर अलग से बजट पेश होना चाहिये ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ । संविधान में कंटिन्जेन्सी फंड को रेगुलेट करने के लिये कानून बनाने की व्यवस्था है मैं कहूँगा कि बोरोइंग्ज के लिये भी इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिये कि उसका बोझ राजस्थान की ढाई करोड जनता पर नहीं पड़े । इस सदन की अनुमति के बिना राजस्थान सरकार को कर्जा नहीं लेना चाहिये । यह सर्वोच्च प्रभुता संपन्न सदन है उसके सामने चीज आनी चाहिये कि इतने कर्जे की जरूरत सरकार को है, सदन मंजूर करे उतना कर्जा लेना चाहिये और बिना स्वीकृति के एक पैसे का भी कर्जा नहीं लेना चाहिये । इन सुझावों के साथ में आशा करता हूँ कि आगे आनेवाले साल में राजस्थान सरकार, यदि यही बनी रही तब तक पक्षपात को दूर करके, भ्रष्टाचार को दूर करके सुदृढ और सक्षम प्रशासन दे इस के साथ, इस उम्मीद के साथ मैं अपने विचार रखता हुआ स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल व्यास ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा इनके बाद बोलेंगे । यह डिबेट दो दिन की है । समय काफी है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) सभापति महोदय, यह जो डिबेट हो रही है इसके संबंध में मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूँ । जहां तक राजस्थान की वित्तीय परिस्थिति का संबंध है और जो आंकड़े रखे गये हैं और जिस प्रकार की स्थिति हमारे सामने रखी गई है उस पर मैं माननीय सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूँ कि हमारा वित्तीय कन्ट्रोल जो है वह हमारे साधनों पर ज्यादा मजबूत होना चाहिये और हमें अपने फाइनेन्शियल रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल रखना चाहिये यदि हम अच्छी तरह से कंट्रोल रखेंगे तो जो वित्तीय स्थिति आज है उसमें हम सुधार ला सकेंगे । सभापति महोदय, हिन्दुस्तान को और राजस्थान को आजाद हुए आज २० साल का अरसा हो गया । हमने तीन पंच वर्षीय योजनाएं इस देश में विकसित करने में ज्यादा से ज्यादा योगदान किया है ।

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

अभी माननीय सदस्य जो बोल रहे थे उन्होंने कहा कि राजस्थान में और हिन्दुस्तान में जो बीस वर्ष में कांग्रेस का शासन रहा है उस शासन के अन्दर किसी प्रकार की कोई तरक्की नहीं हुई और इन योजनाओं के द्वारा हिन्दुस्तान आगे नहीं बढ़ा। मैं आपके द्वारा सदन को निवेदन करना चाहता हूँ कि इन बीस वर्षों के अन्दर हमने हिन्दुस्तान को किस स्थान पर से कहां पर आगे बढ़ाया है और इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा इस हिन्दुस्तान के रिसार्सेज को किस प्रकार आगे बढ़ाया है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है . .

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : कांग्रेस के चीफव्हिप बोल रहे हैं और मंत्री गायब हैं, कौन नोट कर रहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कोई गायब नहीं हैं। मंत्री गायब हैं तो मैं तो हूँ।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): मेरा निवेदन करना है कि बार–बार आसन की ओर से निर्देश दिया जाता है कि जब भी ऐसे मसले उठाये जाय....

श्री जयनारायण सालोदिया : और जब कांग्रेस के चीफ व्हिप बोल रहे है।

श्री विजयसिंह रावत : मंत्री नहीं हैं, डिप्टी मिनिस्टर नहीं है। कांग्रेस के चीफ व्हिप बोल बहे हैं और कोई मंत्री नहीं है। यह बड़ी दुर्भाग्यशाली स्थिति है।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री): (सदन में आकर) हम बैठे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपके चीफ व्हिप बोल रहे थे और आप यहां विराजे हुए नहीं थे।

श्री मथुरादास माथुर : हमारी पार्टी का चीफ व्हिप है, हमारी पार्टी का चीफ व्हिप मिनिस्टर की हसियत रखता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : भाषण की कापी ही माथुर साहब को दे देते।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं निवेदन कर रहा था कि पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश की स्थिति में किस प्रकार से सुधार किया है इसको मैं आंकड़ों के जरिये से आपको निवेदन करना चाहता हूँ। हम अपने देश के अन्दर चिकित्सा में जिस प्रकार से सुधार लाये हैं, उससे लोगों की आयु में किस प्रकार से फर्क पड़ा है, यह मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। १६५० में हमारे देश में ३२ वर्ष की औसत आयु थी, वह अब बढ़कर ५० वर्ष की हो गई है। खेती की उपज में हमारे यहां ६१.८ पर्सेन्ट की बढ़ोतरी हुई है इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा। चावल में १६० लाख टन की वृद्धि हुई है। बाजरे में १८ लाख टन की वृद्धि हुई है और मक्का में २३ लाख टन की वृद्धि हुई है। इस तरह जो १६५१ में जो पैदावार होती थी उसमें बढ़ोतरी की है। इसी तरह से १४ लाख टन का उत्पादन हुआ है और लोहे में ६६ लाख टन का उत्पादन हुआ है। बिजली का निर्धारित उत्पादन २३ लाख किलोवाट से बढ़ा कर १०१ लाख किलोवाट पर पहुंचा दिया है। औद्योगिक उत्पादन

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

१५० पर्सेंट बढ़ा है। इसी प्रकार से सूती कपडे का उत्पादन ३८ पर्सेंट बढ़ा है। चीनी का उत्पादन २०० पर्सेंट बढ़ा है रेडियो सेट, साइकिल, सिलाई की मशीन का उत्पादन दस से १५ गुना बढ़ा है। विविध मशीनों का उत्पादन तीस करोड़ से ५ अरब का हो गया है। पैट्रोलियम का उत्पादन १ करोड़ १३ लाख टन हो गया है, जो कि पहले बिल्कुल नहीं था। हाथ करधा उद्योग, दस्तकारी ..

(२.२४ म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, समापति, पदासीन)

रेशम, रसायन, बिजली के पंखे, साबुन और बिजली की मोटर आदि के एक लाख से ऊपर हमारे यहां पर कारखाने स्थापित हुए हैं। इसी प्रकार से उद्योगों में और लघु उद्योगों में जरूरत की बहुत सी मशीनें हैं वह भारत वर्ष में बनने लगी हैं, जैसे कि बिजली परिवहन, संचार, रसायन आदि की और बहुत से उद्योगों की मशीनें हैं वह इस देश में बनने लगी हैं। राष्ट्रीय आय जो १६५१ में थी, और आज जो परिस्थिति हैं, मैं १६६६-६७ के आंकड़ों के जरिये बोल रहा हूं, इस १६६६–६७ में राष्ट्रीय आय ७६ पर्सेन्ट बढ़ी है। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय २७ पर्सेन्ट बढ़ी है। वह इस कारण से कम बढ़ी है कि हिंदुस्तान के अंदर जनसंख्या ज्यादा अनुपात में बढ रही है जो दूसरे देशों में नहीं है। हमारे यहां पर सन् १६५१ में जनसंख्या ४० करोड़ के आस पास थी, वह अब ५० करोड़ के करीब बढ़ गई है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय जिस पर्सेन्ट में बढ़नी चाहिए थी वह बढ़ी हुई जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण कम बढ़ी है। जो हमारे यहां स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है, वह १६५१ से तिगुनी हो गई हैं, ७.२० करोड़ की ...

एक माननीय सदस्य : करोड़ ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : ७ करोड़ २० लाख की संख्या है पढ़ने वाले बच्चों की। इसके अलावा देश में भाप के इंजन, डीजल के इंजन, बिजली की मोटर, रेल के इंजन, मोटर गाड़ियां, भारी मशीनें, बिजली की मशीनें, मशीनों के औजार, कपड़ा, चीनी, सीमेन्ट और कागज उद्योग, मशीनें, रसायन, खाद वगैरह का इस देश में उत्पादन शुरू हुआ है। आवास की व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर हमने इसमें काम शुरू किया है..

श्री परसराम मदेरणा : सीमेन्ट और स्टील ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : १६७०–७१ तक हम उर्वरक २४ लाख टन तक करना चाहते हैं, और नाइट्रोजन का उत्पादन इस प्रकार से करना चाहते हैं। समापति महोदया, मेरा अर्ज करने का तात्पर्य यह था कि हमने जो सन्द्रह साल में काम किया है, उसका सारा नक्शा मैंने आपके सामने बताया है। माननीय सदस्य महोदय यहां कई दिनों से यह निवेदन करते आ रहे हैं कि इस कांग्रेस के पन्द्रह साल के राज के अन्दर देश ने तरक्की नहीं की और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, करोड़ों और अरबों रुपये का लोन बाहर से लेकर इन्वेस्टमेंट किया है, वह दिवालियापन बताया है राजस्थान की सरकार का, राजस्थान सरकार ने

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

हमारे यहां दिवाला निकाल दिया है और कुछ भी काम नहीं किया है। इस सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया है, आज कोई भी प्रगतिशील देश हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वह स्विटजरलैंड हो, चाहे इंगलैंड हो, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो–कोई देश हो, इन पिछले पन्द्रह सालों का अन्दाज उन देशों का लगायेंगे तो आपलो यह जानकर ताज्जुब होगा कि हिन्दुस्तान सरकार ने और भारतवर्ष की जनता ने जितनी तरक्की की है, मेरे ख्याल में इन देशों में से शायद ही आपको कोई देश मिलेगा जिसने भारतवर्ष के मुकाबले इन पिछले पन्द्रह सालों में तरक्की की हो...

श्री दिग्विजयसिंह : इजरायल ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : चीन ने भी नहीं की है, इन पिछले पन्द्रह सालों में जितना हमने उत्पादन किया है, जो तरक्की की है, जो सामान हम यहां बनाने लगे हैं, उतना चीन में भी नहीं बनता है। आप कह सकते हैं कि उसने एटामिक एनर्जी में, एटामिक बम्ब बनाने में तरक्की कर ली है लेकिन जो इंडस्ट्रिल आउट पुट है, जो खाद्यान्न का इत्पादन है, और दूसरी जो भी हमारे देश की जनता को ऊपर उठाने वाली चीजें हैं, जिनको हम पैदा करना चाहते हैं उसके मुकाबले चीन भी हमारे मुकाबले में नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा..

श्री जयनारायण सालोदिया : रिश्वत के मामले में बताइये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : रिश्वतखोरी आप बढ़ाते हैं। यह सरकार तो रिश्वतखोरी की रोकथाम करती है लेकिन आप जैसे लोग गलत लोगों की पैरवी राजस्थान विधान सभा में करते हैं इसलिए उसे मजबूर होकर आपकी बात को मानना पड़ता है। माननीय सदस्य सही आदमियों की पैरवी करें तो जो भ्रष्टाचार के रोग को मिटाने का व्रत ले रखा है, उसको हम मिटायेंगे और उसमें कुछ फर्क पड़ सकता है लेकिन इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है....

श्री जयनारायण सालोदिया : आपकी भाषा में कैसे फर्क पड़ गया ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार पिछले पन्द्रह साल के अन्दर भारतवर्ष ने तिगुनी चौगुनी हर क्षेत्र में तरक्की की है। तो यह कहना नितान्त गलत होगा। हो सकता है कुछ कमियां हमारे में हों और उन कमियों को पूरी तरह से निकाल नहीं सके हों। लेकिन हम उनको निकालना चाहते हैं। हमारी मन्शा साफ है। जितनी भी खराबी है, जितना भी भ्रष्टाचार है, जितनी भी कमी है और जो हमारे औद्योगिक प्रगति में बाधायें आ रही हैं–इन बाधाओं को हम मिटाना चाहते हैं, हम उनको दूर करना चाहते हैं। मगर हमारे सीमित साधन होने की वजह से, जो इस देश में राजनैतिक पार्टियां काम शुरू कर रही हैं उन पार्टियों का ठीक प्रकार से सहयोग नहीं होने की वजह से, यह गलत तत्वों को भी इस देश में पनपाते हैं और तरह–तरह के आन्दोलन हमारे देश में होते हैं-मेरा निवेदन है कि उसका इम्पेक्ट दुनियां के अन्दर, और भारत की जनता के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

क्या पड़ता है–इसका कोई ख्याल नहीं रखते है, अपना राजनैतिक वर्चस्व किसी प्रकार बढ़ सके, सब राजनैतिक पार्टियां हर तरीके से इसके लिए कोशिश करती है । इस वजह से देश में जिस प्रकार का प्रशासन हम कायम करना चाहते हैं, जिस प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं उसमें हर क्षेत्र में बाधा पड़ रही है । यह आवश्यक है, आप अपने राजनैतिक विचार कुछ भी रखें, मगर जहां तक प्रशासन का ताल्लुक है, जहां तक देश की प्रगति का ताल्लुक है, देश की तरक्की का ताल्लुक है, अगर हर एक राजनैतिक पार्टी का उसमें सही तरीके से सहयोग नहीं होगा, उनका ठीक एप्रोच नहीं होगा तो देश विकसित होने वाला नहीं है । जो लोकतंत्र और प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं, उन लोगों से मैं कहूंगा कि अपनी तरफ से वह लोकतंत्र के हामी नहीं होकर लोकतंत्र के दुश्मन हैं । जब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा जब तक लोकतंत्र की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा और हमारे यहां लोकतंत्र टिकाऊ नहीं रह सकेगा । माननीय सभापति महोदया, मैं सदस्य साहबान से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जगह-जगह पर, मगर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपके पास प्रोग्राम नहीं है । अगर है भी तो उस पर चलना नहीं चाहते क्योंकि उससे दूसरी राजनैतिक पार्टियों का वर्चस्व बढ़ता है तो इसलिए सच्चे मानें में आप लोकतंत्र पनपाना नहीं चाहते हैं । इसलिए मैंने यह निवेदन किया, यह सब आंकड़े मैंने इस वजह से दिये हालांकि यह अप्रोप्रियेशन बिल है, इससे कोई ताल्लुक नहीं रहता है मगर माननीय सदस्यों ने कई तरह की बातें कहीं हैं कि ये बातें हमारे राज्य में नहीं आयीं । मैं बताना चाहता हूं कि हमने १५ वर्षों से इस देश को आगे बढ़ाने में कुछ काम किया है । यह पिछले तीन चार साल से पंचवर्षीय योजना का काम काज ढीला पड़ गया । उसके लिए कहते हैं, हमारे साम्यवादी और समाजवादी भाई यह कहते हैं कि कांग्रेस ने अपनी नीति को बदल दिया है । योजनाओं को तिलांजलि दे दी है । अब राइटिस्ट की ओर बढ़ रहे हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस अपने प्रोग्राम पर चल रही है । अपने प्रोगाम पर चलेगी निश्चित तौर पर जिस प्रोग्राम पर चल रहे थे, जो पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश को विकसित करना चाहते थे उन योजनाओं पर हम चल रहे हैं । हमने लैंड रिफार्म्स किये हैं उसमें हम चाहते हैं कि तमाम समाजवादी तरीके पर हमारे यहां रिफार्म्स होने चाहिए । उन रिफार्म्स को जल्दी–जल्दी लागू करना चाहते हैं । इस देश में कुछ कठिनाइयां हैं । वहां पर छोटी–छोटी तादाद में काश्तकार हैं या कम रोजी पाने वाले, कम आय वाले लोग काफी हैं और बहुत थोड़ी तादाद में बहुत ऊंचे लोग हैं । जो इनेगिने हैं । और उंगलियों पर गिने जा सकते हैं । सौ दो सौ आदमी इस प्रकार के होंगे । यह बहुत बड़ी विकट समस्या देश के सामने है । आज जिन देशों ने समाजवादी तरीका अपनाया वहां पर इसी प्रकार परिस्थितियां थीं । धीरे–धीरे उन परिस्थितियों को समाप्त करके वह आगे बढ़े । हम भी चाहते हैं यहां पर इतनी विकट परिस्थितियां होते हुए भी हमें तमाम अपने समाजवादी तरीकों को अपना कर इस देश में समाजवादी व्यवस्था को लागू करें । जिससे कि ऊंच नीच का भेदभाव आज है, वह भेदभाव समाप्त कर सब लोग समान-

Page No. 90

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

स्तर पर आ सकें। इस वजह से कई कानून कायदे हमने लागू किये हैं। हमारे गांव की जो प्रापर्टी है जो जमीन है उस पर सीलिंग लागू किया। हालांकि पूरी तौर से वह लागू नहीं हो पाया है। मगर उसका एक इम्पेक्ट पड़ा है। यह नहीं कह सकते हैं कि सीलिंग कानून पास करने के बाद इस सीलिंग कानून ने नया असर किया है। आज जिनके पास हजारों लाखों बीघा जमीन थी, हालांकि फायदा जरूर उन्होंने अपना किया है लेकिन उस जमीन का बटवारा हुआ है। और गरीबों को जमीन मिली है। यह भी आप एक दूसरा दृष्टिकोण समझ लीजिए। हालांकि कानून को ठीक प्रकार से लागू नहीं कर सके हैं। उसके कई कारण थे। जैसा कि माननीय राजस्व मन्त्री ने कहा कि लोग बाग हाईकोर्ट में चले गये रिट लेकर। स्टे करवा दिया और तरह–तरह की बाधाएं उसको लागू करने में आईं। मगर अब हमारे मुख्यमन्त्री ने जैसा थोड़े दिन पहले अनाउन्स किया १५ मई से लागू करने वाले हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमने राजस्थान के अन्दर की हैं और हम चाहते हैं गरीब से गरीब इन्सान को जमीन मिले। रोजगार मिले। रोटी रोजी मिले। और शिक्षा की व्यवस्था मिले! चिकित्सा हम कर सकें। ताकि पांच आवश्यक वस्तुएं जो देनी चाहिए हमको हर व्यक्ति को समाजवादी देश में यह सरकार का परम कर्तव्य है। कि इस प्रकार की पांचों आवश्यक वस्तुएं अपने देश की जनता को मुहइया करायें और उसकी तरफ हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। हमने सीलिंग के द्वारा लोगों को रोटी रोजी मिलने का प्रबन्ध करने की कोशिश की है। इस तरह से मैं माननीय वित्तमन्त्रीजी जो चले गये है और राज्यमन्त्रीजी बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने गांवों की जमीन के ऊपर सीलिंग लगा दिया। मगर यह करोड़पति अरबपति सेठ शहर में बैठे हैं, राजा महाराजा और बड़े–बड़े जागीरदार बैठे है। जिनके पास रहने के लिए एक से कई गुना ज्यादा मकान हैं, और वह बिल्कुल बेकार पड़े हैं। और नाजायज फायदा उठाकर जनता का शोषण कर रहे हैं। उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राप्त करके गलत तत्वों को पनपाने की हमारे देश में कोशिश कर रहे हैं। हमको चाहिए कि इस प्रकार अरबन प्रापर्टी के ऊपर सीलिंग लागू करें जिससे कि इस प्रकार से शोषण करने वाले लोगों के पास से यह हथियार निकल जाय और गरीब जनता का ज्यादा से ज्यादा शोषण करने वाले लोगों के पास से यह हथियार निकल जाये और गरीब जनता का ज्यादा से ज्यादा शोषण नहीं कर सकें। आज हजारों लाखों बीघा जमीन रखने वाले राजा महाराजा और ब्लैक करने वाले बड़े–बड़े सेठ हैं जो हजारों लाखों बीघा जमीन इस तरीके खरीद कर राजाओं महाराजाओं से जमीन खरीदकर अपना ब्लैकमनी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो कम से कम वह लोग अगर यह सीलिंग का कानून ठीक तरह से लागू हो जाए तो उसमें ब्लैक मनी जितना इन्वेस्ट कर रहे है वह ब्लैक मनी इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। और सरकार छापे मारकर ज्यादा से ज्यादा ब्लैकमनी निकालने की कोशिश कर सकेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि देश आगे बराबर बढ़ता जारहा हैं, मगर जिस तेजी से हम बढ़ना चाहते हैं उस तेजी में हमारे यहां जो पुराने ख्यालात के

Page No. 91

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

लोग हैं, स्वतन्त्रपार्टी और जनसंघ इस प्रकार की प्रतिक्रियावादी पार्टी हमारे देश में है। जो देश को तरक्की की तरफ नहीं ले जाने देना चाहते हैं। वह लोग रोड़ा डाल रहे हैं। हम चाहते हैं, इस देश में हम रहते हैं, आप को देश की गरीब जनता का ५० करोड जनता का ख्याल करना चाहिए। न कि स्वयं का। हम ५० करोड जनता को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहते हैं जब तक ५० करोड़ जनता की स्थिति नहीं सुधारे तब तक आप अपने आपको चाहे घन्ना सेठ बना लें। करोड़ पति बनावें, अरब पति बनावें। इससे देश विकसित होने वाला नहीं है। आप फ्री ट्रेड चाहे जैसी बातें करें। इससे न देश फल सकता है न आप फल सकते हैं। न किसी तरह हम गरीब जनता को ऊपर उठा सकते हैं। हम चाहते हैं कि यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था रहे कि जिससे देश आगे बढ़े। यहां की गरीब जनता को सभी आवश्यक वस्तुएं मुहइया हों। यह नितान्त आवश्यक है। आज यह विरोधी पार्टी के लोग तरह-तरह की बातें कहते हैं। जैसे अभी माननीय सतीशचन्द्रजी कह दिया कि इस राज्य में भ्रष्टाचार बहुत है। दूसरी तरह की बातें बहुत हैं। इस देश ने कोई प्रगति नहीं की है। इस देश में किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट खराब है। और इसके स्थान पर दूसरे लोगों को आने का मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस तो चाहती है। हमारे देश में किसी का एक छत्र शासन नहीं रहा है न रहेगा। हम चाहते हैं कि स्ट्रांग अपोजीशन बने और वह इस स्थिति में आयें कि वह यहां राज्य ठीक प्रकार से बना सके। मगर आज देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में इस तरह की कोई अपाजीशन पार्टी नहीं है जो कांग्रेस का मुकाबला करके यहां पर अपना राज्य स्थापित कर सके। यह भानुमती का कुनबा जगह-जगह पर बना हुआ है। संविद सरकारें जिनको मैं भानुमती को कुनबा कहता हू। कहीं दो महीने कहीं चार महीने, टिकी हैं। कई जगह नम्बर आ चुका है। मध्यप्रदेश बाकी बचा है, उसका भी नम्बर आने वाला है। संविद सरकारें न कामयाब हुई हैं न होने वाली हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? एक तरफ यह प्रतिक्रियावादी स्वतन्त्रपार्टी, एक तरफ यह प्रतिक्रियावादी जनसंघ और दूसरी तरफ आगे बढ़ने को लफिटिस्ट भाई। साम्यवादी और समाजवादी, यह दोनों एक रास्ते पर किस तरह चल सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : और जनता पार्टी ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है। यह तो खिचड़ी पार्टी है जिसका जिधर काम नहीं हुआ वह उसमें आकर बैठ गया।

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि इस प्रकार की कोई पार्टी इस देश में आज स्ट्रोंग अोपोजिशन देने वाली वाली नहीं है। यह बात भी सही है कि जब तक स्ट्रोंग ओपोजिशन देश में नहीं होता, आप कितनी ही हुल्लड़बाजी करो, गड़बड़ियां कितनी ही करो, प्रजातन्त्र को मजबूत बनाने में सहयोग नहीं करो, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग नहीं करो, वह बात अलग है पर स्ट्रोंग ओपोजिशन तैयार कर के गवर्नमेंट का मुकाबला नहीं करोगे तब तक गवर्नमेंट अच्छी तरह में चल नहीं सकती,

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

गवर्नमेंट को अच्छी तरह से चलाने के लिये एक स्ट्रोंग ओपोजिशन का होना आवश्यक है। आज स्ट्रोंग ओपोजिशन का अभाव राजस्थान में ही नहीं सारे देश में है। कांग्रेस के सिवाय कोई पार्टी अपनी सरकार नहीं बना सकती। इन भानुमती के कुनबों से न तो प्रदेशों का शासन चल सकता है और न केन्द्र का ही चल सकता है। इसलिये हमारे लिये आवश्यक हो गया है कि कांग्रेस के शासन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनायें और हमारे देश में समाजवादी समाज बनाने की दिशा में अग्रसर हों, देश को मजबूत बनायें। आज इस देश को आगे बढाना है तो कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाना चाहिये।

हमने तीन पंचवर्षीय योजनाओं से देश की प्रगति की है, हम चाहते हैं कि योजनाओं के द्वारा हम देश को पनपायें, आगे बढ़ायें, व्यवस्थित तरीकों से इसे समृद्धिशाली बनायें। इन दो वर्षों में योजना का काम नहीं किया, इसकी कुछ परिस्थितियां थीं। अकाल की परिस्थिति थी, मंहगाई की परिस्थिति थी, महगाई की वजह से राज्य सरकार के कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा धन हमें देना पड़ा, क्योंकि महगाई बढ़ गई थी, तो यह परिस्थितियां हमारे यहां आई। इसमें शक नहीं कि मंहगाई की वजह से दूसरे तरीकों से राज्य सरकार के कर्मचारियों को सहायता दे सकते थे, पर यही उचित समझा।

हमें चाहिये कि योजनाओं से देश को आगे बढायें, चौथी पंचवर्षीय योजना को हाथ में लेकर किस प्रकार इस देश को आगे बढावें, यह हमें सोचना है।

दुनियां में बड़े–बड़े देश हैं। अमेरिका और रूस ये दो बड़े देश हैं। इन देशों में सबसे बड़ा तरक्की का साधन एग्रीकल्चर है। आज एग्रीकल्चर पर हम ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं लगाते तो देश को आगे नहीं बढा सकते। हमें अपने देश के धन को और बढाना है तो एग्रीकल्चर की ज्यादा प्रोड्स करने के लिये ज्यादा से ज्यादा धन हमें अपने बजट से देना होगा।

हम देखते आये हैं कि हमारे यहां जो बजट एग्रीकल्चर पर रहता है वह कुल बजट का दस या १२ परसेंट से ज्यादा नहीं होता। विकसित देशों में ४० से ५० प्रतिशत तक कुल बजट का एग्रीकल्चर पर रहता है उन्नत बीज, अच्छा खाद, उन्नत औजार देकर एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिये वहां की सरकारें हर प्रकार की सुविधाएं किसानों को देने का प्रयत्न करती हैं। हमारे देश में भी यदि हम ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यस को बढ़ाना चाहते हैं, उद्योग धंधों को अधिक से अधिक पनपाना चाहते हैं तो हमें एग्रीकल्चर पर अधिक ध्यान देना होगा। इस वर्ष थोड़ा बहुत इस तरफ वित्तमंत्रीजी ने ध्यान दिया है पर इसको मैं समुचित नहीं समझता, कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिये कुल बजट का १० प्रतिशत पर्याप्त नहीं है। हमको चाहिये कि कम से कम बजट का ४० प्रतिशत पैसा एग्रीकल्चर पर लगायें। हमारे गांवों में हर कुए पर बिजली जल्दी से जल्दी पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा कुए खुदवाये जायं, पातालफोड़ कुए खुदें। एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन बनी है उसके द्वारा लोगों को यन्त्रों की सुविधा मिले, कीटनाशक दवाइयों की सुविधा मिले, अच्छा बीज और खाद जिनके बारे में आम शिकायत है कि समय पर नहीं मिलते वे समय पर मिलें ताकि इस

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

देश के लोग मजबूत और महनतकश काश्तकार हैं, दुनियां के किसी काश्तकार से कम नहीं हैं, वे देश की प्रोडक्स को अधिक से अधिक बढ़ाने में सहयोग दे सकें। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में हमारे एग्रीकल्चर सेन्टर पर ज्यादा से ज्यादा जोर देकर इसकी प्रगति के लिये विचार करेंगे तो देश की समस्याएं मिट सकती हैं। जो प्रगति हमने की है, उसको हम पर्याप्त नहीं मानते। हालांकि परसेंटेज से काफी प्रगति की है, पर इस प्रगति से हमें स्वयं को संतोष नहीं है कि हमने जो प्रगति की है, उससे हमने कोई बड़ा काम देश में कर लिया है। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा प्रगति करें, लोगों की परकेपिटा इन्कम और तेजी से आगे बढ़े और देश की आय ज्यादा से ज्यादा बढ़ कर यह देश भी वैभवशाली बने जैसे कि दूसरे विकसित देश है। इस सम्बन्ध में हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा तरक्की करने के लिये काम करना पड़ेगा।

दूसरे मेरा यह निवेदन है कि यहां राजस्थान में खास तौर से उद्योगों में चाहे छोटे उद्योग हों, चाहे बड़े उद्योग हों, चाहे सरकारी उद्योग हों, लाभ नहीं होता है। सरकारी उद्योगों के सम्बन्ध में पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ें, और दूसरे आंकड़े हमारे सामने आते हैं, कुछ उद्योग ऐसे हैं, जिनमें लाभ नहीं होता है, नुकसान होता है। इसमें हमारी एफिसियेन्सी की कमी है। हमें इस बारे में खास तौर से ध्यान रख कर ऐसा एड्मिनिस्ट्रेशन करना चाहिये कि पब्लिक सैक्टर में उद्योग धंधे चलते हैं, उनमें नुकसान नहीं हो, लाभ हो।

इसका इम्पेक्ट हमारी दूसरी योजनाओं पर भी पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में नेशनेलाइजेशन हो। बिजली का नेशनेलाइजेशन किया है ट्रान्सपोर्ट पर नेशनेलाइजेशन करने का थोड़ा ध्यान दिया है, और धंधों पर भी ध्यान दिया है।

श्री केशरीसिंह हाडा : सब में घाटा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सब में नहीं है।

श्री केशरीसिंह हाडा : घाटा आप में भी है और उनमें भी है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं सब अच्छी तरह जानता हूं। तो ऐसे उद्योगों में घाटे से सरकार की उद्योग नीति पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। खास तौर से जो लोग इस प्रकार के विचार रखते हैं, जैसे स्वतन्त्र पार्टी के लोग हैं जो चाहते हैं कि सरकार के द्वारा किसी प्रकार का व्यापार नहीं हो, उनको सरकारी उद्योगों के विरूद्ध प्रचार करने का मौका मिलता है। हमारे उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो तभी हमारे यहां उद्योग बढ़ सकते है। इसलिये इस सम्बन्ध में हमें खास ख्याल रखना होगा।

इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में सरकार ने जिस प्रकार की उद्योग नीति अपनाई है उससे राजस्थान की तरक्की दिन प्रतिदिन हो रही है....

एक माननीय सदस्य : आहा....

श्री गिरधारीलाल व्यास : आहा ! क्या करते हो, यह बात बिल्कुल ठीक है।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कोटा को देख लीजिये वह राजस्थान का कानपुर बनता जा रहा है। आपको तवज्जोह नहीं है क्योंकि जिसको एक रोटी चाहिये उसे अगर दो रोटी मिल जाती हे तो उसको अजीर्ण हो जाता है, आपको अजीर्ण हो गया है।

उद्योगों के सम्बन्ध में हमारे वित्तमंत्रीजी ने फायदे देने की सोची है. उससे उद्योगों को पनपाने में मदद मिलेगी। जो सुविधाएं देने का निश्चय किया है उनसे हमारे राजस्थान के जो व्यापारी बाहर रहते हैं, इन कन्सेशन्स की वजह से वे उद्योगपति राजस्थान की तरफ एट्रेक्ट हो रहे हैं और राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाकर राजस्थान को पनपाना चाहते हैं, पर इससे यह नहीं हो सकता कि वे लोग हमारे यहां के मजदूरों का, हमारे यहां काम करने वाले लोगों का शोषण करें। उद्योगों की वजह से काम मिलेगा, मगर उसके साथ साथ..

श्री गोरधन सोनी : शोषण कैसे होगा ? आपका तरीका सोचने का अजीब है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके तरीके अलग हैं, मेरा तरीका अलग है, आप प्रेसीट्रेड में विश्वास करते हैं, मैं रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड में विश्वास करता हूं, सरकारी नीति में विश्वास करता हूं। आप चाहते हैं कि चाहे करोड़ रुपए भी कमायें तो जेब में रख दें। मैं चाहता हूं अगर करोड़ रुपए कमायें तो उसमें से ५० लाख मजदूरों को मिलें..

श्री गोरधन सोनी : वह तो आपकी व्यवस्था है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो भी उद्योगपति उद्योग धंधे लगायें, उनका स्वागत है। मगर उसके साथ-साथ हमारे यहां मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा आज जिस प्रकार का रोजगार और मजदूरी मिल रही है, उसका पूरी तरह से ख्याल रखें, उनको मैनेजमेंट में हिस्सा देने का ख्याल रखें, ज्यादा से ज्यादा बोनस और दूसरी सुविधायें मुहैया करायें और उस संबंध में सरकार पूरी तरह से प्रबंध करे। आज हमारी सरकार ने कई प्रकार के लेबर कानून बनाए और हम चाहते हैं कि उन कानूनों का पूरी तरह से पालन हो, मगर उसमें उद्योगपति सहयोग नहीं देते। उसके कारण हमारे यहां पर कई तरह की हड़तालों वगैरह रात दिन होती हैं। हमारा उत्पादन बढ़ना चाहिए, उसके न बढ़ने में उद्योगपति भी एक कारण बन रहे हैं। इन उद्योगपतियों को यहां पर ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि जिस प्रकार फारमूला एक्लाई किया है कि उद्योग पति, सरकार और मजदूर तीनों मिलकर अपने समस्याओं का समाधान निकालें जिसके कारण किसी पार्टी को किसी प्रकार का नुकसान न हो, जो वाजिब मिलना है, उनको वाजिब तरीके से मिल सके। इस प्रकार की व्यवस्था होगी तब जाकर शांति और व्यवस्था कायम रह सकती है। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो थोड़े दिन पहले जैसे मद्रास और असम और दूसरी जगहों पर जो बातें हुई हैं, वही समस्याएं राजस्थान में भी हो सकती हैं। भूखा आदमी कुछ भी कर सकता है। भूखे आदमी को रोटी दिलाने के लिए, रोजी दिलाने के लिए, सब प्रकार की समस्याऐं बहुत बुद्धिमतापूर्वक सुलझानी चाहिए ताकि उनका ड्यू शेयर उनको मिल जाय। इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए सही तरीके से काम करना पड़ेगा और वह समाजवादी व्यवस्था ही है जिसके द्वारा

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

हम सही तरीके से अपने देश को बना सकते हैं, मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा पनपा सकते है, काश्तकारों को इन्श्योरर दिलाना चाहिए। इस देश का उत्पादन बढ़ाने में ज्यादा से ज्यादा हम सहयोग दे सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्थायें कर सकते हैं।

पिछले वर्षों में हमारी सरकार ने कुछ सोशल स्कियूरिटीज के संबंध में प्रावधान रखे थे मगर इस साल जो भी हमारे सामने कन्सेशन्स या नई बातें आईं उनमें सोशल स्कियूरिटीज के बारे में कोई भी प्रावधान नई चीज का नहीं किया गया। मैं चाहता था कि हमारी सरकार को इस प्रकार की घोषणायें करनी चाहिए और जो अच्छी सरकार होती है, कुछ न कुछ करती है। पिछली बार हमने ७६ वर्ष के बुढ्ढे लोगों को पेन्शन दिलाने का काम किया था। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो अंधे, लूले, लंगड़े और अपाहिज हैं, जो काम करने योग्य नहीं हैं, निस्सहाय हैं, ऐसे लोगों के लिए नहीं जो संडे मुसंडे हैं, सिक्यूरिटी के लिए सरकार को कुछ न कुछ प्रावधान करना चाहिए। इस प्रकार का प्रबंध यदि करेंगे तो लोगों में जो आज निराशा आ रही कि जब हम बुड्ढे हो जायेंगे या अंग भंग हो जायेंगे जिससे हम काम नहीं कर सकेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, वह नहीं रहेगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : तब मंत्री बना देंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस प्रकार लोगों के दिलों में भावना नहीं होनी चाहिए उनको एहसास होना चाहिए कि मेरे साथ यदि प्रकृति का प्रकोप होता है तो भी सरकार ख्याल रखेगी और उसके रोजगार का जरिया सरकार पैदा करेगी तो उसका प्रावधान आपको करना चाहिए और इससे बहुत बड़ी सिक्योरिटी हमारे यहां पर हो सकेगी। (श्री दौलतराम सारण के कुछ कहने पर) आपने क्या कहा, आपके दिल और दिमाग में अलग-अलग बातें हैं। हमें इन बातों का खयाल रखकर ऐसी व्यवस्थायें करनी चाहिए जिससे हम ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें। इस देश के प्रशासन को हमें मजबूती के साथ संभालना चाहिए। आज प्रशासन पर हमारा किसी प्रकार का कन्ट्रोल नहीं है। जो आई० ए० एस० अधिकारी है, वे सारी बातें अपने हाथों में रखते हैं चाहे उनके डिस्मसल संबंधी हों या कानूनी कार्यवाही हो। हम चाहते हैं कि अगर आप उनकी नाक मे नकेल डालना चाहते हैं, कन्ट्रोल करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार के नियम बनाने चाहिए जिससे कोई अधिकारी गलती करे तो राज्य सरकार को उसको बरखास्त करने का, सस्पेंड करने का अधिकार हो। आज यदि आई०ए०एस अधिकारी गड़बड़ी करता है तो हमारी सरकार के अधिकारी कहते हैं कि ये केन्द्रीय सेवाओं के लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार का अंकुश यदि हम नहीं रखेंगे तो हम किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकते और आज जो ढिलाई आ रही है, कमजोरी आ रही है, उसको भी हम नहीं मिटा सकते। इसलिए सर्विसज को कंट्रोल करने के संबंध में कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए जिनसे हम प्रशासन को ठीक कर सकें और आज जिस प्रकार की गड़बड़ियां हैं उनको दूर करने में हम ज्यादा ताकत और मजबूती के साथ काम कर सकें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : (सवाईमाधोपुर) सभापति महोदय, आज अंतिम दिवस है जब कि यह सदन इस १९६८-६९ वर्ष की मांगों पर विचार करेगा। इसके पश्चात् हम अपनी सील लगा देंगे इस विधेयक पर और राज्य सरकार को अधिकार होगा कि जिस वित्तीय राशि की इसमें संचित निधि से निकालने को मांग की है उतनी राशि सरकार निकाल सकेगी। १९६७-६८ वित्तीय वर्ष के चार महीनों का बजट तो राज्यपाल महोदय के समय ही पास हो गया और उसके पश्चात् ८ महीनों के समय में जब कांग्रेस सरकार बनी, तबसे इनको इन ८ महीनों में कार्य प्रणाली और गति-विधि देखी है, चाहे औरस पुत्र हो चाहे दत्तक पुत्र हो, ४ प्रकार के पुत्रों के बारे में जैसे श्री सतीशचंद्रजी ने विचार व्यक्त किए थे, यह मंत्रिमंडल बना और इसमें नवयुवक भी लिए गए। इसलिए हमें और अधिक चिन्ता है ताकि जो पुराने संस्कार वाले हैं उनके संस्कार जो नए सदस्य मंत्रि-मंडल में शामिल किए गए हैं उन पर न पड़ें। इसलिए इस विधेयक पर सील लगाने से पहले में कुछ सुझाव इस विषय में रखूंगा कि किस प्रकार जैसे कि मैंने अपने बजट के भाषण के समय कहा था कि दरअसल राज्य में दो प्रकार की बहुत बड़ी खामियां इस वित्तीय मामलों में चलती हैं एक खामी यह कि जिसकी रात दिन चर्चा चलती है, जो पैसा राजकीय संपति में आना चाहिए, वह राजकोष में नहीं आता बीच में घपले हो जाते हैं, कहीं कहीं तो एक पैसा भी नहीं आता है. दूसरा जब व्यय करने का प्रश्न आता है, तो व्यय करते समय जितनी राशि मन्जूर होती है वास्तव में जब अधिकारियों द्वारा विकास के कामों में सड़क के कामों पर बिजली पर व्यय करने का प्रश्न आता है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : सारी कुर्सियां मंत्रियों की खाली पड़ी हैं....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य बार बार क्यों टोकते हैं ?

एक माननीय सदस्य : वह (श्री बी० एन० जोशी०) बैठे हैं न?

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : आप मंत्री हैं क्या ?

श्रीमती सभानेत्री : मुझे अफसोस है। बीच में आप बार बार न टोकें। इनको बोलने दें; इनका समय जा रहा है।

(३ म० प०)

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मुझे अफसोस है, ये कतई मंत्री नहीं है।

श्री हरीवल्लभ शर्मा : विधेयक पर अपनी मोहर लगानी है। विधेयक पर मोहर लगाने से पहले में इन दो बातों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित होगा। जो मंत्री मण्डल बना है उसमें एक नारा दिया गया और जो हमारे मित्र गये उधर की तरफ, उनको भी नारा दिया गया। इसलिये चिन्ता होती इस बात की कि जिन संस्कारों से ये उसमें शामिल किये गये हैं और बाद में मंत्री मण्डल में लिये गये हैं, यदि उसी भावना से वे इसका उपयोग करते हैं तो यह एक भयंकर नारा है कि खावो पीवो और मोज उड़ावो।

एक माननीय सदस्य : जीवो और जीने दो।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : इसलिये नहीं कि उनके जीवन के पीछे कोई बहुत बड़ा सेवाकाल राजनैतिक जीवन में रहा हो। लेकिन चूंकि उनको लेना है, ले लिया मंत्री मण्डल बनाना था, बना लिया। सत्ता में मौज उड़ाने का सबक दे दिया है इसलिये मैं कहता हूं दरअसल जिस नारे से वे मंत्री मण्डल में बैठे हुये हैं, मुझे बहुत बड़ा भय और आशंका है कि वे दो बातों की तरफ ध्यान दे सकेंगे या नहीं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : ये तो नमूने है।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : यह ३५ सदस्यों का जो मंत्री मण्डल बनाया है। इसकी बार बार चर्चा होती रही है मंत्री मण्डल की संख्या ३५ है लेकिन इनमें केवल ४-५ मंत्री है ऐसे जो राज्य चलाते है, बाकी के पास में कोई काम नहीं है। केबिनेट के रेन्क की बात छोड़ दीजिये। लेकिन मैं उप-मंत्री या राज्य मंत्रियों के बारे में कह सकता हूँ। जब कोई उप मंत्री या राज्य मंत्री के पास काम नहीं, कोई भारी जिम्मेदारी नहीं डाली है तो आखिर इनको बिठाकर इतना बड़ा खर्च क्यों किया जा रहा है। उनकी उपयोगिता मंत्री मण्डल में रहने का है ही नहीं। मेरा सुभाव है, इनके ऊपर दायित्व डाला जाय-दायित्व किस प्रकार डाला जाय? केबिनेट मिनिस्टर नीति बनाते है बड़ी बड़ी-आपकी जो वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरिया है, स्वीकृतियां है देते रहे। लेकिन अन्त में कुछ न कुछ उनके जिम्मे काम होना चाहिये। जो उप मंत्री है, राज्य मंत्री हैं आज वे अपने क्षेत्र में टूर करने जाते है, वे कुछ आश्वासन नहीं दे सकते, कुछ कह नहीं सकते केवल इसके कि २-४ दिन डाक बंगले में ठहरे और अपनी पार्टी सम्बन्धी बात कर लें बहुत जोर करें तो पटवारियों के और छोटे मोटे मास्टरों के ट्रान्सफर करवा दें। जो सड़क निर्माण उप मन्त्री हैं, जब क्षेत्र में जाय तो उनको यह देखना चाहिये जितना ग्रान्ट एनऐड का पैसा है, वह पूरा उपयोग हो रहा है या नहीं, जो एग्रीमेंट है, उसके अनुसार काम हो रहा है या नहीं, जो एग्रीमेंट हुआ हैं, उतना मेटेरियल लग भी रहा है या नहीं एक चौकीदार का काम इस प्रकार का दिया जाय ताकि उनकी कोई उपयोगिता सिद्ध हो, उनको भी काम मिले और एक प्रकार से नियन्त्रण काम काज पर रहे। ठेकेदारों के घोटाले होते हैं, वह न हो। उनमें बराबर इस बात का दबाव डाले कि एग्रीमेंट के मुताबिक काम करना होगा, एग्रीमेंट के मुताबिक माल लगाना होगा, एग्रीमेंट के अनुसार काम समय पर करना होगा-अगर ये काम भी करते है तो मैं समझता हूँ उनकी उपयोगिता सिद्ध हो सकेगी, अन्यथा सरकार के खर्च पूरा अपव्यय है। सभापति महोदय, मुझे एक बात याद आती है कि जिस प्रकार एक ४० या ४५ की एक टोली मण्डली बन जाय और कार्य का विभाजन ठीक प्रकार से हो नहीं, ५ आदमी पालिसी बना लें तो बाकी के मजे उड़ाने में किसी न किसी प्रकार लगे रहते है। यह कब हो सकता है? जब मंत्री मण्डल के सदस्य केवल एक भावना यह बिठा ले कि जितना पैसा राज्य-कोष में है वह सब जनता का है और उस पैसे को ईश्वर की साक्षी करके वे व्यय करेंगे और जिस प्रकार घर के एक पैसे को खर्च करते है, उसी प्रकार की भावना से खर्च करेंगे और इसको अपनी पार्टी का पैसा नहीं समझेंगे। योजना बनाते, बजट बनाते है

(श्री हरिवल्लभ शार्मा)

लेकिन व्यय करते वक्त उसमें बडी राजनीति चलाते हैं । समझते नहीं है कि व्यय किस प्रकार से किया जाता है। ये तो यह समझते है कि यह कांग्रेस पार्टी का पैसा है । नाम दिखाने के लिये योजना सब जगह की बनाते हैं लेकिन क्रियान्वय का प्रश्न होता है तब उसमें अडंगे लगाते है । कांग्रेस सारी योजनाओं को इस प्रकार बनाती है कि यहां यह काम होगा, वहां वह काम होगा । जहां कांग्रेस पार्टी हार जाती है, वहां पैसा कतई खर्च नहीं किया जाता और जहां से कांग्रेस जीतती है, वहां पर ये पैसा खर्च कर देते हैं । यह तो इनके व्यय की पालिसी है । शेखावत साहब ने यह चार्ज लगाया था, आरोप लगाया था कि विकास कार्यों में रीजनल इम्बैलेंस हो रहा है। इससे सरकार की साख गिरती जा रही है । डवलपमेंट के बारे में भविष्य में कसम खायें कि रीजनल इम्बेलेन्स नही करेंगे । जिस प्रकार के मदों में मंजूर करवाते हैं, उनको सही खर्च करवाने में व्यय करेंगे।

सभापति महोदय, यह सब होता क्यों है। इधर जो कुछ कहते है, वह वहां जाकर बिलकुल उलटा करते हैं । अभी समाजवाद की बात कही थी कि कांग्रेस समाजवाद लाना चाहती है लेकिन विरोधी दल उसमें रोड़े अटकाता है । यह मेरी समझ में नहीं आता उलटी बात क्यों करते है ? कांग्रेस के शासन में किसी गरीब किसान को लाभ नहीं पहुंचा है। इस प्रकार जनता में लोग कहते हैं । मैं तो कहता हूं कांग्रेस ने गरीबों का शोषण किया है और जो इस प्रकार का शोषण कर रहे है । समाजवाद की आड़ में पूंजीपतियों को संरक्षण दिया गया है। अगर आप समाजवाद की बात कहते हैं तो कम से कम उन गरीबों की तरफ देखो, जिनके घर में पैसा नहीं है, रहने को भूमि नहीं है। आप सीलिंग लगा रहे है उससे गरीब किसानों को लाभ न मिलकर जिनके पास अधिक जमीन है, उनको फायदा दे रहे है। समाज कल्याण के नाम पर शिड्यूल कास्ट के नाम पर करोड़ों रुपया, लाखों रुपया खर्च किया है । यह उन व्यक्तियों पर खर्च किया गया हैं जो प्रभावशाली है, जो आपके पास अप्रोच रखते है । कहीं भी गरीबों को कुछ नहीं दिया गया है । यह आपका सारा का सारा प्रासेस गलत है और परिणाम यह निकलता है कि सम्पन्न वक्ता ही रह जाते है। अपने ही सम्बन्धी सम्पन्न व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है। गरीब वैसे हो रह जाते है ।

आज तो यह भ्रष्टचार सामान्य आचरण का अंग बन गया है । इस का नाम लेने वाले पर ही लोग हंसते हैं । जनतन्त्र में सरकारें बनती और बिगडती हैं । ऐसी स्थिति में प्रशासन का ढांचा शासन तन्त्र की रीढ़ की हड्डी कही जा सकती है। उस पर बहुत दायित्व है । पर उसको भी दायित्व निभाना आज कठिन हो गया है।

मैं नही कहता कि सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं पर निश्चित रूप से तरक्की वे लोग पाते हैं आराम से भी वे लोग रहते हैं जो भ्रष्ट हैं। ऐसे ही भ्रष्ट लोगों को मुंह लगे लोगों को भरती भी किया जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि सच्चे ईमानदार आदमी किसी मन्त्री के पास पहुंच नहीं सकते । पर जो मुंह लगे भ्रष्ट अधिकारी हैं वे मालामाल होते हैं । इससे जो ईमानदार और भले हैं उनके मन में सेंस आफ फ्रस्टेशन आना स्वाभाविक है । इससे ईमानदारी से कार्य करने की प्रेरणा को आघात पहुंचता है।

(श्री हरि वल्लभ शर्मा)

परिणाम यह होता है कि या तो मजबूरन उनको भी भ्रष्ट बनने के लिये बाध्य होना पड़ता है या अपने स्वभाव को अगर नहीं छोड़ सकते तो उनको निष्क्रिय बनना पड़ता है। इस तरह एक बड़ा तबका प्रशासन में आज निष्क्रिय हो गया है और उसमें अधिक से अधिक असन्तोष है। इस स्थिति में आप चाहे विजिलेन्स कमीशन बना दो एन्टी करप्शन विभाग खोल दो इससे लाभ नहीं होने वाला है। अधिकारियों पर तो आप कार्यवाही करने को तैयार हो जाते हैं। पर अपने आचरण पर अंकुश नहीं लगाना चाहते। मैंने चार मार्च को सदन में निवेदन किया था कि जिस प्रकार का अध्यादेश यू. पी. में जारी हुआ इसी तरह से यहां भी ऐसा अध्यादेश लागू करने या ऐसे कानून को बनाने और उसे क्रियान्वित करने की बात कही थी। जिसका भी कड़ा विरोध किया गया।

आखिर यह क्यों ?

जबतक आप स्वयं स्वच्छ नहीं होंगे, आपका स्वयं का आचरण ठीक और सन्देह से परे नहीं होगा आपका स्वयं का रहन सहन और आचरण ऐसा नहीं होगा कि ओटोमेटिकली आपका नीचे का तबका अनुसरण करने लगे तबतक काम चल नहीं सकता।

आखिर अधिकारी करे क्या ? अपने ऊपर के अधिकारी का कहना माने और उसके अनुसार काम करे तो मरा और न करे तो मरा। उसकी तो दोहरी मौत है। जिस समय पंजाब में कैरो सरकार बदली तो उसके वक्त जो आर्डर हुए उनके लिये जांच का आदेश हुआ। तो बहुत से बेचारे अधिकारी चूंकि उनके लिखित आर्डर थे वे फंसे और जिनके फोन्स और जबानी हुकम थे वे बच गये। तो इस तरह वे बिचारे बेकसूर अधिकारी मरे। तो मैं यह मानकर चलता हूं कि अधिकारी वर्ग को ऐसे मामलों में बहुत सोच समझ कर सम्भल कर चलने की आवश्यकता है।

वास्तव में सरकार नियम उपनियम कानून बनाये और खुद उनको तोड़ कर चलना चाहे और अधिकारी को भी उस पर चलने के लिये मजबूर करे तो यह ढर्रा आज चल रहा है। आज कांग्रेस सरकार की यह हालत है।

यहां गवर्नमेन्ट होस्टल में हम देखते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती है। उन्होंने एक लिस्ट बना रक्खी है कि ६८ में इन अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रान्सफर होना चाहिये। इन पटवारियों का मास्टरों का तबादला होना चाहिये। अनाप-शनाप पड़े हैं उसके पीछे और ऐसा हो रहा है कि निर्दोष जो हैं वे इसमें फंस रहे हैं और इसकी आड़ में कर क्या रहे हैं अपने अपने जानकार रिश्तेदार और दोस्तों को तरक्की दिलाते हुए जा रहे हैं और उनको अपने अपने यहां रखा जाने के लिये तबादलों पर जोर दिये जा रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है, वे तो निश्शंक हो जाते हैं, काम कुछ करते नहीं, उन अधिकारियों और उनके कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं की खुशामद में लगे रहते हैं और वास्तव में ईमानदार कर्मचारी व अधिकारी जो उनकी चापलूसी करना पसन्द नहीं करते इधर उधर फेंके जाते हैं और तरक्कियों से भी वंचित रह जाते हैं। आप शिक्षा राजस्व और कई अन्य विभागों

(श्री हरि वल्लभ शर्मा)

के केसों को टटोल कर देख लीजिये । सीनियोरिटी की दृष्टि से प्रोमोशन नहीं मिल रहे है लोगों को मेरिट की दृष्टि से प्रोमोशन नहीं हो रहे हैं। या तो एडहाक अरेन्जमेन्ट है। इसकी आड़ में सब मनमानी चल रही है।

पंचायत राज में सरकार ने पालिसी स्थापित की कि आर. ए. एस. अधिकारी विकास अधिकारी नहीं रक्खेंगे, एक्सटेन्शन अधिकारी ही विकास अधिकारी रहेगा। पर ए. ई. ओ. एस. विकास अधिकारी के काम पर जाने वाले थे। सीनियोरिटी लिस्ट तैयार नहीं हुई साथ में यह भी रखा कि जो विकास अधिकारी पंचायत समिति में रखे जावेंगे उनमें २५ फी सदी तहसीलदार कैडर के अथवा इन्सपेक्टर केडर के दूसरे विभागों के होंगे। २५ प्रतिशत उनमे से रक्खेंगे। पर हुआ क्या । २५ परसेन्ट जो ऐसे एब्जोर्ब करने का था उनका ऐसी जगह पोस्टिंग किया गया जहां सीनियर मोस्ट एक्स्टेन्शन अधिकारी काम कर रहा है । प्रसार अधिकारी विकास अधिकारी बने ही थे कि उन पर २५ परसेन्ट कोटा बी. डी. ओ. पद पर लेने का था उनको ट्रान्सफर पर भेज दिया। सीनियर मोस्ट एक्सटेन्शन आफीसर विकास अधिकारी न रहा। अब कहते है तो कहते हैं यह एडहाक अरेन्जमेन्ट है । पर सर्विस में एक व्यक्ति अपनी तनज्जुली और डिग्रेडेशन एक दिन के लिये भी नहीं देख सकता । इससे उसमें सेंस आफ फस्ट्रेशन आया । इसका असर यह पड़ता है कि सरकार का काम सफर होता है जनता परेशान होती है, मुंहलगे होते हैं रिश्तेदार होते हैं वे तो खुशामद में लगे रहते हैं, काम करने का प्रश्न उनके सामने नहीं रहता। जो काम करने वाले होते हैं वे फ्रस्ट्रेशन होने से काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं न आगे कर पावेंगे।

कौन खंडार पंचायत समितियों में ऐसा हुआ। १० पंचायत समितियों में से उन दो में ही सीनियर मोस्ट ए. ई. ओज थे और दोनों में २५ परसेन्ट कोटा के भेज दिये गये विकास अधिकारी बनाकर अतः जो सीनियर-मोस्ट जिले में पड़ते हैं वे ए. ई. ओ. बने हुए हैं। इस प्रकार कहां तक उदाहरण दूं । पहले एक नीति अपनाई । कोई समस्या आती है, कमीशन मुकर्रर करते हैं । रिपोर्ट आती है तो उसमें से जो उनके स्वार्थों के अनुकूल पड़ते हैं उन सिफारिशों पर तो अमल करती है बाकी छोड़ देती है।

पुनश्च, यह निर्णय लिया गया कि ग्राम सेवक को एक्स ओफीसियो ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी बनाया जावेगा। सैकड़ों को इनकी ट्रेनिंग के लिये लोगों को भरती किया ट्रेनिंग दी। इसके बाद दो साल तीन साल निकल गये और कह दिया कि अब ऐसा नहीं करेंगे । बस ग्राम सेवक सरप्लस हो गये। उनके टेनिंग सेन्टर खोले, दिये बिल्डिगें बना दीं और फिर नीति बदल दी। विकास का काफी रुपया लगा दिया । अब उनको एक्सटेन्शन आफीसर्स ट्रेनिंग सेन्टर बना दिया। ग्राम सेवकों से पांच साल के बांड भराये गये वे पड़े हैं। आज उनकी यह हालत हो गई है कि न तो अन्यत्र जाने के, न यहां एम्प्लोयमेंट उनको मिलने के चान्स ।

इसी प्रकार ट्रेण्ड टीचर्स का हाल है । कम से कम मेरे जिले में चार हजार ट्रेण्ड टीचर्स अनएम्पलोयड पड़े हैं। पंचायत समिति में, जिला परिषद् में या इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स में जगह नहीं है । प्रत्येक एक हजार की आबादी पर स्कूल खोलने की बात ते की

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

तो अब स्कूलें कहां तक खोलें । गांवों में स्कूलें खोल दीं । लेकिन एक एक डिस्ट्रिक्ट में दो दो और तीन तीन एस. टी. सी स्कूलें भी खोल दीं । हायर सेकण्डरी करने के बाद लोगों को उनमें एडमिशन दिया । परिणाम यह हुआ कि जब ट्रेण्ड टीचर्स अधिक हो गये तो सरकार उनको नहीं खपा सकी । अब उनको बन्द करने जा रही है मेरा अनुमान है कि जितने ट्रेण्ड टीचर्स राजस्थान भर में हैं उनमें से १० परसेन्ट को कठिनाई से खपाया जा सकेगा । बाकी के लिये कोई गुंजाइश नहीं ।

एक तरीका इन्होंने और निकाला है । इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के अन्डर में जो प्राइमरी स्कूलें चल रही है । अगर मान लिया जावे उनमें इनको लगाना है, तो इन्टरव्यु के लिये ये एक सौ पचास की लिस्ट बनाते हैं तो अब तीस चालीस को तो टेम्परेरी पोस्टों पर काम करने दिया । बाकी सिलेक्टेड व्यक्ति बने रहे लिस्टें पड़ी रहीं । जब नेक्ट ईयर आया तो वे लिस्टें रद्द । नई दूसरी लिस्टें चल रही हैं । इस तरह इनका इतना बुरा हाल हो रहा है कि जिसकी सीमा नहीं ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं अपनी पार्टी की तरफ से अकेला बोल रहा हूं ।

श्री मती सभानेत्री : फिर भी काफी समय हो गया है ।

श्री जयनारायण हालोदिया : अकेले ही बोल रहे हैं, काफी समय नहीं है ।

श्रीमती सभानेत्री : मैंने अभी तो वार्निंग दी है । चार पांच मिनिट बोल लें ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सरकार कहती है, उद्योगों में हम आगे बढ़ रहे हैं, नहरें और बान्ध खुल रहे हैं । आज चार हजार इन्जीनियर राजस्थान में बेकार पड़े हैं । आज बीस वर्ष के शासन काल के बाद कांग्रेस सरकार यह कहे कि उसके पास इन्जीनियरों और टेक्निशियनों के लिये स्थान नहीं है तो उनकी इन योजनाओं का और ऊंची ऊंची डींगों का पर्दा फाश हो जाता है । आप स्वयं देख लिजिये अपने ही आइने में अपना मुंह कि आप कहां हैं । जहां टेक्निशियन और इन्जीनियर तक बेकार हों, शिक्षक बेकार हो, सर्विस में धांधलीबाजी चलती हो, वहां यह सारा विकास ढकोसला है । विकास नहीं यह सारा विनाश है ।

हमारे यहां पर सवाईमाधोपुर कस्बे की आबादी ३ लाख है और ३ लाख की आबादी में ४ प्राईमरी हैल्थ सेन्टर्स हैं और ६ डिस्पेन्सरीज हैं और डाक्टर १ है । हमारे राजस्थान में मेडीकल कालेजेज में वार्षिक एडमिशन ६०० होते हैं तो आखिर मेडीकल कालेज में ट्रेनिंग लेने के बाद क्या कारण है कि राज्य सेवा में वह अपने आपको एम्पलोय नहीं करते ? बाहर से आते हैं वह नहीं टिकते हैं और राजस्थान स्टेट के जो डाक्टर्स बनते हैं वह सर्विस में आना पसन्द नहीं करते । इसका एक कारण है और वह यह है कि वह देखते हैं कि यहां दरअसल सरकार का ऐसा दूषित वातावरण है कि हर बात में राजनीति चलती है । अपाइन्टमेन्ट्स में राजनीति, स्थानान्तरण में राजनीति है, किस जगह पर रखा जाये इसमें राजनीति है । जिसको अपनी इज्जत बेचकर घुसना है घुस जाये और आराम से मजे करे तब कोई

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

काम कर सकता है वर्ना आज कोई भी भला आदमी सेवा में आने के लिए तैयार नहीं है। जब मंत्री जी को कुछ कहते हैं कि डिस्पेन्सरी खुले या प्राईमरी हैल्थ सेन्टर खुले तो मना कर दिया जाता है और कहते हैं कि इसका इलाज क्या करें। इसका इलाज यही है कि डाक्टरों की कमी है और यह ७२ तक पूरी हो जायेगी। सन् ६२ में सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि ६७ तक पूरी हो जायेगी और सन् ६७ में पूछते हैं तो कहते हैं कि ७२ तक पूरी हो जायेगी। आपने रेकार्ड बनाकर रखा है कि हमने इतने प्राईमरी हैल्थ सेन्टर्स खोल दिए, इतनी डिस्पेन्सरीज खोल दीं और उसका नतीजा यह है कि आज एक एक कम्पाउन्डर बन प्राईमरी हैल्थ सेन्टर्स में बैठा हुआ है। गांव वालों की सेवा के लिए जो प्राईमरी हैल्थ सेन्टर खोले हैं उसमें कौन एक कम्पाउन्डर है जो बैठा हुआ है। दवाओं का बजट यों ही जा रहा है और बस लोगों को लाल पीली दवायें बांट रहा है। दर असल जो करोड़ों और लाखों रुपया व्याज के रूप में प्रतिवर्ष देना पड़ता है उसका भी एक कारण है। जितने भी आपके विकास कार्य हैं चाहे बिजली संबंधी हों, चाहे कृषि संबंधी हों, नहर संबंधी हों या जलप्रदाय योजना संबंधी हों जब चुनाव आते हैं तो आप बड़े जोर शोर से घोषणा करके काम शुरु करा देते हैं। वहां पर लट्ठे पहुंचजायेंगे, तार लग जायेंगे, पाइप लग जायेंगे और जैसे ही चुनाव के परिणाम निकलेंगे और दुर्भाग्य से आपके विपरीत यदि चुनाव का परिणाम पड़ गया तो वह योजना वहीं की वहीं ठप्प। उस योजना में चाहे २५ हजार रुपये का खर्चा हो जाये क्यों कि वहां कांग्रेस हार गई इसलिए आप उस काम को पूरा नहीं करोगे। अगर आप इसको उदाहरणस्वरूप देखना चाहते हैं तो खण्डार कस्बे की नल योजना को ले लें मुश्किल से वहां पर एंजिन फिट होकर पानी निकलता है बाकी वहां पर टैंक बन गया, पाइप डल चुके लेकिन उसमें एंजिन लगाकर पानी सप्लाई करना है पर क्योंकि वहां पर कांग्रेस हार गई इसलिए उस काम को पूरा नहीं करायेंगे। सरकार चाहे २॥-३ लाख का सूद दे देगी, रकम का रिपेमेन्ट नहीं होगा और लोगों को पानी नहीं मिलेगा और जब पानी नहीं मिलेगा तो कन्ज्यूमर्स पंचायन को क्या देंगे? इस तरह से आपकी जगह जगह योजनायें हैं उन योजनाओं को आपको पूरा करना चाहिए। विकास कार्य समय पर होते नहीं है और अदूरदर्शिता से होते हैं। इसका कारण यह है कि आपके विकास कार्य आपके लिए हो लाइबेलिटी बन जाती हैं और जो रकम विकास कार्यों में खर्च होती है, आपको सूद के रूप में देनी पड़ती है वह काम भी अधूरे के अधूरे पड़े रहते हैं। आपको फिक्र नहीं होती कि जब हमने इतनी अधिक धन राशि खर्च कर दी तो थोड़ी राशि और खर्च करके इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराना है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से मैं आपको कहना चाह रहा था कुछ और बात और वह यह है कि जब तक हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं करेंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण इसलिए नहीं कर सकते कि वह कुछ हमारे पक्ष वाले होते हैं। मैने यहां पर मिसाल दी थी ४ मार्च को और मैंने कटौती प्रस्ताव के द्वारा भी गृह मंत्री महोदय से पूछा था। हमारे यहां

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

सरपंच है उसने ३॥ लाख रुपये का पंचायत के धन का गबन किया । गबन इस प्रकार किया कि वहां पर एक इम्पोर्टेन्ट जमीन बहुत सस्ते भाव पर बेच दी और ऊपर ऊपर का सारा पैसा अपनी जेब में रख लिया । इसकी शिकायत जिलाधीश को की गई जिलाधीश ने इन्क्वायरी की और वह शिकायत सही पाई गई और जितना भी सेल था वह कैंसिल हुआ । हाईकोर्ट में रिट हुई और वह रिट भी खारिज हुई । इस प्रकार वह मामला जब वापिस आया ३-३॥ लाख रुपये के गबन का तो स्पेशल आडिट द्वारा पंचायत की जांच हुई । और स्पेशल आडिट जब जांच करता हैं तो उसके बाद में यह भी मालुम पड़ता है कि उस पंचायत में केवल वही घपला नहीं है. जमीन का पैसा खाया तो खाया लेकिन इस सरपंच ने असली धनकोष जो पंचायत का है उसमें से भी १०००० रुपया को अपनी पाकेट में लिये फिरता है । वह न बेंक में जमा हैं न पंचायत में जमा हैं । इसकी कलेक्टर को रिपोर्ट की और कलेक्टर ने राज्य सरकार को की और उन्होंने उसको सस्पेन्ड किया और आदेश दे दिये कि इसके ऊपर क्रिमिनल केस इन्सटीट्यूट किया जाये

श्री दिग्विजय सिंह : यह कौनसी पचांयत है नाम तो बताओ ताकि कोई एक्शन तो लें ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : कलेक्टर ने एफ० आई० आर० पुलीस को भेजी और सभापती महोदया पुलीस में ३ महीने तक कलेक्टर की और डिसिट्रक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा भेजी गई एफ० आई० आर० दर्ज नहीं हुई बाद में वह रिपोर्ट दर्ज होती है ३ महीने पश्चात और उसके पश्चात यह राज्य सरकार में शासन व्यवस्था है । कि मेरे ख्याल में आज २ वर्ष गुजर जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर की रिपोर्ट का भी पता नहीं है कि उसमें एफ० आर० लगी चालान हुआ है या उस केस का क्या हो रहा है । कोई विरोधी होता, कोई गरीब होता और अगर आपके बगंले तक नहीं पहुंचने वाला होता तो अब तक सूली पर लटका दिया जाता । लेकिन डोल रहा है गुलछर्रे उड़ाता हुआ और यही विधान सभा के सामने चक्कर काटता है कि कोई मेरे खिलाफ बोल तो नहीं रहा है । गृह मंत्री जी आज हैं नहीं वह कह रहे थे कि हम न अपनों का ख्याल रखेगें न परायों का । मैं समझता हूं कि वह जबाब दे भी नहीं पायेगें ।

एक माननीय सदस्य : कौनसी पंचायत समिति है नाम तो बताओ ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : तहसील सवाई माधोपुर की पंचायत समिति आलनपुर । और भी मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे मुख्य मंत्री जी सवाई माधोपुर जाते हैं तो सबसे पहले खाना होता है तो उसी सरपंच के यहां ।

सभापति महोदया, इसी प्रकार में निवेदन करूंगा कि लेण्ड रेवेन्यू की इनकम में बहुत बडे घोटाले होते हैं । वह घोटाले नीचे नहीं होते वह ऊपर आकर होते हैं । चाहे वन विभाग संबंधी मामले ले लें ।

(समय समाप्ति सूचक गंटी)

में थोड़े में ही समाप्त करता हूं । चाहे खनिज का प्रश्न ले लें चाहे बिजली संबंधी ले लें, चाहे खनिज का ठेका दिया जाता है उसको

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

ले लें चाहे उद्योग में जो कर्जा दिया जाता है उसको ले लें इन सारे मामलों में लाखों रुपयों का घोटाला है। १९६७-६८ का जो जन लेखा समिति का पहला और द्वितीय प्रतिवेदन है उसमें स्पष्ट कहा गया है और एक एक चीज में १०-५० हजार, ५ लाख किसी में १० लाख इस प्रकार के कबाड़े भरे पड़े हैं

और इसी प्रकार से आपके फारेस्ट डिपार्टमेंट में जो वृक्षारोपण का पश्चिमी राजस्थान के लिए बनी योजना को लीजिये। यह रखा था कि रेगिस्तान को जंगल लगाकर सरसब्ज करेंगे और इस प्रकार से करीब १२ लाख रुपया वहां पर खर्च होगा बताया गया। रिजल्ट क्या हुआ ? परिणाम उसका क्या हुआ लाखों रुपये खर्च करने के बाद ? १२ लाख में यह मालूम पड़ता है कि आधा रुपया भी नहीं लगा, मुश्किल से ३-४ लाख रुपया लगा होगा। सारे के सारे वृक्ष जो कुछ लगाये गये थे वे सब विनिष्ट हो गये। ८ लाख का बीच में ही गबन हो गया और उन अधिकारियों के खिलाफ कुछ नहीं किया गया।

अकाल राहत में पानी के कलेक्टर का केस माननीय डागा साहब ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे। इसी तरह से भीलवाड़े में पाली में अकाल राहत कार्यों में ट्रकों द्वारा पानी पहुंचाने में, खाद्यान्न खरीदने में, लेवी वसूल करने में, सब के सब कामों में ६६-६७ की रिपोर्ट देखिये। इसमें लिखा है कि तीन लाख का इसके विषय में घोटाला हुआ है अकाल राहत कार्यों में। आप कितनी ही बेरहमी से वसूल करें आपका किसानों में रुपया बकाया नहीं रहेगा। आपका बकाया रहेगा तो धन्ना सेठों की तरफ मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जो सस्ता कर्जा दिया जायगा तो धन्ना सेठों को। इनका पालन-पोषण आपके इस युग में और इस सरकार में होता है मैं नहीं मानकर चलता हूं कि इसके अलावा दूसरी सरकार आये तो इतना पोषण नहीं कर सकती है। जब आपकी रीति-नीति यह है कि समाजवाद के नाम पर गरीबों का शोषण करते हैं और इस प्रकार से बड़ो को पनपाते हैं। हर समाज, जाति और वर्ग में एक प्रबल वर्ग इस प्रकार का खड़ा हो गया है कि जो समाज में इस प्रकार से सशक्त हो गया है कि जो न तो गरीबों को लाभ पहुंचने देता हैं और न आप लोगों को चैन से रहने देता है। एक ऐसा वर्ग आपके और जनता के बीच में बन गया है मैं निश्चित मानकर चलता हूं कि जिसकी वजह से आप जनता से अलग रहेंगे और सही बातोंको नहीं समझ सकेगें और न उनकी सही तकलीफों को समझ सकते है, और जो कुछ भी आपकी रीति-नीति बनती जा रही है या जो कुछ भी काम आप करते जा रहे हैं उसका आम जनता पर यह इम्पेक्ट पड़ता है कि हमारी आवाज का इन्हें अच्छी तरह से ज्ञान नहीं रहता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदया, मुझे वन विभाग के बारे में बात कहनी थी। हमारे यहां सवाई माधोपुर में फारेस्ट सबसे ज्यादा होते हैं। उदयपुर से दूसरे नम्बर का है। उदयपुर के पानरवा जंगल काण्ड की चर्चा सदन में कई बार हो चुकी है और समाचार पत्रों में भी छप चुकी हैं, लेकिन सवाईमाधोपुर के काण्ड की कोई खबर नहीं आई है। सवाई

(हरिवल्लभ शर्मा)

माधोपुर में पुनर्वास के समय जागीरों के जंगल ३२ हजार एकड़ के जो रिज़र्व फारेस्ट थे उनको बगैर किसी पैसे के कटवा दिया गया है। बनावटी पट्टे लेकर उनको मान्यता दी गई है। मध्यप्रदेश की सरकार ने कुछ ऐसे पट्टों को मान्यता नहीं दी। वहां पर भी इस प्रकार का प्रश्न उठा था कि इस प्रकार से जागीरदारों द्वारा दिये हुए पट्टे जो साधारण कागज की लिखावट पर हैं, वे लिये जायं या नहीं। पुनर्ग्रहण हो गई थी जागीरें उसके पश्चात् जागीरदारों ने मिल मिला कर कुछ ठेकेदार पैदा किये और २०-२५ हजार में बहुत बढ़िया जंगल जो ३-३॥ हजार एकड़ के थे बेच दिये और उनको राज्य सरकार ने मान्यता दे दी। उसके बाद जंगल कटे और राज्य सरकार को एक पैसा नहीं आया। औसत आक्शन पर आपके यहां ऐसे जंगल जो नीलाम होते हैं वे एक एक जंगल ५००) रु० प्रति एकड़ का अब बैठता है। इस प्रकार से जो फारेस्ट इस तरह से बगैर नीलाम हुए कट गये वह करोड़ रुपयें के हैं लेकिन आपको एक पैसा भी नहीं मिला। आपके राज्य की सम्पदा का हनन हुआ है जिसमें न मालूम अब तक रहे वन मंत्रियों ने अपने हाथ रंगे होंगे और चुनाव का अपना खर्चा लिया होगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदया, मैं दो मिनट में ही खत्म कर दूंगा।

मैं राज्य सरकार की इस नीति का स्वागत करता हूं कि उन्होंने यह घोषणा की कि न्याय विभाग एक्जीक्यूटिव से पृथक होगा। लेकिन मुझे इस घोषणा से सन्तोष नहीं है। केवल पेनल कोड के कुछ केसेज निकाल देने से काम नहीं चलेगा। आपकी राज्य सरकार के जो कलेक्टर्स या रेवेन्यू आफिसर्स जिन केसेज में चालान की स्वीकृति देते हैं, जैसे एसेन्शियल कामोडिटीज एक्ट के केसेज हुए या स्पेशल एक्ट्स के केसेज हुए जिनके द्वारा लोगों से राजनैतिक प्रतिशोध लेने की सम्भावना है। मैं निवेदन करूंगा कि जितने सारे स्पेशल एक्ट्स हैं उनके तहत जितने केसेज अपराध के होते हैं उनकी ट्रायल का भी पृथक्करण होना चाहिए। जब तक यह व्यवस्था नहीं बैठती है तब तक सेपेरेशन का नारा ढोंगमात्र है। कलेक्टर जिस एसेन्शियल कामोडिटीज एक्ट के कन्ट्रावेन्शन के अपराध की स्वीकृति दे और उस के तहत एडिशनल कलेक्टर केस सुनें। क्या मजाल है कि वह न्याय कर सके अपराधी के साथ। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एसेनियल कामोडिटीज एक्ट को लेकर बहुत बड़ा राजनैतिक प्रतिशोध लिया गया है हमारे यहां पर! उन व्यक्तियों को जिनकी लिस्ट कांग्रेस क्षेत्र में बनी हुई थी उनको उठाकर केवल डिपार्टमेंटली ८-१०-११-१५ रुपये लेकर माफ कर किया कलेक्टर के द्वारा और बाकी के व्यक्तियों को जिनकी दूसरी लिस्ट विपक्ष में होने की बनी हुई थी जिनके बारे में यह भ्रम था कि ये दरअसल कांग्रेस विरोधी हैं उनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया, उनके चालान किये गये और हजारों रुपया उनके ऊपर जुर्माना हुआ। यह शासन-व्यवस्था आपकी प्रशासन में हर बात में हस्तक्षेप करने की बहुत खराब है। मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं।

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक उदाहरण और दूंगा। हमारे यहां सवाई माधोपुर से इन्दरगढ़ सड़क बन रही है।

मैं एक इम्पार्टेन्ट बात कह रहा हूँ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य काफी समय हो गया है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैं एक उदाहरण देकर बैठ जाऊंगा।

सवाई माधोपुर से इन्दरगढ़ तक एक सड़क बन रही है। कान्ट्रेक्ट हुआ है ६० में। और ६० से ६८ होगया, लेकिन १९ मील का टुकड़ा अभी तक पूरा नहीं हुआ। ८ साल में १९ मील का टुकड़ा अभी तक पूरा नहीं करवाया गया है। हमारे यहां पर नं० २ का ५० बेडेड हास्पिटल बन रहा है। जो ठेकेदार इस इन्दरगढ़ सड़क पर ठेकेदार था इसके लिए उस ठेकेदार ने भी टेन्डर दिया था। कोटे वालों ने भी टेन्डर दिया। सवाई माधोपुर के दूसरे ठेकेदारों ने भी टेन्डर्स दिये। जयपुर वालों ने भी टेन्डर्स दिये। बदकिस्मती की बात थी कि नामी ग्रामी उस श्री नारायण ठेकेदार जो सवाई माधोपुर से इन्दरगढ़ की सड़क पर काम करता था उसका लोएस्ट टेन्डर नहीं आया। उसका नं० २ पर टेन्डर आया। उसके बाद जो लोएस्ट टेन्डर वाला था उसके खिलाफ कांग्रेसी बन्धुओं ने इलजाम लगाया और डेपुटेशन लेकर आये कि इसने कांग्रेस का विरोध किया था और विरोधी विधायक का समर्थन किया था इसलिए चाहे लोएस्ट टेन्डर नहीं है लेकिन पार्टी की बात तो तब रहेगी जब कि यह टेन्डर उसके नाम से स्वीकार हो, हास्पिटल के ठेके की चाहे रेट वही कर दिये जायं जो कि श्रीनारायण के लोएस्ट की है। जहां तक मुझे मालूम पड़ा है, सभापति महोदया, आपके माध्यम से इस राज्य सरकार से यह कह देना चाहता हूँ कि उसके विरुद्ध कांग्रेसी विधायक बन्धुओं ने और नामी ग्रामी सरपंच, आलनपुर ने . . .

श्री मूलचन्द डागा : पाइंट आफ आर्डर, सर। मैं यह चाहता हूँ कि जब आपने चार बार माननीय सदस्य को बैठने का आदेश दिया है . .

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है। आप विराजे जाइये . .

(विपक्ष से हियर, हियर)

(श्री हरिवल्लभ शर्मा से) आप एक मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : इनकी सिफारिश करके अधिकारियों से जबरदस्ती यह लिखाया कि कुछ विधायक और प्रमुख इसकी शिकायत करते हैं इसलिए नेक्स्ट लोएस्ट को यह टेन्डर मन्जूर कर दिया जाय। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की बातें चलती हैं। गलत तरीके से ठेका मन्जूर करते हैं और उसके बाद गड़बड़ी करने के लिए ठेका देते हैं और काम में गड़बड़ी होती है तो आपके सामने मुश्किल होती है, क्योंकि आपकी पार्टी उसके बीच में आती है।

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदया, राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब तो आपके लिए कोई गड़बड़ नहीं है, और कोई भय भी नहीं है इसलिए बड़ी मजबूती से एक साल के लिए सच्चाई और ईमानदारी से काम करें, और यह जो कुछ भी मांगों में सदन में पास किया है और आपने इसमें रखा है और जो इस सदन के द्वारा स्वीकार किया गया है उसको सामाजिक न्याय की दृष्टि से, सही ढंग से करें और सही ढंग से यह देखें कि जो आय राज्य कोष में आने वाली है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : सभापति महोदया, आप तो उनको बोलने का समय देते हैं जो जोर से बोलते हैं। हमारी आवज दब जाती है। तीन रोज से बोलने के लिये खड़ा हो रहा हूं मौका नहीं दिया गया है। मैं किसान के हित की बात कहना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : आप बैठ जाइये। आपको इनके बाद समय दिया जायगा।

श्री जगन्नाथ : मैं तो अभी बोलूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर ! ऑर्डर ! आपको समय दिया जायगा।

श्री ओमदत्त भाटी : फ्रीडम ऑफ स्पीच है सबको। हमको भी समय मिलना चाहिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : जगन्नाथ बाबा को दबाते क्यों हो ?

श्रीमती सभानेत्री : आपको भी समय मिलेगा।

श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): मोअज्जिमा ए सदर, आपकी नजरे इनायत से चन्द अल्फाज कहने के लिये मुझे मौका मिला है उसके लिये मैं आपका अहसानमन्द हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान काफी रियासतों के एकीकरण के बाद बना, इसने इन बीस सालों में बहुमुखी प्रगति की है। प्रत्येक क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ा है। राजस्थान कुछ मामलों में देश को भी मार्गदर्शन दिया और प्रेरणा दी है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : वक्त बदलने के लिये....

श्री रामनारायण चौधरी : सब से पहले राजस्थान में पंचायत राज्य का श्री गणेश हुआ इस कारण राजस्थान के लोगों ने अन्य प्रदेशों को दिग्दर्शन कराया। आज राजस्थान में पंचायत राज्य फल फूल रहा है...

श्री रामचन्द्र आर्य : आज इस पंचायत राज्य मेंसरपंच की यह हालत कर रखी है कि वह अदालत में सिर झुकाये खड़ा रहता है। उसको ४०६ में घसीटा जाता है राजस्थान में इस पंचायती राज्य में मिट्टी पड़ी हुई है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं सभापति महोदया, आपके माध्यम से निवेदन

(श्री रामनारायण चौधरी)

करना चाहता हूं राजस्थान बनने के बाद में इसने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है। प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढा है। शिक्षा के क्षेत्र में जहां १६४७ में राजस्थान का डेढ़ करोड़ का बजट था, १६५२ में तीन करोड़ का था वह आज ६८ में बढ़ कर २६ करोड़ का होगया है। मैं मेरे जिले के बारे में कह सकता हूं। आज मेरे जिले में आजादी से पूर्व झुंझनू जिले में एक लोअर मिडिल स्कूल था जो १६४६ में हाई स्कूल बना था। आज हमारे जिले में अनगिनत हाई स्कूल है, हायरसेकेन्डरी स्कूल हैं मिडल स्कूल हैं और प्राइमरी स्कूलों का तो तांता ही लगा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक जिले और गांव में शिक्षा का चलन सरकार के माध्यम से हुआ है। इस बजट अधिवेशन के अन्दर भी कई नीति संबन्धी घोषणायें की गई जो स्वागत योग्य है। इनमें से एक नीति संबन्धी घोषणा यह है जो मसला मैं सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने जुडिशियरी का सैप-रेशन एग्जीक्युटिव से करने का निश्चय प्रगट किया है इस संबन्ध में ही मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

मुझे इस बात से खुशी है जुडिशियरी का सेपरेशन होना चाहिये वह एग्जीक्युटिव से स्वतन्त्र होनी चाहिये यह हमारे लिये आदर्श और न्याय की बात है। लेकिन इसके साथ साथ, सभापति महोदया, आज हमें यह देखना होगा जुडिशियरी ईमानदारी और सचाई के साथ काम करे और जनता को राजस्थान के आम लोगों को सस्ता इन्साफ मिल सके इस ओर उनको ध्यान देना होगा। आज हमने जो जुडिशियरी को एग्जीक्युटिव से अलग करने का निर्णय लिया है उसको अलग करने के बाद हमें निश्चिंत होकर नहीं बैठ जाना है लेकिन हमे इस ओर ध्यान रखना होगा कि वास्तव में जनता को जल्दी और सस्ता न्याय मिलता है या नहीं। मैं इस बारे में सुझाव पेश करना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये कि लोगों को सस्ता न्याय मिले मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि कोर्ट फीस दो रुपये की बजाय एक रुपया कर दिया जाय यह तो नगण्य बात है। सस्ता इन्साफ मिलने में जो दिक्कतें आ रही है अदालतों में मुकद्दमों के अन्दर जो तारीख पर तारीख पड़ती रहती है, बार–बार उनको स्थगित कर मोअक्किलों को बेहद परेशान किया जाता है उसकी ओर ध्यान देना होगा। सस्ते इन्साफ के लिये यह बहुत जरूरी है कि मुक-दमों का निर्णय जल्दी हो और तुरन्त फैसला मिले। साथ ही जनता यह महसूस करे कि हमें सच्चा इन्साफ मिला है। इसके लिये सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि सरकार ने जुडिशियरी को एग्जीक्युटिव से सेपरेट करने का निर्णय लिया है वह अब इस बात से बरी हैं इसलिये यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि राजस्थान हाई कोर्ट में ही हाई कोर्ट के जज के स्टेटस का व्यक्ति या हाई कोर्ट के जजेज में से हो एक्सक्युजि-वली वह इस बात के लिये रहे जो जुडि-शियरी में विजीलेन्स कमीशन का काम करता रहे। वह यह देखता रहें कि जुडिशियल कोर्टस में फैसले जल्दी हो बिना किसी मतलब के लोगों के मुकदमें स्थगित न हो।

(३.४८ म.प.)

(श्री कृष्णकुमार गोयल सभापति पदासीन)

सभापति महोदय, देश न्याय के ऊपर ही

(श्री रामनारायण चौधरी)

टिका हुआ है जिस को देश जनता को न्याय मिलना बन्द हो जायगा लोगों का विश्वास जनतन्त्र से हट जायगा। जब विश्वास हट जयगा तो वह देश के लिये बड़ी दुखद घटना होगी। वह घड़ी देश के लिये इतनी बुरी होगी जिसकी हम आज कल्पना करके नहीं चल सकते।

मेरा निवेदन यह है कि लोगों को सस्ता न्याय मिले, और लोगों को मुश्किलात, न हों लोगों को तकलीफ न हो उनके फैसले जल्दी निर्णित हो कानून और कायदे के मुताबिक। इसके लिये जरूरी है कि राजस्थान हाई कोर्ट के जजेज की सख्या बढ़ायी जाय। सबोर्डिनेट जुडिशियल कोर्टस के लिये जुडिशियल विजिलेन्स कमीशन की व्यवस्था करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : गवर्नमेन्ट भी देरी करती है मुकदमों के फैसले में उसके लिये क्या करेंगे ? बारह–बारह साल तक लोगों को पेमेन्ट नहीं मिलता, तनख्वाह नहीं मिलती, उनका हरेशमेन्ट होता है इनके लिये भी तो कानून बनाना चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : आज जुडिशियरी को एग्जीक्युटिव से अलग करने के बाद भी ...

सभापति महोदय, देखने में यह आता है और हम देख रहे है कि राजस्थान के वे आर. ए. एस. अधिकारी जो रेवन्यू कोर्टस में और सरकार के प्रशासनिक कार्यों में रहते थे और काम करते थे और जिनकी ओनेस्टी और इन्टिग्रिटी डाउटफुल थी उन लोगों को डेपुटेशन पर हाई कोर्ट में भेजा गया है और वे मुंसिफ मजिस्ट्रेट या सिविल जज नियुक्त हुए हैं। जिन लोगों ने प्रशासनिक ढंग का मजिस्ट्रेट या सिविल जज नियुक्त हुए हैं। जिन लोगों ने प्रशासनिक ढंग का मजिस्ट्रेट या एस, डी. ओ. की कैपेसिटी में ऐसा काम किया था जो संदेहास्पद था, जो डाउटफुल था। निर्णय ऐसे थे कि लोगों ने उनके खिलाफ आक्षेप लगाये थे, इन्क्वायरी चली थी वे लोग हाई कोर्ट के अंडर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट या सिविल जजेज के ओहदे पर गये हैं। हम इस बात से संतोष कर लेते हैं कि जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव से अलग हो गई है इसलिये जनता के साथ इन्साफ होगा, मैं महसूस करता हूं कि हमारा यह सोचना सही नहीं है, काफी नहीं है। इसलिये आपको सख्त व्यवस्था करनी होगी। आज जिले का डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट जुडिशियरी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। डिस्ट्रिक्ट जजेज का माइन्ड जुडिशियरी का है, हाई कोर्ट के जजेज माइन्ड जुडिशियरी का है। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट का माइन्ड है लेकिन जिसमें एग्जीक्युटिव का भी माइन्ड साथ में हो ऐसे आदमी को विजिलेन्स कमिश्नर बना कर नियुक्त करना चाहिये और जो सबोर्डिनेट कोर्टस के मुंसफ हैं, सिविल जजेज हैं उन पर वह विजिलेन्स रखे और समय-समय पर इन्सपेक्शन करें। लोगों के अभाव अभियोग और शिकायतें मौके पर जाकर सुने और लोगों को एहसास करावे कि जुडिशियरी को एग्जीक्युटिव से सेपरेट करने के बाद ये भगवान के अवतार नहीं हैं, जो शिकायत जनता की वाजिब हो, जो गलत काम करता है उसको सुनने वाले, अनियमितताओं की जांच करने वाले भी कोई हैं यह अहसास जनता को होना चाहिये। अपीलें भी होती हैं लेकिन वे कानूनी मुद्दों पर होती हैं लेकिन जो

(श्री राम नारायण चौधरी)

अनियमितताएं करते हैं, गैर कानूनी तरीके से एडजोर्नमेन्टस देते है, जो छुट्टी के दिन अदालत लगाकर जमानत लेते हैं उनके काम को डिस्ट्रिक्ट जजेज नहीं देखते, वे तो लीगल पोइन्टस देखते हैं। मेरा निवेदन यह है कि जुडिशियल मैटर्स में जो सबोर्डिनेट कोर्टस हैं उन पर सुपरविजन हाई कोर्ट को करना चाहिये। उनके ऊपर विजिलेन्स कमिश्नर होना चाहिये। जिससे लोगों को महसूस हो सके कि जुडिशियरी में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी सुनवाई नही होती हो आज कई बाते ऐसी होती हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के सामने ले जाते हैं तो वे कहते हैं कि हम क्या करें, हमारा तो सेपरेशन हो गया, यदि डिस्ट्रिक्ट में होता तो हम देखते, हाई कोर्ट में है इसलिये हाईकोर्ट में जाओ। हाई कोर्ट के बारे में लोग ऐसा समझने लगते हैं कि हाई कोर्ट में जा सकने हैं या नहीं, कहीं कटेम्प्ट ओफ कोर्ट न हो जाय। तो इस बारे में लोगों को ज्ञान कराना चाहिये और इस मासले में जैसा मैंने निवेदन किया, जुडिशियल विजीलेन्स कमिश्नर नियुक्त करना चाहिये और लोगों को सस्ता न्याय दिलाना चाहिये।

सभापति महोदय, प्रशासन के संबंध में और दूसरे मामलो के बारे में काफी कहा गया है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन में कमियों के बारे में और दूसरी प्रकार की आलोचनाओं, भ्रष्टाचार और दूसरी बातों को लेकर यहां भी और देश की दूसरी विधान सभाओं में तथा लोक सभाओ में चर्चा की गई है और यह कहा गया है कि देश में भ्रष्टाचार पनप रहा है, प्रशासन में विकार आ रहा है, प्रशासन में जब तक इन्साफ और न्याय नहीं होगा तब तक कोई भी समाज, कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ सकता। हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने लोक सभा में ...

एक मा० सदस्य : प्रधान मंत्री नहीं, उप प्रधान मंत्रीं।

श्री रामनारायण चौधरी : उप प्रधान मंत्री जी ने प्रशासन के संबंध में और भ्रष्टाचार के बारे में जवाब देते हुये एक बात कही है मैं समझता हूं उससे अच्छी बात और उतम बात और कोई नहो हो सकती। उन्होंने कहा कि प्रशासन में चरित्र गंगा को बहाना चाहिये। शासन की ओर से शासित की तरफ चरित्र गंगा निरन्तर बहती रहे यही चरित्र की तारीफ है शासन से शासित को और चरित्र गंगा नहीं बहती है और शासन की ओर चरित्र गंगा नहीं बहेगी तो यह निश्चित बात है कि देश को आगे बढाना मुश्किल है मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता चाहता हूं कि हम इस बात को चेष्टा करे कि आज के समय में समाज को आगे बढ़ाने का पूरा कर्तव्य और दायित्व किसी भी देश या प्रदेश की सरकार का होता है और किसी भी देश और प्रदेश की जनता का भी कर्तव्य होता है कि वह भी अपने मौलिक अधिकारों को समझे और उसके अनुरुप काम करे तभी आगें बढ़ सकते हैं। अकेली सरकार देश को आगे नही बढ़ा सकती और अकेली जनता कुछ नही कर सकती। दोनो का कोआर्डिनेशन दोनों का समन्वय होना जरुरी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे देश की शिक्षा के संबंध में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। आज हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली है। जिस तरीके

(श्री राम नारायण चौधरी)

के से ग्रौर जिस तरह की शिक्षा के माध्यम से हम हमारे बच्चों को सुशिक्षित कर रहे हैं ग्रौर नौजवानों को शिक्षा दे रहे हैं उनके बारे में हमें विचार करने की जरूरत है। ग्राज हमारे देश की शिक्षा ऐसी हो जिससे कि हमारे देश के नवयुवक ग्रागे बढ़ें ग्रौर देश के चरित्र का निर्माण हो, देश के ग्रंदर जीवन के मौलिक ग्रधिकारों को समझने की क्षमता ग्रावे ग्रौर हमारा देश ग्रौर समाज ग्रागे बढ़े। ग्राज हमारी शिक्षा जिसके बारे में लोक सभा में भी विचार हुग्रा है ग्रौर हमारे देश के शिक्षा मंत्री श्री त्रिगुण सेन ने भी शिक्षा के बारे में विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने महसूस किया है कि प्राथमिक शिक्षा पर ग्रधिक जोर देना चाहिये ग्रौर देश में प्राथमिक शिक्षा का स्टेन्डर्ड या स्तर ग्रौर पाठ्यक्रम पूरे देश का एक होना चाहिये ताकि भावनात्मक एकता बढ़े ग्रौर हम महसूस कर सकें कि हमारा देश एक है ग्रौर हम सब एक दूसरे से जुदा नहीं है।

ग्राज, सभापति महोदय, शिक्षा के मामले में जितना हमें कुछ करना चाहिये ग्रच्छी शिक्षा देने के बारे में, यद्यपि हम हमारे यहां पर २९ करोड़ रुपये लोगों को शिक्षित करने में खर्च कर रहे हैं लेकिन देश की जरूरत के माफिक देश के नवयुवकों को कैसी शिक्षा की जरूरत है इस ग्रोर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्राज कॉलेज ग्रौर विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद नवजवान यह महसूस करता है कि हम पढ़ रहे है ग्रौर पढ़ने के बाद हमारा भविष्य क्या होगा। वे ग्रपने भविष्य के बारे में चिन्तित है ग्रौर जिस देश के विद्यार्थी ग्रौर नौजवान ग्रपने भविष्य के बारे में चिन्तित हो ग्रौर उनको ग्रपने भविष्य के बारे में ग्राशा नहीं हो उस समाज के बच्चों ग्रौर नवजवानों में निराशा ग्राना स्वाभाविक है। ग्रौर जहां पर निराशा ग्रायेगी वहां पर उत्पात होंगे ग्रौर जहां उत्पात होंगे वहां देश की व्यवस्था बिगड़ेगी।

(४ म ०५०)

देश की व्यवस्था जहां बिगड़ेगी तो देश के लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न होगा। ग्राज देश के लोकतंत्र को जमाने के लिए उसकी नींव को मजबूत करने के लिए हमें किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है कि ग्राने वाली नई पीढ़ी ग्रपने कर्तव्यों को समझे ग्रौर ग्रपने भविष्य के बारे में ग्राशान्वित हो, ग्राशावादी हो। ग्राज हम विद्यार्थियों को कोई कार्यक्रम नहीं दे रहे है, ग्राज विद्यार्थियों के ग्रलावा देश के नौजवानों के लिए भी हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं है, जो लोग खेती में लगे हुए हैं, जो लोग कारखानों में लगे हुए हैं ग्रौर जो लोग नौकरी में लगे हुए हैं-उनके पास तो दिन भर कार्यक्रम है, वह ग्रपने काम में लगे हुए हैं लेकिन ग्राज हमारे देश में करोड़ों की तादाद में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, कालेज ग्रौर यूनीवर्सिटी के विद्यार्थी हैं ग्रौर जो ग्रपने घरों पर बैठने वाले नौजवान हैं उनको देने के लिए हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं है ग्रौर हमारे देश के कार्यक्रम में उनके लिए किसी कार्यक्रम का समावेश नहीं है, इसलिए में ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हम देश के विद्यार्थियों के लिए, देश के नौजवानों के लिए शिक्षा में इस प्रकार का परिवर्तन करें कि वह महसूस करें जिम्मेदारी ग्रौर उनका

(श्री रामनारायण चौधरी)

चरित्र निर्माण भी हो, वह समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझें, और देश के अन्दर एक दूसरे का आदर करने, एक दूसरे की इज्जत करने, और बड़ों के प्रति प्यार और आदर की भावना पनपे और यह भावना बढ़े । सभापति महोदया, हमारे छात्रों में जिस तरीके से जिन प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है उनको हमें रोकना है । आज इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले सभी साथियों का यह पुनीत कर्तव्य है कि विद्यार्थी जो समाज की निधि हैं, उनके लिए हम रचनात्मक तरीके से, रचनात्मक कार्यक्रम बना कर इस प्रकार दें जिससे वह उसके अनुरूप चल सकें और इस निधि का देश के विकास में उपयोग हो । इन शब्दों के साथ में आपकी अनुमति से अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं ।

श्रीजगन्नाथ (टोडारायसिंह) : मेरा नम्बर है बोलने का । मुझे बोलने दीजिये ।

श्री जयनारायण सालोदिया : बोलो, जगन्नाथ बाबा ।

श्री जगन्नाथ : चेअरमैन महोदया, इस सदन के अन्दर माननीय सदस्यों ने अपनी योग्यता के माफिक आसन को जो जो बातें निवेदन की हैं वह उनकी योग्यता का प्रमाण है । मैं भी सिर्फ मेरे क्षेत्र की बात, जो मेरी नज़र में आई हैं उन्हें राज्य सरकार के कानों तक पहुँचाने के लिए निवेदन करता हूं । मेरे क्षेत्र की बहुत उपजाऊ भूमि है लेकिन पानी की बहुत कमी है । टोडारायसिंह नगर के अन्दर चार सौ टैंक हैं, एक बड़ा टैंक है । जब अच्छी वर्षा हो जाती है तो टैंक भर जाते हैं और सिंचाई

(४.०३ म० प०

(श्रीपूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

बहुत अच्छी हो जाती है और पैदावार हो जाती है । लेकिन पिछले तीन सालों से वहां पानी की कमी से टैंक नहीं भरे । उसके कारण टोडारायसिंह नगर ने बहुत दुःख पाया और जगह जगह जाकर लोगों ने मजदूरी करके कमाई की और किसी तरह खाने की समस्या को हल करके अपने बाल बच्चों का पालन पोषण किया । अब मैं उस विषय के बारे में कहना चाहता हूं जो उस क्षेत्र में बनास नदी है, वह जाकर गोकुलसर महादेव बंध में मिलती है । इस गोकुलसर बंध महादेव की राज्य सरकार ने सर्वे कराई थी, जिस प्रकार राज्य सरकार ने हरएक जिले की सिंचाई की दृष्टि से सर्वे कराई थी और योजना बनाई थी, उसी तरह इसकी योजना राज्य सरकार के पास मौजूद है । गोकुलसर महादेव का बांध बनने से टोडारायसिंह नगर का क्षेत्र राजस्थान के अन्दर बहुत उपजाऊ हो जायगा । चम्बल की बिजली की योजना सिंचाई की बात हो रही है उसका भी आप प्लान बनायें और बिजली का काम हो जाय तो इससे और फायदा होगा । इससे एक बात और होगी कि जो पानी की बाढ़ आती है गोकुलसर महादेव में, जो उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है, उसमें पानी की बाढ़ से लाखों आदमियों की अचल सम्पत्ति और मवेशी बह जाते और मर जाते हैं । इससे वह बच जायेंगे । इसका मैं एक उदाहरण दूंगा । बहुत पहले तो मैंने देखा नहीं था लेकिन १९३२ में जब नदी बनास की बाढ़ आई थी तो गोकुलसर महादेव का उत्तर पूर्व का हिस्सा काफी दुःख पाया और उसमें चल, अचल सम्पत्ति बरबाद हो गई थी । लेकिन १९८४

(श्री जगन्नाथ)

सम्वत में जो पानी की बाढ़ देखो, वह खूब अच्छी तरह से देखी और जनता की चल और अचल सम्पत्ति का काफी नुकसान हुआ और आदमियों का भी नुकसान हुआ। उसके बाद सम्वत १६३६ में जो पानी की बाढ़ आई, वह ऐसी बाढ़ आई जिसमें लाखों आदमी मर गये और लाखों की सम्पत्ति बरबाद हो गई। फिर सम्वत २०२३ में रबी की फसल नदी बनास के अन्दर और गोकुलसर महादेव के अन्दर बाढ़ आने से उत्तर पूर्व की सब फसल बरबाद हो गई। पहले का तो मुझे मालूम नहीं लेकिन बनास नदी की बाढ़ से ७५ लाख का नुकसान हुआ था। राज्य सरकार ने इस नदी बनास के लिए योजना बनाई थी, इसके बाबत तो मैं आपको निवेदन करता हूँ कि राज्य सरकार भारत सरकार को निवेदन करे और इस पर जल्दी ध्यान देकर इस नदी बनास के बांध की योजना बनाई जाय! इस हाउस के अन्दर माननीय सदस्य डूंगरपुर जिले की बात कहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि आदिवासियों को भूमि को बचायें और उनको मदद करें, लेकिन उसके साथ ही गोकुलसर महादेव बांध को इस क्षेत्र की दृष्टि से बना दिया जाय।

दूसरी बात यह है, दूसरी नहीं तीसरी बात यह है, मैं यह निवेदन करूं, मैं ने माननीय सिचाई मंत्री का भाषण सुना है। केकड़ी तहसील के अन्दर लसाड़िया बांध बनेगा, वह बनने से केकड़ी क्षेत्र की केकड़ी तहसील बच जाएगी, लेकिन राज्य सरकार ने हिगुनिया बांध की सर्वे करा रखी है। इस हिगुनियां बांध को बना दिया जाय तो चार तहसीलों को राहत दे सकते हैं, किशनगढ़ तहसील का एक बटे दो हिस्सा, मालपुरा का एक बटे दो हिस्सा, देवली का एक बटे चार हिस्सा और टोंक का एक बटा चार हिस्सा। इस हिगुनियां बांध को बनवाया जाय, इसका सप्लाई कट तीन मील दक्षिण टोड़ा सागर को मिले। यह जो टोडा सागर बना हुआ है, यह १६४० में बना था और उसमें ३२ फीट की भराई होती है। यह बांध बना तो उससे उसकी २८ फीट भराई रह गई है, इससे टोडा-रायसिंह तहसील में पानी की बहुत कमी रह गई। तो यह बांध बना दिये जायं और उनका सप्लाई कट बना दिया जाय तीन मील दक्षिण में तो टोडा सागर से पानी का सप्लाई पूरा हो सकता है तो इसके बनने से आधा हिस्सा मालपुरा को, सवा हिस्सा टोंक को, सवा हिस्सा देवली को और केकड़ी का हिस्सा मिल जायगा। यह मैंने राज्य सरकार से निवेदन किया है सिंचाई के बाबत।

अब शिक्षा विभाग की बाबत अर्ज करूंगा कि सन् १६४७ के पहले जो शिक्षा थी राजाओं के वक्तटोंक तहसील में २१० गांव थे। दो सौ दस गांवों में एक दरबार शहर के अन्दर स्कूल था और २१० गांवों के अन्दर स्कूल का सकूना नहीं था। अब काफी तरक्की हुई है। और तरक्की से हमें काफी अच्छी विद्या मिली है। इसकी बुराई करने वालों का नाम नहीं लेता। लेकिन आज हमारे किसानों को शिक्षा विभाग से इतनी महत्वपूर्ण बात मिली है कि स्कूल में पढ़कर हमारे किसानों के बच्चे फौज में जाकर भर्ती हो गये हैं। उनमें से कई लेफ्टिनेंट और कप्तान बन गये हैं। और बहबूदी के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। इनके अलावा विद्या प्राप्त करके तहसीलदार

(श्री जगन्नाथ)

पटवारी जैसे ग्रोहदों पर भी पहुंचने की ग्राशा करते हैं । इंजीनियर भी बनते हैं। मुझे वह दिन याद ग्राता है सं० १९४५ में पटवारीयों की बात नहीं कहता लेकिन उस वक्त जो नाजिम रहते थे उनको निवेदन किया तो उन्होंने कहा ग्रच्छा हम कोशिश करेंगे । उस जगह मेरे गांव का जागीरदार था वह बैठा हुग्रा था उसने मुझे देखते ही पूछा कि क्या लेने ग्राये हो ? मैं ने कहा कि लेने कुछ नहीं ग्राया स्कूल की बात लेकर के ग्राया हूं। उन्होंने कहा कि गांव के जो लोग हैं उनको पढ़ाग्रोगे लिखाग्रोगे तो उससे हम कमजोर पड़ जाएगें । ग्रौर हमारी जागीरें खत्म हो जाएंगी। इसलिए मैं शिक्षा विभाग को बहुत धन्यवाद देता हूं एक बात में बिजली के बारे में कहना चाहता हूँ । मेरे नजदीक टोंक शहर में कोई भी कारखाना नहीं है । टोंक शहर के लिए यह कहा गया कि टोंक में चमड़े का कारखाना लगवा देंगे। ग्राज टोंक शहर में कोई कारखाना नहीं है। इससे टोंक की जनता बहुत दुखी है, उस जगह कोई मिल लगादी जाए तो जनता को बहुत ग्राराम हो जाए टोंक भी राजस्थान का ही हिस्सा है । ग्रभी मैंने सुना है कि जो चमड़े का कारखाना टोंक में खोलने की बात थी वह भी नहीं खुलेगा। क्या राज्य सरकार टोंक से नाराज है ग्राप कृपा करके चमड़े की वस्तुग्रों का कोई कारखाना वहां खोल दीजिए जिससे कि टोंक की जनता को भी काम मिल जाए।

पुलिस की बात मैंने कही कि पुलिस महकमा बहुत ग्रच्छा है । पुलिस हमारी रक्षा करने वाला महकमा है । पुलिस नहीं हो तो दुश्मन हमारे देश को खत्म कर दें। पुलिस का नाम वैसे ही बदनाम होता है ग्रौर चोरियां दूसरे ग्रादमी ही करते हैं। हम पुलिस को बेकार बदनाम करते हैं । मैं टोंक तहसील का जिक्र करता हूं, टोंक तहसील के ग्रन्दर मानवार गांव तक कोटा को बिजली पहुंच गई है । ग्रौर वहां पर बिजली का स्टेशन बनाया हुग्रा है जिसके कारण कुग्रों से ग्रच्छी सिंचाई हो रही है, उससे ४ मील की दूरी पर ही गाड़िया ठाण बरणी पंचायत में है। इन गांवों में काफी कुवे हैं। इन कुग्रों में इतना पानी है कि ग्रकाल भी पड़ जाए तो भी पानी नहीं टूटता है । मैं निवेदन करता हूं मेरी ६५ साल की उम्र है । जब कभी हमारे इलाके में बरसात नहीं होती है तो ग्रासपास के गांवों के लोग हमारे गांव के इन कुवों से पानी खींच कर लोग हमारे व गांव के इन कुवों से पानी खींचकर ले जाते हैं। लेकिन इस जगह ग्रभी तक बिजली नहीं पहुंची है । ग्राप कृपा करके इस जगह बिजली पहुंचाने की इनायत करें । ग्रब इससे ज्यादा मैं ग्रर्ज नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामसिंह।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का विनियोग विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है ग्रौर उस विधेयक में जो व्यय स्वीकृत किया जाने वाला है उस व्यय से सम्बन्धित में गांव से सम्बन्ध रखने वाली दो तीन बातों को निवेदन करूंगा। यदि सरकार इन बातों की ग्रोर विचार कर सके ग्रौर व्यय में कमी कर सके तो ग्रच्छा होगा। पहली बात तो यह है कि गांव का सम्बन्ध ग्रौर पटवारी का सम्बन्ध जो लम्बे ग्ररसे से जिस तरह से बना है ग्रौर पटवारी के जिम्मे जो राज्य का काम हैं वह इतना सरल ग्रौर साधारण काम है रिकार्ड ग्रॉफ राइट्स को

(श्री रामसिंह कुड़ी)

मेंटेन करने का और जो लगान वसूल करते हैं उसका वसूल करने का देखरेख करने का यह दो काम तो साधारण से साधारण व्यक्ति चाहे वह ग्राम पंचायत हो, ग्राम सेवक हो या पंचायत सचिव हो वह कर सकता है। गांव की शान्ति को कायम रखने के लिए और किसानों की बरबादी को रोकने के लिए यह जो पटवारी की सत्ता है इसको तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए। रिकार्ड को बिगाड़ने, गलत मतालबे बनाने, अदालत के फंसले तक की दर्ज नहीं करने, यह सब तरह के आपस के सारे झगड़ों की जड़ यह पटवारी बना हुआ है। मैं सरकार से माग करूंगा कि वह इस पद को तुरन्त समाप्त करे तो किसानों को वास्तविक राहत मिल सकेगी और सरकार के नियम जिस तरह के हैं उनसे किसानों को फायदा मिल सकेगा। वर्ना पटवारी आज भ्रष्टाचार का मूलाधार और मूल स्रोत बन गया है। इस हालत में इस पद को समाप्त किया जाना बहुत आवश्यक है।

दूसरी बात बीघोड़ी कर के बारे में भी कहूंगा। बीघोड़ी कर की समाप्ति का आर्थिक पहलू है और दूसरी किस्म के पहलू भी हैं। पहला पहलू बीघोड़ी कर का यह है कि किसानों को मान देना है। क्योंकि खेती कोई धन्धा नहीं है। खेती समाज सेवा है। इसलिए खेती करने वाले किसान को सम्मान देना चाहिए। और सम्मान देने के लिए खेती के ऊपर भूमिकर के नाम से कर वसूल करना न्याय संगत नहीं है यह लोकतन्त्र की भावनाओं के और सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। लोकतन्त्र में चलने वाले और लोकतन्त्र में आस्था रखने वाले सभी व्यक्तियों को यह चाहिये कि वह इस भावना को समझें। कुछ लोग बीघोड़ी कर आर्थिक पहलू के हिसाब से सोचते हैं और सरकारी आमदनी का इसे स्रोत बताते हैं। मैं यह मानने में हिचकूंगा नहीं कि सरकारी आमदनी का यह एक स्रोत है परन्तु इसकी वसूली पर जो सरकार को व्यय करना पड़ता है और हम को इससे जो आमदनी होती है और इससे जिस तरह की अड़चनें व खराबियां पैदा होती है, उनमें अगर अन्दाजा लगाया जाय और इस लगान के पीछे जो बुराइयां घुस गई हैं उनका यदि अन्दाजा लगाया जाये तो सरकार का जो आर्थिक पहलू है वह भी मानने योग्य नहीं है। कुछ लोग बेताबी में आकर यह कहने की कोशिश करते हैं कि बीघोड़ी कर उठ गया तो कृषि आय कर लग जाएगा या किसान किसी तरह का कर लगेगा। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं क्योंकि हमारी भावना भी बीघोड़ी कर को समाप्त करने की यह है कि किसान को हमें मान देना है। किसानों को यह महसूस कराना है कि खेती धंधा नहीं है। व्यवसाय नहीं है। समाज सेवा है। इसलिए किसानों को कर मुक्त करना है। कर की बात करने वाले आदमियों को इस बारे में पहले सोचना चाहिए कि कर से मुक्ति चाहने वाले लोग इसलिए नहीं चाहते हैं कि किसान को फिर किसी कर, खेती के कर से बांध कर फिर उससे खेती को आगे बढ़ाया जाये।

इसलिये मेरी और मेरे दल की सरकार से पुरजोर मांग है कि बीघोड़ी कर राजस्थान में तुरन्त समाप्त किया जाय और किसानों को मान और मर्यादा रखी जाय ताकि किसान देश के उत्पादन को बढ़ा कर इसे

(श्री रामसिंह कुड़ी)

आगे बढ़ाने में व समृद्ध बनाने मे सहायक हो सकें।

तीसरी बात में निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने जिस तरह से अपने कार्य-कलापों में गलत काम किये हैं, उन कामों की लम्बी सूचियां बन चुकी हैं, फिर भी उनको दोहराना तो नहीं चाहूंगा किन्तु गांवों से सम्बन्धित दो संस्थाएं, सहकारी समितियां और ग्राम पंचायतें हैं. उनके सम्बन्ध में सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उनमें निष्ठावान व्यक्तियों को रखने की और प्रोत्साहन देने की व्यवस्था होनी चाहिये। जो कानून सरकार ने बनाया है उस कानून को इन विभागों के अधिकारी ही तोड़ें तो इस पर तो कम से कम सरकार को विचार करना चाहिये।

मेरे जिले की बात में रखना चाहता हूं सहकारी समितियों के सहकारी रजिस्ट्रार ने खुद ने लाडनूं सोसायटी के दोषी अध्यक्ष को चुना, इसी प्रकार से डीडवाना की सोसायटी के अध्यक्ष को चुना और मेड़ता मार्केटिंग सोसायटी के सर्वे सर्वा को जो कि दोषी है चुना और नागौर कोआपरेटिव बैंक के संचालन करने वाले दोषी व्यक्तियों के चुनाव में मदद की, एक जिम्मेदार अधिकारी होते हुए दोषी व्यक्तियों को चुनाव में सहायता की। मैं इन सब गलत कामों के लिए असमंजस में पड़ गया कि इतने बढ़िया तरीके से गलत काम करने वाले अधिकारी को प्रोमोशन का आर्डर सुखाड़िया सरकार से अभी तक क्यों नहीं मिला है?

जब मंत्री महोदय ने यहां सदन में कहा उस समय में उपस्थित नहीं था, पर मैंने सुना कि पंचायत मंत्री जी ने कहा था कि पंचों, सरपंचों प्रधान के सिलसिले में वे कोई कार्यवाही करेंगे तो ईश्वर को साक्षी रख कर करेंगे। लेकिन मैं उनसे मेरे जिले के एक ऐसे प्रधान जांच के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा, जिन्होंने अनाप शनाप गबन किये हैं, अनाप शनाप गलत काम किये हैं, जिनके खिलाफ राजस्थान सरकार के सबसे बड़े पंचायत विभाग के अधिकारी श्री आर० डी० माथुर ने जांच को और अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की, जिसमें इस प्रधान के खिलाफ आरोप साबित हुए. उस रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन के दौरान, इस प्रधान के खिलाफ कार्यवाही करने, रकम वसूल करने और प्रधान पद से हटाने का निर्णय हुआ, पर वह फाइल कहां गई, इसका कोई अन्दाज नहीं। उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि वह इस प्रकार के गलत कामो को, अनियमित कामों को प्रोत्साहन नहीं दे, पचायतों में व सहकारी समितियों में अच्छे निष्ठावान व्यक्तियों को प्रोत्साहित करें। पर आज गलत काम करने वालों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है. उससे यह दोनों संस्थाएं बिगड़ती हैं। जिले भर के लोगों की यह आस्था सी बन गई है कि वह व्यक्ति कुछ भी कर दे, उसके खिलाफ कोई एक्शन होने वाला नहीं है। सैकड़ों लोगों को यह कहते हुए सुना है इस प्रधान को कि मैं कुछ भी करलूं मेरे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। इस प्रधान चैनाराम ने गवर्नमेंट को ८३,००० को लागत की सड़क बनाना बता दिया पर वास्तव में कोई सड़क ही नहीं बनी है. न उससे ८३ हजार रुपया ही वसूल हुआ है और न किसी प्रकार की कोई कार्यवाही ही

(श्री रामसिंह कुड़ी)

की गई है, न मुकदमा चलाया गया है। इस प्रकार की चीजों से जो हालत पैदा होते हैं, उससे व्यवस्था बिगड़ती है। इसलिये सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे हालात पैदा नहीं करें तो अच्छा है।

अब मैं थोड़ा पीने के पानी की समस्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, आपने कई मास्टर प्लान बनाये, कई योजनाएं इस सम्बन्ध में बनाई, कभी यह काम पंचायत समितियों को सौंपा, कभी जन स्वास्थ्य विभाग को सौंपा और कभी जन बोर्ड को यह अधिकार दिया और जो महकमें बनाकर जन धन को बरबाद किया, उसका लेखा जोखा करना तो असंभव सा है। पर अब मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे इलाकों में जहां पीने के लिये पानी उपलब्ध नहीं है, बीकानेर और जोधपुर के कई क्षेत्रों में पीने के पानी की भयंकर समस्या है, उन इलाकों में इस कार्य को सबसे अधिक प्राथमिकता दे कर एक दो वर्ष में ही पूरा प्रबन्ध कर दें तो ठीक होगा। इसके लिये यदि आपको दूसरो अनावश्यक इससे कम महत्व की योजनाओं को बन्द भी करना पड़े तो बन्द कर दीजिये, कोई बात नहीं है।

सरकारी विभाग की तरह पंचायत विभाग को बना रहे हैं यह आपकी मर्जी की बात है, लोकतन्त्र ने आपको ऊपर की ओर बढ़ाया है आप लोकतन्त्र की संस्था को खत्म करना चाहते हैं। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि पचायत विभाग में अधिकारी वर्ग का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, उसे रोकें। आप डाह मत करिये, छोटे जन प्रतिनिधि हैं उनको सरकारी अधिकारियों के नियन्त्रण में रखने के लिये गलत काम मत करिये। पंचायत समितियों को २००) रू० भी खर्च करने का अधिकार नहीं है. आपने एक स्वायत संस्था बना दी, उसको आर० ए० एस० अफसर दे दिया, पर यह सब करने से क्या फायदा जबकि उसको २००) रू० भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। पंचायत समितियों से कई अधिकारी हटाये प्रसार अधिकारी हटाये, सामान खरीद किया हुआ पंचायत समितियों में पड़ा रहा, उसमें घोटाला हुआ, उसके व्योरे में नहीं जाना चाहता क्योंकि यह आपको ज्यादा मालूम है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सहकारी समितियों को और पंचायतों को आप स्वतन्त्र छोड़ दीजिये, इनके कार्यों में आप हस्तक्षेप मत कीजिये।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री): यह २०० रु० के खर्चे की बात मैं समझा नहीं।

श्री रामसिंह : ऐसा है कि पंचायत समितियां तब तक पैसा खर्च नहीं कर सकतीं, यदि दो सौ रुपये से ज्यादा खरीद का मामला हो तो, कलेक्टर से सेंक्शन लेनी पड़ती है, कलेक्टर की सेंक्शन के बिना पंचायत समितियां २०० रु० खर्च नहीं कर सकतीं।

श्री परसराम मदेरणा : सदन में यह मामला कई दफा उठा है. सदन के इस ओर और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने मांग की थी कि परचेजेज के मामले में घोटाले हुए हैं इस लिये परचेजेज पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये, इसलिये सरकार की यह मजबूरी है। हम स्वायत्त शासन संस्थाओं के अधिकारों पर किसी प्रकार का कुठाराघात

(श्री परसराम मदेरना)

नहीं करना चाहते, न करते हैं पर इरेंगुलेरिटीज होती हैं, एक के बाद एक इरेंगुलेरिटीज इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्स करते हैं तो मजबूर हो कर इरेंगुलेरिटीज को रोकने के लिये इस प्रकार का कदम उठाना पड़ता है।

श्री रामसिंह : कुओं के मामले में क्या है, ३०२ रुपयों के लिये कलेक्टर की स्वीकृति चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमदत्त भाटी !

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने थोड़े विचार चुनावों के बारे में प्रकट करना चाहूंगा। ट्रेजरी बेंचेज के सदस्यों ने कांग्रेस राज की बहुत तारीफ की कि २० वर्षों में कांग्रेस सरकार ने क्या किया। मैं नहीं कहता कि देश में तरक्की नहीं हुई। यह मानना पड़ेगा कि तरक्की हुई है...

(सरकारी पक्ष की ओर से हीयर हीयर सुनो तो सही)

लेकिन यह हमें देखना पड़ेगा कि यह तरक्की जिस कीमत पर हुई है? पांच, छः हजार करोड़ रुपया हम पर कर्जा है, हमारे लिये उसका व्याज तक देना मुश्किल होता है। इतना कर्जा ले कर यदि अपने बच्चों को पढ़ावे, खेती को बढ़ावें तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बच्चों को पढ़ाने की दृष्टि से कर्जा किया, खेती को बढाने की दृष्टि से कर्जा किया तो आगे जाकर उसका बड़ा भारी लाभ मिलेगा पर वह पिता जो धन को शराब में, भ्रष्टाचार में स्वार्थ के वशीभूत हो कर मिस्यूज करे तो वह ठीक नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मेटिरियेलिज्म लाया है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था :

"If wealth is lost nothing is lost, if health is lost something is lost and if character is lost everything is lost."

अब देखिये करेक्टर किधर है? क्या करेक्टर है देश का?

क्या नेशनलिजम है आपमें ? देश का नुकसान हो रहा है। मुझे ताज्जुब है मद्रास में जो राष्ट्रीय झंडे का अपमान हुआ या दूसरी जगह राजस्थानियों पर अत्याचार हुए, हर जगह देखिए। केन्द्रीय सरकार ने क्या किया ? क्या आपका शासन है।

श्री परसराम मदेरणा : विरोधियों की सरकार है मद्रास में।

श्री ओमदत्त भाटी : लेकिन केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है। राष्ट्रीय झंडे का अपमान, ऐसी चीज नहीं है जिसको बर्दाश्त किया जा सके।

श्री परसराम मदेरना : शांति व व्यवस्था कायम करना, बेसिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

श्री ओमदत्त भाटी : केन्द्रीय सरकार की होनी चाहिए।

श्री परसराम मदेरना : आपके कहने से नहीं हो सकती।

श्री ओमदत्त भाटी : केन्द्रीय सरकार की कमजोरी है। मैं ज्यादा बहस नहीं करता। केन्द्रीय सरकार बहुत कमजोर है

(श्री ओमदत्त भाटी)

और सभी झगड़ों में, चाहे मद्रास में, गोहाटी में, काश्मीर में या असम में हुए, गोलियां चलती हैं। आप न मानें तो न मानें। प्रेजेन्ट सिस्टम आफ इलेक्शन ने भ्रष्टाचार पैदा किया और चरित्र को गिराया। मैं पार्ल्यामेंटरी डेक्रेमोसी को माननेवाला हूँ, प्रजातंत्र को मानने वाला हूँ लेकिन प्रजातंत्र ऐसा हो जिसमें शासक दल विरोधी दल को साथ लेकर काम करे। प्रजातंत्र के लिए चुनाव होना जरूरी है, मैं डिक्टेटरशिप नहीं चाहता, मैं फैसिजम नहीं चाहता, राजाओं वाला सिस्टम भी ठीक नहीं है। प्रजातंत्र सबसे अच्छा तरीका है जिसमें बहुमत बैठकर विचार करके जनता के हित की बात करता है और काम करता है। कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो सरकार राज चलाती है, चुनाव के समय क्या मेथड्स यूज करती है। मुझे इस बार दुर्भाग्यवश या भाग्यवश चुनाव में लड़ने का मौका मिला। मुझे शर्म आती है चाहे डीडवाना के सदस्य चाहे भूतपूर्व कृषि मंत्री, वे सरकारी गाड़ियां लेकर, झंडी लगाकर मेरे क्षेत्र में घूमते थे, ठेकेदारों और खान वालों के साथ घूमते थे। कहते हैं कि किसी को चुनाव के समय ठेका नहीं देंगे, परमिट नहीं देंगे लेकिन ऐसे तरीके यूज करते थे जो सभी जानते हैं। कुछ मित्रों ने कहा जीप स्कैंडल हुआ। यह सच्ची बात है। मैं भी ठेकेदार का रिश्तेदार हूं, ठेकेदार का जवांई हूं, ठेकेदार का बेटा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि कितने पैसे काम में लिए। एक पार्टी जब २० वर्ष राज में रहे तो भ्रष्ट हो जाती है, वह प्रजातंत्र नहीं है। दैट इज स्टैगनेन्ट। जब तक पार्टी चेंज न हो, तो उसको प्रजातंत्र नहीं कह सकते। मेरा सुझाव है कि जो प्रेजेन्ट सिस्टम आफ इलेक्शन है वह खराब है। प्रजातंत्र को रखने के लिए आपको उस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। वैसे प्रजातंत्र सिस्टम अच्छा है जिससे जनता की सेवा हो सके। लेकिन जो प्रेजेन्ट सिस्टम अच्छा है जिससे जनता की सेवा हो सके। लेकिन जो प्रेजेन्ट सिस्टम है वह खराब है। तो ठीक कैसे हो?

पहले तो या तो चुनाव का सारा काम जुडीश्यरी को दें या इलेक्शन ट्रिब्यूनल को दें। दूसरी बात, तीन महीने पहले ही जो सरकार राज करती है उसको त्यागपत्र देना चाहिए। तीसरी बात कहते हैं कि विधान सभा चुनाव में ६ हजार खर्च होना चाहिए, लड़कर आए? लोक सभा के लिए २५ हजार कहते हैं लेकिन लाखों रुपए खर्च करके जीतकर आते हैं। तो १०० तरीके से भ्रष्टाचार होता है। इसलिए यह लिमिटेड होना चाहिए। विधान सभा के लिए एक हजार और लोकसभा के वास्ते ५ हजार और वह पैसा ट्रिब्यूनल को दिया जाय।

चौथी बात नोमीनेशन भरते ही पार्टी कैंडीडेट का प्रचार न करे, उससे पहले करे। न पार्टी करे न कैंडीडेट करे। इस तरह से जातिवाद फैलता है, एक जाट खड़ा होता है तो उसके सामने जाट ही खड़ा होता है। नेहरू कहते थे कि मेरे नाम के आगे 'नेहरू' मत लगाओ, मुझे जवाहरलाल ही कहो। लेकिन दुर्भाग्य से यहां पर तो जाति के आधार पर कंडीडेट खड़ा करते हैं। मेरे ख्याल से आपने कास्टिजम ज्यादा फैलाया है।

दूसरी बात जैसे यहां बार-बार कांग्रेस जीतकर आती है तो उसके लिए यह होना चाहिए कि १० साल से ज्यादा कोई पार्टी

(श्री ओमदत्त भाटी)

राज्य न कर सके। जैसे अमरीका में है कि दो बार से ज्यादा वहां वहां प्रेसीडेन्ट नहीं रह सकता। इसी तरह से यहां दो सत्र से ज्यादा एक ही पार्टी पावर में यहां नहीं रहे। अगर विरोधी पार्टी बहुमत में नहीं आए तो राष्ट्रपति शासन हो लेकिन वह पार्टी पावर में न रहे।

दुख की बात है कि प्रजा के प्रतिनिधि इधर से उधर और उधर से इधर जाते हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, जब एक कैंडीडेट खड़ा हो, और वह जीतकर आए और वह पार्टी चेंज करना चाहे तो त्यागपत्र देकर दुबारा चुनाव लड़े। यह मेरा सुझाव है इसलिए नहीं कि मुझे बोलना है लेकिन अगर प्रजातंत्र को रखना है तो आपको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा।

व्यक्तिगत एक बात कहता हूं ....

एक माननीय सदस्य : व्यक्तिगत नहीं, जनरल।

श्री ओमदत्त भाटी : जनरल कहता हूं। जो पेन्शनर्स हैं, पहले भी मैंने राज्यपाल के अभिभाषण के समय कहा था कि उनकी पेन्शन में वृद्धि नहीं हुई। अभी भी जब उनका भाषण हुआ तो भी वृद्धि नहीं की गई। मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे महंगाई बढ़ती जाय, बेचारे पेन्शनर्स के रेट्स भी बढ़ने चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मेरे ख्याल से मेरे विचार थोड़े बहुत आप समझ गए होंगे। चुनाव के तरीकों को बदलना पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है नहीं तो लोकतंत्र की हत्या होगी, देश की हत्या होगी। हम नहीं कहते लोकतंत्र न हो, डिक्टेटरशिप कोई नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : पेन्शनर्स चुनाव लड़ें या नहीं, इस बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री ओमदत्त भाटी : क्यों नहीं लड़ें ? मैं चाहता हूं कि आफीसर्स भी अगर त्यागपत्र देकर आएं तो वे भी चुनाव लड़ें। हरेक को अधिकार है। आइ एम नाट ए पेन्शनर, आपको संदेह हुआ होगा।

श्री परसराम मदेरना : ओन ए पोइंट आफ परसनल क्लैरीफिकेशन, सर अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि भूतपूर्व कृषि मंत्री और डीडवाना के माननीय सदस्य, न मालूम किसकी तरफ उनका इशारा था, मैं समझ नहीं पाया, कि सरकारी गाड़ियां लेकर झड़िया लगाकर उनके क्षेत्र में घूमते थे। अगर यह बात मुझसे संबंध रखती है तो आपने जो बात कही है वह असत्य है, कभी भी चुनाव के डिक्लेयेरेशन के बाद, सरकारी गाड़ी में बैठकर मैं जोधपुर नहीं घूमा। आपके क्षेत्र में पूरे चुनाव में मैंने कोई मीटिंग नहीं की। कभी जोधपुर आता भी था लेकिन कहीं पर भी अपनी पार्टी के लिए....

(शोरगुल) (अश्रव)

गलत जानकारी सदन में नहीं देनी चाहिए। जिस बात का सबूत न हो, तथ्य न हो वह नहीं कहनी चाहिए। जिस बात की पूरी तसल्ली हो वही कही जाय। मैं रिफ्यूट करता हूं, यह निराधार है और असत्य है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री महोदय, इस प्रकार जो सदन के माननीय सदस्य

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

द्वारा बात कही जाती है, हालांकि वह मंत्री हैं परन्तु किसी प्रकार के भी आरोप माननीय सदस्य द्वारा लगाए जायं तो उनको इस प्रकार धमकी भरे शब्दों में कहने का हक नहीं है।

श्री परसराम मदेरना : आपको भी कोई हक नहीं है कि आप झूठी बात सदन में रखें, यह बात झूठी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सही है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : सदन के अन्दर यह प्रोसीजर है कि उनको कहने का हक है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री ओमदत्त भाटी।

(कई सदस्यों के पुनः एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्री ओमदत्त भाटी : मुझे खेद है कि भोपागढ़ से आने वाले माननीय सदस्य इतने उत्तेजित हो गये। होना स्वाभाविक है, जवानी है, पैसा है और मिनिस्टरी का बम है।

मैं आपको कह देता हूँ कि मैंने कभी आक्षेप नहीं लगाया है। एक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मेरा मतलब श्री नाथूरामजी मिर्धा से है। मैंने तो कभी इनका मुंह भी नहीं देखा है, लेकिन जो चना होता है—थोथा चना बाजे घना....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरा भाई।

श्री शंकरलाल (जैतारण) माननीय सदस्य को पता हैं, एक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मतलब किससे होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भ्रष्टाचार का आरोप लगाते है तो हर मिनिस्टर यही समझते हैं कि मेरे ऊपर लगा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : डीडवाना वाली एन्क्वायरी का क्या हुआ ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं जवाब दे दूंगा सब।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यही होता कि बजट को पास करने से पहले यह देखा जाता कि यह इस देश के हित में है। उसमें तमाम बड़े पैमाने पर जो रकमें हम खर्च करने जा रहे है, उसे खर्च करने के पहले हमें बजट में यह देखना कि कहां खर्च करना है, उस बारे में विचार करके इस बजट में पास करना जरूरी था तब तो जहां कहीं देश के हित की बात हो सकती थी लेकिन आज शुरुआत में एक तो छोटे लोगों का शोषण किया, छोटे लोग-कम आय वाले जो किसान है, सरकार ने जो नाटक किया है वह नाटक सिर्फ हमारे खाद्य मंत्री उलझ गये। लेकिन किसान का हित रखने वाले और किसान को अगर हम सोसायटी में मानते हैं और अगर उसमें

(श्री हीराभाई)

उलझ जाते हैं जब मायुर साहब छोटे–छोटे किसानों का शोषण हो और इसके लिये बजट बना हो उस समय भूल गये हों, क्योंकि अन्य लोगों पर जितना कर था, कर में किसी तरह कमी की गई है लेकिन गये साल के नाटक की पूर्ति इस साल वापिस करली, अब हम इसे नाटकीय सरकार नहीं कहें तो क्या कहें ? मुनीम सुखाड़िया की सरकार को क्या कहेंगे, कोई यह जनतन्त्र की सरकार है क्या ? आपके बजट में बड़ी जमीन वालों को कोई फायदा नहीं है । उसका तरीका भी दूसरा निकालना चाहिये तभी जा करके कम आय वाले किसानों पर टैक्स माफ कर सकते है । उनको दबा दिया गया है, उनका शोषण किया गया है आप उनसे टैक्स वसूल कर रहे हैं और ५ हजार से ऊपर आमदनी हो तो आप इन्कम टैक्स लगायेंगे, वरना नहीं लगायेंगे । इस बजट को बनाने के पहले २००-२५० आमदनी वाले छोटे एक या दो एकड़ पर टैक्स लगा रहे हैं तो फिर मैं आपका स्वागत जरूरत कर सकता हूँ लेकिन क्या करें इस मुनीम सुखाड़िया सरकार और उनके गुमाश्ते सुखाड़ियाजी के इशारों की तरफ चलने वाले हैं, उनकी मजबूरी है । हम आपसे फैसला नहीं चाहते हैं, हो सकता है हम अपने आप फैसला करेंगे । आपको मालूम है कि किसान आन्दोलन करने जा रहे हैं । जितना आप दबायेंगे, उतना ही किसान आन्दोलन करेंगे तब जा करके फैसला होगा । कितने लोगों पर आप गोली मारेंगे, कितने लोगों को जबरदस्ती जेलों में ताड़ियों में बन्द करेंगे । मैं ये जौहरी लोगों का विरोधी नहीं हूं लेकिन इतने बड़े लोगों के लिये आपने एकदम छूट दी है । कोई लाल-लाल रंग लगाने वाले फैक्टरियों को आप छूट दे सकते हैं, उनको करजा दे सकते हैं । मशीनें बनाकर आप किसानों का शोषण कर सकते हैं, उससे किसान की आर्थिक स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है । समाजवाद का कोरा नाम लेकर नाटक रचते हैं । जो नाटक गये साल किया उसको इस साल भी कर रहे हैं । अभी हमारे माननीय सदस्य गिरधारीलालजी ने जाने क्या–क्या कह रहे थे । कनबा.....

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी विचित्र बात है । जब तक केन्द्रीय सरकार और ये पूंजीपतियों के मुनीम सुखाड़िया सरकार है और ये जो मंत्री है इनके गुमाश्ते हैं जब तक रहेंगे तब तक किसी भी राज्य में स्थायी रूप से विरोधी सरकारें नहीं चल सकती हैं । यह तो हमेशा कानून बनाकर लाकर रख देते है । क्या कहा था कुनबा

एक माननीय सदस्य : भानमती ने कुनवा.....

श्री हीराभाई : हां, भानमति ने कुनबा जोड़ा । समाजवाद लाने में तो मैं शायद उधर वाले साथियों से और इधर वालों से अपील करूंगा कि समाजवाद लाने में हमें एक अंकुश लगाना पड़ता है । आय और व्यय के हम किसी तरह रास्ते निकाले तब जाकर यह जनतन्त्र में समाजवाद आ सकता है नहीं तो लाखों रूपया खर्च करके, एम० एल० ए० को खरीद कर सरकार बना लेंगे, और इन पर कन्ट्रोल नहीं लगायेंगे तो कुछ नहीं होगा सही समाजवाद आने वाला नहीं है । मैं यह बात करना चाहता हूँ कि मिक्सअप सरकार नहीं चल सकती है लेकिन आपको पता होगा संविद सरकारें जहां बनी हैं वहां मालगुजारी माफ कर दिया । बिहार और यू० पी० ने निर्णय लिया है । अगर

(श्री हीराभाई)

राजस्थान सरकार माल गुजारी बन्द कर दे उसी हालत में तब होगा । अपने मुनीमों की सरकारें कायम करवाना चाहते हैं । इस तरह समाजवाद नहीं आ सकता है । मेरी अपील है उधर के बैठने वालों को त्याग की भावना लानी पडेगी । वैसे ही मैं तो यही कहूंगा कि इधर के बैठने वालों को भी त्याग की भावना लानी पड़ेगी । मैं यह चाहता हूँ सुखाड़ियाजी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दें, उस पर २० लाख रुपया खर्च कर सकते हैं । मुनीमों की सरकार है, पूंजीपति इनको देने वाले हैं । इससे कोई समाजवाद नहीं आयगा.....

समाजवाद कहां आवेगा ? मैं तो यह भी कह रहा हूं आप समाजवाद का नाम छोडिये लेना । सारे पूंजीपतियों को आप राहत दीजिये हम लोग उनके घरों में जाकर सर्वेन्ट बन जावेंगे । हम भी देखेंगे कि वे पूंजीपति कितने समय तक गाड़ी चलाते हैं । पर हमारे साथियों में इतनी जागृति आ नहीं रही है ।

यह बात जरुर है, पार्टी बदलने वाले लोगों के शर्म की बात है चैयर से यह नहीं कहना चाहता एक निर्णय देते समय हमें अयोग्य कहा गया था । मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूँ पर यह वर्ड कहा तो दुःख हुआ । अयोग्य कौन होता है ? वह होता है बिना समझ वाला । ये बड़े बड़े जंगलों में बैठने वाले होते हैं । हम लोग तो योग्यता वाले हैं । हम जानते हैं किस तरह से दुःख भुगतना पड़ता है, परिश्रम कैसे करना पड़ता है, कैसे अन्न पैदा करना पड़ता है, कैसे ईमानदारी से रहा जाता है, देश को खतरे से बचाया जा सकता है यह हम जानते हैं, देश के लिए कैसे कुर्बान हुआ जाता है यह हम जानते हैं । तो योग्यता वाले झोपड़े में रहने वाले गांव में रहने वाले परिश्रम और ईमानदारी से जीवन बिताने वाले हो सकते हैं । उन लोगों के शोषण पलने वाले ये बंगलों में रहने वाले कारों में चलने वाले देश के साथ गद्दारी करने तक नहीं चूकने वाले ये पूंजीपति और बंगलों में रहने वाले नहीं हो सकते । ये फौज में लड़ने नहीं जावेंगे, यह योग्यता इनमें नहीं है, फौज के लिये आवश्यक साज सामान तक में चोरी करने से नहीं चूकने वाले ये आज के कहे जाने वाले योग्य नहीं हो सकते । लड़ाई में तो हम जैसे परिश्रमी योग्य गरीब लोग ही होंगे । पता है कौल साहब कैसे योग्य थे ? बीमारी का बहाना बना कर लड़ाई के मैदान से भाग आये थे और फौज के अफसर और तमाम फौज वालों को चीन वालों ने खदेड़ दिया था । ऐसे वे योग्य आदमी थे । जिसको आपने तरक्की दी । आप ऐसी योग्यता वालों को चाहते हैं । मैं ऐसी योग्यता वालों को नहीं चाहता । देश के लिये मरमिटे कुर्बानी करें देश को बचावे अकाल पड़े उसको दूर करने की व्यवस्था करे ऐसे लोगों को मैं योग्य मानता हूँ । ये वकालत करने वाले, जो चोर को साहूकार बतावें और साहूकार को चोर बनाना चाहते हैं दोनों तरफ से वकालत करते हैं तो ऐसे बेईमान षड्यन्त्र करने वाले हमारे पर सवारी गांठकर गरीबों का शोषण करते रहें उनको आप ही योग्य मानें, हम नहीं मानेंगे । हम तो उनको हमेशा के लिये अयोग्य मानेंगे बेईमान और षड्यन्त्री और हरामखोर मानेंगे । शोषण करके योग्यता बताना चाहते हैं वे । गरीब ईमानदारी से

(श्री हीराभाई)

महनत से अन्न पैदा करता है, तब जाकर तथा कथित योग्य लोगों को वेईमानी करने का अवसर आता है, ४२० करने का मौका मिलता है क्या करके अपनी आय बढ़ाई है, महल खड़े किये हैं, बंगले बनाये हैं और पूंजी जोड़ी है हरामखोरी करके रिश्वतें खाकर टैक्सों की चोरी करके वे योग्य हो गये। और मजदूर अपनी मजदूरी के धन्धे में चौवीस घन्टे लगा रहता है और अपना पेट बड़ी मुश्किल से पालता है उसके लिये आप मापदण्ड नहीं कर सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करूंगा हम समाजवाद की दुहाई देने जा रहे हैं। हमारा आदिवासी एरिया है। शिक्षा मंत्री ने भाषण दिया कि १० प्राथमिक शालाओं पर मिडिल स्कूल खोल देंगें। पर कुशलगड पंचायत समिति में एक भी मिडिल स्कूल नहीं है। पचास हजार छोटे मोटे मनुष्य हैं। कन्याओं के लिये हायर सेकण्डरी स्कूल नहीं हैं। बड़ी आबादी है तब भी। पर आप देखते हैं वहां से विरोधी पार्टी से सदस्य आते हैं इसलिये नहीं बनावेगे। हमने आपका क्या बिगाड़ा? आखिर हमको भारत के संविधान ने अधिकार दिया है। इसकी तहत चुनकर आते हैं। हम आपके ढोली बनकर तो नहीं आते हैं। आपको धन का बराबर बटवारा करने के लिये मुकर्रर किया है। फिर यह क्यों करते हैं? वहां तो अब तक हायर सेकण्डरी के बजाय इन्टर कालेज खुल जाना चाहिये था।

वहां परीक्षा का सेन्टर भी नहीं है। परीक्षा सेन्टर कायम किया बागीदोरा में। सज्जनगढ़ और दूसरे तिधरी नगर की स्कूले हैं उनको सेन्टर कायम किया। पर वहां आदिवासी विद्यार्थी के ठहरने के लिये एक कमरा नहीं मिलता बागीदोरा भी इतना बड़ा नहीं कि कमरा उपलब्ध हो जावे। पेड़ों के नीचे पड़े रह कर परीक्षा देने को बच्चे जाते हैं। इस तरह का ये धन्धा करते हैं।

यहां की नगरपालिका की ऐजेन्सी ने भी मांग की थी। कन्या सेकन्डरी स्कूल कुशलगढ़ के लिये मन्जूर की जावे। चालू करने की बात भी चल गई थी। पर वहां नहीं चला कर दूसरे क्षेत्र में खोल दी। यह हालत इसी तरह होती रही तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह बड़े दुख की बात होगी। तब हमें मजबूर होकर सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या चाहिये। हमें शायद एक रास्ता निकालना पड़ेगा। यहां पर योग्यता और अयोग्यता का सवाल है। तमाम छोटी जातीलोग हैं जातिआदिवासी हैं अनपढ़ हैं उनको रास्ता निकालना पड़ेगा। फिर आप कहेगें कि आदिवासी नागालैंड की नकल कर रहे हैं। आप जो परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं वे गलत काम करवायेगीं। पहली बार तो राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि हमें अलग शासन दिया जावे। पहली बात यह है कि हमें विधान सभा में आदिवासियों की समस्या पेश करने के लिए टाइम दिया जावे। तो वह भी नहीं कर सकते हैं और दूसरे कलेक्टर के यहां जाकर हायर सेकण्डरी स्कूल खोलने की कहते हैं तो जोशीजी ब्रेक लगाकर चले जाते हैं।

आदिवासी पढ़कर कहां जावेंगे? पांचवी छठी तक पढ़ेंगे। फिर गधा ढांढा चराने

(श्री हीराभाई)

जावेंगे । तो अगर आपको शिक्षा का बराबर बटवारा करना है तो हरेक पांच दस मील के एरिया में मिडिल स्कूल की व्यवस्था करनी पड़ेगी । कुशलगढ़ में इन्टर कालेज खोलने की बात भी करनी पड़ेगी । इस सैशन में कुशलगढ़ में कन्या सेकण्डरी स्कूल किसी तरह से खुल जावेगी यह आश्वासन दें । नहीं तो देखा जावेगा । जो कुछ होगा बाद में ।

दूसरे मुझे उत्पादन के बारे में बोलना है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टाइम हो रहा है, पर मुझे और इजाजत दें तो कल बोल लूंगा और आज अभी बैठ जाऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय पांच मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है ।

श्री हीराभाई : यहां हम आदमी और औरत को बराबर का अधिकार देते हैं तब लड़कियों की शिक्षा की आदिवासी एरिया में हमारे कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए लड़कियों को पढ़ाने के लिए पंचायत समिति के एरिया में एक एक लड़कियों की हायर सेकण्डरी स्कूल और छात्रावास कायम की जाने चाहिए ।

पीपलकोट भी हमेशा विरोधी पक्ष वाले का रहा है वहां एक भी हायर सेकण्डरी स्कूल नहीं है । नक्शा उठाकर देख लीजिये आप ताज्जुब करेंगे । जोशीजी के दो तीन मील के एरिया में मिडिल स्कूलें हैं और हर जगह सेकण्डरी और हायर सेकण्डरी भी हैं तो इस तरह हमारे साथ क्यों इतना अन्याय है ? इस तरह पैसे का बटवारा होता रहा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ।

इसी तरह सिचाई के लिये पानी की बात कहूंगा । पर बिजली प्रतापगढ, बासवाड़ा में जावें तो फिर यहां क्यों नहीं जा सकती है ! वहां के ऐरिये में पानी का अभाव नहीं है ।

तो अगर वहां पर आप बिजली ले जाकर किसानों के लिए सिंचाई के साधन जुटा दो तो वहां हमेशा का अकाल दूर हो सकता है । खेती के बारे में जितनी दवाइयां हैं फील्ड वर्कर हैं वह सब नाकामयाब रहे हैं । उनको नहीं रखना चाहिये और खामखां हमारा पैसा बरबाद नहीं करना चाहिए । इनकी गलती नहीं होगी लेकिन जो एक्सपर्ट लोग होते हैं खेती में कीड़ा लग जाता है तो बैंगन के बैंगन दवाइयां ले जाकर छोड़ेगे तो कोई असर नहीं होगा । अगर इस पर काबू नहीं होता है तो दवाइयां किस काम की हैं ! उसी तरह से दवाइयां आपकी बिलकुल साबित हुई हैं कहीं ईलर और झकड़िया जानवर लग गए हैं और इन दवाओं का प्रयोग होता है तो यह बिलकुल नाकामयाब रही है । इसलिए दवाइयों को बिलकुल गहरे गढ्ढे में डालो और दूसरी दवाओं का इन्तजाम करें तो करें, नहीं होता है तो कुदरत के भरोसे पर छोड़ो । हमारे यहां पर ईलर ने खाया, कितनी ही दवाइयां छांट लीं लेकिन उनका असर नहीं हुआ है । यह दवायें बिलकुल नाकामयाब हैं । इसी तरह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं । किसानों से ज्यादा टैक्स तो वसूल कर लाओगे, डामर और शीशों की सड़कें बड़े–बड़े शहरों में

(श्री हीराभाई)

बनाओगे और वही सौतेली मां का व्यवहार रहा तो यह आप सोचो कब तक बरदाश्त करेंगे। हमारे गलिया कोट से सलूम्बर और सलूम्बर से बांसवाड़ा और बामनियां तामसुरा से बांसवाड़ा रोड का परमिट तो आपने दिया इनके रिश्तेदारों को दिया यह तो पता नहीं। चाहे किसी को दिया हो बस वहां जरूर चल रही हैं। लेकिन वहां इतने बड़े-बड़े कंकर हैं और जितना आप टैक्स लेते हैं कच्ची रूट पर ज्यादा से ज्यादा यात्री टिकट लेते हैं लेकिन वहां की रोड को सुधारने के लिए कोई विचार किया है आपने ? आप टैक्स लगाओगे और जनहित के लिए खर्च करोगे तो जनता मन्जूर भी करेगी। लेकिन सड़कें बने जयपुर में और अजमेर में और टैक्स वसूल करो गरीबों से जिनके पास पोटली में आटा नहीं। वहां सड़कें रोज़मर्रा टूट रही हैं और उनके लिए आप कहते हैं घाटा है। मैं सार्वजनिक निर्माण मत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे एरिया को किसी भी हालत में अगर नागालैन्ड की स्थिति कायम नहीं करनी हो तो फिर जाकर वहां की व्यवस्था जरूर करें..

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : हीराभाई कह रहे हैं नागालैन्ड की स्थिति नहीं कायम करनी है तो जयपुर की सड़कें उनके गांव में ले जायें।

श्री हीराभाई : बिलकुल यहां की सड़कें मेरे गांव में लाओ..

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। भाषण समाप्त हुआ। सदन की कार्यवाही कल प्रात: ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही ५.०५ बजे शनिवार दिनांक ३०-३-६८ को प्रात: ८.०० बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या ६३४ की सूची)

राजस्थान विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या १६२ कि स० क० म०
प्रश्नकर्ता श्रीमती गौरी पूनिया, स० वि० सभा

सन् १९६५ से १९६६ के सत्र में छात्रवृत्ति की राशि निम्न जिलों में दी गई।

क्र० सं०	जिलों के नाम	१९६५	१९६६	१९६८
(१)	नागौर	१२२००	११५००	३६७००
(२)	जोधपुर	१८४००	१६४००	२५५००
(३)	पाली	१५०२५	१७६००	२०५००
(४)	जालौर-सिरोही	२२६००	२०६००	६०२००
(५)	अजमेर	३०६००	३०६००	७२०००
(६)	उदयपुर	२०७५०	२२६५०	६८५००
(७)	जयपुर	२०७५०	२०२५०	४५०००
(८)	चित्तौड़गढ़	१७०००	१४०००	३००००

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न सं० ९४२ की सूची)

जयपुर बीकानेर मार्ग पर परमिट की सूची

१—श्री देवी सहाय अग्रवाल	आर एस एल ७५८१
२—श्री अजीतसिंह	आर एस एल ५१५
३—मेसर्स घीसालाल गंगासहाय	आर एस एल ४१२७
४—श्री छुट्टन खान	आर जे आर ११५५
५—श्री रामरिख फूलचन्द	आर जे एल ६३३९
६—श्री मेसर्स विजयसिंह कल्याणसिंह	आर एस एल ५६५०
७—श्री हनूमानप्रसाद पारीक	आर एस एल ५८५९
८—श्री नारायण दत्त	आर जे एल ३०६८
९—मेसर्स जगदीश नारारण ओमप्रकाश	आर एस एल ७९१
१०—मेसर्स इन्द्रसिंह रामसिंह	आर जे एल ९८२९
११—श्री मागचन्द	आर एस एल ४१५१
१२—श्री मानसिंह	आर जे बी ६२७
१३—श्री शेख हीरा हाजी रहीमबक्स	आर एस एल ४५७७
१४—श्री नूर मोहमद	आर जे आर ४०७७
१५—श्री मेवाराम	आर जे जी ३७९
१६—मेसर्स सुन्दरदास कल्याणसहाय	आर एस एल ७७६१
१७—मेसर्स मूलचन्द भूरसिंह	आर जे एल ९८८८
१८—श्री जगन्नाथ शर्मा	आर जे एल ५६१२
१९—श्री अब्दुल सलाम	आर एस एल ८११७
२०—मेसर्स रानी मोटर बस सर्विस	आर एस एल ३९४४

२१-श्री सोमनाथ मलहोत्रा	आर जे ए १५१३
२२-श्री रामनाथ कपूर	आर जे एल ५३८१
२३-श्री मनोहरलाल बाबूलाल	आर एस एल ४०५८
२४-श्री लक्ष्मीनारायण खन्डेलवाल	आर जे ए ६६५
२५-श्री मदनलाल	आर एस एल ५०७७
२६-मेसर्स अमर ट्रा० रोडवेज	आर जे बी ६६४
२७-श्री गंगासहाय	आर जे एल ५१८०
२८-श्री देवीसहाय कालूराम	आर एस एल ३६७
२९-श्री मेसर्स ए० सी० मलहोत्रा	आर जे जी ३१६
३०- ,, ,,	आर एस एल ६६१३

परिशिष्ट ३

(तारांकित प्रश्न संख्या ६५० की सूची)

तारांकित प्रश्न सं० ६२ मु० मं०

५५ वर्ष की आयु के बाद जिन अधिकारियों की पुनः नियुक्ति की गई उनका विवरण

नाम अधिकारी व पद	कितने समय के लिए	किस पद पर
(१) श्री प्रेम शंकर शर्मा, निदेशक, आयुर्वेद विभाग	जुलाई १, १९६७ से दिसम्बर ३१, १९६७ तक	निदेशक, आयुर्वेद विभाग
(२) श्री के.एम.के. शर्मा, निदेशक, संस्कृत शिक्षा	जुलाई १, १९६७ से दिम्सबर ३१, १९६८ तक	निदेशक, संस्कृत शिक्षा
(३) श्री वी. वी. हलवे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स जज	नवम्बर, १९६७ से ६ महिने के लिए	ओ. टी. एस. में कानून के लेक्चरार
(४) श्री महादेव प्रसाद भटनागर, संयुक्त निदेशक, कृषि (अनुसंधान)	जुलाई १, १९६७ से एक साल के लिए	संयुक्त निदेशक, कृषि (अनुसंधान)
(५) श्री के.एस. शिवप्रकाशन, एडिशनल चीफ इंजिनियर, राणाप्रताप सागर एवं जवाहर सागर डेम, कोटा	२१-१२-६७ से दो साल के लिए पुनः नियुक्त (कांट्रेक्ट)	एडिशनल चीफ इंजिनियर राणाप्रताप सागर एवं जवाहरसागर डेम, कोटा
(६) श्री तेजकरण डंडिया, सचिव, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर	जुलाई १, १९६७ से जून १९६८ तक	सचिव, उच्चतर मा० शिक्षा बोर्ड, अजमेर

———

परिशिष्ट ४

(तारांकित प्रश्न संख्या ६५१ की सूची)

तारांकित प्रश्न संख्या २३५ शि० मं०

प्रश्नकर्त्ता—श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा)

निम्नलिखित पार्टटाईम लॉ लेक्चार्स की नियुक्तियां इस कालेज में अब तक की गई है :-

१— श्री पी० बी० एल० माथुर ५–११–४८ से अब तक।

२— श्री रामेश्वर दयाल सक्सेना १६४८ से १६५६ तक, २२–१२–६२ से ६–५–६३ तक, २०-७-६३ से ६–५–६४, २१-७-६४ से ६-५-६५, ७–७-६५ से ६–५–६६ ७–७–६६ से २२-१२–६६ तक।

३— श्री रखब चन्द धारीवाल १६–६–६५ से ६-५-६६, ७–७–६६ से २२–१२–६६, ५–६–६७ से अब तक।

४— श्री अनुप चन्द जैन १०–१–६७ से ६–५–६७ तक।

५— श्री राजेन्द्र नारायण त्रिवेदी ८–७–५८ से अब तक।

६— श्री चन्द्र मोहन प्रधान १५–६–६५ से ६–५–६६ व ७–७–६६ से ६-५-६७।

७— श्री चन्द्रमान श्रीवास्तव १०–१-६७ से ६-५–६७ व ५–६–६७ से अब तक।

८— श्री एस० आर० जज ८-११-५८ से ३१–८-६२ तक।

६— श्री नाथूलाल जैन २८–२–५७ से सन् १६५७ के आखिर तक।
२५–७–५७ से सत्र १६५८ के आखिर तक।

१०— बेनीमाधव शर्मा २०–६–६१ से १६–३–६२ तक व ६-११-५७ से ७-११-५८ तक।

११— श्री राजेन्द्र बिहारी लाल माथुर ५–६–६७ से अब तक।

Page No. 132

परिशिष्ट ५

तारांकित प्रं० संख्या ६५४ की सूची

सन् १९६६–६७ में बीज गुणन फार्म व अनुसंधान फार्म का लाभ व हानि का ब्योरा

जिले का नाम	फार्म का नाम	व्यय	आमदनी	लाभ	हानि
१–अजमेर	१–तावीजी अनु० फार्म	२९४१३)०४	३०५५६)५६	११४३)५२	....
२–अलवर	२–नौगांवा बीज गुणन	४७०५२)४७	५७७१७)७०	१०६६५)२३	....
३–भरतपुर	३–सेबर ,,	२९५४६)३९	३८९१८)२८	९३७१)८९	....
	४–वसेडी ,,	१३९४५)००	४०७५०)००	२६८०५)००	....
	५–मलिकपुर,,	३५२१८)२७	३०३८५)१८	....	४८३३)१०
४–जयपुर	६–दुर्गापुरा अनु० फार्म	३१५७८)००	१२२८२)२२	....	१९२९५)७५
	७–बस्सी	४८७६०)५४	४४३९७)६२	....	४३६२)९२
	८–पाडासोली बीज गुणन	७१२६४)२३	७८१७१)५३	६९०७)३०	....
५–झुन्झुनू	९–वासबिशना ,,	२०७००)३६	६३१२)५५	....	१४३८७)८१
६–सवाई माधोपुर	१०–बराबंडा ,,	१९४८७)३०	१०२२६)०२	....	९२६१)२८
	११–सवाई माधोपुर ,,	२६६१५)३९	११८३७)८०	....	१४७७७)५९
७–सीकर	१२–पलसाना ,,	१८२३४)२०	४९५५)६८	....	१३२७८)३१
	१३–श्रीमाधोपुर ,,	१८६६६)६८	१८५३७)७१	....	१२८)९७
८–टोंक	१४–मालपुराडिग्गी ,,	१३०६०)७०	२९७०)८८	....	१००८९)८२
	१५–टोंक ,,	१८९४१)२१	१०९५१)१०	....	७९९०)११
	१६–कलासिया ,,	नया फार्म			
९–गंगानगर	१७–पदमपुर अनु० फार्म	२७२६१)७४	५५५४६)९७	२८२८५)२३	....
	१८–जैतसर ,,	२५९७७)६४	२८१८९)३५	....	२२११)७१
१०–जोधपुर	१९–रामपुरिया बीज गुणन	५८७७६)२७	२३३०५)८२	....	३५४७०)४५
११–बाडमेर	२०–समदरी ,,	२४९७७)१७	८५४९)९५	....	१६४२७)२२
१२–जैसलमेर	२१–जेठा ,,	....	....	....	....
१३–हनुमानगढ	२२–हनुमानगढ अनु. फार्म	सूचना प्राप्त नहीं हुई है।		....	....
१४–पाली	२३–हेमाबास बीज गुणन	२८८०२)९२	३९०८९)४३	१०२८६)५१	....
	२४–सुरायता ,,	३२०४१)०३	३५१८६)७६	३१४५)७३	....
	२५–खदरी ,,	१४३९७)७४	१४८५६)५२	३५८)७८	....
	२६–सुमेरपुर अनु० फार्म	५३४२५)५०	८३५८४)४६	३०१५८)९५	....
१५–बूंदी	२७–छतरपुरा ,,	१५३१९)६७	८०६४)१३	....	७२५५)५४
	२८–मटुण्डा बीज गुणन	३०३४२)०९	२२५०६)८९	....	७८३५)२०

	२९—सियाना	,,	....	....	....	....
१६-झालावाड़	३०—खानपुर	,,	....	....	....	....
	३१—एकलेरा	,,	२५४९९)३३	२५१३५)००	....	३६४)३३
१७-बांसवाडा	३२—बोरवट अनु० फार्म		....	....	....	....
१८—कोटा	३३—बोराखेडा ३४—सुलतानपुर	,,	१३८१५)००	३२२३५)००	१८४२०)००	....
	३५—डिगोद	,,	२९५१५)००	२७६४२)००	.....	१९०२)००
	३६—उम्मेदगंज बीज गुनण		१९०५६६)३	४८१९०७)८६	२९१३४१)८३	....
	३७—कवई	,,	....	....	....	....
१९-भीलवाड़ा	३८—अरजिया	,,	३०७७७)३९	२०५२२)१०	१०२५५)२९	....
	३९—कल्यानपुरा	,,	२३६३३)२०	१४९२७)९२	....	८७०५)२०
२०-चित्तोडगढ़	४०—भादेसर	,,	६०३३)०८	५२२८)८८	....	८०४)२०
	४१—मुन्गाना	बन्द कर दिया गया है।				
२१—डूंगरपुर	४२—डामरिया	,,				
२२-उदययुर	४३—घारियावाद	,,	२४५१२)३५	२२९२५)८०	....	१८५६)५५
२३—जालोर	४४—सन्थू	,,	....	....	....	....
२४-गंगानगर	४५-श्रीगंगानगर अनु.फार्म		५४४१८)३३	५६३९८)०१	१९७९)६८	....

परिशिष्ट ६

(तारांकित प्रश्न सं० ६५६ की सूची)

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर पदों के जातियों की प्रतिनिधित्वता की सूची

क्रमांक	नाम पद	संख्या	परिगणित जाति	परिगणित जन जाति
१)	सचिव	१	—	—
२)	वित्त सलाहकार	१	—	—
३)	सहायक सचिव	१	—	—
४)	लेखाधिकारी	१	—	—
५)	अंकेक्षणाधिकारी	१	—	—
६)	व्यापार सुधार अधिकारी	१	—	—
७)	मुख्य संगठक (खादी)	१	—	—
८)	मुख्य संगठन (ग्रामोद्योग)	१	—	—
९)	कार्यालय अधीक्षक	१	—	—
१०)	लेखादायी	३	—	—
११)	शीघ्रलिपिक	२	—	—
१२)	निरीक्षक सह अंकेक्षक	१९	—	—
१३)	संगठक	४	१	—
१४)	उ० सं० लि०	१५	—	—
१५)	लेखालिपिक	४	—	—
१६)	गुड़ विकास निरीक्षक	२	—	—
१७)	सहायक गुड वि० निरी०	२	—	—
१८)	जिलाउद्योग निरीक्षक	२२	१	—
१९)	सुपरवाईजर	१५	—	—
२०)	अतेरिस्ट मधुमक्खी	१	—	—

(२)

क्रमांक	नाम पद	संख्या	परिगणित जाति	परिगणित जन जाति
२१)	जूनियर फिल्डमैन	२	—	१
२२)	नि० सं० लि०	१६	२	—
२३)	बुड़ प्रदर्शक	१५	—	१
२४)	गुड़ गाईड	३	१	—
२५)	मिस्त्री (गुड़ खंडसारी)	२	—	—
२६)	मिस्त्री (तेल)	२	—	—
२७)	इन्स्ट्रेक्टर (कुम्हारी उ०)	१	—	—
२८)	पोटर मास्टर	२	—	—
२९)	च० श्रे० कार्यकर्त्ता	१४	१	१
		१५८	६	४

परिशिष्ट ७

समयाभाव के कारण समय पर न पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

जोधपुर-चौहाटन मार्ग पर रोडवेज की बसें

६५८. श्री अब्दुल हादी (चौहटन): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सच है कि जोधपुर से चौहटन तक डामर रोड बन चुकी है फिर भी वहां ठेकेदारों की बसें चल रही हैं ?

(२) क्या सरकार इस सड़क पर रोडवेज की बसें चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस सड़क पर रोडवेज की बस सर्विस कब तक चालू होगी ?

उत्तर

१. जी यह सत्य है। जोधपुर से चोहटन कोई मंजूर शुदा बस मार्ग नहीं है। बाडमेर से चोहटन तक मार्ग है उस पर प्राईवेट बसें चल रही हैं। इसी प्रकार जोधपुर-बाड़मेर मार्ग पर भी प्राईवेट बसें चल रही है।

२. जोधपुर-चोहटन मार्ग पर बसें चलाने का वर्तमान में निगम का कोई विचार नहीं है।

सैकण्डरी स्कूल कुशलगढ़ में परीक्षा केन्द्र

६६०. श्री हीराभाई (कुशलगढ़ सु,): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) कुशलगढ़ की सैकण्डरी स्कूल में इस समय कितने छात्र पढ़ रहे हैं ?

(२) क्या यह सही कि इस स्कूल के विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए किन्हीं अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इस स्कूल में ही परीक्षा केन्द्र की स्थापना करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

१. कुशलगढ़ की हायर सैकण्डरी स्कूल में कक्षा ६ से १० तक कुल छात्र ४३६ पढ़ रहे हैं। कक्षा १० में केवल ६० छात्र हैं।

२. यह सही है।

३. परीक्षा के केन्द्र ऐसी जगह खोले जाते हैं जहां कम से कम दो तीन स्कूलों के छात्र परीक्षा देने जावें तो उनके रहने की सुविधा प्राप्त हो सके। कुशलगढ़ हाई स्कूल के कमरे इतने छोटे हैं कि उनमें परीक्षा की व्यवस्था करने में शायद बड़ी कठिनाई हो सकती है। वहां पर परीक्षा का केन्द्र खोलना बोर्ड पर ही निर्भर है। उपरोक्त कमियों के कारण ही यह स्कूल अभी तक बोर्ड द्वारा परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है।

तहसीलों एवं पंचायत समितियों के मुख्यालय पर बिजली

९६१. श्री रतनलाल रोत (चौरासी-सु.) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजस्थान की समस्त तहसील एवं पंचायत समिति के मुख्यालयों तक बिजली देने के बारे में राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

(२) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

(३) क्या सरकार बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के पिछड़े क्षेत्र होने के कारण इस योजना में प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

उत्तर

१. जी नहीं ।

२. प्रश्न ही नहीं उठता ।

३. अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

शंकर बाजरे के बीज का वितरण

९६२. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा शंकर बाजरा का बीज किसानों को कितना बांटा गया और किस–किस दर पर ?

(२) क्या यह सही है कि इस वर्ष जो शंकर बाजरे का बीज दिया गया वे तोल में कम और अच्छी किस्म का नहीं था ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके बारे में कोई जांच करवाई है ?

उत्तर

१. इस वर्ष विभिन्न जिलों में शंकर बाजरे का बीज ७४० क्विंटल ७० किलोग्राम काश्तकारों को ८) रु० प्रति किलो की दर से वितरण किया गया ।

२. जी नहीं ।

३. बीज खराब नहीं था तो जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

महाराजा किशनगढ़ मिल्स में बिजली की व्यवस्था

९६३. श्री सुमेरसिंह (किशनगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या सही है कि दी महाराजा किशनगढ़ मिल्स क० ट्रान्स० लि० किशनगढ़ ने बिजली कनेक्शन लेने की मांग की है ?

(२) उक्त मांग कब से सरकार के विचाराधीन है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त उद्योग बिजली नहीं मिलने से बन्द पड़ा है ?

(४) उक्त उद्योग को कब तक बिजली सप्लाई की व्यवस्था हो जावेगी ?

उत्तर

१. जी हां ।

२. विचाराधीन नहीं है । निर्णय दे दिया गया है । उनकी २०० किलो वाट की मांग के उत्तर में उन्हें लिख दिया गया है कि १२५ के० डब्यू तक था यदि रात्री में केनेक्शन लेना हो तो अधीक्षक अभियन्ता से सम्पर्क कर लें ।

३. सम्भव है ।

४. भाग २ के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिशिष्ट ८

(तारांकित प्रश्न सं. ६४५ की सूची)

ABSTRACT OF MATERIAL RECEIVED UTILISED & SHORT IN RAJAMAHAL SUB DIVISION

Particulars of Material	Quantity required as per estrimate.	Total quantity recd.	Total issed to other works.	Total utilised on works.	Shortage	Value of material short:
1. Bolts with Nuts 5/8" Dia.	3.263 Tons	8.778 Kgs.	1.87 Tons	5.736 Tons.	1.173 Tons.	Rs.2.346/-
2. G. I. Wire No. 6 SWG.	16.2 „	21.388 „	3.436 „	16.04 „	1.907 „	Rs.3.814/-
3. G. I. Wire No. 8 SWG.	1.222 „	2 Tons	-	1.99 „	-	-
4. Cement.	5015	5374	195	5179	See note below.	Rs 8.100/-
5. ACSR Recoon.	668.14 Km	666.762 Km.	36.195 Km.	612.69 Km.	17.877 Km.	Rs.30.060/-
6. Rails.	1776	1251	Accounts available for 1220 rails	-	13 Nos. A/c Not availeble.	Rs.12.400/-
						Rs. 56.720/-

NB:—According to the accounts available with the Assistant Engineers apparently there is shortage of cemeat but as a result of the investi gations held I am convinced that a very poor misture of cement concrete has been used in place of the mix. 1 : 2 : 4 specially in the works of construction of sub-station and a lot of cement has been piferred on the basis of the sratements recorded about 900 cement bags have been piferred costing about Rs. 8.100/-

परिशिष्ट ६

(अतारांकित प्रश्न सं० ५२७ की सूची)

नाम पट्टाधारी	अवधि	क्षेत्रफल	१९६२–६३ वजन	रायल्टी रु०	१९६३–६४ वजन	रायल्टी रु०	१९६४–६५ वजन	रायल्टी रु०	१९६५–६६ वजन	रायल्टी रु०	१९६६–६७ वजन	रायल्टी रु०
१–मेर्सस हाफिज अब्दुल्ला खां एण्ड ब्रादर्स	२० वर्ष ता. ३-१२-५७ से	८०एकड़ जैन-	६४-३६मण	१६२४-४८	२८-५० क्वी०	१९८४-४३	१७-७९ क्वी०	१३५२-०४	४५-३३ क्वी०	३७०२-७०	२८.४१ क्वी०	२८६५-०६
		एग्रेसिव	८२२-२३ मण	१९७-७८	३७९-६५ क्वी०	१५४-३३	२४२-४० क्वी०	१२१-२०	२९९-१४ क्वी०	१४९-५७	२९०-३६ क्वी०	१३०-२१
२–श्री मोहन लाल बड़जातिया।	२० वर्ष ता. १४-१०-६५ से	३५–६१ एकड़ जैन	—	—	—	—	—	—	९९७-१०० किलो	६१२-२१	५-०९ कि०ग्रा०	४४०-००
		एग्रेसिव	—	—	—	—	—	—	३८५०-०० किलो	१७-२५	५१४-९२ किलो०	२५७-६०
३–मेसर्स नारायण सिंह एन्ड सन्स	२० वर्ष ता. २४-१२-६५ से	१०८–५ एकड़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
४–श्री मोहन लाल बड़जातिया।	२० वर्ष ता. २४-८-६७ से	४७–१४० एकड़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

खनि अभियन्ता, जयपुर

परिशिष्ट १०

(अतारांकित प्रश्न सं० ३१६ की सूची)

राजस्थान में काश्तकारान को वीज व खाद हेतु दिये गए अल्पकालीन ऋण का १९६२-६३ से १९६६--६७ तक का विवरण तालिका

जिले का नाम	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	१९६५-६६	१९६६-६७
१—जयपुर	४,९३,६८८-५७	३,५२,११७-००	२,७०,९८०-२९	१८,७२,१४८-७१	१७,९७,८४६-६२
२—अजमेर	१,४३,६००-००	१,२७,७००-००	९,५३,०६०-००	१०,२८,१७३-१६	७,३६,७३०-२८
३—टोंक	१,०२,७००-००	७२,४०८-००	५,६६,८९२-४८	२,७७,८३४-८५	४,०५,१७३-८१
४—भरतपुर	३,३०,०००-००	२,२२,०००-००	१६,७५,१६३-२०	१७,२०,५४५-५७	१४,५८,३१९-१०
५—सीकर	८०,०००-००	२७,०००-००	३,४९,११९-६०	३,४५,४५९-३२	१,८९,३६७-७७
६—सवाई माधोपुर	१,५७,०००-००	५०,०००-००	१४,४७,९३२-९०	१७,३६,५३४-१६	२,५९,३०१-९६
७—झुनझुनु	३२,०५७-००	१०,०००-००	४,९६,८००-१४	२,९४,९३७-४५	१,५९,५६०-०७
८—अलवर	२,४७,०००-००	७७,०००-००	१७,४१,६१०-२६	९,३१,६६८-४१	१६,२३,२६६-६७
९—उदयपुर	१,९१,०००-००	१५,८६४-००	१९,३५,४९१-१५	२३,७८,१९६-३६	१३,०४,२१३-०४
१०—चितौड़गढ़	१,१४,८००-००	४२,३१६-००	६४,६९,७३६-०२	१९,५९,६३३-२५	२५,३१,५४१-९६
११—बासवाड़ा	९०,५०९-५६	१८,०००-००	७,१५,२४५-६२	२,३०,९४८-६८	१,८७,४४३-०८
१२—डूंगरपुर	१,०३,०००-००	४०,०००-००	५,९७,६३४-४२	१,४०,६६९-००	२,०३,४६३-३०
१३—भीलवाड़ा	२,९८,०००-००	१,४१,०००-००	२४,९१,८५९-५३	१५,३६,११६-०८	१५,५१,०९३-७२

जिले का नाम	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	१९६५-६६	१९६६-६७
१४—कोटा	४,४१,५१०-००	५,०१,०००-००	३१,८४,४२६-६५	२९,९०,२०७-८८	२७,८१,२२८-४८
१५—बूंदी	२,४३,६००-००	२,४१,०००-००	१,१७,४४८-५९	७,३५,६५१-३१	६,५७,८४१-०१
१६—झालावाड़	१,३४,२५०-००	१,८१,१००-००	९,५७,०१०-२९	५,७९,२७९-८०	७,२८,५४५-८२
१७—जोधपुर	२५,०००-००	१,२९,०००-००	१२,६७,००५-९०	८,०७,३५६-०२	९,२३,३३७-००
१८—जैसलमेर	७,०००-००	१२,०००-००	४४,०९६-४७	१,३५,३०७-६०	१,८१,११९-११
१९—जालोर	३५,१७०-००	१,६६,७००-००	१३,०६,७३२-९८	६,८१,८१३-६२	८,७२,५४१-७८
२०—नागौर	९५,०००-००	१,०८,७००-००	१०,४२,६६४-७४	२,८०,४२५-८८	२,८३,०३८-११
२१—सिरोही	६५,५९२-४८	८९,०००-००	१९,६१,९०३-३९	१५,१७,१७५-२०	२०,३८,४८२-५४
२२—बाड़मेर	६७,०००-००	३१,०००-००	३,३४,८५२-५०	४,२९,५५३-६१	२,४३,४२०-७०
२३—पाली	९,९९,०००-००	१,७४,०००-००	४८,२१,६०९-४७	२५,०७,६९०-९९	२६,६६,४२७-८३
२४—बीकानेर	२०,०००-००	१०,०००-००	२०,०००-००	२२,६५०-००	२२,५००-००
२५—गंगानगर	२,९३,०००-००	५,४४,४१८-००	७२,१२,७८३-४३	८४,७८,९२८-३४	४१,१७,९८०-१८
२६—चूरू	४८,५५०-००	१३,०००-००	७३,५१८-७४	२३,६३,३९०-१९	२,०७,०००-००
कुल योग	४८,६५,०२७-७१ (अड़तालीस लाख पेंसठ हजार सताइस तथा पैसा इकत्तर मात्र)	३४,५७,५२३-०० (चौंतीस लाख सतावन हजार पांचसौ तेबीस मात्र)	३,२३,३१,५९८-८४ (तीन करोड तेबीस लाख इक्तीस हजार पांच सौ अड़ानवे तथा चौबीस पैसे मात्र)	३,३८,४४,९८७-४२ (तीन करोड़ अड़तीस लाख चमालीस हजार नौ सौ सतासी तथा बयालिस पैसे मात्र)	२,७१,२४,९९७२-०३ (दो करोड इकतर लाख चोबीस हजार नौ सौ बहतर तथा तीन पैसे मात्र)

परिशिष्ट ११

(अतारंकित प्रश्न सं० ३६३ की सूची)

प्रश्न—१ क्या यह सही है, कि शिक्षण संस्थाओं में कोई पार्ट टाइम स्वास्थ्य चिकित्साधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। तो लाडनूं में क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में किन किन का कब कब चिकित्साधिकारी नियुक्त किया गया तथा उनकी योग्यताएं क्या हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर:--

क्रम०	शाला का नाम	चिकित्सा अधिकारी का नाम	योग्यता	कार्यावधि	पारिश्रमिक
१	राज. उ मा. विद्यालय लाडनूं	सुमेर विजय शास्त्री	आयुर्वेदिक, शास्त्री आ.स. तथा आयुर्वेदाचार्य महाराज आयुर्वेदिक कालेज जयपुर से डाक्टर आफ होमियोपेथिक एवं सरजरी विथ होमियोमेडिकल कालेज लहरीया बिहार से	१९४६ से अप्रेल ६६ तक	(४६ से ५४ तक २० प्रतिम (५४ से ६० तक ४०) , (६० से अप्रेल ६६ तक ३०),

क्रम०	शाला का नाम	चिकित्सा अधिकारी का नाम	योग्यता	कार्यविधि	पारिश्रमिक
२	राज. जौहरी ब. उ.मा.विद्यालय लाडनूं	,,	,, ,,	१-७-६६ से अब तक	(३०) रूपया प्रति माह
३	महावीर ब.उ.मा. विद्यालय लाडनूं	श्री सुमेर विजय शास्त्री श्री महेन्द्रसिन्हा श्री एस.डी. शर्मा	,, ,, एम.बी.बी.एस.एम.एस. एम.बी.बी.एस.	१९५६-५७ से १९६०-६१ ६२-६३ से ६४-६५ तक ६५-६६ से ६६-६७ तक	(३०) रू.प्रति निरीक्षण (४०रूपया प्रति निरीक्षण (४०रूपया प्रति ,,
४	जे.बी. ब.उ.वी. लाडनूं (राज)	श्री सुमेर विजय शास्त्री श्री पी.पी. गुप्ता	क्रम संख्या १ में वर्णित एम.बी.बी.एस.	१९५९-६० तक ६३-६५ तक	(४०) प्रति निरीक्षण ,, ,,
५	राज.उ.वि. जसवन्तगढ़	,, सुमेर विजय	क्रमांक १ में वर्णित	अगस्त '४७ से आजतक ,,	(अगस्त ४७ से ५३ तक २०) रू० (प्रति माह (५४ से ६० तक ४० प्रति माह (६० से आजतक ३०) प्रति माह

प्रश्न—

क्या उक्त अधिकारी सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों में से नियुक्त किये गये थे ? यदि नहीं क्या करते थे ?

(३)

उत्तर—

क्रम सं०	शाला का नाम	चिकित्सा का नाम	अधिकारी	योग्यता	कार्यावधि	पारिश्रमिक
१)	राज उ. मा. विद्यालय लाडनूं			कई दफा सरकारी चिकित्सकों को कहा गया एवं लिखा गया परन्तु उन्होंने कार्य की अधिकता के कारण अपनी असमर्थता जाहिर की, जिसके सम्बन्ध में एक प्रमाण पत्र मिला है जिसकी प्रतिलिपी संलग्न है और जो राजकीय अस्पताल लाडनूं में डाक्टर थे जिनका नाम श्री महेन्द्र सिन्हा है।		
२)	राज. जौ. ब. उ. मा. वि. लाडनूं			"	"	"
३)	राज. उ. विद्यालय जसवन्तगढ़			"	"	"
४)	जे. बी. विद्यालय लाडनूं			श्री पी. पी. गुप्ता के अतिरिक्त अन्य कोई चिकित्सक अधिकारी की उपलब्धी न होने के कारण श्री सुमेर विजय शास्त्री को सत्र १९५९-६० में नियुक्त किया गया। श्री पी पी. गुप्ता राज. अस्पताल के हा० थे।		
५)	श्री महावीर ब. उ. मा. वि. लाडनूं			सभी सरकारी डाक्टर ही कार्य करते थे।		

नोट:—राजकीय उच्च विद्यालय दिनांक १-७-६६ से जौहरी ब. उ. मा. विद्यालय लाडनूं में विलय हो गया और उसका नाम अब राजकीय जौहरी ब. उ, मा. विद्यालय लाडनूं रखा गया यह संस्था अब इसी नाम से चल रही है।

विद्यालय निरीक्षक
शिक्षा विभाग, नागौर

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक २९ मार्च, १९६८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
२	अंतिम से	२	दरख्वात	दरख्वास्त
३		३	लिजली	बिजली
५	अंतिम से	७	दा	दो
६	,,	१०	काट	काटे
,,	,,	३	असिस्टन्ट	असिस्टेन्ट
९		१६	ट्रान्सफर कर दिया	ट्रान्सफर कैंसिल कर दिया
,,	अंतिम से	९	ट्रान्सफर	कैंसिल
१०		अंतिम	थ	थीं
,,	अंतिम से	७	नियम	निगम
११		५	उत्तर	उत्तर में
१६		१३	लेखक पैलेस होटल	लेक पैलेस होटल
१८	अंतिम से	१	के साधन	साधन
१९	,,	२	दष्टि से	दृष्टि से
२०		१९	टीक	ठीक
२३		१२	निकलेंगे	निकालेंगे
,,		१३	एक्ट्रेट	एट्रेक्ट
,,		१८	डांगा	डागा
२४	अंतिम से	५	यिया	दिया
२५		शीर्ष	श्री मोहनथाल	श्री मोहनलाल
,,		१	एक एक	एक
,,		१४	सरकार की	सरकार की ओर से
२६	अंतिम से	४	समय क	समय के
२८	,,	७	अन्इकोमोनिकल	अनइकोनोमिकल

१	२		३	४
३८		१३	जनरल	जनरली
४१		१६	लेनीफिट	बेनिफिट
४२	अंतिम से	६	डेड	डेट
४७		शीर्ष	(श्री हजारीराम बुरडक)	(श्री हरजीराम बुरडक)
४७		१५	पुनविचार	पुर्नविचार
४८		१६	श्री हजारीराम	श्री हरजीराम बुरडक
४६		६	श्री हुरजीलाल बुरडक	श्री हरजीराम बुरडक
५३		४	बेवार	बेकार
५४	अंतिम से	२	खच	खर्च
५५		५	शीघ्रता शीघ्र	शीघ्रातिशीघ्र
६४		२१	मेज रख	मेज पर रख
६५		३	ट्राम्इब्स	ट्राइब्स
,,		२१	पसेन्ट	पर्सेन्ट
६८	अंतिम से	३	मंग	मंगाने
७०		शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
७१ से ७७		शीर्षक	अनुपस्थित सदस्यों के के प्रश्नोत्तर	अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
८२	अंतिम से	१०	प्रमुखों	प्रमुख
८३–८५		शीर्ष	(श्रीमती कान्ता कथूरिया)	(श्री मुख्य मंत्री)
६०	अंतिम से	७	पोलीटेनिक	पोलीटेक्निक
६१	,,	२	१–१–६८	१–१–६६
६३	,,	६	स्कल	स्कूल
६४	,,	६	नया	तथा
६५		६	कामूनी	कानूनी
६७		२	पारमेट	गारनेट

१	२		३	४
,,		१	संलग्न में पृष्ठ	संलग्न पृष्ठ में
६८		१	arrengment	arrangement
१०१		शीर्ष	(श्री विजय सिंह रावत	(श्री कृषि मंत्री)
१०८	अंतिम से	१	मंं मोदय	मंत्री महोदय
११४	,,	१	राजस्क्षान	राजस्थान
११६	अंतिम से	२	जामे	जाने
१२१		२०	लगा ।	लगाया
,,		२१	पंना	पैसा
१२२		१०	क्षेत्र	क्षेत्र
१२१-१२६		शीर्षक	रा. पशु मेला (सं.) वि. पुरस्थापित	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
१२३	अंतिम से	१	सइके	इसके
१२६		१६	लगाने ।	लगाने का
१२७		१४	मन्शी	मंत्री
१२७	अंतिम से	११	पुकर	पुष्कर
,,	,,	४	महवपूर्ण	महत्वपूर्ण
,,	,,	१	र्दुशाग्रस्त	दुर्दशाग्रस्त
१२८	,,	६	मत्री	मंत्री
१३१	,,	२	एस्ट्रीमेट्स	एस्टीमेट्स
१३५	,,	६	विवादा-प्रश्न	विवादास्पद प्रश्न
,,	,,	८	सदस्यों से वेदन	सदस्यों से निवेदन
१३६		१५	अधार	आधार
१३७		शीर्षक	सम्पादक शुल्क	संपदा शुल्क
,,		४	लिए	किए
,,		६	इमर्नजेन्सी	इमर्जेन्सी
१३८		२१	अदाज	अन्दाज
,,	अंतिम से	३	श्रीतीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल

१	२		३	४
१३१से१३६		शीर्षक	संपदाशुल्कपरविचार	संपदा शुल्क संबंधीसंकल्प पर विचार
१३६		१२	१९६०	१९६८
,,	अंतिम से	६	(संस्थाइ)	(संख्या ३)
,,	,,	८	घिचार	विचार
१४१		शीर्षक	-९ मर्च, ६८	-२६ मार्च, ६८
,,		६	जाघो	जावो
,,		१५	बठें	बैठें
,,	अंतिम से	७	विराधी	विरोधी
१४२		७	मेज़ें	मेजें
१४३	अंतिम से	१५	एप्रोप्रियशन	एप्रोप्रियेशन
१४४	,,	७	कसवाड़ा	मैंसवाड़ा
१४८		४	की	को
१५१		४	रिफारिश	सिफारिश
,,		६	सेच	सोचा
,,	अंतिम से	६	कन्फमेशन	कन्फरमेशन
१५३		१०	कर	करने
१५५	शीर्षक		रा. व.	रा. वि.
,,	,,		६०–	६८–
,,	अंतिम से	१५	खवे	खम्वे
१५६		५	चहूंगा	चाहूंगा
१५७		शीर्षक	संस्या	संख्या
,,		,,	मर्ा	मार्च
,,	अंतिम से	११	प	पर
१६३		शीर्षक	(रा.	रा.
,,	अंतिम से	११	प्रयात	प्रयास
१६४		१५	कयेटी	कमेटी

१	२	३	४
,,	१८	कीमटी	,,
१६५	शीर्षक	(रा. वि. (संख्या)	रा, वि. (संख्या ३)
१६७	,,	(रा.वि.(संख्या३)	,, ,,
१६६	,,	(रा.	रा.
१६६	१६	नहकमा	महकमा
१७१	अंतिम से २	बहे	रहे
१७७	१८	हाभी	हावी
१७७	अंतिम	नाननीय	माननीय
१८०	१८	ोण	शोषण
१६०	अंतिम से ६	सींवसज	सर्विसेज
१६१	शीर्षक	६ मार्च	२६ मार्च
१६३	१०	ध्यन	ध्यान
१६४	१४	जाडेकेद रो	जो ठेकेदारों
१६५	शीर्ष	शार्मा	शर्मा
,,	५	सव	सब
१६६	१२	परिणाय	परिणाम
१६६	१८	जाह	जगह
,,	२३	उकको	उसको
२००	अंतिम से ११	दिवा	दिया
२०३	शीर्षक	६०	६८
२०७	,,	संस्या	संख्या
,	,,	मर्च	मार्च
२०६	शीर्ष	(हरिवल्लभशर्मा	(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
२१०	अंतिम से १३	क्षत्र	क्षेत्र
२११	शीर्षक	(रा.वि.(संख्य)	रा. वि. (संख्या ३)
		२६ माच	२६ मार्च
२१३	शीर्षक	(रा. वि.	रा. वि.
,,	अंतिम से १२	आवज	आवाज

१	२		३	४
२२३	स्कम्मं		१२३	२२३
२२४	अंतिम से	१०	क्षत्र	क्षेत्र
२२५		१२	वनाख	वनास
२२६		१५	मालपरा	मालपुरा
,,	अंतिम से	८	इस ी	इसकी
,,	,,	३	लीफ्टमेंट	लेफ्टिनेंट
२२७		८	बठा	बैठा
,,		१६	कारखना	कारखाना
२२६		१५	ामल	मिल
२३०		१७	िस	किसी
,,	अंतिम से	८	न्ही	नहीं
२३१		शीर्षक	६०	६८
२३५		११	जिस	किस
२३५से२३८		शीर्षक	(रा.ि.(संख्या३) विधेयक १६६८	रा.वि.(संख्या ३) विधेयक १६६८
२३७		६	डेक्रोमेसी	डेमोक्रेसी
२४१	अंतिम से	६	मोपा.ाढ़	मोपालगढ़
२४२	अंतिम से	४	वह न.टक	उस नाटक में
२४३	,,	१४	जरूरत	जरूर
२४६		८	गद्दारी	गद्‌दारी
,,		२०	योय	योग्य
२५०	अंतिम से	१५	दवाइय	दवाइयां
परिशिष्ट ४		३	श्री रखवचन्द	श्री रिखबचन्द
,,	६(२)	३	बुड़ प्रर्शक	गुड़ प्रदर्शक
,,	८ अंतिम से	४	misture	mixeture
,,	,, ,,	२	piferred	pilferred
,,	,, ,,	१	-Do-	-Do-
,,	,, ,,	२	sratements	statements
,,	१०(२)	१	कोडा	कोटा